

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमाँ सहित
सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



झारखण्ड सरकार
वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 1

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित
सामान्य, सामाजिक, आर्थिक एवं राजस्व प्रक्षेत्रों
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii

भाग-अ

(सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र)

अध्याय-I प्रस्तावना		
इस भाग के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षिती की रूपरेखा	1.2	1
लेखापरीक्षा की विस्तृत सूचना	1.3	1
लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.4	2
अनुपालन लेखापरीक्षाएँ	1.5	2
पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई	1.6	2
अध्याय-II अनुपालन लेखापरीक्षा		
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)		
झारखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का कार्यान्वयन	2.1	5
पथ निर्माण विभाग		
कपटपूर्ण भुगतान	2.2.1	43
परिहार्य व्यय	2.2.2	47
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग		
कपटपूर्ण भुगतान एवं सरकारी धन का गबन	2.2.3	48
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग		
निष्फल व्यय	2.2.4	52
निष्क्रिय व्यय	2.2.5	55
जल संसाधन तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग		
निष्क्रिय व्यय और निधि का अवरोधन	2.2.6	57

भाग-ब
(राजस्व क्षेत्र)

अध्याय-I		
सामान्य		
प्रस्तावना	1.1	61
राजस्व की प्रवृत्ति	1.2	61
बकाये राजस्व का विश्लेषण	1.3	65
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण - संक्षेपित स्थिति	1.4	66
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.5	67
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	68
इस भाग का विस्तार	1.7	69
अध्याय-II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
परिवहन विभाग		
परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर और शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण	2.1	71
अध्याय-III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
वाणिज्य कर विभाग		
कर प्रशासन	3.1	101
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	101
“झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र” पर लेखापरीक्षा	3.3	104
झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत क्रय आवर्त का छिपाया जाना	3.4	123
कर के गलत दर का अनुप्रयोग	3.5	124
अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	3.6	125
बढ़ाये गये आवर्त पर अर्थदण्ड/ब्याज नहीं लगाया जाना	3.7	125
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.8	126
खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव	3.9	127

भाग-स
(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अध्याय-I		
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप	1.1	129
ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू के क्रियाकलाप	1.2	132
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के क्रियाकलाप	1.3	146
अध्याय-II		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले विभाग		
झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर लेखापरीक्षा	2.1	163
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड		
श्रमिक कल्याण उपकर की कम कटौती	2.2.1	187
एसएलडीसी के परिचालन शुल्क एवं प्रभार की हानि	2.2.2	190

परिशिष्टियाँ (भाग अ)

परिशिष्ट सं.	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ संख्या
2.1.1	आवश्यक भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण अपूर्ण पुल कार्य	2.1.2.2 (ii)(ब)	195
2.1.2	एक कि.मी. के दायरे में मु.मं.ग्रा.से.यो./ प्र.मं.ग्रा.स.यो./ प.नि.वि. पुल होने के बावजूद नए मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल का निर्माण	2.1.2.2 (ii)(स)	197
2.1.3	नगरपालिका क्षेत्र में मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल का निर्माण	2.1.2.2 (ii)(द)	198
2.1.4	निष्पादनोपरांत रख-रखाव के अभाव में, नमूना-जाँचित प्रमंडलों में पाई गयी पुलों में हुई भौतिक क्षति	2.1.4	199
2.2.1	आरोपित व्यक्तियों के खाते में ₹ 15.84 करोड़ के हस्तांतरण की विस्तृत विवरणी	2.2.3.1	201
2.2.2	जून 2017 और मई 2018 के बीच डीडब्ल्यूओ, चतरा के बैंक खातों से आरोपियों के खातों में हस्तांतरित राशि को दिखाता विवरण	2.2.3.2	203
2.2.3	जून 2018 और जनवरी 2019 के बीच आरोपियों द्वारा उनके बैंक खातों से निकाली गई राशि को दिखाता विवरण	2.2.3.3	204
2.2.4	जुलाई 2019 से फरवरी 2020 के बीच आरोपियों द्वारा उनके बैंक खातों से निकाली गई राशि को दिखाता विवरण	2.2.3.4	204
2.2.5	फर्मा, संस्थानों, एनजीओ आदि द्वारा, जिन्होंने डीडब्ल्यूओ, चतरा से भुगतान प्राप्त किया था, कैशियर और उसके रिश्तेदारों के बैंक खातों में हस्तांतरित राशि को दिखाता विवरण	2.2.3.5	205

परिशिष्टियाँ (भाग स)			
1.1.1	ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, वित्तीय परिणाम का सारांशित विवरण	1.2.8	208
1.1.2	31 मार्च 2019 तक राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के संबंध में अंश-पूँजी तथा बकाया ऋण की स्थिति दिखाता विवरण	1.3.4	209
2.1.1	झापनी की शुरुआत के बाद निर्मित सम्पत्ति की सूची और जेटीडीसी को हस्तांतरित विवरण	2.1.2	212
2.1.2	असंचालित/ आंशिक संचालित परिसंपत्तियों का विवरण	2.1.3.2	213

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के विभागों; राजस्व क्षेत्र के विभागों एवं इकाइयों तथा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उल्लेखनीय लेखापरीक्षा परिणाम शामिल हैं।

प्रतिवेदन में उल्लेखित दृष्टान्त वैसे हैं, जो 2018-19 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आये तथा वैसे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाये गए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके। जहाँ कहीं आवश्यकता थी, 2018-19 की अवधि के बाद से संबंधित मामले भी सम्मिलित किये गये हैं।

लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा व लेखा विनियमों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

यह प्रतिवेदन तीन भागों में है:

भाग-अ में झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र के विभागों/इकाईयों के लेखापरीक्षा परिणाम हैं;

भाग-ब में झारखण्ड सरकार के राजस्व क्षेत्र के विभागों/इकाईयों के लेखापरीक्षा परिणाम हैं; तथा

भाग-स में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखापरीक्षा परिणाम हैं।

भाग-अ: सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

इस भाग में दो अध्याय सम्मिलित हैं। प्रथम अध्याय में लेखापरीक्षा की आयोजना तथा सीमा एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों/ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया तथा इन पर की गई कार्रवाई के साथ-साथ प्रमुख विभागों के व्यय पर एक संक्षिप्त विश्लेषण शामिल है। अध्याय-॥ में झारखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के कार्यान्वयन पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के छः लेखापरीक्षा कंडिकाएँ सम्मिलित हैं। इस भाग में सम्मिलित लेखापरीक्षा परिणामों, जो प्रणालिक कमियों, हानि, बेकार/ निष्फल/ निष्क्रिय व्यय, परिहार्य अतिरिक्त व्यय, अनुचित पक्षपात, अधिक भुगतान आदि से आच्छादित हैं, का कुल धन मूल्य ₹ 251.29 करोड़ (अनुपालन लेखापरीक्षा ₹ 209.83 करोड़ तथा लेखापरीक्षा कंडिकाएँ ₹ 41.46 करोड़) है।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है। लेखापरीक्षा नमूनों का चयन सांख्यिकीय नमूनाकरण पद्धति पर किया गया है। अपनाई गई विशिष्ट लेखापरीक्षा पद्धति का उल्लेख निष्पादन/ अनुपालन लेखापरीक्षा में किया गया है। राज्य सरकार के मंतव्यों को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए हैं तथा अनुशंसाएं की गई हैं। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे सारांशित किया गया है:

2.1 झारखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का कार्यान्वयन

झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने ग्रामीण सड़कों के संरक्षण में पड़ने वाले नदियों और नालों पर पुल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (मु.मं.ग्रा.से.यो.) का आरम्भ किया (सितम्बर 2001)। योजना का उद्देश्य प्रत्येक गाँव (32,394 गाँव) को ग्राम पंचायत से, प्रत्येक ग्राम पंचायत (4,423 ग्राम पंचायतें) को प्रखंड मुख्यालयों से और प्रत्येक प्रखंड (260 प्रखंडों) को जिला मुख्यालय (24 जिलों) के साथ जोड़ना था। यह ग्रामीण विकास विभाग के तहत चालू योजना है जो राज्य सरकार के अपने स्रोतों से वित्त पोषित है। राज्य में मु.मं.ग्रा.से.यो. के कार्यान्वयन के लिये सचिव, ग्रामीण कार्य मामले (ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत) उत्तरदायी हैं।

छ: नमूना जिलों में, मुख्य अभियंता के कार्यालय में एवं विभागीय स्तर पर 2014-19 तक की अवधि की लेखापरीक्षा सितम्बर 2019 से मार्च 2020 के बीच इस बात का मूल्यांकन करने के लिए की गई कि क्या (i) पुलों का चयन और अनुमोदन उचित सर्वेक्षण के बाद किया गया था, (ii) पुलों और पहुँच पथों का निर्माण मितव्ययता से, संहिता के प्रावधानों के अनुसार गुणवत्ता, कर्म कौशल और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुये किया गया था तथा (iii) पुलों और पहुँच पथों का पश्च-निष्पादन रखरखाव सुनिश्चित किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों के महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नवत हैं :

विभाग ने न तो कोई परिचालन मार्गदर्शिका तैयार की थी और न ही ग्रामीण सड़कों में अपाटित कमियों के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण किया था। यद्यपि विभाग ने योजना के प्रबंधन के लिये परिपत्रों/पत्रों के माध्यम से निर्देश जारी किया था तथा उसके पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्र.मं.ग्रा.स.यो.) के तहत एक जिला ग्रामीण सड़क योजना (जि.ग्रा.स.यो.) थी, जिसमें ग्रामीण सड़क नेटवर्क की कमियों की सूचना थी, इनका पालन नहीं किया गया।

इस योजना के तहत पुलों का चयन, बिना उनकी व्यवहार्यता की जाँच किये अथवा जि.ग्रा.स.यो. में वर्णित अपाटित कमियों को ध्यान में रखे, सांसदों/विधायकों/अन्य की सिफारिशों पर किया गया था। परिणामस्वरूप, पुलों का निर्माण जि.ग्रा.स.यो. के प्रक्षेत्र से बाहर, ऐसे स्थानों पर, जहाँ एक कि.मी. के भीतर समान/ नजदीकी रिहायशों को जोड़ने हेतु दूसरी योजनाओं के तहत पुल पहले से थे तथा नगरपालिका क्षेत्र में किया गया।

(कंडिका 2.1.2.2)

मार्च 2019 तक राज्य के 208 अधूरे पुल-कार्यों में से, 39 पुलों का निर्माण उनके पूर्ण होने की निर्धारित अवधि के छ: महीने से साढ़े-नौ वर्ष बीतने के बावजूद पूरा नहीं हो सका था।

(कंडिका 2.1.3.1)

विभाग के पास विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को तैयार करने हेतु परामर्शियों को नियुक्ति की कोई परिचालन मार्गदर्शिका नहीं थी। परिणामस्वरूप, नए परामर्शियों के प्रवेश के बिना किसी गुंजाइश के खुली अवधि के लिए सूचीबद्ध परामर्शियों की नियुक्ति करके और दंड प्रावधानों, मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर परामर्शियों के प्रदर्शन की समीक्षा, स्वतंत्र संस्था द्वारा डीपीआर की समीक्षा इत्यादि की अनुपस्थिति के द्वारा सूचीबद्ध परामर्शियों को अनुचित लाभ दिया गया।

परामर्शियों ने आवश्यक भू-तकनीकी जाँच, जल विज्ञान संबंधी तथा यातायात आँकड़ों का विश्लेषण नहीं किया था। परिणामस्वरूप, नमूना जाँचित 42 पुलों में से, ₹ 52.12 करोड़ की लागत से बने आठ पुल बाद में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए।

पहुँच-पथों की रूपरेखा बनाने में, परामर्शियों ने 16 पुलों के आगमन/निकास बिन्दु पर तीखे मोड़ (90 डिग्री तक) दे दिये तथा 28 पुलों के पहुँच-पथ की चौड़ाई पुल की चौड़ाई (7.5 मीटर) की तुलना में कम (3.75 मीटर से 4.1 मीटर तक) कर दी। परामर्शियों ने 33 नमूना जाँचित पुल कार्यों में त्रुटि एवं क्षति हेतु ₹ 2.41 करोड़ मूल्य के पाँच प्रतिशत इस्पात का अतिरिक्त प्रावधान भी किया था।

(कंडिका 2.1.3.2)

निविदा और इकरारनामा के दस्तावेज संवेदकों के पक्ष में था, जैसे कि पुलों का दोष दायित्व अवधि कम करना आदि।

(कंडिका 2.1.3.3)

छः पुलों में ₹ 52.07 करोड़ मूल्य के निम्न गुणवत्तापरक कार्यों के निष्पादन के लिये कोई दायित्व निर्धारण नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.1.3.4)

पूर्ण पुलों के सावधिक रखरखाव के अभाव में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पुलों के नीचे में कटाव, विस्तार जोड़ों एवं वेअरिंग कोट में टूट-फूट, कंक्रीट कार्यों में दरार और इलास्टोमेरिक बेयरिंग में क्षति, रेलिंग, फुटपाथ, पहुँच-पथ और फ्लैकों आदि में क्षति पाई गयी ।

(कंडिका 2.1.4)

2.2 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा ने विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियाँ पायी, जो राज्य सरकार की दक्षता को प्रभावित करते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा (छः कंडिकाओं) में पाए गए कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। नियमों एवं विनियमों के अनुपालन की अनुपस्थिति, औचित्य के विरुद्ध लेखापरीक्षा, पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय के मामले तथा जिम्मेदारी/प्रशासनिक नियंत्रण की विफलता से संबंधित कुछ प्रमुख अवलोकन किए गए। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

- फर्जी बैंक जमानत तथा फर्जी होने का संदेहास्पद मुख्तारनामा के आधार पर कार्य आवंटन होने के कारण ₹ 13.24 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान तथा सरकारी धन का नुकसान हुआ।

(कंडिका 2.2.1)

- पथ निर्माण विभाग द्वारा ह.क.च. सड़क के एक हिस्से के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य तथा साथ ही उसी सड़क के डीपीआर तैयार करने की अविवेकपूर्ण स्वीकृति देने के कारण फिर से अलकतरा बिछाने के कार्य पर ₹ 5.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.2)

- जिला कल्याण कार्यालय (जि.क.का.), चतरा की गतिविधियों की निगरानी तथा आंतरिक नियंत्रण उपायों को लागू करने में कल्याण विभाग की विफलता के फलस्वरूप जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.पदा.), चतरा द्वारा रोकड़िया की मिलीभगत से ₹ 13.59 करोड़ का गबन किया गया।

(कंडिका 2.2.3)

- दो पौधशालाओं के संचालन हेतु उनके निर्माण के चार वर्ष से अधिक समय के बाद भी परिचालन लागत के अलावा पानी एवं बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 2.78 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(कंडिका 2.2.4)

- विभाग सूकर प्रजनन नाभिक (पीबीएन) इकाई को परिचालित करने हेतु निधि निर्गत करने, उपग्रहीय क्षेत्र प्रजनन इकाईयों की स्थापना करने तथा सूकर विकास योजना का कार्यान्वयन करने में शुरुआत से सात वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद, विफल रहा। ₹ 1.59 करोड़ की लागत से निर्मित पीबीएन इकाई के सूकर शेड दिसंबर 2014 से निष्क्रिय पड़े थे।

(कंडिका 2.2.5)

- भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किए बिना चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना पर काम शुरू करने के कारण ₹ 1.30 करोड़ का निष्क्रिय व्यय हुआ तथा ₹ 3.93 करोड़ का अवरोधन हुआ।

(कंडिका 2.2.6)

भाग-ब: राजस्व क्षेत्र

इस अनुभाग में "परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर और शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, "झारखण्ड में विद्युत का अरोपण एवं संग्रहण का तंत्र" पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष और वाणिज्य कर विभाग में बिक्री, व्यापार आदि पर कर तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में राज्य उत्पाद से सम्बंधित पाँच कण्डिकार्ये सम्मिलित हैं। अनुभाग-ब का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 1,627.99 करोड़ है, जो वर्ष 2018-19 के कर एवं कर-भिन्न राजस्व का 7.08 प्रतिशत है। उपरोक्त में से, संबंधित विभागों ने ₹ 1,612.24 करोड़ (अवलोकनों का 99.03 प्रतिशत) के अवलोकनों को स्वीकार किया। कुछ प्रमुख निष्कर्षों के सार नीचे दिये गये हैं:

सामान्य

वर्ष 2018-19 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 56,151.70 करोड़ थी। राज्य सरकार ने कुल ₹ 23,010.02 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 40.98 प्रतिशत) का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से प्राप्तियों का हिस्सा ₹ 33,141.68 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 59.02 प्रतिशत) जिसमें विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा ₹ 23,906.16 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 42.57 प्रतिशत) एवं सहायता अनुदान ₹ 9,235.52 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 16.45 प्रतिशत) था। 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य

सरकार द्वारा सृजित कर राजस्व में 19.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि इसी अवधि में गैर-कर राजस्व में 5.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(कंडिका 1.2)

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और वाहनों पर कर का बकाया राजस्व राशि 31 मार्च 2019 तक ₹ 6,534.13 करोड़ था, जिसमें से ₹ 1,694.94 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया था।

(कंडिका 1.3)

परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर और शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अवलोकन सम्मिलित हैं:

एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में प्रावधानों को गलत साथ ही साथ विलंब से सम्मिलित करने के कारण 2,633 वैयक्तिक वाहनों से ₹ 5.54 करोड़ एकमुश्त कर कम आरोपित हुआ और 189 वैयक्तिक वाहनों से ₹ 59.32 लाख अधिक वसूली हुई।

(कंडिका 2.1.11.2)

संशोधित प्रावधान को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में पाँच दिन विलंब से सम्मिलित करने के कारण 434 वाहनों से ₹ 8.68 लाख अस्थायी कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 2.1.11.3)

15,507 परिवहन वाहनों के धुरी भार में संशोधन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ कर का अवनिर्धारण।

(कंडिका 2.1.12.2)

जिला परिवहन पदाधिकारियों ने अनियमित रूप से निबंधन प्रमाण-पत्र में उन वित्तपोषकों के पक्ष में किराया क्रय/बंधक अनुबंध पृष्ठांकित किया, जिन्होंने व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये थे।

(कंडिका 2.1.12.3)

दुरुस्ती प्रमाण-पत्र वैधता की समाप्ति पता लगाने के तंत्र के अभाव में 6,498 परिवहन वाहनों से दुरुस्ती प्रमाण-पत्र नवीकरण का शुल्क एवं शास्ति के रूप में ₹ 22.82 करोड़ का निर्धारण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.1.12.4)

वैयक्तिक वाहनों की निबंधन वैधता समाप्ति के उपरांत नवीनीकरण नहीं कराने के कारण 829 वाहनों से ₹ 2.94 करोड़ राजस्व का निर्धारण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.1.12.5)

अंतर-विभागीय डाटा/सूचना अदान-प्रदान तंत्र के अभाव में 174 सामान्य वाहक अनिबंधित रह गये, जिसके फलस्वरूप ₹ 33.06 लाख शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.1.12.6)

9,260 प्रमादी परिवहन वाहन मालिकों से कर और अर्थदण्ड के रूप में वसूलनीय ₹ 74.57 करोड़ का उद्ग्रहण जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.12.7)

एक-मुश्त कर के दायरे में लाये गए 30,262 वाहनों से एक-मुश्त कर और अर्थदण्ड के रूप में वसूलनीय ₹ 44.37 करोड़ का उद्ग्रहण जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.12.8)

राष्ट्रीय परमिट वैधता के दौरान 1,515 राष्ट्रीय परमिट धारकों का अनुवर्ती प्राधिकार नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 6.73 करोड़ समेकित और प्राधिकरण शुल्क का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.1.12.9)

पारस्परिक समझौते के तहत परिचालित प्रमादी वाहनों पर निगरानी तंत्र के अभाव में 108 वाहनों से ₹ 1.66 करोड़ कर और अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

(कंडिका 2.1.12.10)

दुरुस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत/नवीकरण शुल्क के साथ सेवा कर/जी.एस.टी. की संग्रहित राशि ₹ 7.59 करोड़ को समुचित शीर्ष में जमा नहीं किया गया।

(कंडिका 2.1.12.11)

झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र पर लेखापरीक्षा

"झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र" पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अवलोकन सम्मिलित हैं:

डी.जी. सेटों के माध्यम से ऊर्जा खपत को सत्यापित करने के तंत्र के अभाव में, वाणिज्यिक कर विभाग (वा.क.वि.) 363 डी.जी. सेटों से उत्पन्न ऊर्जा की वास्तविक खपत से अनजान था।

(कंडिका 3.3.5.1)

सूचना के अंतर-विभागीय आदान-प्रदान के तंत्र के अभाव में, वा.क.वि. 287 डी.जी. सेटों का उपयोग करने वाले 222 व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों की पहचान करने में विफल रहा जो पंजीकरण के लिए उत्तरदायी थे।

लाइसेंसधारियों से डाटा/सूचना प्राप्त करने के तंत्र के अभाव में, वा.क.वि. 550 अनिबंधित थोक उपभोक्ताओं की पहचान करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.57 करोड़ के विद्युत शुल्क तथा ₹ 22.40 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.3.5.2)

वास्तविक खपत की सूचना के साथ विवरणियों को सत्यापित करने के तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 482.31 करोड़ यूनिट की विद्युत ऊर्जा को छुपाया गया और परिणामस्वरूप ₹ 24.85 करोड़ के विद्युत शुल्क तथा ₹ 28.87 करोड़ अर्थदण्ड का कम आरोपण।

(कंडिका 3.3.5.3)

लाइसेंसधारियों के बीच ऊर्जा के हस्तांतरण की सूचना के साथ विवरणियों को सत्यापित करने के तंत्र की अनुपस्थिति के फलस्वरूप 1,005.51 करोड़ यूनिट की अधिक छूट की अनुमति दी गई और परिणामस्वरूप ₹ 120.16 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 270.99 करोड़ के बिजली शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.3.5.4)

निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों से विवरणियों का सत्यापन नहीं किया जिसके कारण ₹ 640.12 करोड़ विद्युत शुल्क एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.3.7.1)

निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय दरों की अनुसूची से विद्युत शुल्क की दरों का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 316.79 करोड़ के विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.3.7.3)

अन्य अवलोकन

वाणिज्य कर विभाग

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारणों को अंतिम रूप देते समय प्रपत्र सी, एफ और अन्य अभिलेखों के उपयोग के साथ विवरणियों का प्रति-सत्यापन नहीं किया जिसके कारण ₹ 25.99 करोड़ के कर और अर्थदण्ड का कम निर्धारण हुआ।

(कंडिका 3.4)

निर्धारण प्राधिकारी ने अभिनिश्चित के अयोग्य श्रम और अन्य सदृश प्रभार को अस्वीकार कर दिया लेकिन निर्धारित करदेय आवर्त पर आरोप्य 14 प्रतिशत के बजाय पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.39 करोड़ कर का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 3.5)

निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 5.51 करोड़ के आई.टी.सी. के समायोजन को अस्वीकृत कर दिया। तथापि, अस्वीकृत आई.टी.सी. पर ₹ 3.97 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.6)

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

विभाग ने न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव को सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2016 और जुलाई 2017 के बीच चार उत्पाद जिलों में 496 डिलरों द्वारा शराब का कम उठाव हुआ और उत्पाद शुल्क ₹ 22.46 करोड़ के हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 3.9)

भाग-स: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

यह भाग में 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सरकारी कंपनियों के लेखापरीक्षा परिणामों से संबंधित है तथा इसे समय-समय पर संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19अ के तहत झारखण्ड सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। इस भाग में दो अध्याय हैं। अध्याय-I झारखण्ड की सरकारी कंपनियों के कामकाज से संबंधित है। अध्याय-II में “झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन” पर अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम तथा दो लेखापरीक्षा कंडिकाएँ शामिल हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में गंभीर वित्तीय प्रभाव वाली कमियों को उजागर करते हैं।

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 द्वारा अनुशासित है। सरकारी कंपनियों की वित्तीय विवरणी का अंकेक्षण, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा की जाती है। ये वित्तीय विवरणी सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन भी हैं।

31 मार्च 2019 तक, झारखण्ड में सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 31 राज्य सार्वजनिक उपक्रम (पीएसयू) (3 निष्क्रिय सरकारी कंपनियों सहित) थे। कार्यरत सार्वजनिक उपक्रमों ने 30 सितंबर 2019 तक उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार ₹ 5,283.72 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। टर्नओवर झारखण्ड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ)के सापेक्ष 1.72 प्रतिशत था। 31 मार्च 2019 तक, 31 पीएसयू में निवेश (अंश-पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 19,218.87 करोड़ था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान हुए कुल निवेश (₹ 13,138.89 करोड़) का 97.98 प्रतिशत (₹ 12,872.91 करोड़) ऊर्जा क्षेत्र को प्राप्त हुआ।

(कंडिकाएँ 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 तथा 1.1.8)

1.2 ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू के क्रियाकलाप

ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों का गठन

राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के विखंडन तथा अस्तित्वों, संपत्तियों, देनदारियों, दायित्वों, कार्यवाही एवं जेएसईबी के कर्मियों को चार ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों (यथा- झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड) में स्थानांतरित करने हेतु झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार स्थानांतरण योजना, 2013 (जेएसईआरटीएस 2013) तैयार की (06 जनवरी 2014)।

ये चारों ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ 06 जनवरी 2014 से अस्तित्व में आईं और जेएसईबी की सभी अस्तित्वों एवं देनदारियों को जेएसईआरटीएस 2013 के प्रावधानों के अनुसार इन कंपनियों के बीच वितरित किया गया।

जेएसईआरटी योजना, 2013 में विद्युत उद्योग की पुनर्स्थापना एवं जेएसईबी की शक्तियों, कर्तव्यों एवं क्रियाकलापों को राज्य सरकार की एक या अधिक ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को हस्तांतरित करने हेतु एक योजना तैयार करने का प्रावधान था। इन चार कंपनियों के अलावा, जेएसईआरटी योजना, 2013 से पहले चार अन्य ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों का गठन हुआ था। उपरोक्त चार कंपनियों में से, एक कंपनी यथा- तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड, एक ऊर्जा उत्पादक कंपनी है तथा अन्य तीन कंपनियाँ, यथा- कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड एवं पतरातू ऊर्जा लिमिटेड; झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (नवंबर 1987 से अक्टूबर 2012) के सहायक कंपनियाँ हैं। इन आठ ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों में से तीन कंपनियों ने 2018-19 तक व्यावसायिक गतिविधियां शुरू नहीं की थीं।

(कंडिकाएँ 1.2.1 तथा 1.2.2)

झारखण्ड सरकार की अंश-पूँजी

31 मार्च 2019 तक, इन आठ ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में कुल परिव्यय (अंश-पूँजी, दीर्घकालिक ऋण तथा परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान) ₹ 28,495.38 करोड़ था। इसमें ₹ 4,244.02 करोड़ (16.64 प्रतिशत) अंश-पूँजी, ₹ 14,561.42 करोड़ (49.35 प्रतिशत) दीर्घकालिक ऋण तथा ₹ 9,689.94 करोड़ (34.01 प्रतिशत) परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान शामिल था। ₹ 14,561.42 करोड़ के कुल दीर्घकालिक ऋण में से, ₹ 13,353.12 करोड़ (91.70 प्रतिशत) राज्य सरकार से लिए गए थे तथा शेष ₹ 1,192.42 करोड़ (8.30 प्रतिशत) केंद्र सरकार एवं वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे।

(कंडिका 1.2.4)

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का प्रदर्शन

इन पाँच विद्युत् क्षेत्र के पीएसयू की कुल हानि, वर्ष 2014-15 के ₹ 1,518.39 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2018-19 में ₹ 479.44 करोड़ रहा। विद्युत् क्षेत्र के पीएसयू के वर्ष 2018-19 के लेखाओं के अनुसार, एक पीएसयू ने ₹ 92.57 करोड़ का लाभ कमाया

तथा चार पीएसयू को ₹ 572.01 करोड़ की हानि हुई एवं तीन गैर-कार्यरत पीएसयू ने अभी तक परिचालन/ वाणिज्यिक उत्पादन शुरू नहीं किया था। शीर्ष लाभ (₹ 92.57 करोड़) कमाने वाली कंपनी तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड थी, जबकि झारखण्ड ऊर्जा संचार निगम लिमिटेड ₹ 358.27 तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 212.17 करोड़ की ठोस हानि हुई।

कुल मिलाकर, 31 मार्च 2019 तक पाँच विद्युत् क्षेत्र के पीएसयू में ₹ 4,235.32 करोड़ के पूँजी निवेश के मुकाबले ₹ 6,744.16 करोड़ की संचित हानि हुई। पाँच कार्यरत ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में झारखण्ड विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड (₹ 1,918.33 करोड़) तथा तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 1,013.63 करोड़) का सकल मूल्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गए थे।

(कंडिकाएँ 1.2.9 तथा 1.2.12)

लेखाओं की गुणवत्ता

बिजली क्षेत्र के पीएसयू के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 01 मई 2018 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान, चार पीएसयू के वर्ष 2011-12 और 2017-18 के नौ अंकेक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सात लेखाओं के लिए विशिष्टताओं, एक लेखे के लिए प्रतिकूल तथा एक लेखे के लिए अस्वीकरण के साथ प्रमाणपत्र जारी किए थे। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन घटिया रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो सार्वजनिक उपक्रमों के दो लेखाओं में भारतीय लेखा मानकों के अनुपालन न करने के तीन उदाहरण उद्धृत किए थे।

(कंडिका 1.2.19)

1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के क्रियाकलाप

31 मार्च 2019 तक, झारखण्ड में 23 गैर-ऊर्जा क्षेत्र के राज्य सार्वजनिक उपक्रम थे। कार्यरत पीएसयू ने, 31 दिसंबर 2019 तक उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार ₹ 1,161 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। टर्नओवर, झारखण्ड के जीएसडीपी के सापेक्ष, 0.38 प्रतिशत था।

(कंडिकाएँ 1.3.1 तथा 1.3.2)

झारखण्ड सरकार की अंश-पूँजी

31 मार्च 2019 तक, इन 23 पीएसयू में कुल परिव्यय ₹ 402.58 करोड़; अंश-पूँजी 82.54 प्रतिशत (₹ 332.28 करोड़), दीर्घकालिक ऋण 12.22 प्रतिशत (₹ 49.21 करोड़) और परिचालन एवं प्रबंधन व्यय के लिए अनुदान एवं सब्सिडी 5.24 प्रतिशत (₹ 21.09 करोड़) था। ₹ 49.21 करोड़ का दीर्घकालिक ऋण, राज्य सरकार से ब्याज मुक्त ऋण के रूप में लिया गया था।

(कंडिका 1.3.4)

राज्य के पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का प्रदर्शन

16 कार्यरत राज्य पीएसयू में से, नौ पीएसयू ने ₹ 37.25 करोड़ का लाभ कमाया और सात पीएसयू ने ₹ 11.62 करोड़ का घाटा उठाया। सात गैर-ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों ने अभी तक अपने पहले लेखे प्रस्तुत नहीं किए थे। शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियाँ झारखण्ड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (₹ 11.95 करोड़), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 5.90 करोड़) और ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी (₹ 8.86 करोड़) थीं जबकि झारक्राफ्ट (₹ 4.62 करोड़) और झालको (₹ 3.65 करोड़) को घाटा हुआ था।

(कंडिका 1.3.11)

लेखाओं की गुणवत्ता

पीएसयू के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 01 जनवरी 2019 से 31 दिसंबर 2019 के दौरान महालेखाकार को भेजे गए 10 लेखाओं में से, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने आठ लेखाओं के संबंध में विशिष्टताओं एवं दो लेखाओं में अस्वीकरण के साथ प्रमाणीकरण जारी किया। तीन लेखाओं में लेखा मानकों के अनुपालन न करने के पाँच उदाहरण थे।

(कंडिका 1.3.21)

2.1 झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

अपार जैव विविधता, नर्म जलवायु, समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से समृद्ध होने के कारण झारखण्ड पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थान है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कई पर्यटन स्थल हैं।

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद व युवा मामले विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने 22 जिलों में अवस्थित 85 परिसंपत्तियों का निर्माण किया एवं संचालन और प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेटीडीसी) को हस्तांतरित (जून 2004 से अक्टूबर 2018 के बीच) किया। परिसंपत्तियों का स्वामित्व विभाग के पास है और जेटीडीसी परिसंपत्तियों को स्व-संचालित और आउटसोर्स प्रणाली के माध्यम से संचालित करता है।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान “जेटीडीसी द्वारा परिसंपत्तियों का प्रबंधन” पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा यह आकलन करने के उद्देश्य से की गयी थी कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जेटीडीसी ने व्यापक योजनाएँ तैयार कीं थीं, निधियों का समुचित उपयोग किया था और परिसंपत्तियों का मितव्ययिता से, दक्षतापूर्वक एवं प्रभावकारी प्रबंधन किया था। मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- पर्यटन के समेकित विकास तथा विपणन के लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया, पर्यटन क्षमताओं के समुचित उपयोग करने के लिए प्रत्येक जिले की पर्यटन की

संभावित क्षमता का विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया तथा झारखण्ड पर्यटन नीति 2015 के इसे लागू किए जाने के चार वर्ष से अधिक का समय बीतने पर भी पर्यटन इकाईयों के लिए न्यूनतम मानक तय नहीं किए गए।

(कंडिका 2.1.2)

- ₹ 39.62 करोड़ की लागत से निर्मित (2004 एवं 2018 के बीच) 29 परिसंपत्तियाँ गैर-परिचालित अथवा आंशिक रूप से परिचालित रहीं।

(कंडिका 2.1.3.2)

- दूर-दराज स्थान, घटिया प्रबंधन तथा आधारभूत साधनों/ सुविधाओं की कमी के कारण शैया-अधिभोग कम रहा।

(कंडिकाएँ 2.1.3.4 तथा 2.1.3.5)

- इकरारनामों के नियमों एवं शर्तों को लागू करने में कंपनी विफल रही जिसके कारण डेवलपर्स को अनुचित लाभ हुआ।

(कंडिकाएँ 2.1.3.6(क) तथा 2.1.4.6)

- निगरानी में कमी के कारण परिसंपत्तियों का अनियमित व्यवसायीकरण, परिसंपत्तियों की बीमा सुनिश्चित करने में विफलता, स्थानीय लोगों द्वारा परिसंपत्तियों का अवैध संचालन, अतिक्रमण आदि हुआ।

(कंडिकाएँ 2.1.3.1, 2.1.3.5 तथा 2.1.3.6 (ड))

- खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण, जेटीडीसी न तो विभाग द्वारा विज्ञापनों/ प्रोत्साहनों के लिए प्रदत्त निधि का उपयोग कर सका और न ही बकाया किराया/ लाइसेंस शुल्क/ क्षति शुल्क उगाही कर सका।

(कंडिकाएँ 2.1.4.2, 2.1.4.3, 2.1.4.5, 2.1.4.7 तथा 2.1.4.9)

2.2 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

प्रतिवेदन में शामिल अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएँ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के प्रबंधन में कमियों को उजागर करते हैं जिनमें गंभीर वित्तीय प्रभाव शामिल हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन करने में विफल रहा जिसके कारण ₹ 17.89 करोड़ के श्रमिक कल्याण उपकर की कम कटौती हुई।

(कंडिका 2.2.1)

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा उपयोगकर्ताओं से राज्य भार प्रेषण केंद्र के संचालन के लिए शुल्क एवं प्रभार वसूलने में विफलता के कारण ₹ 12.18 करोड़ की हानि हुई।

(कंडिका 2.2.2)

भाग अ

सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

अध्याय-I

प्रस्तावना

1.1 इस भाग के बारे में

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश के अनुपालन में 2018-19 के दौरान आयोजित झारखण्ड सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के तहत विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षाओं का परिणाम प्रतिवेदन के इस भाग में शामिल किया गया है।

इस भाग में निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं :

अध्याय I: लेखापरीक्षित विभागों के बारे में सामान्य जानकारी

अध्याय II: मु.मं.ग्रा.से.यो. पर अनुपालन लेखापरीक्षा तथा छः लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

1.2 लेखापरीक्षिती की रूपरेखा

झारखण्ड में कुल 31 में से 26 विभाग सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों (सा.सा.आ.प्र.) के अंतर्गत आते हैं। इन विभागों का नेतृत्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता आयुक्त/ निदेशक तथा इनके अंतर्गत अधीनस्थ पदाधिकारी करते हैं।

1.3 लेखापरीक्षा की विस्तृत सूचना

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड ने 2018-19 के दौरान 25 विभागों के अंतर्गत कुल 821 इकाईयों में से 134 इकाईयों का लेखापरीक्षा किया। इनमें से, 67 इकाई (50 प्रतिशत) छः विभागों के थे जिन्हें तालिका 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: छः प्रमुख विभागों की व्यय विवरणी (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	2016-17	2017-18	2018-19
1	ग्रामीण विकास विभाग	3,470	8,153	9,907
2	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	6,637	6,491	6,393
3	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग	3,994	5,130	5,633
4	सड़क निर्माण विभाग	4,521	5,328	4,098
5	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	2,469	2,847	3,383
6	शहरी विकास एवं आवास विभाग	2,879	3,028	1,986
	कुल	23,970	30,977	31,400

इसके अलावा, 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (ग्रामीण विकास विभाग) पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा की गई।

1.4 लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.)

मार्च 2019 तक 26 विभागों से संबंधित 6,393 आहरण एवं संवितरण पदाधिकारियों (डीडीओ) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से यह उदघाटित हुआ कि 5,167 निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित 32,474 कंडिकाएँ संतोषजनक जवाब के अभाव में 31 मार्च 2020 तक निष्पादन हेतु लंबित थीं। इनमें से, डीडीओ ने 1,914 नि.प्र. में सम्मिलित 11,069 कंडिकाओं पर आरंभिक जवाब दिया, जबकि 3,253 नि.प्र. में सम्मिलित 21,405 कंडिकाओं के संबंध में डीडीओ की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी।

तालिका 1.2: 31 मार्च 2020 को (31 मार्च 2019 तक जारी की गई) लंबित नि.प्र. तथा कंडिकाएँ

क्र.सं.	अवधि	लंबित नि.प्र. की सं.	लंबित कंडिकाओं की सं.
1	2018-19	133	1,048
2	एक वर्ष से तीन वर्ष	1,429	8,602
3	3 वर्ष से 5 वर्ष	9,41	6,409
4	5 वर्ष से ज्यादा	2,664	16,415
कुल		5,167	32,474

1.5 अनुपालन लेखापरीक्षाएँ

एक अनुपालन लेखापरीक्षा एवं छः लेखापरीक्षा कंडिकाओं के प्रारूप प्रतिवेदनों को संबंधित प्रशासनिक सचिव को अग्रसारित किया गया था। अनुपालन लेखापरीक्षा तथा एक कंडिका के संदर्भ में जवाब प्राप्त हुआ। जबकि शेष पाँच लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभाग द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया था।

1.6 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई कार्रवाई

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्यकारी नियमों की प्रक्रिया के अनुसार, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले.प्र.) में उद्धृत सभी लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर प्रशासनिक विभाग द्वारा एकतरफा कार्रवाई शुरू करनी थी, भले ही लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा इनको जाँच के लिए लिया गया हो अथवा नहीं। विभाग को लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँचित कृत-कार्यवाही टिप्पणी (कृ.का.टि.) प्रस्तुत करना था, जिसमें उनके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई अथवा प्रस्ताव को दर्शाया गया हो। वर्ष 2008-09 से 2017-18 तक के सा.सा.आ.प्र. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 207 कंडिकाएँ लंबित हैं। इनमें से 63 कंडिकाओं को लोक लेखा समिति ने चर्चा हेतु लिया तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2008-09 की एक कंडिका संख्या 1.3.6.1 के संदर्भ में अनुशंसा की। हालाँकि, इस उप-कंडिका पर कोई कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई है।

इसके अलावा, 2000-01 से 2007-08 तक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जिन्हें आगे की कार्रवाई हेतु विभाग पर छोड़ दिया गया था, में 201 लंबित कंडिकाएँ थी, जिनमें से 94 कंडिकाओं को लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए लिया गया। इसके विरुद्ध, लो.ले.स. ने सात कंडिकाओं तथा आठ उप-कंडिकाओं के संबंध में अनुशंसाएँ की थी जिनमें से दो कंडिकाओं तथा छः उप-कंडिकाओं से संबंधित कृ.का.टि. प्राप्त हुई जैसा कि नीचे दिए गए तालिका 1.3 में वर्णित है:

तालिका 1.3: लो.ले.स. की चर्चा की स्थिति

स्थिति	वर्ष 2000-01 से 2007-08 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)	वर्ष 2008-09 से 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल)
लंबित लेखापरीक्षा कंडिकाओं की संख्या	201	207
लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए लिया गया	94	63
लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए नहीं लिया गया	107	139
लो.ले.स. द्वारा की गई अनुशंसाएँ	07 कंडिकाएँ एवं 08 उप-कंडिकाएँ	1 उप-कंडिका
प्राप्त कृ.का.टि.	02 कंडिकाएँ एवं 06 उप-कंडिकाएँ	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	02 कंडिकाएँ एवं 06 उप-कंडिकाएँ	शून्य

अध्याय-II (भाग अ): अनुपालन लेखापरीक्षा


ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)

2.1 झारखण्ड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना का कार्यान्वयन

2.1.1 प्रस्तावना

झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने ग्रामीण सड़कों के संरक्षण में पड़ने वाली नदियों और नालों पर पुलों के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना (मु.मं.ग्रा.से.यो.) प्रारंभ किया (सितम्बर 2001)। योजना का उद्देश्य प्रत्येक गाँव (32,394 गाँव) को ग्राम पंचायत से, प्रत्येक ग्राम पंचायत (4,423 ग्राम पंचायतें) को प्रखंड मुख्यालयों से और प्रत्येक प्रखंड (260 प्रखंडों) को जिला मुख्यालय (24 जिले) से जोड़ना था। यह ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा.वि.वि) के तहत एक चालू योजना है जो राज्य सरकार के अपने स्रोतों से वित्त पोषित है। राज्य में मु.मं.ग्रा.से.यो. के कार्यान्वयन के लिये सचिव, ग्रामीण कार्य मामले (ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत) उत्तरदायी हैं, जैसा कि नीचे संगठनात्मक चार्ट में दर्शाया गया है:

चार्ट: 2.1




2014-19 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा, सितम्बर 2019 से मार्च 2020 के बीच, नमूना-जाँच के लिए चयनित आठ में से छः¹ जिलों में, मुख्य अभियंता का कार्यालय तथा विभागीय स्तर पर इस बात का मूल्यांकन करने के लिए की गई कि क्या (i) पुलों का चयन और अनुमोदन उचित सर्वेक्षण के बाद किया गया था, (ii) पुलों और

¹ कोविड-19 के लॉकडाउन उपायों के कारण राँची एवं देवघर जिलों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा स्थगित कर दी गई थी।

पहुँच पथों का निर्माण, संहिता के प्रावधानों के अनुसार गुणवत्ता, कर्म-कौशल और समयबद्धता को ध्यान में रखते हुये मितव्ययता से किया गया था तथा (iii) निर्माणोपरांत पुलों तथा पहुँच-पथों का रखरखाव सुनिश्चित किया गया था। लेखापरीक्षित प्रमंडलों के अभियंताओं के साथ चयनित पुलों का संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया गया।

लेखापरीक्षा इकाइयों (प्रमंडलों) का नमूनाकरण दो चरणों में किया गया, पहले, भौगोलिक प्रसार के आधार पर जिलों/ प्रमंडलों का स्तरीकरण, तत्पश्चात प्रतिस्थापन रहित आकार-संभाव्यता-आनुपातिक नमूनाकरण (पीपीएसडब्लुओआर) तकनीक के प्रयोग द्वारा। तदनुसार, 24 जिलों/ प्रमंडलों को चार अनुमंडल (राँची, दुमका, हजारीबाग और पलामू) में स्तरीकृत किया गया तथा पीपीएसडब्लुओआर तकनीक का प्रयोग करने हेतु वर्ष 2014-19 के दौरान हुए खर्च को मापदंड मानते हुए प्रत्येक स्तर से 33.3 प्रतिशत जिलों/ प्रमंडलों (आठ) का चयन किया गया। लेखापरीक्षा नमूना के छः जिले/ प्रमंडल, राज्य में वर्ष 2014-19 की अवधि में मु.मं.ग्रा.से.यो. के पुलों पर हुए कुल व्यय के 26 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन नमूनीकृत जिलों में, 214 पुलों को 2014-19 के दौरान निर्माण के लिए लिया गया था तथा लेखापरीक्षा द्वारा इनमें से 57 (27 प्रतिशत) की विस्तृत जाँच की गई।

चार्ट 2.2



सचिव, ग्रा.वि.वि (ग्रा.का.मा.), झा.स. के साथ 24 सितम्बर 2019 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मापदंडों एवं कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। विभागीय सचिव के साथ निकास सम्मेलन 19 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ। विभाग ने सभी लेखापरीक्षा अनुसंशाओं को स्वीकार किया (फरवरी 2021) तथा उनके उत्तरों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 पुलों के माध्यम से संपर्क

योजना के अधिदेश के अनुसार, ग्रामीण सड़कों के संरेख में पड़ने वाली नदियों एवं नालों पर पुलों के निर्माण द्वारा गाँवों को ग्राम पंचायतों से, पंचायतों को प्रखंड मुख्यालयों से तथा प्रखंडों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने हेतु संपर्क प्रदान करना था।

2.1.2.1 योजना

योजना के प्रबंधन हेतु विभाग ने सितम्बर 2001 से जून 2017 के दौरान परिपत्र/पत्र जारी किये। इन निर्देशों में शामिल था:

- प्रखंड स्तर पर पुल-कार्यों का चयन;
- प्रखंड स्तर पर चयनित पुलों से, प्रत्येक जिले के लिए भावी जिला पुल योजना (भा.जि.पु.यो.) तैयार करना था;
- भा.जि.पु.यो. से, प्रबंध परिषद्² (प्र.प.) द्वारा सांसदों/ विधायकों की अनुशंसाओं को प्राथमिकता देते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना था;
- वार्षिक कार्य योजना से, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडलों (ग्रा.वि.वि.प्र.) द्वारा पुलों का निर्माण करना था;
- कार्यों के निष्पादन की गुणवत्ता के साथ-साथ कार्यों की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु, प्रत्येक जिले में, उपायुक्त की अध्यक्षता में एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई (प.का.इ.) का गठन करना था।

2.1.2.2 योजनाओं का कार्यान्वयन

2014-19 के दौरान, राज्य में 32,394 गाँव, 4,423 ग्राम पंचायत, 260 प्रखंड तथा 24 जिला मुख्यालय थे जिनमें योजना को लागू करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने अपने ही निर्देशों का पालन नहीं किया जैसा कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है:

- योजना के कार्यान्वयन हेतु विभाग ने कोई परिचालन मार्गदर्शिका तैयार नहीं की, जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था। प्रवेश सम्मेलन (सितम्बर 2019) में सचिव ने कहा कि मार्गदर्शिका तैयार नहीं की गई क्योंकि यह एक राज्य योजना है।
- विभाग ने गाँवों/ पंचायतों/ प्रखंडों/ जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़कों में कमियों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया, जिसका कारण अभिलेखों

² जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का एक शासी निकाय

में नहीं था। नमूना जाँचित जिलों के कार्यपालक अभियंताओं ने यह स्वीकार किया कि कमियों के आकलन हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किये गए;

- यद्यपि प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत झारखण्ड के प्रत्येक जिले की जिला ग्रामीण सड़क योजना (जि.ग्रा.स.यो.) तैयार करने हेतु विभाग ने सभी ग्रामीण सड़क नेटवर्क का सर्वेक्षण किया था (2000-01), तथापि मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत कमियों के आकलन में विभाग द्वारा उन जि.ग्रा.स.यो. का उपयोग नहीं किया गया;

- विभाग ने योजना को लागू करने के अपने ही निर्देशों का (सिवाय विशेष प्रमंडलों द्वारा कार्यों के निष्पादन के) पालन नहीं किया। इसने योजना के तहत, सभी विधायकों एवं सांसदों से अधिकतम दो पुलों के निर्माण की अनुशंसा करने का अनुरोध किया, जिनकी जन-उपयोगिता हो। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा पुलों से सम्बंधित संचिकाओं की जाँच में पता चला कि सांसदों/ विधायकों/ अन्य द्वारा अनुशंसित पुलों के स्थान से सम्बंधित कोई सूचना उनके जि.ग्रा.स.यो. में नहीं थी। परिणामस्वरूप, विभाग यह सुनिश्चित करने की स्थिति में नहीं था कि योजना के तहत स्वीकृत पुल संपर्क देने के अधिदेश को पूरा करते थे।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (केवल नमूना-जाँचित जिलों में) के साथ-साथ, नमूना-जाँचित जिलों में पुल-स्थलों के स्थानों की मुख्य अभियंता कार्यालय में प्र.मं.ग्रा.स.यो. के जि.ग्रा.स.यो. के साथ दोतरफा जाँच से निम्नलिखित प्रकाश में आया:

(i) 2001-19 के दौरान, 1881 पुलों को योजना के तहत निर्माण हेतु लिया गया। हालाँकि, विभाग ने लेखापरीक्षा को मार्च 2019 तक इन पुलों द्वारा संपर्क-रहित गाँवों/ प्रखंडों/ पंचायतों में दी गई संपर्कता के संबंध में कोई सूचना नहीं दी, यद्यपि, अगस्त-सितम्बर 2019 के दौरान इसकी माँग की गई थी;

(ii) 2014-19 के दौरान, झारखण्ड के 24 जिलों में विधायकों की अनुशंसा पर 496 पुल तथा अन्य प्रशासनिक कारणों (उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, राज्य विधानसभा में उठाये गए तारांकित प्रश्नों आदि) से 39 पुल निर्माण के लिये स्वीकृत किये गए। इनमें से 214 पुल छः नमूना जाँचित जिलों में निर्माण हेतु लिये गये थे। 214 में से 57 (27 प्रतिशत) पुलों की विस्तृत लेखापरीक्षा जाँच से निम्नलिखित प्रकाश में आया:

(अ) 57 में से 26 पुल जि.ग्रा.स.यो. में नहीं थे और इस प्रकार, वे ग्रामीण सड़क नेटवर्क से बाहर थे।

(ब) 57 पुलों में से 14 में, पुल-संरचना एवं पहुँच-पथ हेतु निजी/ वन भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता थी। इन आवश्यकताओं का उल्लेख पुलों के चयन के समय नहीं किया गया। यहाँ तक कि प्राक्कलन में भी, भूमि की आवश्यकता का आकलन नहीं किया

गया। निष्पादन के दौरान, संबंधित कार्यपालक अभियंताओं ने पुलों को पूर्ण करने के लिये भूमि की आवश्यकता की सूचना दी। यह पाया गया कि 14 में से 9 पुल (परिशिष्ट 2.1.1) भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण उनके पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से छः महीने से अधिक से लेकर छः वर्षों तक पूर्ण नहीं किये जा सके, परिणामस्वरूप ₹ 25.27 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

(स) 57 में से ₹ 18.48 करोड़ लागत के छः पुल को इस योजना के तहत लिया गया (सितम्बर 2013 से जुलाई 2018 के बीच) बावजूद इसके कि वहां से 100 मीटर एवं 1 कि.मी. के दायरे में एक या अधिक मु.मं.ग्रा.से.यो./ प्र.मं.ग्रा.स.यो./ प.नि.वि. के पुल पहले से उसी नदी पर समान/ नजदीकी पर्यावासों को संपर्क प्रदान करने के लिये स्थित थे (परिशिष्ट 2.1.2) और मई 2020 तक, इन पुलों पर ₹ 14.97 करोड़ व्यय हुए थे। इन पुलों के डीपीआर में, संबंधित कार्यपालक अभियंताओं ने यह वचनबंध (अंडरटेकिंग) दिया था कि प्रस्तावित पुल के एक कि.मी. उर्ध्वप्रवाह एवं अनुप्रवाह के दायरे में कोई पुल स्थित नहीं था। इसके अलावा, ₹ 4.14 करोड़ की लागत से गुमला जिले में प्र.यो.स.ग्रा.मं. के पुल (जि.ग्रा.स.यो. का) के साथ-साथ स्थित जि.ग्रा.स.यो. के इतर एक पुल लिया गया, जो स्वीकृत स्थल से केवल 500 मी. दूर था। इस प्रकार, इन पुलों की स्वीकृति परिहार्य थी, जैसा कि निम्नलिखित विषय-अध्ययनों में व्याख्यायित है:

विषय अध्ययन 1

कोडरमा जिले में, तेतरॉन-बसोडीह गाँव के बीच केशो नदी पर मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत एक पुल मार्च 2014 में (स्वीकृत वर्ष 2008) ₹ 4.10 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ। विभाग ने पुनः उसी केशो नदी के अनुप्रवाह पर तेतरॉ और कुसना के बीच (लागत ₹ 4.60 करोड़) तथा दसारोखुर्द-परसाबाद रेलवे स्टेशन के बीच (लागत ₹ 4.44 करोड़) दो अतिरिक्त मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल स्वीकृत किये (वर्ष 2014 एवं 2017 में)।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (28 फ़रवरी 2020) के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पहले दो पुलों (तेतरॉन-बसोडीह तथा तेतरॉन-कुसना) के बीच दूरी एक कि.मी. तथा अंतिम दो पुलों (तेतरॉन-कुसना तथा दसारोखुर्द-परसाबाद रेलवे स्टेशन) के बीच की दूरी 500 मीटर थी। ये तीनों पूर्ण पुल नजदीकी स्थानों के समान पर्यावासों को संपर्क प्रदान कर रहे थे। लेखापरीक्षा द्वारा पुलों के भौगोलिक निर्देशांक का प्रयोग करते हुए गूगल अर्थ से लिया गया निम्नलिखित उपग्रहीय चित्र निकटस्थ पुलों को स्पष्ट रूप से दिखाता है:



चित्र 2.1: तेतरों-कुसना तथा निकटस्थ पुलों का गूगल अर्थ चित्र (संयुक्त भौतिक सत्यापन 28 फरवरी 2020 को किया गया)

विषय अध्ययन 2

चार वर्षों (2011-14) की अवधि में, विभाग ने गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में शंख नदी पर एक ही स्थान के पर्यावासों को संपर्क देने हेतु मु.मं.ग्रा.से.यो. (₹ 4.14 करोड़ की लागत से मार्च 2011 में) और प्र.मं.ग्रा.स.यो. (₹ 6.71 करोड़ की लागत से जून 2014 में) के तहत दो पुलों को स्वीकृत किया। संयुक्त भौतिक सत्यापन (19 नवम्बर 2019) में लेखापरीक्षा ने पाया कि प्र.मं.ग्रा.स.यो. पुल जि.ग्रा.स.यो. के तहत था और उपयोग में लाया जा रहा था। दूसरी ओर, मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल जि.ग्रा.स.यो. के तहत नहीं था और अधूरा पड़ा था (नवम्बर 2019)। दोनों पुलों के बीच की दूरी केवल 500 मीटर थी। विभाग ने उस पुल पर ₹ 2.20 करोड़ का व्यय किया था, जो नौ वर्षों से अधिक अवधि में पूर्ण नहीं हो सका और निष्फल साबित हुआ।



चित्र 2.2: गुमला जिले के खुरसुर्ता एवं बारडीह में लगभग 500 मी. की दूरी पर स्थित अधूरा मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल और पूर्ण प्र.मं.ग्रा.स.यो. पुल (संयुक्त भौतिक सत्यापन 19 नवम्बर 2019 को किया गया)



चित्र 2.3: अलग दिशा से गुमला जिले के खुरसुर्ता एवं बारडीह पर अधूरा मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल

(द) यद्यपि, मु.मं.ग्रा.से.यो. केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारम्भ की गई थी तथापि नमूना जाँचित छः में से तीन जिलों में छः पुल नगरपालिका क्षेत्र में विधायकों की अनुशंसा पर विभाग द्वारा अनियमित रूप से स्वीकृत किये गए और कुल ₹ 13.35 करोड़ की लागत से निर्मित किये गए थे (परिशिष्ट 2.1.3)। संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंताओं ने विधायकों की अनुशंसाओं को, बिना यह उल्लेख करते हुए कि ये पुल शहरी (नगरपालिका) क्षेत्र में अवस्थित हैं, जिस पर नगर विकास विभाग (न.वि.वि.) का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार है, स्वीकृति हेतु विभाग को अग्रसारित कर दिया। इन पुलों की स्वीकृति से पूर्व, न.वि.वि. से माँगी गई अनुमति, यदि कोई हो, अभिलेखों में नहीं पायी गई।

लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब में, विभाग के सचिव ने स्वीकार किया कि योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही थी और कहा कि अब से, योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में पुलों के निर्माण से बचा जायेगा। मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत शहरी क्षेत्रों में पुलों का निर्माण निम्नलिखित विषय अध्ययनों में व्याख्यायित है:

विषय अध्ययन 3

स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर विभाग ने मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत एक शहरी नदी पर धनबाद के मटकुरिया में एक पुल स्वीकृत किया (₹ 1.13 करोड़ की लागत पर जुलाई 2018 में)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (27 नवम्बर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पुल का रास्ता, पुल के डिज़ाइन में अवस्थित पूर्व के भवनों से बाधित था (कुल 5.5 मीटर रास्ते की चौड़ाई में से 1.5 मीटर)। इस प्रकार, पुल भारी वाहनों के लिए उपयुक्त नहीं था और वह मुख्य रूप से पार्किंग उद्देश्यों एवं पशुशाला के रूप में प्रयुक्त हो रहा था, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है:



चित्र 2.4: धनबाद शहर के शहरी क्षेत्र में मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल और पुल के डिज़ाइन में स्थित भवन (संयुक्त भौतिक सत्यापन 27 नवम्बर 2019 को हुआ)

विषय अध्ययन 4

स्थानीय विधायक की अनुशंसा पर, विभाग ने मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत राँची में विद्यानगर-महावीरनगर लेन, रोड नं. 2, हरमू कॉलोनी में ₹ 2.75 करोड़ की लागत पर एक पुल स्वीकृत किया (सितम्बर 2013)। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पुल नगरपालिका क्षेत्र में स्थित था। आगे यह भी देखा गया कि नदी का प्रवाह पुल के नीचे, इसकी सुरक्षा से समझौता कर निर्मित अवैध निर्माण से बाधित था, जैसा कि नीचे चित्र से देखा जा सकता है:



चित्र 2.5: राँची शहर के शहरी क्षेत्र में मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल और पुल के नीचे का अवैध निर्माण (संयुक्त भौतिक सत्यापन 20 मार्च 2020 को हुआ)

(इ) मुख्य अभियंता के कार्यालय में 535 में से 50 (10 प्रतिशत) पुलों के डीपीआर की जाँच की गई। इनमें से, केवल 31 डीपीआर में पुलों के निर्देशांक दर्ज थे। इन निर्देशांकों को गूगल अर्थ पर पुल के स्थल से सत्यापान करने पर 20 पुलों के पहुँच-

पथ के आगे कोई संपर्क-पथ नहीं पाया गया। इस प्रकार, बिना किसी संपर्क-पथ के इन पुलों का चुनाव, योजना के अधिदेश का उल्लंघन था। एक उदाहरणात्मक विषय अध्ययन नीचे दी गयी है:

विषय अध्ययन 5

विभाग द्वारा (दिसम्बर 2016) सरायकेला-खरसावाँ जिला में मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत खरकई नदी पर हुडांगदा और धर्मडीहा गाँव के बीच ₹ 4.88 करोड़ की लागत का एक पुल स्वीकृत किया गया। पुल का स्थान जि.ग्रा.स.यो. में नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा ने पुल के स्थान का भौगोलिक निर्देशांकों को (22°38'14.4" उत्तर, 85°52'52.8" पूर्व) गूगल अर्थ पर सत्यापित किया और पाया कि पुल के पहुँच-पथ के आगे कोई संपर्क-पथ नहीं था। विभाग के अभियंताओं के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (7 जनवरी 2020) के दौरान इस तथ्य की पुष्टि की गयी।



चित्र 2.6: गूगल अर्थ चित्र (निर्देशांक-22°38'14.4" उत्तर, 85°52'52.8" पूर्व)



चित्र 2.7: 7 जनवरी 2020 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीर

(iii) विभाग ने पुल के कार्यों की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु छः नमूना जाँचित जिलों में से किसी में भी प.का.ई. का गठन नहीं किया, जिसका कारण न तो अभिलेखों में था, न ही लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया गया। छः नमूना जाँचित प्रमंडलों में से किसी ने भी पुल-पंजी का संधारण नहीं किया था, जबकि छः में से चार प्रमंडलों के पास पाइल-पंजी नहीं थी। विभाग ने पुलों का कोई निरीक्षण कार्यक्रम भी तैयार नहीं किया था। परिणामस्वरूप, पुलों के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के इच्छित उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभाग, योजना के तहत परिकल्पित, कार्यों की निगरानी नहीं कर सका।

तथ्य स्वीकार करते हुए विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि पुलों के चयन, परामर्शियों की भूमिका, डीपीआर की तैयारी, योजना के निष्पादन एवं निगरानी इत्यादि हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी। विभाग ने आगे और जोड़ा कि अब से पुल-कार्यों का दोहराव, नगरपालिका क्षेत्रों में पुलों का चयन, पहुँच-पथ के आगे संपर्क-पथ की अनुपस्थिति आदि, जैसी अनियमितताओं से बचने के लिए पुलों के व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्राप्त करते समय प्र.मं.ग्रा.स.यो. के जि.ग्रा.स.यो. को विचार में लिया जाएगा।

2.1.3 निर्माण गतिविधियाँ

2.1.3.1 पुल कार्यों की स्थिति

मार्च 2019 तक राज्य एवं नमूनीकृत जिलों में पुल कार्यों की स्थिति तालिका 2.1.1 में दिखाए गये हैं।

तालिका 2.1.1 : राज्य में पूर्ण तथा अधूरे पुल कार्यों की स्थिति

स्थिति	2001-19	2014-19 (लेखापरीक्षा अवधि)	
	राज्य की स्थिति	राज्य की स्थिति	छ: नमूना जाँचित जिले
पुलों के कुल कार्य	1,881	820 (243 पूर्व के कार्यों सहित)	214
पूर्ण	1,673	612	154
अपूर्ण	208	208	60

(स्रोत : मु.अभि. कार्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई गई मासिक प्रगति प्रतिवेदन)

तालिका 2.1.1 से, यह देखा जा सकता है कि मार्च 2019 तक राज्य में 208 पुल कार्य चल रहे थे। इनमें से, 169 पुल पूर्ण करने के निर्धारित समय के अंदर थे जबकि 39 पुल पूर्ण करने के निर्धारित समय से दो महीने से साढ़े-नौ वर्ष तक से विलंब में थे। विभाग ने गाँवों/ पंचायतों/ प्रखंडों को संपर्क प्रदान करने के उद्दिष्ट लाभ साधे बिना मार्च 2019 तक इन 39 पुलों पर ₹ 144 करोड़ का व्यय किया था।

नमूना जाँचित जिलों में, 214 में से 154 पुल पूर्ण हो गए थे तथा मार्च 2019 तक 60 पुल अधूरे थे। 154 पूर्ण पुलों में से 72 पुल दो से 75 महीनों के विलम्ब से पूर्ण हुए थे। 60 अधूरे पुलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूनीकृत पाँच जिलों के सात कार्यों में विलम्ब पूर्ण करने के निर्धारित समय से सात से 82 महीनों का था।

2.1.3.2 परामर्श कार्य

मु.मं.ग्रा.से.यो. पुलों के डीपीआर तैयार करने हेतु विभाग ने परामर्शियों को लगाने का निर्णय किया (मई 2015)। डीपीआर को प्रमंडलीय स्तर पर तैयार किया जाना था और मु.अभि. द्वारा उसे तकनीकी रूप से स्वीकृत करना था। अभिलेखों के जाँच में निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

(i) परामर्शियों का सूचीबद्ध-करण

मु.अभि. के निर्देश पर, का.अभि., ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल (ग्रा.वि.वि.प्र.), राँची ने मु.मं.ग्रा.से.यो. पुलों के डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्शियों को सूचीबद्ध करने हेतु एक अल्पकालीन ई-निविदा³ आमंत्रित किया (मई 2015)। प्रतिक्रिया में, 11 संस्थाओं ने निविदा में भाग लिया, जिसमें से 10 संस्था को तकनीकी अर्हता प्राप्त थी। वित्तीय मूल्यांकन (जून 2015) के दौरान एक परामर्शी⁴, जो सेवा कर के अतिरिक्त पुल के सिविल कार्य के अनुमानित लागत का एक प्रतिशत दर उद्धृत किया था, उसे न्यूनतम बोलीकर्ता घोषित किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मु.अभि. ने तकनीकी अर्हता प्राप्त आठ परामर्शियों को, उनमें प्रत्येक से यह सहमति प्राप्त करने के बाद कि वे न्यूनतम बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत दर पर कार्य करेंगे, सूचीबद्ध किया (जून 2015)। मु.अभि. ने पूरे राज्य के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु इन परामर्शियों के साथ अलग-अलग इकरारनामा क्रियान्वित किया तथा वर्तमान प्रमंडलों को उनके बीच बाँट दिया। हालाँकि, ये अनुबंध कितनी अवधि के लिए वैध रहेंगे, इसका उल्लेख नहीं था। इस प्रकार, ये इकरारनामे खुले अंतवाले रह गए तथा लेखापरीक्षा के समाप्त (मार्च 2020) होने तक चालू थे।

जवाब में, विभाग ने आश्वस्त किया (फरवरी 2021) कि मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत परामर्शियों को सूचीबद्ध करने हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी और सर्वोत्तम प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्ति की शर्तों की समीक्षा की जाएगी।

(ii) परामर्शियों की नियुक्ति की शर्तें

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने योजना के कार्यान्वयन हेतु कोई संचालन दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किया था। किसी भी दिशानिर्देश के अभाव में, लेखापरीक्षा ने मु.मं.ग्रा.से.यो. को लागू करने हेतु विभाग द्वारा अपनाई गई वास्तविक प्रक्रिया को प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत डीपीआर बनाने हेतु परामर्शी के नियुक्ति एवं सूचीबद्ध करने के दिशानिर्देशों के साथ तुलना की। परिणाम नीचे तालिका 2.1.2 में वर्णित है:

तालिका 2.1.2: परामर्शियों के सूचीकरण में तुलना

ब्योरा	प्र.मं.ग्रा.स.यो.	मु.मं.ग्रा.से.यो.	लेखा परीक्षा द्वारा देखी गई कमियाँ
चयन विधि	गुणवत्ता-सह-लागत आधारित चयन	न्यूनतम लागत विधि	प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत, गुणवत्ता एवं मूल्य के महत्त्व 80:20 के अनुपात में था जबकि मु.मं.ग्रा.से.यो. में परामर्शियों के चयन में गुणवत्ता को कोई महत्त्व नहीं दिया गया था।

³ 11 मई 2015 से 16 मई 2015

⁴ मेसर्स स्मीतन प्रोजेक्ट प्रा. लि, राँची

परामर्श-कार्य अवधि की वैधता	तीन वर्ष	अपरिभाषित	मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत, परामर्श-कार्य की वैधता चार वर्ष छः महीने से अधिक समय तक जारी थी और कई सूचीबद्ध परामर्शी के असंतोषजनक प्रदर्शन के बावजूद विभाग ने नए परामर्शियों को अवसर दिये बिना केवल आठ परामर्शियों में आवंटित प्रमंडलों में बदलाव किया (अगस्त 2017 और सितम्बर 2018)।
नए परामर्शियों को अवसर	प्रत्येक छः माह पर	अपरिभाषित	
डीपीआर तैयार करने की समयावधि	90 दिन	67 दिन	मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत, डीपीआर बनाने में कम समयावधि देना दोषपूर्ण डीपीआर का एक कारण हो सकता है जैसा कि कंडिका 2.1.3.2(iv) (अ), (ब) और (स) में प्रतिवेदित है।
अनुश्रवण एवं दंड प्रावधान	परिभाषित	अपरिभाषित	प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत, 25 प्रतिशत डीपीआर को एक स्वतंत्र संस्था द्वारा पूरी तरह स्थल पर जाँच करना था, जबकि उपलब्धि प्रतिवेदन का संधारण तथा दंड के प्रावधान को निवारक उपायों में शामिल किया गया था। ये सभी प्रावधान मु.मं.ग्रा.से.यो. में अनुपस्थित हैं।

(स्रोत : प्र.मं.ग्रा.स.यो. दिशानिर्देश और मु.मं.ग्रा.से.यो. अभिलेखों का लेखापरीक्षा विश्लेषण)

मु.मं.ग्रा.से.यो. पुलों के डीपीआर तैयार करने हेतु परामर्शियों की नियुक्ति की शर्तों में उपरोक्त कमियों के परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्शी प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन बनाने के अनुबंध दायित्वों से बच गए जबकि इसकी आवश्यकता थी। इसके अलावा, मृदा अनुसंधान, जल-विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण, यातायात सर्वेक्षण आदि भी ठीक से नहीं किए गए जैसा कि कंडिका 2.1.3.2(iv) (अ), (ब) और (स) में चर्चा की गई है। आगे, मु.मं.ग्रा.से.यो. प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए प्र.मं.ग्रा.स.यो. की अच्छी कार्यप्रणाली को अपनाने तथा आकलन मापदंडों के आधार पर परामर्शियों के उपलब्धि प्रतिवेदन के संधारण हेतु दबाव, स्वतंत्र संस्था द्वारा डीपीआर की समीक्षा आदि के द्वारा पर्यवेक्षकीय नियन्त्रण को कमान में रखने हेतु विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया।

जवाब में, विभाग ने आश्वस्त किया (फरवरी 2021) कि मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत परामर्शियों के सूचीबद्ध करने हेतु पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी और सर्वोत्तम प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्ति की शर्तों की समीक्षा की जाएगी।

(iii) परामर्शी पर तकनीकी इनपुट

झा.लो.नि.वि. संहिता के नियम 22 के अनुसार, मु.अभि./ मु.अभि. (डिज़ाइन) रूप-रेखा, डिज़ाइन तथा सभी संरचनाओं की विशिष्टताओं के अनुमोदन के लिए जिम्मेवार हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्शियों द्वारा प्रस्तुत डीपीआर की जाँच करने के लिए विभाग के पास अपना डिज़ाइन कोषांग नहीं है। विभाग के मु.अभि. ने संचिकाओं में दर्ज किया था (जून 2017) कि परामर्शी द्वारा प्रस्तुत आरेखों पर जल-विज्ञान संबंधी आँकड़ों, भू-तकनीकी सर्वेक्षण एवं परामर्शी द्वारा तैयार पुलों के संरचनात्मक डिज़ाइन की आवश्यक जाँच के बिना तकनीकी स्वीकृति दी जा रही थी।

मु.अ. द्वारा तकनीकी जाँच के अभाव में, परामर्शियों ने मिट्टी अनुसंधान के लिए आवश्यक संख्या में बोरहोल नहीं खोदे थे, जल-विज्ञान संबंधी परीक्षण के लिए उच्चतम बाढ़ स्तर (एचएफएल) एवं नदियों के प्रवाह के आँकड़ों को एकत्र तथा मिलान नहीं किया, प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन नहीं बनाई अथवा यातायात सर्वेक्षण नहीं किया जैसा कि कंडिका 2.1.3.2(iv) (ब), (स) और (द) में चर्चा की गई है।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि डिज़ाइन कोषांग के अभाव में डीपीआर के पुनरीक्षण हेतु स्वतंत्र संस्थाओं को लगाया जाएगा। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग अपना डिज़ाइन कोषांग स्थापित करने के जोखिम एवं लाभ के साथ-साथ बिना किसी विभागीय दृष्टिकोण के एक अन्य परामर्शी समूह की नियुक्ति की तुलना कर सकता है।

(iv) परामर्शी सेवाओं की सुपुर्दगी

(अ) प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन बनाना

भारतीय सड़क काँग्रेस (आईआरसी) 54 (एसपी) तीन चरणों में परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना प्रावधानित करता है, जैसा कि तालिका 2.1.3. में वर्णित है:

तालिका 2.1.3: परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के चरण

चरण	ब्योरा	प्रयोजन
एक	पूर्व संभाव्यता प्रतिवेदन	संभाव्यता अध्ययन के लिए दो से चार स्थल की पहचान हेतु
दो	प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन	सर्वोत्तम उपयुक्त स्थल पर निर्णय लेने के लिए पहुँच संरेखन, पुल के प्रकार सहित डिज़ाइन का पैमाना और स्पैन व्यवस्था (विभिन्न कारकों यथा यातायात सर्वेक्षण एवं विश्लेषण, प्रारम्भिक डिज़ाइन, परियोजना लागत अनुमान, आर्थिक मूल्यांकन आदि के विश्लेषण द्वारा)
तीन	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	संरेखन एवं पुल स्थलों के अंतिमीकरण हेतु विस्तृत अनुसंधान किया जाना

(स्रोत: भारतीय सड़क काँग्रेस के प्रावधान)

परामर्शियों की नियुक्ति हेतु विभागीय आदेश (जून 2015) के अनुसार, भुगतान तीन चरणों में किया जाना था जैसा कि तालिका 2.1.4 में वर्णित है:

तालिका 2.1.4: परामर्शी को प्रस्तुत करने एवं भुगतान के चरण

प्रस्तुति (दिवस के अंदर)	भुगतान के चरण	भुगतान (प्रतिशत)
सात दिनों के भीतर, निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ स्थल संग्रहण तथा पन्द्रह दिनों के बाद पीपीआर जमा करने पर	पीपीआर के अनुमोदन के पश्चात	20
पीपीआर के 45 दिनों में डीपीआर जमा करने पर	डीपीआर की प्रशासनिक स्वीकृति पर	70
-	पुल के अभिन्यास पर	10

(स्रोत: परामर्शियों के अनुबंध की शर्तें)

लेखापरीक्षा ने मु.अ. के कार्यालय में 2014-19 के दौरान 182 डीपीआर बनाने हेतु आठ परामर्शियों को भुगतान किये गए परामर्श शुल्क में से 50 भुगतान आदेशों की जाँच की। परामर्शियों ने इन डीपीआर को अनुमोदन हेतु 23 प्रमंडलों में प्रस्तुत किया था। यह पाया गया कि मु.अ. ने परामर्शों को भुगतान अनुसूची में निर्धारित पीपीआर एवं डीपीआर हेतु चरणबद्ध भुगतान करने के बदले डीपीआर की स्वीकृति पर एकमुश्त ₹ 8.38 करोड़ (परामर्शों शुल्क का 90 प्रतिशत) का भुगतान किया। भुगतान करते समय, परामर्शियों के अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करते हुए मु.अभि. ने परामर्शियों द्वारा पीपीआर जमा होना सुनिश्चित नहीं किया।

छ: नमूना जाँचित जिलों में 57 डीपीआर की जाँच से पता चला कि 55 मामलों⁵ में परामर्शियों ने पीपीआर जमा नहीं किया था, जबकि पाकुड़ जिले के एक मामले में, पीपीआर, यद्यपि उसी दिन डीपीआर के साथ प्रस्तुत किया गया, जो अनुमोदित नहीं किया गया था। यह इस तथ्य की पुष्टि करता है कि डीपीआर तैयार करने से पहले परामर्शों द्वारा पीपीआर को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा, परामर्शों ने 57 डीपीआर में से किसी में भी यातायात जनगणना के आँकड़ों का विश्लेषण नहीं किया था, जबकि आईआरसी 54 (एसपी) की धारा 5.3.2 के तहत बुनियादी डिज़ाइन मापदंडों यथा-आवश्यक लेनों की संख्या, पहुँच-ढलान, मध्य ढलान की आवश्यकता आदि के निर्धारण हेतु यह अनिवार्य था।

पीपीआर जमा एवं अनुमोदन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 1.68 करोड़ (परामर्शों शुल्क का 20 प्रतिशत) का अधिक भुगतान हुआ।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि पीपीआर का अनुमोदन सुनिश्चित करने के पश्चात परामर्श शुल्क का निर्धारित 20 प्रतिशत जारी किया जाएगा।

(ब) परामर्शियों द्वारा मृदा विश्लेषण तथा पुल डिज़ाइन

सड़क एवं पुल के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (स.प.रा.मं) विशिष्टताओं का अनुच्छेद 2402.1 एवं 2403 यह प्रावधान करता है कि उप-मृदा अन्वेषण (भू-तकनीकी जाँच) पुल की पूरी लंबाई के लिए की जाएगी। प्रत्येक पाया, एबटमेंट पर बोरहोल खोदे जायेंगे तथा दोनों तरफ पहुँच पर दो अतिरिक्त बोरहोल (न्यूनतम) खोदे जायेंगे। बोरहोल की गहराई प्रस्तावित नींव के स्तर से कम से कम नींव की चौड़ाई का डेढ़ गुणा नीचे होगी।

⁵ पाकुड़ जिले के दो मामलों में से, एक मामले में पीपीआर और डीपीआर एक ही दिन प्रस्तुत किए गए थे। आगे, वैकल्पिक स्थलों का अध्ययन करने के बजाए दोनों मामलों में केवल एक स्थल का अध्ययन किया गया था।

छ: नमूना जाँचित जिलों में, 57 नमूनीकृत पुल कार्यों में से परामर्शियों ने 42 पुल कार्यों में आवश्यक 510 के विरुद्ध केवल 336 बोरहोल खोदे थे। इसके परिणामस्वरूप 174 की संख्या में कम बोर हुए जो इन 42 पुलों में दो से 15 के बीच कम थे।

आगे, इनमें से पाँच पुलों में जहाँ बोरहोल खोदे गए थे, खुदाई वांछित गहराई तक नहीं की गयी थी (नींव की चौड़ाई से 1.5 गुणा)। गहराई के छान-बीन में यह 70 सेंटीमीटर से 10 मीटर तक कम थी। अतः इन डीपीआर में पुलों के आवश्यक नींव प्रस्तावित करने हेतु बोरहोल खोदकर उप-मृदा प्रोफाइल की जाँच सुनिश्चित नहीं की गयी। परिणामस्वरूप, इन 42 पुल कार्यों में से आठ पुल पूर्णतः या अंशतः क्षतिग्रस्त पाये गए। इनमें से प्रत्येक नींव में मृदा प्रोफाइल की जाँच या तो नहीं की गयी या आवश्यक गहराई तक नहीं की गई थी। इसलिए, पाया/ एबटमेंट के सही नींव स्तरों को सुनिश्चित किये बिना डीपीआर तैयार करने के कारण पुलों में नींव की विफलता एवं नुकसान हुआ।

आगे, यह भी देखा गया कि आईआरसी तथा स्वीकृत डीपीआर में, निर्माण कार्य से पहले पुष्टिकरण बोरिंग किया जाना निर्धारित था। हालाँकि, इस आवश्यकता को परिमाण विपत्र में शामिल नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, काम शुरू होने से पहले नीचे की मृदा की जाँच करने का अवसर खो दिया गया। इन कमियों के संघातों को नीचे दिये गए विषय अध्ययनों के माध्यम से चित्रित किया गया है:

विषय अध्ययन 6

गुमला जिले में, नटवाल-दीना सड़क के बीच मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत चरकी नदी पर एक पुल जो मई 2012 में ₹ 1.16 करोड़ की लागत से पूरा हुआ था, फरवरी 2017 में ढह गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि आवश्यक नौ बोरहोल के विरुद्ध केवल चार बोरहोल के द्वारा मिट्टी की जाँच के आधार पर पुल के दो एबटमेंट एवं पाँच पायों के लिए डीपीआर में खुली नींव का प्रावधान किया गया था। इन बोरहोलों की गहराई भी, जो 0.95 मीटर तथा 1.38 मीटर के बीच थी, कम थी। पुल के ढहने के बाद, जाँच समिति ने पाया (अगस्त 2017) कि नदी का तल रेतीला था और नदी का पानी चार नीवों के नीचे से बह रहा था। परिणामस्वरूप, नीवों के नीचे की मिट्टी बह गई और पुल ढह गया। इस प्रकार, पुल के डिज़ाइन के समय मिट्टी की प्रकृति की जाँच ठीक से नहीं की गई और डीपीआर में खुली नींव, जो रेतीली मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं थी, का प्रावधान किया गया।



चित्र 2.8: नटवाल-दीना सड़क के बीच चरकी नदी पर ढहे पुल की तस्वीर

विषय अध्ययन 7

गुमला जिले के सिसई प्रखंड में बालखटंगा-लोरेनगो सड़क के बीच मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत दक्षिण कोयल नदी पर एक पुल सितम्बर 2010 में ₹ 2.95 करोड़ की लागत से पूरा हुआ। जुलाई 2017 में पुल ढह गया क्योंकि नदी में पानी के भारी प्रवाह के कारण चार पाया और पाँच डेकस्लैब पूरी तरह से बह गए थे। जाँच समिति ने पानी का अत्यधिक प्रवाह नुकसान का प्रथम दृष्टया कारण बताया (अगस्त 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि पुल के डीपीआर में आवश्यक 13 बोरहोलों के विरुद्ध केवल तीन बोरहोल के द्वारा मिट्टी की जाँच के आधार पर पुल के दो एबटमेंट एवं नौ पायों के लिए खुली नींव का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, आवश्यक मिट्टी की जाँच किए बिना नींव के प्रकार का डिज़ाइन किया गया था।



चित्र 2.9: सिसई प्रखंड में बालखटंगा-लोरेनगो सड़क के बीच दक्षिणी कोयल नदी पर बने ढहे पुल की तस्वीर

विषय अध्ययन 8

गुमला जिला मे, मु.मं.ग्रा.से.यो. के अंतर्गत रायडीह प्रखण्ड के मरियम टोली-सरनाटोली के बीच ₹ 3.89 करोड़ के लागत से शंख नदी पर एक पुल मार्च 2015 में पूर्ण हुआ। यह पुल जुलाई 2017 में क्षतिग्रस्त हो गया क्योंकि इसके दो पाये

धंस गए तथा तीन स्लैब झुक गए थे। जाँच समिति ने प्रतिवेदित किया (अगस्त 2017) कि पुल की क्षति का प्रथम दृष्टया कारण बालू की अत्यधिक निकासी था। लेखापरीक्षा ने पुल के डीपीआर में देखा कि 23 की आवश्यकता के विरुद्ध केवल चार बोरहोल में मिट्टी की जाँच के आधार पर दो एबटमेंट तथा 19 पायों के लिए खुली नींव का प्रावधान किया गया। इस प्रकार, नींव का डिज़ाइन आवश्यकतानुरूप मिट्टी की जाँच से समर्थित नहीं था, जैसा कि स.प.रा.मं (मोर्थ) द्वारा निर्धारित था।



चित्र 2.10: रायडीह प्रखंड में मरियम टोली-सरनाटोली के बीच शंख नदी पर क्षतिग्रस्त पुल की तस्वीर

मिट्टी की जाँच में कमियों के परिणामस्वरूप, यह पाया गया कि चार नमूना-जाँचित जिलो में नमूनीकृत 57 में से आठ पुलों की नींव में काम शुरू होने के बाद बदलाव किए गए थे। इससे पुल के निर्माण-लागत में वृद्धि हुई (पाँच मामलों में ₹ 8.77 करोड़) तथा कार्य निष्पादन में देरी हुई (तीन से 58 महीने तक के बीच)।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि परामर्शियों एवं का.अभि. को प्रत्येक पाया तथा एबटमेंट पर बोरहोल की खुदाई कर मिट्टी की जाँच सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग ने आगे कहा कि यह सुनिश्चित करना का.अभि. का कर्तव्य होगा कि संवेदकों द्वारा पुष्टिकरण बोरिंग किए गए हैं। विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र भी जारी किया था (नवंबर 2020)। हालाँकि, विभाग ने दोषी परामर्शियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई, यदि कोई हो, के बारे में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया।

(स) परामर्शियों द्वारा जलविज्ञान संबंधी प्रतिवेदन

आईआरसी 5 के अनुच्छेद 101.1 के अनुसार, एक उच्च स्तरीय (एचएल) पुल, एक ऐसा पुल होता है जो चैनल के एचएफएल⁶ के ऊपर सड़कमार्ग का वहन करता है। आईआरसी 5 का अनुच्छेद 103 में आगे यह प्रावधानित है कि डिज़ाइन प्रवाह, जिसके लिए पुल के जलमार्ग का डिज़ाइन करना है, बाढ़ के 50 वर्ष के वापसी-चक्र में अधिकतम

⁶ उच्चतम बाढ़ स्तर कभी दर्ज बाढ़ का उच्चतम स्तर या डिज़ाइन प्रवाह के लिए गणनित स्तर है।

बहाव के आधार पर होगा। ऐसे मामलों में, जहाँ अपेक्षित सूचनाएँ उपलब्ध नहीं हों, तो डिज़ाइन प्रवाह एम्पिरिकल सूत्र विधि, क्षेत्रफल-वेग विधि या किसी अन्य तर्कसंगत विधि को ध्यान में रख कर निर्धारित अधिकतम अनुमानित बहाव होगा।

नमूना-जाँचित जिलों में नदियों/नालों पर बने 57 पुल-कार्यों के डीपीआर की जाँच से पता चला कि प्रमंडलों के पास किसी भी नदी/नाला के लिए बाढ़ के 50 साल के वापसी-चक्र में अधिकतम बहाव के आँकड़े नहीं थे। परामर्शियों ने पुल का डिज़ाइन प्रवाह तीन विधियों (एम्पिरिकल विधि, क्षेत्रफल-वेग विधि तथा युक्तिसंगत विधि) के द्वारा निर्धारित बहाव की तुलना से प्राप्त अधिकतम मान को लेकर बनाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न परामर्शियों ने एक ही नदी के डिज़ाइन प्रवाह को निकालने हेतु उसके जलग्रहण क्षेत्र का अलग-अलग मान लिया तथा मु.अभि. ने इन सभी आरेखों पर तकनीकी स्वीकृति दी। इसके परिणामस्वरूप एक ही नदी के डिज़ाइन प्रवाह में अंतर पाया गया जैसा कि तालिका 2.1.5 में दिखाया गया है:

तालिका 2.1.5: तीन नदियों के डीपीआर में डिज़ाइन प्रवाह में अंतर

पुल का नाम	प्रखण्ड/जिला	नदी	निर्माण का वर्ष	पुल का मूल्य (करोड़ में)	डिज़ाइन प्रवाह (क्यूमेक्स ⁷)	स्थान
केचकी अवसाने ग्राम (ढह गया)	चैनपुर/पलामू	उत्तरी कोयल	अक्टूबर 2008	5.49	6,603.15	एक ही स्थान पर (पुराने पुल के ढह जाने के बाद नया पुल बनाया गया)
केचकी अवसाने ग्राम (नया)			चालू (मार्च 2020)	8.86	8,738	
जोलो मुरकुंडा (ढह गया)	बसिया/गुमला	दक्षिणी कोयल	जुलाई 2010	5.22	6,466	नौ मीटर की दूरी पर पुराने पुल के ढह जाने के बाद नया पुल बनाया गया।
जोलो मुरकुंडा (नया)			जुलाई 2019	7.75	7,116	
नवडीह कइरा (नया)	सतगावां/कोडरमा	सकरी	चालू (मार्च 2020)	9.58	4,686.93	बासोडीह-मरचोई पुल नवडीह-कइरा पुल के दो किमी अनुप्रवाह पर था।
बासोडीह मरचोई (एक पाया धंस गया)			जुलाई 2010	8.49	3,116	

(स्रोत: संबंधित पुल के डीपीआर में उपलब्ध जल-विज्ञान संबंधी आँकड़े)

लेखापरीक्षा विश्लेषण में निम्नलिखित पता चला:

- **उत्तरी कोयल नदी पर पुल:** पलामू जिला में, डीपीआर में उपलब्ध केचकी अवसाने ग्राम के बीच पुल का जल-विज्ञान संबंधी आँकड़ों से यह पता चला कि पुराना पुल (23 सितंबर 2011 को ढहा हुआ) का निर्माण 6603.15 क्यूमेक्स के डिज़ाइन प्रवाह (एम्पिरिकल सूत्र पर आधारित), 95.607 मीटर आरएल पर एचएफएल तथा 99.657 मीटर आरएल पर वेयरिंग स्तर को लेकर हुआ। विभाग ने पुल के ढह जाने के कारणों का पता लगाने हेतु बीआईटी मेसरा को नियुक्त किया (अप्रैल 2012)। दल

⁷ क्यूमेक्स घन मीटर प्रति सेकंड होता है (नदी-प्रवाह की डिज़ाइन प्रवाह इकाई)

ने प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2013) कि पुल की विफलता का कारण यह था कि (i) उच्च बाढ़ का पानी पुल के डेक स्लैब से 60 सेंटीमीटर ऊपर बहा था जिसके कारण बीम तथा स्लैब पर भारी अनुप्रस्थ दबाव उत्पन्न हुआ; (ii) उच्च स्तरीय पुल के बीम तथा स्लैब के ऊपर से पानी कभी नहीं बहना चाहिए क्योंकि सामान्यतः यह अनुप्रस्थ दबाव के लिए डिज़ाइन नहीं किये गए होते हैं; तथा (iii) ढहने के समय अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ का वास्तविक स्तर 100 वर्षों की अवधि के स्तर यथा-8,036 क्यूमेक्स को पार कर गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि का.अभि., आरडीएसडी पलामू ने पुराने ढहे हुए पुल को ध्वस्त करके उसी स्थल पर नए पुल का निर्माण 8,738 क्यूमेक्स के डिज़ाइन प्रवाह तथा 97.558 मीटर आरएल पर एचएफ़एल मानकर शुरू किया (जून 2018)।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नए पुल का एचएफ़एल आरएल 100.257 मीटर पर (आरएल 99.657 मी पर वेयरिंग स्तर + 0.6 मीटर) होना चाहिए था, क्योंकि पुराने पुल के ढहने के समय बाढ़ का पानी डेक स्लैब/निर्माण स्तर से 60 सेंटीमीटर ऊपर बहा था। परिणामस्वरूप, एचएफ़एल 2.699 मीटर (100.257 मीटर आरएल - 97.558 मीटर आरएल) से कम हो गया। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एचएफ़एल के कम होने का मुख्य कारण एक दूसरे परामर्शी द्वारा निकाला गया (एक ही नदी का जलग्रहण क्षेत्र 5,750 वर्गकिलोमीटर से कम करके 3419.17 वर्ग किलोमीटर करके) डिज़ाइन प्रवाह (वास्तविक 9,244 क्यूमेस्क से, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणनित, 8,738 क्यूमेस्क करना) को दबाना था, जो एम्पिरिकल सूत्र के द्वारा निकाला गया था। आगे, नए पुल की लंबाई को 309.18 मीटर (पुराने पुल का) से कम करके 292.36 मीटर कर दिया गया, जिससे नदी का रैखिक जलमार्ग⁸ कम हो गया।

इस प्रकार, नए पुल की संरचनात्मक सुरक्षा संदेहास्पद तथा यदि नदी में उच्चतम बाढ़ अथवा अधिकतम बहाव हो तो पुल के ढह जाने का जोखिम है। लेखापरीक्षा की तिथि (मार्च 2020) तक, नए पुल के निर्माण कार्य पर ₹ 2.32 करोड़ व्यय हो गया था।

- **दक्षिणी कोयल नदी पर पुल:** गुमला जिला में, एक पुराने पुल के ढह जाने (अगस्त 2010) के बाद, एक नए पुल का निर्माण (जुलाई 2019) पुराने ढहे पुल से नौ मीटर की दूरी पर किया गया।

पुराने पुल के डीपीआर में दर्ज डिज़ाइन प्रवाह की जाँच में यह पता चला कि परामर्शी ने 2,988 वर्ग किमी जलग्रहण क्षेत्र पर एम्पिरिकल सूत्र विधि से 6.466 क्यूमेस्क मान का अधिकतम डिज़ाइन प्रवाह प्रतिवेदित किया था। नए पुल के मामले में, एक अन्य परामर्शी ने उसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र को 3,179.90 वर्ग किमी प्रतिवेदित किया तथा

⁸ पुल का रैखिक जलमार्ग, उच्चतम बाढ़ स्तर पर एबटमेंट मुख के समकोण पर मापी गयी जल सतह के चरम किनारों के बीच जलमार्ग की चौड़ाई है।

क्षेत्रफल-वेग विधि के आधार पर अधिकतम डिज़ाइन प्रवाह को 7,116 क्यूमेस्क गणनित किया।

यदि पुराने पुल के जलग्रहण क्षेत्र की गणना सही से की गई होती (3,179.90 वर्ग किमी), तो डिज़ाइन प्रवाह 6,466 क्यूमेस्क के जगह पर 6,778 क्यूमेस्क होता। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह भी पता चला कि नए पुल के डेक-स्लैब की ऊँचाई पुराने पुल की तुलना में दो मीटर (लगभग) से बढ़ाया गया था। इस प्रकार, पुल के डिज़ाइन हेतु परामर्शियों द्वारा जल-विज्ञान संबंधी आँकड़ों के विश्लेषण पर, बिना विशेषज्ञ दल द्वारा जाँच के, विश्वास नहीं किया जा सकता है।

- **सकरी नदी पर पुल:** कोडरमा जिला में, बासोडीह-मरचोई⁹ को जोड़ने हेतु सकरी नदी पर बने एक पुल (मूल्य ₹ 8.49 करोड़) का आठ पाया निर्माण (जुलाई 2010) के चार वर्ष बाद डूब गया (अगस्त 2014)। विभाग ने पुनः नवडीह-कइरा को जोड़ने हेतु बसोडीह-मरचोई पुल के उर्ध्वप्रवाह में दो किलोमीटर के दूरी पर एक और पुल का निर्माण-कार्य शुरू किया (अगस्त 2019)।

डीपीआर के अनुसार, बसोडीह-मरचोई पुल का डिज़ाइन प्रवाह (3,118 क्यूमेस्क) नवडीह-कइरा पुल के डिज़ाइन प्रवाह (4686.93 क्यूमेस्क) से कम था। नवडीह-कइरा पुल के अनुप्रवाह में नदी-प्रवाह का विभाजन हुए बिना, डिज़ाइन प्रवाह का कम होना संभव नहीं था। अतः डिज़ाइन प्रवाह वास्तविक नहीं था।

आईआरसी के अनुसार, 50 वर्ष के वापसीचक्र में अधिकतम बाढ़ प्रवाह को ध्यान में रख कर ही एक पुल का डिज़ाइन तैयार किया जाता है। हालाँकि, 12 वर्षों के अंतराल में उपर्युक्त छः पुलों के बहाव डिज़ाइनों में महत्वपूर्ण विविधताएं इनकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। परिणामस्वरूप, अविश्वसनीय डिज़ाइन प्रवाह पर आधारित वर्तमान पुल संरचनायें क्षति/ढह जाने के जोखिम से भरी हुई हैं तथा इनकी जाँच एक विशेषज्ञ दल द्वारा कराने की आवश्यकता है।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि परामर्शियों को उत्तरी कोयल नदी के सन्दर्भ में जल-विज्ञान संबंधी प्रतिवेदन को पुनर्गणना करने का निर्देश दिया गया है। आगे, परामर्शियों को जल-विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण भी सावधानीपूर्वक करने का निर्देश जारी किया गया है।

(द) पुल के पहुँच पथ की डिज़ाइन करना

आईआरसी का अनुच्छेद 120.1 यह प्रावधानित करता है कि पुल के दोनों सिरों पर पहुँच-पथ कम से कम 15 मीटर सीधी होनी चाहिए, जिसे उपयुक्त रूप से, जहां जरूरी हो, गति डिज़ाइन के अनुरूप न्यूनतम दृष्टगत दूरी प्रदान करने हेतु बढ़ाया जा सकता

⁹ 24 डिग्री 44 मिनट एवं 31 सेकंड उत्तर तथा 85 डिग्री 48 मिनट एवं 04 सेकंड पूर्व

है। आगे, पहुँच-पथ की चौड़ाई, पुल के ढुलाई-पथ की चौड़ाई (यथा- 7.5 मीटर) के बराबर होनी चाहिए।

छ: नमूना जाँचित जिलों में, 16 पुलों के आगमन/निकास बिन्दु पर तीखे मोड़ (90 डिग्री तक) तथा 28 पुलों में पहुँच-पथ की चौड़ाई पुल की चौड़ाई की तुलना में कम (3.75 मीटर से 4.1 मीटर तक) पाई गई। इन डिज़ाइन दोषों ने, इस क्षेत्र को स्पष्ट-दृष्टि की अनुपस्थिति में दुर्घटना प्रवण बना दिया था तथा पुलों में प्रवेश तथा निकास पर यातायात को धीमा कर दिया था।



चित्र 2.11: धनबाद जिला के बारडुबी से लखरखवारी ग्राम के बीच पुल के पहुँच पथ पर तीखा मोड़ (90 डिग्री)



चित्र 2.12: बाघमारा प्रखण्ड के टेटुलिया-2, भाटडीह धौरा एवं चेचका मंदिर के बीच दामोदर नदी पर पुल के पहुँच पथ पर तीखा मोड़

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि पहुँचों पर निजी भूमि के शामिल होने के कारण सीधा पहुँच-पथ देना संभव नहीं था तथा इन बाधाओं को, मध्यम घुमाव देकर तथा वक्र रक्षण कार्यों के द्वारा कम किया गया। जवाब तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था, क्योंकि सड़क सुरक्षा के आईआरसी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, पहुँच-पथ लगभग समकोणीय था, जैसा लेखापरीक्षित इकाई के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय लिए गए चित्र में देखा जा सकता है। आगे, नियमानुसार कार्य प्रारंभ करने के पहले आवश्यक भूमि की उपलब्धता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(इ) परामर्शियों द्वारा प्राक्कलन कार्य

इस्पात का उपयोग, पुल के नींव, उप-संरचना, अधिसंरचना, जंगला का कार्य, वेयरिंग कोट कार्य तथा पहुँच स्लैब के आरसीसी कंक्रीट कार्य में होता है। पाइल नींव में, जहां जरूरी हो, रैखिक इस्पात के रूप में अतिरिक्त इस्पात की भी आवश्यकता होती है।

दर अनुसूची (एसओआर) में, पुल की नींव में इस्पात सुदृढीकरण, उप-संरचना, अधिसंरचना तथा रैखिक इस्पात के मर्दों की दरों में इस्पात की व्याप्ति एवं बर्बादी हेतु पाँच प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित होता है।

छ: नमूना जाँचित जिलों में, 32 डीपीआर की जाँच से पता चला कि परामर्शियों ने, पुल कार्यों में इस्पात की आवश्यकता का आकलन करते समय, उपर्युक्त मर्दों के लिए पाँच प्रतिशत की दर से 324.34 एमटी इस्पात का अतिरिक्त प्रावधान जोड़ दिया जबकि ये पहले से एसओआर में शामिल थे। इस प्रकार, इस्पात की आवश्यकता का आकलन गलत था तथा यह परिमाण विपत्र (बीओक्यू) एवं इकरारनामा के, इन चार मर्दों में, मूल्य को छद्म रूप से बढ़ाया।

इन 32 पुलों के क्रियान्वयन के दौरान, इन चार मर्दों में 7,911.17 एमटी इस्पात की खपत दर्ज की गई जैसा कि इन कार्यों की मापी पुस्तिकाओं से पता चला। इसमें 383.76 एमटी व्याप्ति एवं बर्बादी हेतु शामिल था, जिस पर ₹ 2.39 करोड़ अधिक भुगतान हुआ। ये भुगतान उन परामर्शियों, जिन्होंने त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तैयार किया, तथा उन संवेदकों, जिन्होंने अनुचित लाभ प्राप्त किया, से वसूलनीय थे। सभी नमूना जाँचित जिलों के का.अभि. ने डीपीआर एवं बीओक्यू में इस्पात के अधिक प्रावधान के तथ्य को स्वीकार किया (नवम्बर 2019 तथा मार्च 2020 के बीच) तथा कहा कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति से बचा जाएगा।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि व्याप्ति एवं बर्बादी में अधिक प्रावधान को संशोधित करने के लिए आकलन के साथ साथ भुगतान में सुधारात्मक कदम उठाया गया है। हालाँकि, जवाब किसी भी प्रलेखी साक्ष्यों से समर्थित नहीं था।

2.1.3.3 निविदा तथा इकरारनामा

(i) संवेदकों को कई पुल-कार्यों का आवंटन

“संशोधित संवेदक सूचीबद्धता (आरईसी) नियमावली, 1992” के नियम 16 के अनुसार, एक संवेदक को सामान्यतः एक समय में एक कार्य आवंटित किया जाएगा। भले ही वे अन्य बोलियों में वैध एवं न्यूनतम निविदादाता हों, अन्य कार्यों को तबतक नहीं आवंटित किया जाएगा जबतक वे अपने पूर्व-आवंटित कार्य को पूरा नहीं कर लेते अथवा उनके पूर्व-आवंटित कार्य की प्रगति कम से कम 75 प्रतिशत न हो।

2014-19 के दौरान, राज्य में 571 पुल-कार्यों के लिए निविदा की गई। इनमें से, ₹ 251.41 करोड़ मूल्य के 57 पुल-कार्यों को 13 संवेदकों को आवंटित किये गए, जिनमें से प्रत्येक संवेदक को दो से सात कार्य मिले।

मु.अभि. के कार्यालय में पुल/निविदाओं की संचिकाओं की जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि इन संवेदकों को कार्य-आवंटन के समय, पूर्व में आवंटित कार्यों की प्रगति 75 प्रतिशत से कम थी तथा शून्य से 65 प्रतिशत के बीच थी। आगे, इन 57 में से 22 पुल-कार्यों

को, जिनका कुल इकरारनामा मूल्य ₹ 115.89 करोड़ था, सात संवेदकों को एक ही दिन आवंटित किया गया था।

आरईसी नियमों का उल्लंघन करते हुए संवेदकों को कई कार्यों के आवंटन के परिणामस्वरूप, 13 संवेदकों ने 26 कार्यों को पूरा करने में एक से 25 महीने की देरी की जबकि पाँच कार्य अपने पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के बाद (13 दिन से 22 महीने के बीच) भी अधूरे थे।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि निविदायें समय-समय पर जारी विभागीय परिपत्रों के आलोक में तय हुईं। हालाँकि, लेखापरीक्षा अवलोकन का विशिष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(ii) निविदा एवं इकरारनामा के दस्तावेजों में अनेकार्थता

झा.लो.नि.वि. संहिता 2012 के नियम 169 के अनुसार, अनुबंध के मानक प्रपत्रों को अपनाया चाहिए तथा अनुबंध के ऐसे मानक प्रपत्रों को विभाग द्वारा कानून तथा वित्त विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जायेगा।

छ: नमूना जाँचित जिलों में, नमूनीकृत 57 पुल-कार्यों के मु.मं.ग्रा.से.यो. के मानक बोली प्रलेखों (एसबीडी) तथा इकरारनामा कागजातों की जाँच में विसंगतियों का उद्घाटित हुआ, जैसा कि तालिका 2.1.6 में वर्णित है:

तालिका 2.1.6 - 2014-19 के दौरान मु.मं.ग्रा.से.यो. के निविदा प्रलेखों में, प्रावधानों में परिवर्तन

अवधि	दोष दायित्व अवधि	निष्पादन प्रतिभूति की वैधता	पुल का बीमा	कार्य, संयंत्र तथा उपकरण आदि का बीमा
2011-12 तक	कार्य पूर्ण होने की तिथि से छः महीने तक	दोष दायित्व अवधि के समाप्त होने बाद 45 दिनों तक	कार्य पूर्ण होने की तिथि से 10 वर्षों तक	कार्य शुरू होने से दोष दायित्व अवधि के समाप्त होने तक
2012-13 से 2014-15	कार्य पूर्ण होने की तिथि से पाँच वर्षों तक		हटा दिया गया	हटा दिया गया
2015-16 से 2018-19	कार्य पूर्ण होने की तिथि से दो वर्षों तक		हटा दिया गया	हटा दिया गया

(स्रोत: मु.मं.ग्रा.से.यो. के निविदा प्रलेख)

विभाग द्वारा झा.लो.नि.वि. संहिता का उल्लंघन करते हुए कानून तथा वित्त विभागों के परामर्श के बिना दोष दायित्व अवधि (डीएलपी) तथा बीमा की धाराओं में परिवर्तन किया गया, जैसा कि ऊपर की तालिका से दृष्टिगत है।

आगे, प्रधान सचिव, ग्रा.वि.वि ने निर्देश दिया था (अगस्त 2014) कि ग्रा.वि.वि द्वारा प.नि.वि के एसबीडी को अपनाया जाए। विभाग में संचिकाओं की जाँच से यह पता चला कि प.नि.वि के एसबीडी में पाँच महत्वपूर्ण धाराएं थीं, परन्तु मु.मं.ग्रा.से.यो. की एसबीडी में काट-छाँट कर डीएलपी को शामिल करने (एक वर्ष कम करके) के अलावा अन्य सभी धाराओं को नहीं लिया गया। इस प्रकार, इन चार धाराओं की अनुपस्थिति

तथा अल्प डीएलपी के कारण मु.मं.ग्रा.से.यो. की एसबीडी ने संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान किया।

उसी संहिता का नियम 169, यह निर्धारित करता है कि अनुबंध की शर्तें विधिपूर्ण तथा निश्चित होनी चाहिए तथा उसमें अनेकार्थता अथवा गलतफहमी की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मु.मं.ग्रा.से.यो. के निविदा आमंत्रण सूचना में बोलीकर्ताओं के निर्देशों के अनुसार, इकरारनामा एफ₂ प्रपत्र (एक नियत मूल्य अनुबंध) पर क्रियान्वित किया गया तथा निविदा प्रलेख (एसबीडी) को इकरारनामा का अंग बनाया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एफ₂ प्रपत्र की धारा 16 सुरक्षा जमा को कार्य पूर्ण होने के छः महीने पश्चात निर्गत करना निर्धारित करता है जबकि एसबीडी की धारा 30.1 में परिकल्पित है कि निष्पादन प्रतिभूति को कार्य पूर्ण होने के दो वर्ष एवं 45 दिनों के पश्चात निर्गत करना है। इस प्रकार, अनुबंध प्रलेखों में विरोधाभास, सुरक्षा जमा को निर्गत करने में अस्पष्टता उत्पन्न किया।

परिणामस्वरूप, पाँच नमूना-जाँचित प्रमंडलों (कोडरमा को छोड़कर) ने नौ कार्यों में डीएलपी की समाप्ति से पहले आठ संवेदकों को ₹ 1.99 करोड़ की निष्पादन प्रतिभूति को निर्गत कर अनुचित लाभ प्रदान किया जबकि पाँच नमूना-जाँचित प्रमंडलों (गुमला को छोड़कर) में 10 कार्यों की ₹ 3.12 करोड़ की निष्पादन सुरक्षा, डीएलपी की समाप्ति से पहले ही व्यपगत हो गई।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि का.अभि. को एसबीडी को इकरारनामा का अंग बनाने तथा संवेदकों के निष्पादन प्रतिभूति को डीएलपी की तिथि से कम से कम 45 दिनों तक रखने के निर्देश जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एसबीडी तथा एफ₂ के प्रलेखों में चुनने-छांटने के बजाय, विभाग को संवेदकों के साथ इकरारनामा हेतु कानून तथा वित्त विभाग से विधिवत जाँचित एक मानक प्रारूप अपनाना चाहिए।

विषय अध्ययन 9

पाकुड़ जिला में चांडालमारा-घाटछोरा को जोड़ने हेतु बंसलोई नदी पर एक पुल ₹ 5.98 करोड़ की लागत पर पूर्ण हुआ (15 जून 2015), पूर्ण होने के पाँच वर्षों के भीतर ढह गया (30 सितंबर 2019) (कंडिका 2.1.3.4 (i) में चर्चित)। एसबीडी के अनुसार, पुल का डीएलपी पाँच वर्ष का था और तदनुसार निष्पादन प्रतिभूति 20 जुलाई 2020 (डीएलपी के समाप्त होने के बाद 45 दिनों तक) तक वैध होनी चाहिए थी।

संवेदक के साथ इकरारनामा के समय, का.अभि. ने डीएलपी को अनियमित रूप से घटाकर छः महीने कर दिया (देखिए-इकरारनामा की धारा 48) और परिणामस्वरूप, निष्पादन प्रतिभूति की वैधता पाँच वर्ष 45 दिनों से घट कर छः महीने रह गई। परिणामस्वरूप, ₹ 30 लाख की निष्पादन प्रतिभूति संवेदक को दिसम्बर 2015 में वापस कर दिया गया। यदि डीएलपी तथा निष्पादन प्रतिभूति की वैधता की अवधि को घटाया नहीं गया होता तो संवेदक अपने खर्च पर पुल के पुनर्निर्माण हेतु कानूनी रूप से बाध्य होता। इसके अलावा, विभाग प्रतिभूति को जब्त करने की स्थिति में होता।

(iii) निविदा के साथ दी गई निष्पादन प्रतिभूति का सत्यापन

झा.लो.नि.वि. संहिता 2012 के नियम 172 के अनुसार, सफल अभिकर्तृत्व द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियों को जारी करने वाले प्राधिकारी से न्यूनतम संभव अवधि में सत्यापन करा लेना चाहिए।

अनुबंध दायित्वों को पूरा करने हेतु संवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूतियों की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि तीन प्रमंडल (गुमला, पाकुड़ तथा सरायकेला) के चार अधूरे कार्यों में संबंधित का.अभि. द्वारा ₹ 92.78 लाख की निष्पादन प्रतिभूतियों को जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापन नहीं कराया गया (मार्च 2020)। अतः इन प्रतिभूतियों की प्रामाणिकता का पता नहीं लगाया जा सका।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि निष्पादन प्रतिभूतियों को जारी करने वाले प्राधिकारी से सत्यापन कराने हेतु का.अभि. को निर्देश जारी कर दिया गया है।

2.1.3.4 पुलों का निर्माण

छः नमूना-जाँचित जिलों में, फरवरी 2007 तथा अगस्त 2016 के बीच ₹ 67.39 करोड़ की लागत से निर्मित 13 पुल, घटिया पुल-कार्यों के कारण वर्ष 2014-19 के दौरान (अगस्त 2014 और सितंबर 2019 के बीच) क्षतिग्रस्त/ढह गए।

विभागीय जाँच प्रतिवेदनों (जनवरी 2016 से दिसंबर 2019 के बीच प्रस्तुत) के अनुसार, ढहने के मुख्य कारण थे, बाढ़ का पानी डिज़ाइन एचएफएल के ऊपर से पार करना, नींव के समीप अत्यधिक रेत उत्खनन, नींव के नीचे अतिसार, पाइलों का मुलायम/कठोर चट्टान में न गड़ना, पाइलों एवं पाइल-कैप के बीच कमजोर जोड़ का होना इत्यादि।

पुल-कार्यों के ढहने, क्षति के विभिन्न कारणों एवं आईआरसी के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने 57 पुल-कार्यों की विस्तृत-जाँच की तथा छः पुलों में ₹ 52.07 करोड़ का घटिया कार्यों का होना पाया। इस संबंध में लेखापरीक्षा परिणाम नीचे चर्चित हैं:

(i) **पाकुड़ जिला में बंसलोई नदी पर पुल का निर्माण**

पाकुड़ में, चंडालमारा एवं घाटछोरा को जोड़ने हेतु ₹ 5.98 करोड़ की लागत से निर्मित (जून 2015) बंसलोई नदी पर 13 पाटोंवाला एक पुल 30 सितंबर 2019 को ढह गया। मु.अ. की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रतिवेदित किया (दिसंबर 2019) कि डीपीआर में वास्तव में परिकल्पित पाइल नींव की गहराई से कम गहराई का निष्पादन, पाइल का निम्नस्तरीय सुदृढीकरण और पुल के समीप रेत उत्खनन के कारण पी10 पाया के साथ-साथ दो स्लैब (पी9-पी10 एवं पी10-पी11 के बीच) उखड़ गया और नीचे गिर गया था (नीचे के चित्र में दिखाया गया)।



चित्र 2.13: पाकुड़ जिले के चंडालमारा में बंसलोई नदी पर पुल की क्षतिग्रस्त पाटें

समिति के निष्कर्ष निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित थे:

- क) पी10 की एक निरावरित पाइल की लंबाई केवल 4.7 मीटर थी परन्तु इस पाइल की मापी पुस्तिका में दर्ज लंबाई 10.96 मीटर थी।
- ख) पुल की डिजाइन के अनुसार, पाइल-कैप¹⁰ और पाये नदी के तल से नीचे होंगे। हालाँकि, अन्य खड़े पायों की पाइलें (1-1.5 मीटर) पाइल कैप के नीचे तक दिखाई दे रहे थे। समिति ने इस दोष के लिए रेत उत्खनन को जिम्मेदार ठहराया।
- ग) पी10 की निरावरित पाइल में 25 ऊर्ध्व सुदृढीकरण (मापी पुस्तिका में दर्ज) की बजाय, केवल 24 ऊर्ध्व सुदृढीकरण पाए गए।

लेखापरीक्षा ने (23 जनवरी 2020) का.अभि., आरडीएसडी, पाकुड़ के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन भी किया और निम्नलिखित कमियाँ पायीं:

¹⁰ एक पाइल-कैप एक मोटी कंक्रीट चटाई होती है, जो कंक्रीट या लकड़ी के पाइल पर टिकी होती है, जिसे एक उपयुक्त स्थिर नींव प्रदान करने हेतु नर्म या अस्थिर जमीन में गाड़ा जाता है।

- शॉफ्ट के 2.2 मीटर से 2.76 मीटर तक और पाइल-कैप के 0.2 मीटर से 0.3 मीटर तक की कम लंबाई के निर्माण के परिणामस्वरूप खड़े पायों (पी6, पी8 एवं पी9) के पाइल निरावरित हुए थे। यदि शॉफ्ट तथा पाइल-कैप का निर्माण, जैसा कि स्वीकृत डीपीआर में परिकल्पित था, के अनुसार किया गया होता, तो ये पाइलें नदी के तल के स्तर से नीचे होतीं और ये निरावरित नहीं होतीं। का.अभि. लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सहमत था।
- पी9 के निरावरित पाइल-कैप के नीचे पुल की नींव तथा ईट-सॉलिंग में अस्वीकृत विशिष्टियों वाले इस्पात¹¹ का उपयोग।
- पुल का डिजाइन, पाइल (1.4 मीटर) को कठोर चट्टानी परत में गाड़ने तथा ऊपरी परत पर अतिसार के विरुद्ध पुल संरचना को संरक्षित करने के लिए किया गया था। समिति ने बताया कि पाइल की लंबाई डिजाइन-गहराई से कम थी। परिणामस्वरूप, संवेदक द्वारा पाइल को कठोर चट्टानी परत में नहीं गाड़ा गया। इस प्रकार, संवेदक द्वारा पाइल को वांछित गहराई तक गाड़ना सुनिश्चित करने में का.अभि. की विफलता ही पुल की क्षति में साधक रही।

इस प्रकार, पुल के क्षतिग्रस्त होने के मूलभूत कारण, पाइल नींव की कम गहराई के कारण चट्टानी परत में पाइल का नहीं गाड़ा जाना, कम लंबाई के शॉफ्ट का निर्माण और न्यून गुणवत्ता वाले इस्पात का उपयोग था। इसके परिणामस्वरूप घटिया निष्पादन हुआ और ₹ 5.98 करोड़ का व्यय बेकार साबित हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा में उठाए गए बिंदुओं पर सहमति जतायी (फरवरी 2021) और कहा कि इस पुल को फिर से डिजाइन करने की जरूरत थी तथा का.अभि. को सूचीबद्ध परामर्शियों के माध्यम से एक नए डीपीआर बनाने का निर्देश दे दिया गया था। आगे, यह कहा गया कि संवेदक ने अपनी लागत पर पुल को पूरा करने का वचन दिया था।

(ii) गोड्डा जिले में खट्टी नदी पर पुल का निर्माण

गोड्डा में, कन्होई पकरिया गाँव तथा कर्रा गाँव को जोड़ने हेतु खट्टी नदी पर छः पाटोंवाला एक पुल का निर्माण ₹ 4.40 करोड़ की लागत से (मार्च 2016) हुआ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि पुल का एक पाट क्षतिग्रस्त हो गया (दिसंबर 2018), जब दो भरे हुए ट्रक उसके ऊपर से गुजर रहे थे।

¹¹ सेल, टाटा स्टील आदि के अनुमोदित इस्पात के बदले स्थानीय ब्रांड स्टार स्टील, सीएस पावर का उपयोग।



चित्र 2.14: गोडडा जिले के पथरगामा प्रखंड में कोरका से पकरिया पथ पर पुल का क्षतिग्रस्त पट (प्रमंडल की संचिका से ली गई तस्वीर)

गुगल अर्थ से ली गई तस्वीर (8 अगस्त 2019) और अधीक्षण अभियंता के प्रतिवेदन की जाँच से पता चला कि पुल का टूटा हुआ हिस्सा (डेक स्लैब और गर्डर) वास्तव में पाया 4 और पाया 5 के बीच स्थित था परन्तु मु.अ. की अध्यक्षता वाली समिति ने प्रतिवेदित किया (दिसंबर 2018) कि पुल का टूटा हुआ हिस्सा पाया 1 और पाया 2 (दूसरा छोर) के बीच था। समिति ने कहा कि क्षति गर्डर में निम्न गुणवत्ता के कंक्रीट कार्य के कारण हुआ था।

लेखापरीक्षा ने डीपीआर में डिज़ाइन का दोष पाया। डीपीआर के अनुसार, प्रतिरोधात्मकता हेतु पाया पाइल्स को चट्टानी परत के अंदर 0.6 मीटर तक गाड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हालाँकि, पाया 5 के पाइल की नींव, मिट्टी की परत में समाप्त होने के लिए डिज़ाइन की गयी थी जो चट्टानी परत से 1.973 मीटर ऊपर थी, जबकि अन्य पायों को वांछित गहराई तक गाड़ना था।

पुल निर्माण के दौरान पाया 5 के पाइल को चट्टानी परत में नहीं गाड़ने के कारण, दो ट्रकों के भार से पाइल के ध्वस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

पुल की क्षति के वास्तविक कारणों की जाँच और प्रतिवेदित करने के बजाय, मु.अ. ने, पाया पी1 और पाया पी2 के ऊपर के गर्डर को हुई क्षति को पुल ढहने का मुख्य कारण प्रतिवेदित किया। गलत सूचना देने का मुख्य उद्देश्य इस तथ्य को छिपाना था कि पाया 5 के पाइल को वांछित गहराई तक गाड़ने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था, जो पाया 5 के ध्वस्त होने तथा पुल के ढहने में सहायक हुआ तथा इसकी आगे जाँच की आवश्यकता है।

विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से का पुनर्निर्माण अभी संवेदक द्वारा कर दिया गया है तथा का.अभि., स.अभि. और क.अभि. को निलंबित एवं संवेदक को काली-सूचीबद्ध कर दिया गया है।

(iii) धनबाद में दामोदर नदी पर पुल का निर्माण

धनबाद जिला में, गांसाडीह-सुइयाडीह पथ को जोड़ने हेतु ₹ 4.41 करोड़ मूल्य पर दामोदर नदी पर एक पुल को टर्न-की आधार पर नवंबर 2010 तक पूर्ण करने हेतु लिया गया (मार्च 2009)। ₹ 1.64 करोड़ के व्यय के पश्चात, संवेदक ने का.अभि. को निजी भूमि उपलब्ध कराने हेतु एक अधिवक्ता-सूचना जारी किया (मार्च 2012), जो पुल के एक एबटमेंट (ए1), पहुँच स्लैब और पहुँच-पथ के निर्माण के लिए आवश्यक था। संवेदक को अनुबंध से (जुलाई 2012) कार्य-मुक्त कर दिया गया क्योंकि निजी भूमि का अधिग्रहण नहीं हो सका था।

का.अभि. और मु.अ. के बीच हुए पत्राचार (सितंबर 2012 और दिसंबर 2016) से लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी भूमि की आवश्यकता इस तथ्य के कारण उत्पन्न हुई थी कि संवेदक द्वारा प्रस्तुत सामान्य व्यवस्था संरेखन (जीएडी) में अनुमोदित (जनवरी 2010) पुल के स्थल को संवेदक द्वारा 730 मीटर ऊर्ध्वप्रवाह की ओर बदल दिया गया था। यह देखा गया कि मु.अ. ने संवेदक के जीएडी की तकनीकी स्वीकृति (जनवरी 2010) संवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी आँकड़ों के सत्यापन होने की शर्त पर दी थी। हालाँकि, का.अभि. ने न तो यह सुनिश्चित किया कि निर्माण अनुमोदित पुल-स्थल पर शुरू किया गया और न ही मामला के सामने आने तक पुल-स्थल में बदलाव की सूचना दी। इसका भी कोई प्रमाण नहीं था कि का.अभि. ने संवेदक द्वारा प्रस्तुत किसी भी आँकड़े को सत्यापित किया।

कार्य रुकने के तीन वर्ष बाद, मु.अ. के निर्देश पर बिरला तकनीकी संस्थान, मेसरा, राँची ने पुल-कार्य की जाँच की (जुलाई 2015) तथा एबटमेंट¹² में घटिया कार्य होने की सूचना दी (जनवरी 2016) और सीमेंट कंक्रीट से आवरण करने की सिफारिश की। ₹ 7.44 करोड़ मूल्य का एक संशोधित डीपीआर (₹ 1.64 करोड़ के पूर्व कार्य को सम्मिलित कर) परामर्शी द्वारा तैयार किया गया और मु.अ. द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया (मार्च 2016)।

संशोधित डीपीआर में, परामर्शी ने पुल की लंबाई 15 मीटर (256.72 मीटर से 271.72 मीटर) से बढ़ा दी और वर्तमान एबटमेंट (ए2) को परित्याग करने की सिफारिश की क्योंकि वर्षा ऋतु में नदी का पानी इससे परे निकल जाता है। परामर्शी ने घटिया

¹² पुल एबटमेंट एक संरचना होती है, जो पुल के पाट के सिरों पर पुल के डेक को जमीन से जोड़ता है, इसके वजन को रैखिक व उर्ध्व दोनों में सहारा देने में मदद करता है।

हुए कार्यों को हटाने हेतु वर्तमान एबटमेंट (ए1) और वर्तमान पायों- पी4 से पी8 तक के पाया-शॉफ्ट (ऊपरी तरफ से 2.5 मीटर) को ध्वस्त करने का भी सुझाव दिया। इस बीच (जून 2015), अंचल अधिकारी, धनबाद ने प्लॉट संख्या 640 पर पहुँच-पथ के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे दिया, परन्तु प्लॉट संख्या 963 के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई, जिसपर एबटमेंट (ए1) तथा पहुँच-स्लैब का निर्माण किया जाना था।

नई निविदा करने (फरवरी 2017) में, विभाग ने ₹ 4.89 करोड़ पर पुल का शेष कार्य उसी संवेदक को आवंटित कर दिया (मई 2017), जिसने पहले घटिया कार्य किया था। कार्य को नवंबर 2018 तक पूर्ण करना था। मापी पुस्तिका की जाँच से पता चला कि संवेदक ने पुनः अधिसंरचना में घटिया कार्य निष्पादित किया, जहाँ शॉफ्ट को ऊपरी तरफ से 2.5 मीटर ध्वस्त किए बिना पी4 से पी8 तक के पायों के ऊपर चार डेक स्लैब का निर्माण किया गया।



चित्र 2.15: धनबाद में गांसाडीह-सुइयाडीह पथ के बीच दामोदर नदी पर पुल में आंशिक रूप से निर्मित उपसंरचना पी9, पी11, पुराना ए2 (ध्वस्त होने वाला) एवं निर्माणाधीन एर

इस प्रकार, कार्य-स्थल में परिवर्तन, घटिया कार्यों का निष्पादन, ठप कार्यों का विलंब से पुनरारंभ करना इत्यादि कारणों से विभाग, कार्य प्रारंभ होने के 11 वर्षों से अधिक समय के बाद, पुल के माध्यम से सम्पर्क प्रदान करने में विफल रहा।

इससे पुल की संरचनात्मक स्थिरता से समझौता करने के अलावा ₹ 2.12 करोड़ की लागत बढ़ गयी।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार (फरवरी 2021) किया और कहा कि संबंधित अंचल अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए गए थे और कार्य प्रगति पर था।

(iv) धनबाद जिला में खुदिया नदी पर पुल का निर्माण

धनबाद के निरसा प्रखंड के अंतर्गत बैद्यनाथपुर और नूतन गाँव के बीच खुदिया नदी पर ₹ 6.76 करोड़ की लागत से पूर्ण (दिसंबर 2016) हुए एक पुल-कार्य में आठ डेक-

स्लैब के निर्माण के लिए छड़-बंधन अनुसूची के अनुसार 119.04 एमटी इस्पात की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि गलत आकलन के कारण परामर्शी ने 119.04 एमटी इस्पात की आवश्यकता के विरुद्ध डीपीआर में 69.98 एमटी का प्रावधान किया। इस कमी का पता नहीं चल पाया और तकनीकी स्वीकृति दे दी गई। निष्पादन के दौरान भी, आवश्यकता की पुनर्जांच हेतु कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

फलस्वरूप, मापी पुस्तिका में आवश्यक 119.04 एमटी मात्रा के विरुद्ध केवल 73.18 एमटी इस्पात के उपयोग को दिखाया गया था। इस प्रकार, अधिरचना कार्य में इस्पात की कम मात्रा के उपयोग के परिणामस्वरूप घटिया कार्य हुआ और पुल की मजबूती से समझौता किया गया।

विभाग ने सहमति जताई (फरवरी 2021) कि नींव एवं अधिरचना में इस्पात के आकलन में त्रुटि थी। हालाँकि, डीपीआर को न तो सुधारा/संशोधित किया गया और न ही अधिरचना में इस्पात की मात्रा को ठीक से मापा एवं दर्ज किया गया।

(v) गुमला जिला में कांस नदी पर पुल का निर्माण

गुमला के सिसई प्रखंड में कांस नदी पर सात पाटों वाला एक पुल ₹6.61 करोड़ की लागत से जून 2018 में पूर्ण हुआ। पुल के डीपीआर की लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि अनुमोदित (मार्च 2016) सामान्य व्यवस्था संरेखन (जीएडी) में, परामर्शी ने सभी आठ नीवों (छः पायों एवं दो एबटमेंट) हेतु खुली नीव का प्रस्ताव दिया था। कार्य निष्पादन के दौरान, का.अभि., आरडीएसडी, गुमला ने मिट्टी के परतों में परिवर्तन की सूचना दी और फलस्वरूप, मु.अभि. ने, एक पत्र के माध्यम से बिना किसी संशोधित जीएडी के, पाया 3 एवं पाया 4 को खुली नीव से पाईल नीव में परिवर्तन का अनुमोदन किया (नवंबर 2017)।

का.अभि., आरडीएसडी, गुमला के कार्यालय में पुल की संचिका की जाँच से पता चला कि परामर्शी ने तीन पायों (पी1, पी2, एवं पी3) हेतु पाईल नीव की अनुसंशा करते हुए एक संशोधित जीएडी (अदिनांकित) प्रस्तुत किया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परामर्शी की अनुसंशा के विपरीत, पाया 1 एवं पाया 2 में पाईल नीव के बदले खुली नीव और पाया 4 में खुली नीव के बदले पाईल नीव दी गई थी।

आगे, दो पायों (पी1 एवं पी2) की नीव की गहराई कम (पी1 के लिए 4.2 मीटर और पी2 के लिए 1.9 मीटर) की गई थी। उप-मृदा की प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन से यह भी देखा गया था कि पी1 एवं पी2 की निष्पादित नीव की गहराई मिट्टी में ही समाप्त हो गई थी। इन दोनों पायों की नीव अधिकतम अतिसार की गहराई से भी ऊपर थी। पी2

की नींव का मिट्टी में समाप्ति तथा दोनों पायों का अधिकतम अतिसार की गहराई से ऊपर होना आईआरसी-78 के अनुच्छेद 705.2 के विरुद्ध है, जो कहता है कि मिट्टी में खुली नींव की न्यूनतम गहराई, सुरक्षित वहन क्षमता वाले परत तक होगा परन्तु अतिसार स्तर के 2.0 मीटर से कम नहीं।

इस प्रकार, आवश्यकता से कम गहराई के अलावा परामर्शी के डिजाइन के विपरीत पुल के पायों की नींव के प्रकार में परस्पर परिवर्तन से पानी के अधिकतम डिजाइन प्रवाह अथवा अधिकतम भार की स्थिति में पुल के ढहने/ क्षतिग्रस्त होने के जोखिम से युक्त है।

विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि संबंधित कार्य की नींव के प्रकार में परिवर्तन निष्पादन के दौरान कार्य-स्थल की आवश्यकतानुसार जरूरी तथा पुल की सुरक्षा हित में था। जवाब संतोषजनक नहीं था क्योंकि विभाग ने कार्य शुरू करने से पहले वास्तविक कार्य-स्थल की स्थिति के अनुसार न तो किसी जीएडी का अनुमोदन किया और न ही परामर्शी द्वारा प्रस्तुत जीएडी का पालन किया।

(vi) कोडरमा जिला में सकरी नदी पर पुल का निर्माण

कोडरमा जिला में, घोरसीमर एवं मोदीडीह पथ के बीच संपर्क प्रदान करने हेतु ₹ 20.88 करोड़ की लागत से सकरी नदी पर 32 पाटोंवाला एक पुल का निर्माण शुरू हुआ (मार्च 2012)। पुल ₹ 20.52 करोड़ के व्यय के पश्चात पूर्ण हुआ (अक्टूबर 2016)। परामर्शी ने 31 पायों (प्रत्येक पाइल की लंबाई 25 मीटर) एवं दो एबटमेंट (प्रत्येक पाइल की लंबाई 27 मीटर) की नींव के कार्य में 136 पाइलों (प्रत्येक पायों में चार पाइल और प्रत्येक एबटमेंट में छह पाइल) का प्रावधान किया था।

अधि.अभि. द्वारा पुल कार्य के निरीक्षण (जनवरी 2013) के दौरान, का.अभि. ने डिजाइन गहराई तक चट्टानी परत के अभाव के बारे में बताया। अधि.अभि. ने निर्देश दिया कि कठोर चट्टान में गाड़ने के उपरांत ही पाइलों की ढलाई की जानी चाहिए। मापी पुस्तिका की जाँच से पता चला कि तीन पायों (पी1, पी2 और पी10) और दो एबटमेंट (ए1 और ए2) के 15 पाइलों में, पाइलों की गहराई डिजाइन गहराई (पायों के लिए 25 मीटर और एबटमेंट के लिए 27 मीटर) से कमतर थी (एक मीटर और 14.94 मीटर के बीच)। इस प्रकार, इन मामलों में कठोर चट्टानी परतों में पाइलों को गाड़ना सुनिश्चित नहीं किया गया था चूँकि पाइलिंग को डिजाइन गहराई तक भी नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पी14 की पाइल संख्या 3 एवं पी15 की गहराई 27.03 मीटर थी। परन्तु, इन दोनों पाइलों में आरसीसी कार्य (27.03 मीटर तक), पी14 के लिए 19.95 मीटर और पी15 के लिए 14.80 मीटर की मापी पर ऊर्ध्व सुदृढीकरण करने (इस्पात की छड़ देकर) के पश्चात किया गया। इसके परिणामस्वरूप

इन दोनों पाइलों में कम ऊर्ध्व सुदृढीकरण (पी14 में 7.08 मीटर और पी15 में 12.23 मीटर) हुआ।

पाइलों के वांछित गहराई तक नहीं गड़ने के तथा (पाइलों में) कमतर ऊर्ध्व सुदृढीकरण के परिणामस्वरूप, कार्य घटिया हुआ और पुल की मजबूती से समझौता किया गया, जो उच्चतर भार अथवा अधिकतम डिजाइन बहाव की स्थिति में ढह या क्षतिग्रस्त हो सकता है।

विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि कार्य-स्थल की स्थिति के अनुसार ही कार्य निष्पादित किया गया और मापी पुस्तिका में ऊर्ध्व सुदृढीकरण की लंबाई दर्ज करने में त्रुटि हुई। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीआर को कार्योत्तर पुनरीक्षित नहीं किया गया और अनुशंसा की कि ध्वनि प्रमाणिकता जाँच का उपयोग कर, पाइलों की गहराई एवं ऊर्ध्व सुदृढीकरण को जाँचा जा सकता है, जैसा कि पलामू में ढहे पुलों के कारणों की जाँच के समय किया गया था।

2.1.3.5 संवेदकों को अधिक भुगतान

(i) धनबाद जिला में, गांसाडीह-सुइयाडीह पथ में दामोदर नदी पर अधूरे पुल की मापी पुस्तिका की जाँच तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2019) से पता चला कि मापी पुस्तिका में दर्ज कुल नौ पाटों में से स्थल पर केवल आठ पाट वास्तव में निर्मित किए गए थे। इस प्रकार, एक पाट की अधिसंरचना (पी5-पी6) के लिए मापी पुस्तिका में इस्पात (14.965 एमटी) की खपत एवं कंक्रीट कार्यों (83.98 क्यूबिक मीटर) को दो बार दर्ज करने के कारण संवेदक को ₹ 13.12 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जो वसूलनीय है।

(ii) गुमला एवं कोडरमा जिलों में, दो पुल-कार्यों की मापी पुस्तिकाओं की जाँच से पता चला कि दो पुलों में उपसंरचना एवं अधिसंरचना कार्यों के लिए विस्तृत मापी (197.56 एमटी) से सार मापी (240.25 एमटी) की मापी पुस्तिका में पिछला जोड़ के रूप में इस्पात सुदृढीकरण कार्य (42.69 एमटी) की अतिरिक्त मात्रा को आगे लाया गया। इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को ₹ 28.91 लाख का अधिक भुगतान किया गया, जो वसूलनीय है।

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि धनबाद के संबंध में अधिक भुगतान की वसूली हो गई है। हालाँकि, गुमला एवं कोडरमा में अधिक भुगतान के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया था।

2.1.3.6 क्षतिपूर्ति की कम उगाही

एफर अनुबंध प्रपत्र के अनुच्छेद 2 के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य करने हेतु निर्धारित समय का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। संवेदक, प्रत्येक दिन के हिसाब से संपूर्ण कार्य की अनुमानित लागत का 0.5 प्रतिशत के बराबर की राशि, जो निर्धारित तिथि के बाद कार्य शुरू नहीं होता है अथवा अधूरा रहता है, क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान करेगा तथा अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत, भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति की संपूर्ण राशि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

छ: नमूनीकृत जिलों में, नमूना-जाँचित 57 में से 13 कार्यों में का.अभि. ने कार्यों के विलंब (छ: महीने एवं 57 महीनों के बीच) से निष्पादन के लिए ₹ 6.83 करोड़ की देय राशि के विरुद्ध उपर्युक्त प्रावधान का उल्लंघन करते हुए संवेदकों के विपत्रों से ₹ 2.62 करोड़ की क्षतिपूर्ति काटा। इसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान करने के अलावा ₹ 4.21 करोड़ की क्षतिपूर्ति की कम उगाही हुई।

विभाग ने, न तो कार्यों को विलंब से पूर्ण करने हेतु संबंधित अनुबंध की शर्तों को लागू नहीं करने के कारणों को स्पष्ट किया और न ही शेष क्षतिपूर्ति राशि को वसूल किया जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था।

2.1.4 निष्पादनोपरांत पुलों का रखरखाव


पुल के रखरखाव एवं निरीक्षण हेतु आईआरसी-एसपी 18 मैनुअल, संबंधित कार्य प्रमंडल द्वारा एक पुल-पंजी संधारित करने की आवश्यकता निर्धारित करता है, जिसमें पुलों की विभिन्न संरचनाओं (नींव, उप-संरचना एवं अधिसंरचना) का विवरण तथा अभियंता द्वारा उनके विशिष्ट ध्यान क्षेत्रों के लिए वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदन को दर्ज करना आवश्यक है।

पुलों की न्यूनतम उपयोगी काल लगभग 30 वर्ष होता है। विभाग ने 2002-19 के दौरान मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत 1,673 पुलों का निर्माण किया। हालाँकि, 2014-19 के दौरान इन पुलों की मरम्मत एवं रखरखाव के लिए कोई निधि प्रदान नहीं की गई थी। इसके विपरीत, विभाग प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत, मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों के लिए पुल की लागत का लगभग 2.4 प्रतिशत प्रदान करता है। यद्यपि दोनों योजनाएं, जो पुलों के निर्माण में शामिल हैं, एक ही विभाग द्वारा प्रबंधित हैं, इन दोनों योजनाओं को क्रियान्वित करने में कोई एकरूपता नहीं है। आगे, नमूना-जाँचित किसी भी प्रमंडल में पुल-पंजी संधारित नहीं थी, जबकि यह आवश्यक था।

विभाग द्वारा मरम्मत एवं रखरखाव के अभाव में उत्पन्न हुई पुलों की भौतिक स्थितियों का पता लगाने के लिए, लेखापरीक्षा ने नवंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच छ:

नमूना-जाँचित प्रमंडलों के अभियंताओं के साथ नमूनीकृत 57 में से 38 पुलों (20 पूर्ण एवं 18 अधूरे) का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। इन 20 पूर्ण पुलों के संबंध में पायी गयी भौतिक खामियाँ (परिशिष्ट 2.1.4) निम्नानुसार हैं (नीचे दी गई तस्वीरों में भी दिखायी गयी है):

- छ: पुलों की नींव में अतिसार के कारण तत्काल मरम्मत एवं रखरखाव की आवश्यकता थी;
- चार पुलों में, विस्तार-जोड़ एवं वेयरिंग कोट में टूट-फूट पायी गयी;
- दो पुलों में, पहुँच-स्लैब के आरसीसी कार्यों में दरारें पायी गयी;
- एक पुल का इलास्टोमेरिक बेयरिंग क्षतिग्रस्त था;
- आठ पुलों के पहुँच पथ अथवा प्रवेश/निकास बिंदुओं पर फ्लैक क्षतिग्रस्त हैं, जो इन्हें दुर्घटना-प्रवृत्त बनाते हैं।



चित्र 2.16: पलामू जिला के पांकी प्रखंड में सरैया-झलखंडी के बीच अमानत नदी पर पुल के पहुँच स्लैब के पास फ्लैक में बहा हुआ पहुँच

चित्र 2.17: कोडरमा जिला के सतगावां प्रखंड में मर्चौड़ और बासोडीह के बीच सकरी नदी पर पुल की नींव में अतिसार के कारण दिखाई दे रही पाइल-कैप



चित्र 2.18: सरायकेला जिला के ईचागढ़ प्रखंड के खोकरो-करकीडीह पथ के बीच स्वर्णरेखा नदी पर पुल में विस्तार- जोड़ की अनुपस्थिति

चित्र 2.19: सरायकेला जिला के ईचागढ़ प्रखंड के खोकरो-करकीडीह पथ के बीच स्वर्णरेखा नदी पर पुल में टूटी स्लैब

जवाब में, विभाग ने कहा (फरवरी 2021) कि का.अभि. को मरम्मत एवं रखरखाव की आवश्यकता का पता लगाने हेतु पूर्ण पुलों का एक सर्वेक्षण करने का निर्देश जारी किया गया है।

2.1.5 निष्कर्ष

विभाग ने योजना शुरू होने के 19 वर्ष बाद भी न तो कोई परिचालन दिशानिर्देश तैयार किया और न ही ग्रामीण सड़कों में अपाटित कमियों का, जहां पुल निर्माण की आवश्यकता थी, आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया। प्र.मं.ग्रा.स.यो. के तहत ग्रामीण सड़क नेटवर्क में कमियों की सूचना के साथ तैयार जि.ग्रा.स.यो. का भी उपयोग नहीं किया गया। यद्यपि विभाग ने परिपत्र/ पत्रों के माध्यम से योजना के प्रबंधन हेतु निर्देश जारी किए थे, इनका पालन नहीं किया गया।

योजना के तहत पुलों का चयन, उनकी व्यवहार्यता की जाँच अथवा जि.ग्रा.स.यो. के अपाटित कमियों को विचारित किए बिना सांसदों/ विधायकों/ अन्य लोगों की सिफारिशों पर किया गया। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा मु.अ. कार्यालय में गूगल अर्थ नक्शे के माध्यम से जाँचित 31 में से 20 पुलों के किसी भी ओर कोई संपर्क-पथ नहीं थे। इसी प्रकार, नमूना जाँचित छः जिलों में नमूनीकृत 57 से 26 पुल जि.ग्रा.स.यो. के बाहर थे, छः को उन स्थानों पर लिया गया था, जहां एक किमी के अंदर प्र.मं.ग्रा.स.यो./ प.नि.वि. अथवा मु.मं.ग्रा.से.यो. के तहत निर्मित पुल समान/ नजदीकी पर्यावासों को जोड़ने हेतु पूर्व से स्थित थे तथा छः पुलों को नगरपालिका क्षेत्रों में लिया गया था। इस प्रकार, पुल चयन में कमियों से गाँवों को ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतों को प्रखंडों और प्रखंडों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने का योजना का अधिदेश विखंडित हुआ।

मार्च 2019 तक राज्य में 208 अधूरे पुल-कार्यों में से, 39 पुल उनके पूर्ण होने की निर्धारित तिथियों से छः महीने से साढ़े नौ वर्ष पूरा होने के बाद तक भी पूरे नहीं किए जा सके। विभाग ने, गाँवों/ पंचायतों/ प्रखंडों को संपर्क प्रदान करने के इच्छित लाभों को साकार किए बिना, मार्च 2019 तक इन पुलों पर ₹ 144.74 करोड़ का व्यय किया।

विभाग के पास डीपीआर तैयार करने के लिए परामर्शियों की नियुक्ति हेतु कोई परिचालन दिशानिर्देश नहीं था। इसने आठ परामर्शियों को सूचीबद्ध किया और नए परामर्शियों के प्रवेश की कोई संभावना छोड़े बिना, उनकी नियुक्ति की अवधि को खुला-अंत वाला रखा। नमूना-जाँचित जिलों में, 2014-19 के दौरान 57 नमूनीकृत मामलों में परामर्शी, डीपीआर तैयार करने से पूर्व पीपीआर तैयार करने, जो आवश्यक थे, की अनुबंध बाध्यता से वंचन में समर्थ रहे। इन मामलों में, कोई जुर्माना नहीं लगाया गया, बल्कि डीपीआर के भुगतान के साथ-साथ, पीपीआर के लिए ₹ 1.68 करोड़ का भुगतान अग्रिम में ही किया गया था।

जबकि परामर्शियों पर विभागीय नियंत्रण सतही था, मु.अ. कार्यालय में तकनीकी सहायता प्रणाली के अभाव में तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व डीपीआर की जाँच बंद थी। अतः परामर्शियों द्वारा प्रस्तुत पुलों के संरेखण एवं डिजाइन में दोषों का पता लगाने एवं सुधारने अथवा संभवित गुण परिवर्धन हेतु पेशेवर तथा तकनीकी इनपुट अनुपस्थित था।

परामर्शियों ने आवश्यक भू-तकनीकी जाँच, जल-विज्ञान संबंधी सर्वेक्षण और यातायात आँकड़ों का विश्लेषण नहीं किया। छः नमूना-जाँचित जिलों में 42 नमूनीकृत पुल-कार्यों के उप-मृदा विश्लेषण के लिए आवश्यक 510 बोरहोल के विरुद्ध परामर्शियों ने केवल 336 बोरहोल खोदे, परिणामस्वरूप बोरिंग 174 संख्या से कम हुई। परिणामस्वरूप, इन 42 पुल कार्यों में से, ₹ 52.12 करोड़ की लागत से निर्मित आठ पुल पूर्णरूपेण अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गये। उसी प्रकार, छः पुलों की डिजाइन करते समय, विभिन्न परामर्शियों ने एक ही नदी का भिन्न डिजाइन प्रवाह निकाला। पहुँच-पथों के डिजाइन करने में, परामर्शियों ने 16 पुलों के प्रवेश/ निकास बिंदु पर तीखे मोड़ (90 डिग्री तक) दे दिए तथा 28 पुल-कार्यों में पहुँच की चौड़ाई, पुलों की चौड़ाई की तुलना में कम (3.75 मीटर से 4.1 मीटर तक) कर दिया। परामर्शियों ने 32 नमूनीकृत पुल-कार्यों में इस्पात की व्याप्ति एवं अपव्यय के लिए पाँच प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप संवेदकों को अनुचित लाभ मिला।

परामर्शियों द्वारा दोषपूर्ण संरेखण एवं डिजाइन तैयार करने तथा मु.अ. द्वारा अनुमोदित करने के कारण 13 पुल-कार्यों में घटिया काम हुआ। फरवरी 2007 एवं अगस्त 2016 के बीच ₹ 67.39 करोड़ की लागत से आठ जिलों में निर्मित ये पुल अगस्त 2014 एवं सितंबर 2019 के बीच क्षतिग्रस्त हो गए अथवा ढह गए थे। 57 नमूनीकृत पुल-कार्यों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि छः पुलों में ₹ 52.07 करोड़ का घटिया काम निष्पादित हुआ, जिसके लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं हुई थी। निविदा तथा इकरारनामा दस्तावेज संवेदकों के पक्ष में भरे गए थे यथा- दोष दायित्व की अवधि में कमी इत्यादि।

2002-19 के दौरान विभाग ने 1,673 पुलों का निर्माण किया परन्तु पूर्ण पुलों की मरम्मत एवं रखरखाव हेतु कोई निधि आवंटित नहीं की। पूर्ण पुलों के सावधिक रखरखाव के अभाव में, लेखापरीक्षा ने 20 पूर्ण पुलों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि पुलों की नींव में अतिसार, विस्तार जोड़ तथा वेयरिंग कोट में टूट-फूट, आरसीसी कार्यों में दरार तथा इलास्टोमेरिक बेयरिंग में क्षति, रेलिंग, फुटपाथ, पहुँच-पथ और फ्लैक आदि में क्षति पहुँची थी। इन क्षतियों से दुर्घटनाओं का जोखिम बना रहता है और इससे पुल ढह भी सकती है।

2.1.6 अनुशंसाएँ

- विभाग को कार्य के घटिया निष्पादन, डिजाइन में दोषों, निष्फल/ बेकार व्यय तथा पुलों की क्षति/ ढहने के लिए जिम्मेदार संवेदकों/ परामर्शियों एवं अभियंताओं पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए तथा उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई करनी चाहिए।
- विभाग को योजना के लिए, प्र.मं.ग्रा.स.यो. एवं अन्य योजनाओं की अच्छी पद्धतियों को शामिल करते हुए, परामर्शियों की नियुक्ति हेतु एक परिचालन दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए। डीपीआर पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व डिजाइन, संरेखन एवं प्राक्कलनों के उचित पुनरीक्षण हेतु मु.अ. के कार्यालय में एक तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित की जानी चाहिए।
- विभाग को प्राक्कलनों में इस्पात के अधिक प्रावधान के कारण राज्य में संवेदकों को किए गए अधिक भुगतान का आकलन करना चाहिए तथा उसकी वसूली हेतु कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। प्राक्कलनों में हुए अधिक प्रावधान का पता लगाने में विफल रहे कर्मियों पर भी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।
- विभाग को राज्य के सभी पुलों का सुरक्षा अंकेक्षण करना चाहिए तथा आवश्यक मरम्मति एवं रखरखाव कार्य करना चाहिए। पुल-पंजी को संधारित किया जाना चाहिए तथा मरम्मति का कार्यक्रम दर्ज करना चाहिए। प्रत्येक पुल की भार-वहन क्षमता को उसके प्रवेश/ निकास बिंदु पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

2.2 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

पथ निर्माण विभाग

2.2.1 कपटपूर्ण भुगतान

फर्जी बैंक जमानत तथा संदेहास्पद मुख्तारनामा के आधार पर कार्य आवंटन होने के कारण ₹ 13.24 करोड़ का कपटपूर्ण भुगतान तथा सरकारी धन का नुकसान हुआ।

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), झारखण्ड सरकार ने पथ प्रमंडल, गोड्डा के अधीन पड़नेवाले (i) फिरोजपुर-भागाई पथ तथा (ii) बजीदपुर-खिरौंधी लिंक पथ सहित मेहरमा-वाजिदपुर-बुधासन (झारखण्ड-बिहार सीमा) पथ (कुल लंबाई- 22.44 किमी), के पुनर्निर्माण हेतु ₹ 72.49 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (अक्टूबर 2016) तथा प्रशासनिक स्वीकृति (मई 2017) दी। ₹ 57.36 करोड़ के बोली मूल्य के निविदा पर (मई 2018), विभागीय निविदा समिति (वि.नि.स.) ने बोली मूल्य के 10 प्रतिशत नीचे ₹ 51.62 करोड़ पर कार्य एक संवेदक (यूनिक कंस्ट्रक्शन, सूरत, गुजरात) को आवंटित (जुलाई 2018) किया। कार्यपालक अभियंता (का.अभि.), पथ प्रमंडल, गोड्डा ने ₹ 51.62 करोड़ पर कार्य को 18 महीने में अर्थात् फरवरी 2020 तक पूरा करने के लिए संवेदक के मुख्तारनामा धारक के साथ (अगस्त 2018) एक इकरारनामा क्रियान्वित किया।

संवेदक ने अगस्त 2018 में काम शुरू किया और जुलाई 2019 में बिना कोई कारण बताए इसे बंद कर दिया। संवेदक को अनुस्मारकों के बावजूद कार्य पुनः शुरू नहीं करने के कारण का.अभि. ने अनुबंध को रद्द कर दिया (10 अक्टूबर 2019) एवं ₹ 4.38 करोड़ मूल्य के कार्य की अंतिम मापी ली (2 नवंबर 2019)। इस बीच, का.अभि. ने किये गए आंशिक कार्य के विरुद्ध संवेदक को ₹ चार करोड़ ब्याज मुक्त मोबिलाइजेशन अग्रिम (अगस्त 2018) सहित ₹ 7.65 करोड़ का भुगतान (सितंबर 2019 तक) कर दिया। लेखापरीक्षा ने संवेदक की कुल देयता की गणना की और पाया कि फरवरी 2020 तक मोबिलाइजेशन अग्रिम के ₹ 3.34 करोड़ सहित ₹ 13.24 करोड़ की वसूली नहीं हुई है। इनमें से, बैंक जमानत (बीजी) के नकदीकरण के द्वारा ₹ 5.60 करोड़ की वसूली संदिग्ध है क्योंकि मुख्तारनामा धारक द्वारा बोली सुरक्षा, प्रदर्शन सुरक्षा और मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त करने हेतु जमा की गई तीन बीजी, लेखापरीक्षा द्वारा जारीकर्ता बैंक से सत्यापन करने पर, फर्जी पाये गए थे। इसके अलावा, मुख्तारनामा के फर्जी होने का संदेह था क्योंकि संवेदक ने, जिसके नाम पर यह कथित रूप से जारी हुआ था, इसके स्वामित्व से इंकार कर दिया था। पथ प्रमंडल, गोड्डा में लेखापरीक्षा जाँच (अक्टूबर 2019 एवं जनवरी 2020 के बीच) से निम्नलिखित अनियमितताओं का खुलासा हुआ:

(i) फर्जी बैंक जमानत (बीजी) जमा करना

झा.लो.नि.(विभागीय) संहिता के परिशिष्ट अ के नियम 54 में प्रावधानित है कि संबंधित प्रमंडलों के का.अभि. विशेष दूतों को लगा कर संवेदकों द्वारा प्रस्तुत बीजी को जारीकर्ता बैंक से भौतिक रूप से सत्यापित करेंगे। अभियंता प्रमुख (अभि.प्र.), प.नि.वि., ने भी सभी का.अभि. को संवेदकों द्वारा प्रस्तुत बीजी की प्रमाणिकता को सत्यापित करने का निर्देश दिया था (मार्च 2014)।

बोलीकर्ताओं के निर्देशों (आई.टी.बी) का अनुच्छेद 23.4(i) निर्धारित करता है कि प्रतिभागी संवेदकों द्वारा प्रस्तुत बोलियाँ केवल जारीकर्ता बैंक से प्रतिभूतियों के सत्यापन के उपरांत वि.नि.स. द्वारा मूल्यांकन हेतु विचार किया जाएगा। बीजी के रूप में प्रस्तुत प्रतिभूतियाँ शर्तविहीन होंगी और झारखण्ड राज्य में स्थित एसबीआई/ राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक के किसी भी शाखा से जारी हो सकती हैं तथा नियोक्ता को स्वीकार्य होंगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संवेदक के मुख्तारनामा धारक द्वारा प्रस्तुत बीजी कथित रूप से ₹ 100 स्टाम्प पेपर पर देना बैंक, रस्ता, सूरत, गुजरात के नाम पर जारी (जून से अगस्त 2018 के बीच) किया गया था, जिसकी वैधता लगभग एक साल पहले (सितंबर 2017) समाप्त हो गई थी। इन बीजी पर जारीकर्ता बैंक के शाखा कोड के बारे में कोई सूचना नहीं थी तथा उस पर संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक की आधिकारिक ईमेल आईडी के बजाय एक निजी ईमेल आईडी का उल्लेख था। इस प्रकार, यद्यपि इस बात के पर्याप्त संकेत थे कि बीजी नकली हो सकते हैं तथा झा.लो.नि.वि. संहिता एवं अभि.प्र. के निर्देशों (मार्च 2014) के अनुरूप नहीं थे, तत्कालीन का.अभि. द्वारा निविदा मूल्यांकन, इकरारनामा क्रियान्वयन अथवा मोबिलाइजेशन अग्रिम भुगतान से पहले विश्वसनीय स्रोतों से बीजी को भौतिक रूप से सत्यापित नहीं किया गया जिसका कोई औचित्य प्रमंडल की कार्य संचिका में दर्ज नहीं था। इसके अलावा, मुख्य अभियंता (मु.अभि.) तथा अभि.प्र., जो क्रमशः वि.नि.स. के सदस्य एवं अध्यक्ष थे, ने निविदा का मूल्यांकन आई.टी.बी के अनुच्छेद 23.4(i) का उल्लंघन करते हुए असत्यापित बीजी के आधार पर किया जिसका कारण अभिलेख में उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने बीजी को उसकी विश्वसनीयता सत्यापित करने हेतु आरबीआई, झारखण्ड तथा उसकी प्रतिलिपि तत्कालीन देना बैंक (अब बैंक ऑफ बड़ौदा में विलयित) को भेजा (अक्टूबर 2019)। आरबीआई तथा बैंक ऑफ बड़ौदा ने समुचित सत्यापन के पश्चात लेखापरीक्षा को सूचित किया (नवंबर 2019) कि ₹ 5.60 करोड़ राशि के सभी तीन बीजी नकली थे क्योंकि देना बैंक की रस्ता शाखा अस्तित्व में थी ही नहीं तथा देना बैंक की तत्कालीन अन्य शाखाओं में से किसी ने भी इस प्रकार की बीजी जारी नहीं

की थी। बैंक ने लेखापरीक्षा को यह भी सूचित किया कि इनमें से कोई बीजी, यदि प्रस्तुत किए जाएं, तो भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(ii) संदेहास्पद मुख्तारनामा के आधार पर निविदा का आवंटन

- आई.टी.बी के अनुसार, संवेदकों को, जो झारखण्ड राज्य में पंजीकृत नहीं हैं, स्वीकृति पत्र (एलओए) प्राप्त होने के दो महीने के भीतर प.नि.वि., झारखण्ड के तहत पंजीकरण कराना होगा।

यद्यपि एलओए जारी करते समय (जुलाई 2018) संवेदक झारखण्ड में पंजीकृत नहीं था, तथापि अभि.प्र. ने आई.टी.बी के उल्लंघन में दो महीने (सितंबर 2018) के भीतर संवेदक को प.नि.वि., झारखण्ड के तहत पंजीकृत नहीं किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि संवेदक ने पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया और अभि.प्र. ने अनुबंध के समापन तक उसका पंजीकरण नहीं किया था।

- संवेदक पंजीकरण नियम (सं.पं.नि.) 2008 (प.नि.वि.) की कंडिका 6.3 निर्धारित करती है कि यदि किसी कार्य को मुख्तारनामा के माध्यम से निष्पादित किया जाना है, तो पंजीकरण अधिकारी (अभि.प्र.) द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायगा।

यद्यपि संवेदक (कार्यान्वयक) ने अपने बदले कार्य के निष्पादन हेतु एक मुख्तारनामा, कथित तौर पर, गोड्डा जिले के निष्पादक (श्री राजेश कुमार मंडल) के पक्ष में दिया था, अभि.प्र. ने न तो मुख्तारनामा की प्रामाणिकता को सत्यापित किया, न ही कोई पहचान पत्र जारी किया जो सं.पं.नि. 2008 का उल्लंघन है। अभि.प्र. ने यह भी सत्यापित नहीं किया कि संवेदक के पंजीकरण के बिना मुख्तारनामा धारक कैसे काम जारी रखा।

संवेदक ने भी विभाग को सूचित किया (अक्टूबर 2019) कि उसने झारखण्ड में किसी को भी मुख्तारनामा नहीं दिया है और न ही संवेदक के स्वामित्व वाली कंपनी के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रकार, फर्जी बीजी एवं फर्जी होने का संदेहास्पद मुख्तारनामा के आधार पर निविदा का आवंटन तथा इकरारनामा का क्रियान्वयन पर आगे जाँच की आवश्यकता है।

(iii) भुगतान आई.डी का अनधिकृत निर्माण

लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा दस्तावेजों के अनुसार, संवेदक का पैन नंबर XXXXX1234X (21 नवंबर 2001 को जारी) था लेकिन तत्कालीन का.अभि. द्वारा मुख्तारनामा धारक (निष्पादक) को भुगतान करने हेतु पैन YYYYY1234Y का उपयोग कर भुगतान आई.डी बनाया गया था। इस प्रकार, पैन के दो सेटों का उपयोग किया

गया था, पहला कार्य के आवंटन हेतु तथा दूसरा मुख्तारनामा के बैंक खाता में ₹ 7.65 करोड़ का भुगतान करने हेतु।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर (सितंबर 2019), अभि.प्र. के आदेशों के तहत मुख्तारनामा धारक द्वारा संचालित बैंक खाता निष्क्रिय कर दिया गया (नवंबर 2019) और मुख्तारनामा धारक एवं दो अन्य व्यक्तियों, जो उक्त बैंक खाते का संचालन कर रहे थे, के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज किया गया (फरवरी 2020)।

(iv) मोबिलाइजेशन अग्रिम का अनियमित भुगतान

अनुच्छेद 61 के साथ पठित अनुबंध अनुच्छेद 51.2 में परिकल्पित था कि संवेदक को अग्रिम भुगतान का उपयोग कार्यों के निष्पादन हेतु केवल विशेष रूप से आवश्यक उपकरण, संयंत्र एवं मोबिलाइजेशन व्यय के भुगतान करने के लिए करना चाहिए। अनुबंध पर प्रतिबंध की स्थिति में, कार्य स्थल पर सभी सामग्रियों, संयंत्र, उपकरण एवं अस्थायी कार्य को नियोक्ता की संपत्ति मानी जाती है, अर्थात् विभाग की।

लेखापरीक्षा ने पाया कि संवेदक ने ₹ चार करोड़ के मोबिलाइजेशन अग्रिम प्राप्त करने के उपरान्त संयंत्र, उपकरण तथा कार्य निष्पादन हेतु प्रयुक्त जन-शक्ति का न तो कोई विवरण दिया और न ही का.अभि. ने ऐसा कोई विवरण दर्ज किया था।

प्रमंडल के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा द्वारा कार्य-स्थल का संयुक्त भौतिक सत्यापन (19 अक्टूबर 2019) के दौरान बिना संयंत्र की एक प्रयोगशाला एवं टूटी-फूटी हालत में एक मिक्सर मशीन के अलावा कोई भी संयंत्र एवं मशीनरी नहीं पाई गई। मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान के बाद कार्य स्थल पर कोई भी संयंत्र और मशीनरी का न होना अनुबंध अनुच्छेद 61 एवं 51.2 का उल्लंघन था तथा जो तत्कालीन कनि.अभि, सहा.अभि और का.अभि का मुख्तारनामा धारक के साथ मिलीभगत का संकेत करता है तथा इसकी आगे जाँच की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने धोखाधड़ी को उपयुक्त कार्रवाई हेतु सचिव, प.नि.वि. को प्रतिवेदित (29 नवंबर 2019) किया। सचिव, प.नि.वि. ने अभि.प्र. एवं का.अभि. को निलंबित कर दिया (जनवरी 2020) तथा धोखाधड़ी में संलिप्त दोषी अधिकारियों /संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया (जनवरी 2020)। तदनुसार, अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दुमका ने फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिये मुख्तारनामा धारक तथा बैंक खाता, जिसमें भुगतान किया गया था, के संचालन में शामिल दो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाया (फरवरी 2020)। निविदा मूल्यांकन में खामियों और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुख्तारनामा धारक को मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान के लिए तत्कालीन का.अभि. तथा भुगतान करने के लिए वर्तमान का.अभि. के विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की गई। फर्जी बीजी जमा करने के लिये यूनिक कंस्ट्रक्शन के विरुद्ध भी

एक पृथक प्राथमिकी दर्ज की गई। विभाग ने सभी का.अभि. को मु.अभि.(संचार) को सूचित करते हुए, संवेदकों द्वारा प्रस्तुत सभी बीजी तथा उनके पंजीकरण का विवरण को भौतिक रूप से सत्यापित करने के लिए निर्देश भी दिए (फरवरी 2020)।

विभाग को मामले की सूचना, धोखाधड़ी में संलिप्त व्यक्तियों से बकाया ₹ 13.24 करोड़ की वसूली हेतु अंतिम विपत्र तैयार करने के लिए दी गई थी (अप्रैल 2020)। वसूली अभी प्रतीक्षित है (जनवरी 2021)।

2.2.2 परिहार्य व्यय

पथ निर्माण विभाग द्वारा ह.क.च. सड़क के एक हिस्से के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य तथा साथ ही उसी सड़क के डीपीआर तैयार करने की अविवेकपूर्ण स्वीकृति देने के कारण फिर से अलकतरा बिछाने के कार्य पर ₹ 5.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

पथ निर्माण विभाग (प.नि.वि.), झारखण्ड ने झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (झा.रा.रा.प्रा.) के माध्यम से 0 किमी से 54 किमी में हजारीबाग-कटकमसांडी-चतरा (ह.क.च.) सड़क (53.97 किलोमीटर) के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति (मार्च 2013) दी। झा.रा.रा.प्रा. द्वारा एक परामर्शी के साथ तीन महीने में डीपीआर तैयार करने हेतु एक इकरारनामा क्रियान्वित (अप्रैल 2013) किया गया।

जबतक ह.क.च. सड़क का डीपीआर (0 से 54 किमी) तैयारी के अधीन था, प.नि.वि. ने उसी सड़क के एक हिस्से, किमी 32.20 और किमी 45.485 के बीच (13.285 किलोमीटर), के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का एक और कार्य पथ प्रमंडल, चतरा के माध्यम से कराने की स्वीकृति दे दी (जून 2013)। इस कार्य में गैर-अलकतरीकरण कार्यों के अलावा सड़क की पूरी चौड़ाई (5.5 मीटर) तथा लंबाई (13.285 किलोमीटर) पर अलकतरा-सतह बिछाना (50 मिमी अलकतरीकृत मैकडम (बीएम) और 25 मिमी अर्द्ध-सघन अलकतरीकृत कंक्रीट (एसडीबीसी) शामिल था।

पथ प्रमंडल, चतरा में कार्य के प्राक्कलन, आरए प्रपत्र एवं अन्य संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (जनवरी 2020) से पता चला कि प्रमंडल द्वारा एक संवेदक के साथ एक इकरारनामा क्रियान्वित (अगस्त 2013) किया गया, जिसने मई 2016 में अलकतरीकरण एवं अन्य कार्यों (13.285 किमी) को पूर्ण किया और ₹ 18.13 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया। इसमें बीएम एवं एसडीबीसी कार्यों के लिए हुए ₹ 5.03 करोड़ का भुगतान शामिल था।

लेखापरीक्षा ने झा.रा.रा.प्रा. के कार्यालय में डीपीआर, संबंधित सड़क के अनुप्रस्थ काट, मापी पुस्तिकाएं तथा अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र की जाँच में पाया (सितंबर 2019) कि परामर्शी ने झा.रा.रा.प्रा. को डीपीआर प्रस्तुत किया (फरवरी 2016) जिसमें सड़क के उस हिस्से (32.20 से 45.485 किलोमीटर) सहित, जहां पथ प्रमंडल, चतरा बीएम एवं एसडीबीसी बिछाने का कार्य कर रहा था, पूरी लंबाई (0 से 53.97 किलोमीटर) में अलकतरीकरण कार्य (75 मिमी सघन अलकतरीकृत मैकडम (डीबीएम) एवं 40 मिमी अलकतरीकृत कंक्रीट (बीसी) प्रस्तावित था। प.नि.वि. द्वारा डीपीआर पर ₹ 232.12 करोड़ की तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2016) तथा प्रशासनिक स्वीकृति (मई 2016) दी गई थी।

इसके बाद, झा.रा.रा.प्रा. ने ह.क.च. सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य दो वर्षों में पूरा करने हेतु एक संवेदक को ₹ 178.42 करोड़ में सौंपा (अक्टूबर 2016)। संवेदक ने ₹ 148.38 करोड़ मूल्य का कार्य निष्पादित किया (दिसंबर 2019 तक) जिसमें ₹ 5.03 करोड़ मूल्य का अलकतरीकरण कार्य शामिल था, जो पथ प्रमंडल, चतरा द्वारा किमी 32.20 से 45.485 में डीबीएम एवं बीसी कार्य करने के लिए किया जा चुका था।

इस प्रकार, झा.रा.रा.प्रा. द्वारा नियुक्त संवेदक के द्वारा सड़क के उसी हिस्से पर फिर से अलकतरा बिछाने के कारण पथ प्रमंडल, चतरा द्वारा निष्पादित कार्य पर ₹ 5.03 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

विभाग/सरकार को मामले की सूचना मई 2020 में दी गई; उनके जवाब अभी तक अप्राप्त हैं (जनवरी 2021)।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

2.2.3 कपटपूर्ण भुगतान एवं सरकारी धन का गबन

जिला कल्याण कार्यालय (जि.क.का.), चतरा की गतिविधियों की निगरानी तथा आंतरिक नियंत्रण उपायों को लागू करने में कल्याण विभाग की विफलता के फलस्वरूप जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.पदा.), चतरा द्वारा रोकड़िया की मिलीभगत से ₹ 13.59 करोड़ का गबन किया गया।

वित्तीय अनियमितता एवं सरकारी धन के गबन की जाँच एवं प्रतिवेदन हेतु सचिव, कल्याण विभाग के अनुरोध पर (जुलाई 2018) जिला कल्याण कार्यालय (जि.क.का.), चतरा के अभिलेखों की एक विशेष लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2018 और जनवरी 2019 के बीच) संचालित की गयी।

अनुरोध 2016-18 के दौरान सरकारी धन का जि.क.का., चतरा के बैंक खातों से 19 संस्थाओं/ व्यक्तियों के बैंक खातों में, जिसमें रोकड़िया, उसके रिश्तेदार, गैर-सरकारी संगठन (गै.स.सं.), आपूर्तिकर्ता एवं गैर-विद्यमान शैक्षणिक संस्थान शामिल थे, धोखाधड़ी से हस्तांतरण पर जिला स्तरीय जाँच समिति (जि.स्त.जां.स.) द्वारा की गई एक प्रारंभिक जाँच (मई 2018) पर आधारित था। जि.स्त.जां.स. के प्रतिवेदन के आधार पर, जि.क.का., चतरा द्वारा इन 19 निकायों/व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज (8 जून 2018) की गयी थी।

विशेष लेखापरीक्षा ने धन अनुगमन की जाँच हेतु, जि.क.का., चतरा द्वारा जिला कोषागार से की गई निकासी और उन राशियों का जि.क.का., चतरा के 12 बैंक खातों में जमा होना तथा आरोपियों के विभिन्न बैंकों खातों में किए गए भुगतान/ अंतरणों की प्रतिपृच्छा बैंक विवरणी, बैंक निकासी एवं बैंक वाउचर के साथ करते हुए जाँच का दायरा दो से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दिया (2013-18)। भुगतान सम्मति की प्रतियां, जहाँ कहीं भी बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई, भी जाँच की गई। इसके अलावा, आरोपियों के 73 बैंक खातों, जिनमें गै.स.सं., व्यक्तिगत तथा गैर-विद्यमान संस्थान शामिल हैं, की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा का दायरा इस तथ्य तक सीमित था कि 2013-18 के दौरान हुए ₹ 70.01 करोड़ राशि के लेनदेन से संबंधित अभिलेख इस आधार पर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए क्योंकि वे आगजनी की एक घटना (नवंबर 2017) में नष्ट हो गए थे। लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित कपटपूर्ण भुगतानों का पता चला:

2.2.3.1 जि.क.का., चतरा ने 12 बैंक खातों को संचालित किया, जिनमें 2013-18 के दौरान कुल ₹ 95.05 करोड़ की राशि जमा हुई। इनमें से, ₹ 85.85 करोड़ राशि की निकासी उसी अवधि के दौरान की गई थी। उनमें से, व्यक्तियों, संस्थाओं आदि को किये गए ₹ 70.01 करोड़ के भुगतान, संबंधित अभिलेखों के अभाव में प्रतिभूतित नहीं किये जा सके। लेखापरीक्षा ने पाया कि शेष ₹ 15.84 करोड़ की निकासित राशि को कपटपूर्ण तरीके से गै.स.सं., संस्थानों, आपूर्तिकर्ताओं, शिक्षकों, अधिकारियों एवं व्यक्तियों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था (परिशिष्ट 2.2.1)।

2.2.3.2 विभाग ने आवंटन पत्रों में निर्देश दिया था (मई 2015) कि छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे छात्रों के खातों में डीबीटी मोड से किया जाएगा। तथापि, जि.क.का., चतरा ने पिछड़ी जाति के छात्रों के बीच बकाया छात्रवृत्ति के वितरण हेतु प्रबंधक,

आईसीआईसीआई बैंक, चतरा को अपने बैंक खाते से ₹ 2.25 करोड़ 11 स्कूलों¹³ के बैंक खातों में ई-हस्तांतरण करने का, स्कूलों के नाम और खातों की विवरणी जोड़ते हुए, निर्देश दिया (मार्च 2017)। आईसीआईसीआई बैंक ने संबंधित स्कूलों के बैंक खातों में राशि, जमा करने के प्रयास (अप्रैल 2017) के दौरान पाया कि विवरणी में दिखाए गए खातों के विवरण में विसंगति थी क्योंकि वे व्यक्तियों के नामों पर था न कि स्कूलों के नाम पर और तदनुसार (मई 2017) जि.क.का., चतरा को सूचित किया। इसके बाद, संपूर्ण राशि को जि.क.का. के आईसीआईसीआई के उद्धवित खाते में वापस कर दी गई (2 मई 2017 और 23 मई 2017 के बीच) क्योंकि ये सभी 11 खाते रोकड़िया एवं उसके रिश्तेदारों के नाम पर थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा उक्त विसंगति को प्रकाश में लाने के बाद, जि.क.का. ने इस खाते से लेन-देन को रोक दिया और बची हुई शेष ₹ 6.77 करोड़ राशि को जि.क.का., चतरा के अन्य तीन बैंक खातों में स्थानांतरित (30 मई और 8 जून 2017 के बीच) कर दिया। तत्पश्चात, जि.क.पदा. एवं उसके परवर्ती पदाधिकारियों ने उसी प्रकार की कपटपूर्ण क्रिया जारी रखी और ₹ छः करोड़ की सरकारी धनराशि को छात्रवृत्ति भुगतान के नाम पर रोकड़िया, उसके रिश्तेदारों, गै.स.सं, गैर-विद्यमान संस्थानों और अन्य व्यक्तियों के बैंक खातों में हस्तांतरित (जून 2017 और मई 2018 के बीच) किया (परिशिष्ट 2.2.2)।

विभाग ने विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर किए गए व्यय जैसे छात्रवृत्ति का भुगतान, छात्रों में साइकिल वितरण आदि की निगरानी हेतु जिलों से सावधिक प्रतिवेदन एवं विवरणी शीर्ष स्तर (उप/संयुक्त सचिव) को प्रस्तुत करना (हर महीने का 15 वां दिन पर) निर्धारित किया था। विभाग ने आवंटन पत्रों में यह भी निर्देश दिया (मई 2015) था कि उपायुक्त नियंत्रण अधिकारी होंगे और साइकिल की खरीद एवं छात्रवृत्ति का भुगतान डीबीटी मोड से की जाएगी।

चूँकि विभाग ने जि.क.का., चतरा द्वारा भेजी गयी सावधिक प्रतिवेदन एवं विवरणी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया, फलतः इन निर्देशों के अनुपालन की जाँच नहीं हो सकी। इसके अलावा, जि.क.का., चतरा ने कोषागार से निकाली गई राशि का व्यय विभाग को समर्पण प्रतिवेदन के माध्यम से जो प्रतिवेदित किया था वह तथ्यगत रूप से सही नहीं था क्योंकि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में जि.क.का., चतरा के बैंक खातों में बड़ी राशि पड़ी हुई देखी गयी थी। विभाग को जि.क.का., चतरा द्वारा संचालित 12 में से केवल तीन बैंक खातों के बारे में पता था, जैसा कि लेखापरीक्षा को बताया गया

¹³ यूपीएस हुकुड़िया, एमस मांझीपारा, यूपीएस मडडापुर, यूपीएस काशीलोना, यूपीएस बेसरा, यूपीएस बैरियाचक, यूपीएस लोहानरुडीह, यूपीएस असेदिरी, यूपीएस सरावलपत्र, एनपीस भूषा तथा यूपीएस दंडु।

(अक्टूबर 2018)। इसके अलावा, जि.क.का., चतरा ने छात्रवृत्ति के वितरण हेतु डीबीटी मोड का पालन नहीं किया जैसा कि विभाग द्वारा निर्देशित था। यह भी पाया गया कि जि.क.का., चतरा ने आगजनी की घटना के बाद भी 12 में से केवल तीन बैंक खातों के लिए रोकड़-बही संधारित किया और मार्च 2020 तक कभी भी बैंक समाधान नहीं किया। इस प्रकार, आरोपी जि.क.का. ने आंतरिक नियंत्रण उपायों का पालन नहीं किया और विभाग भी जि.क.का. द्वारा प्रतिवेदित व्यय की वास्तविकता की निगरानी करने तथा डीबीटी के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित करने में विफल रहा। 2013-18 के दौरान जि.क.पदा., चतरा के कार्यालय की आंतरिक लेखापरीक्षा भी नहीं की गई थी। इन आंतरिक नियंत्रण विफलताओं के परिणामस्वरूप हुई धोखाधड़ी का पता नहीं चला और लंबे समय तक जारी रहा।

2.2.3.3 जि.स्त.जां.स. ने 11 बैंकों के 27 बैंक खातों, जिसमें जि.क.का., चतरा द्वारा कपटपूर्ण भुगतान किया गया था, का पता लगाया। हालाँकि, उप-विकास आयुक्त (डीडीसी), चतरा ने जाँच के पूर्ण होने तक सात बैंकों के शाखा प्रबंधकों से 27 में से केवल 19 बैंक खातों को निष्क्रिय करने का अनुरोध किया था (जून 2018)। तथापि, केवल तीन बैंकों ने 19 में से सात बैंक खातों का संचालन निलंबित किया (2 जून 2018) जिसका कारण अभिलेखों में नहीं था। इस प्रकार, धोखाधड़ी में संलिप्त 20 बैंक खाते सक्रिय रहे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जून 2018 एवं जनवरी 2019 के बीच इन 20 सक्रिय बैंक खातों में से 10 खातों से ₹ 59.05 लाख रोकड़िया एवं उसके रिश्तेदारों (₹ 48.89 लाख) तथा एक संस्थान (₹ 10.16 लाख) के पक्ष में निकाले गए थे (परिशिष्ट 2.2.3)। यदि इन बैंक खातों का संचालन निलंबित कर दिया गया होता, तो राशि बरामद की जा सकती थी। इस प्रकार, सभी संदिग्ध बैंक खातों को निष्क्रिय करना सुनिश्चित करने में डीडीसी तथा बैंकों की विफलता की और जाँच की जरूरत है।

2.2.3.4 लेखापरीक्षा ने जि.क.का., चतरा को सूचित किया (जनवरी 2019) कि नौ अभियुक्तों के, जिन्हें कपटपूर्ण भुगतान किया गया था, 11 नियत जमा खातों (₹ 1.11 करोड़) एवं आठ बचत बैंक खातों (₹ 17.85 लाख) में ₹ 1.29 करोड़ पड़े हुए थे। हालाँकि, इन खातों को निष्क्रिय करवाने एवं राशि वसूलने हेतु जि.क.पदा. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि इन बैंक खातों से जुलाई 2019 और फरवरी 2020 के बीच आरोपियों में से दो के द्वारा ₹ 43.62 लाख निकाले गए (परिशिष्ट 2.2.4)। इस प्रकार, लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद जि.क.का., चतरा भी गबन की गई राशि की वसूली तथा कार्रवाई करने में विफल रहा।

2.2.3.5 लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 15.84 करोड़ के कुल कपटपूर्ण भुगतान में से ₹ 2.89 करोड़ रोकड़िया एवं उसके रिश्तेदारों के 14 बैंक खातों में जमा किए गए थे और ₹ 12.95 करोड़ के कपटपूर्ण भुगतान आरोपी गै.स.सं., गैर-विद्यमान स्कूलों, आपूर्तिकर्ता आदि को किए गए थे। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ₹ 2.55 करोड़ अन्य आरोपियों के खातों से, उनके खातों में राशि के कपटपूर्ण हस्तांतरण के बाद, रोकड़िया एवं उसके रिश्तेदारों के 18 बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए (परिशिष्ट 2.2.5)। यह जि.क.पदा., चतरा एवं रोकड़िया की मिलीभगत का संकेत करता है, जिसकी और जाँच की आवश्यकता है।

2.2.3.6 इंगित किये जाने पर विभाग ने कहा (मई 2020 तथा मार्च 2021) कि मुख्य आरोपी रोकड़िया एवं प्रधान लिपिक को बैंक समाधान न करने, बिना अभिलेख संधारण के गै.स.सं. को भुगतान करने, अनुपयोगित धन को सरकारी खातों में जमा न करने, फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने, रोकड़-बही का गलत संधारण आदि के आरोपों में सेवा से बर्खास्त (जून और जुलाई 2019) कर दिया गया तथा दो जि.क.पदा. के खिलाफ विभागीय जाँच चल रही थी।

तथ्य, यद्यपि, वही था कि ₹ 13.59 करोड़ की गबनित राशि अभी तक वसूल नहीं हुई थी (मार्च 2021)।

कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग

2.2.4 निष्फल व्यय

दो पौधशालाओं के संचालन हेतु उनके निर्माण के चार वर्ष से अधिक समय के बाद भी परिचालन लागत के अलावा पानी एवं बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विभाग की विफलता के कारण ₹ 2.78 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

राज्य में फल-फूलों की खेती के क्षेत्र को बढ़ाने हेतु किसानों/ उद्यमियों को उच्च गुणवत्ता वाले फल एवं फूलों के पौधे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि एवं गन्ना विकास विभाग, झारखण्ड सरकार ने राज्य योजना के तहत ₹ 2.80 करोड़ (₹ 1.40 करोड़ प्रति) की लागत से दुमका और हजारीबाग जिले में दो हाई-टेक पौधशालाओं (प्रत्येक 13 घटकों का) की स्थापना (जून 2014) की स्वीकृति दी। पौधशालाएँ पूर्ण होने पर या तो विभागीय रूप से या बाह्य-स्रोत संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाने थे।

बुनियादी ढाँचे का निर्माण कार्य ₹ 1.40 करोड़ प्रति की दर से मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित (अगस्त 2014) था। बागवानी निदेशालय

(बा.नि.), झारखण्ड के पर्यवेक्षण में जिला बागवानी कार्यालय (जि.बा.का.) दुमका एवं हजारीबाग को कार्य निष्पादित करना था।

पौधशालाओं के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना अगस्त 2014 में जारी किया गया और मार्च 2015 तक कार्यों को पूर्ण करने हेतु जि.बा.का. द्वारा सबसे कम बोली लगाने वाले को (दिसंबर 2014) प्रत्येक ज़िले के लिये ₹ 1.39 करोड़ पर कार्य आवंटित किया गया था। संवेदक ने दोनों पौधशालाओं के बुनियादी ढाँचे के काम को प्रत्येक ₹ 1.39 करोड़ की लागत से पूर्ण किया और इन्हें क्रमशः जनवरी 2016 एवं मार्च 2016 में जि.बा.का., दुमका तथा हजारीबाग को सौंप दिया।

लेखापरीक्षा जाँच (दिसंबर 2017 और मार्च 2019) से पता चला कि दोनों पौधशालाओं का, निम्नलिखित कारणों से इनके पूर्ण होने के चार वर्ष से अधिक समय बाद भी, परिचालन नहीं किया जा सका:

- हजारीबाग में हाई-टेक पौधशाला का स्थान एक कृषि फार्म के अंदर था जिसमें सिंचाई के स्रोत के रूप में एक तालाब था, जबकि दुमका में यह संतति पौधशाला के अंदर था जहाँ एक कुँआ सिंचाई का स्रोत था। यद्यपि सिंचाई एवं पौध-प्रसार हेतु आधुनिक सुविधाओं की स्वीकृति दे दी गई थी, परन्तु निर्विघ्न और चिरस्थायी जलापूर्ति का प्रावधान या तो स्वीकृत्यादेश में अथवा अनुमोदित प्राक्कलनों में नहीं किया गया था। इसी प्रकार, हजारीबाग में पौधशाला में मई 2020 तक विद्युत कनेक्शन प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इस संबंध में निधि का प्रावधान नहीं था।
- यद्यपि, व्यय की स्वीकृति में योजना पूर्ण होने पर विभाग की जानकारी में तृतीय पक्ष मूल्यांकन (टीपीए) निर्धारित था, जिसे बा.नि. द्वारा शुरू नहीं किया गया।
- बुनियादी ढाँचे के कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात, जि.बा.का., हजारीबाग ने नवनिर्मित पौधशाला के परिचालन के लिए अपेक्षित डीप बोरिंग, जनरेटर एवं विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता के बारे में बा.नि. को सूचित किया (जून 2016) था। इसी प्रकार, जि.बा.का., दुमका ने बा.नि. को पौधशाला के परिचालन हेतु डीप बोरिंग, जन-शक्ति एवं निधियों की आवश्यकता सूचित (अगस्त 2015 और जून 2016 के बीच) की थी। हालांकि, बा.नि. ने मई 2020 तक इन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कार्रवाई नहीं की थी। जि.बा.का., दुमका ने स्वयं सहायता समूह या सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड पर किसी संस्था के माध्यम से नर्सरी के परिचालन के संबंध में बा.नि. से दिशानिर्देश माँगा था (अगस्त 2015 और जनवरी 2017) परन्तु मई 2020 तक इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया था। जल एवं विद्युत आपूर्ति के साथ-साथ जन-शक्ति तथा अन्य उपभोग्य सामग्रियों सहित परिचालन लागत के लिए आवश्यक बजट प्रावधान करने में भी बा.नि. विफल रहा।

जि.बा.का. के साथ लेखापरीक्षा द्वारा पौधशालाओं के भौतिक सत्यापन के दौरान (जून 2020), यह देखा गया कि दोनों पौधशालाओं में एग्रो ग्रीन-शेड के जाल क्षतिग्रस्त हो गए थे तथा जलवायु नियंत्रण धुंध-कक्ष एवं संयंत्र प्रसार कक्ष के ऊपर का हरा-जाल उड़ गया था। पौधशालाओं के देखभाल हेतु किसी को तैनात नहीं किया गया था तथा उनमें कोई अंकुर नहीं पाया गया था। हजारीबाग में टपक/ फव्वारा सिंचाई प्रणाली भी क्षतिग्रस्त थी। हजारीबाग में स्थापित पाँच मोटर पंप भी गायब थे। क्षति के मद्देनजर, पौधशालाओं के परिचालन हेतु व्यापक नवीकरण की आवश्यकता होगी तथा सरकार को पुनः धन खर्च करना होगा।

इस प्रकार, योजना को स्वीकृत करते समय जल एवं विद्युत आपूर्ति तथा बुनियादी ढाँचा कार्य के पूर्ण होने के पश्चात परिचालन एवं अन्य उपभोग्य का प्रावधान नहीं करने के कारण पौधशालाएँ जनवरी/ मार्च 2016 में पूर्ण होने के बावजूद मई 2020 तक परिचालित नहीं किये जा सके थे तथा उनके निर्माण पर ₹ 2.78 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।

इन वर्षों में निधि के प्रावधान न होने के संबंध में बा.नि. ने कहा (जून 2020) कि सरकार की स्वीकृति के अभाव में जि.बा.का. को निधि उपलब्ध नहीं कराया जा सका। आगे यह कहा गया कि दोनों जि.बा.का. से प्राक्कलन एवं प्रस्ताव प्राप्त किए जा रहे थे, जिसके आधार पर निधि प्राप्त हेतु प्रस्ताव भेजे जाएंगे। बा.नि. ने आगे कहा (जून 2020) कि योजना की स्वीकृति के समय जल उपलब्धता के संबंध में सर्वेक्षण प्रतिवेदन अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। जि.बा.का., दुमका ने हाई-टेक पौधशाला में स्थापित उपकरणों तथा ग्रीन-शेड के जाल के रखरखाव एवं परिचालन हेतु निधि की अभाव में खराब होने की बात को स्वीकार किया (मई 2020)।

जवाब विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि जनरेटर सेट के मूल्य के अलावा, जिसके लिए बा.नि. विभाग से निधि की माँग कर सकता था, व्यय की स्वीकृति में जन-शक्ति सहित परिचालन लागत शामिल था। इसके अलावा, जि.बा.का. द्वारा बताई गई कमियों पर बा.नि. ने समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की।

यह मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अप्रैल और जून 2020); उनका जवाब प्रतीक्षित था (जनवरी 2021)।

2.2.5 निष्क्रिय व्यय

विभाग सूकर प्रजनन नाभिक (पीबीएन) इकाई को परिचालित करने हेतु निधि निर्गत करने, उपग्रहीय क्षेत्र प्रजनन इकाइयों की स्थापना करने तथा सूकर विकास योजना का कार्यान्वयन करने में, शुरुआत से सात वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद, विफल रहा। ₹ 1.59 करोड़ की लागत से निर्मित पीबीएन इकाई के सूकर शेड दिसंबर 2014 से निष्क्रिय पड़े थे।

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार (भास) ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रा.कृ.वि.यो) की एक उप-योजना, राष्ट्रीय प्रोटीन सप्लिमेंट मिशन (एनएमपीएस) के तहत सूकर प्रजनन एवं गुणन इकाइयों के माध्यम से उच्च-कोटि के संकर नस्लीय घंटाओं (सूअर के बच्चों) की उपलब्धता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूकर विकास योजना (सू.वि.यो.) की शुरुआत की (जुलाई 2012)। भास को इस योजना के विभिन्न गतिविधियों के लिए सब्सिडी के रूप में 100 प्रतिशत अनुदान देना था। भास ने एक सूकर प्रजनन नाभिक (पीबीएन) इकाई (₹ 1.80 करोड़) एवं दो उपग्रहीय क्षेत्र प्रजनन (एस.एफ.बी) इकाइयों (₹ 30 लाख) की स्थापना हेतु ₹ 2.10 करोड़ का विनिधान सूचित किया (जुलाई 2012)। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक पीबीएन इकाई को एस.एफ.बी इकाइयों तथा अन्य किसानों को प्रजनन उद्देश्यों से वितरण के लिए प्रति वर्ष 5,000 प्रजननित घंटाओं का उत्पादन करना था।

लेखापरीक्षा ने सूकर विकास कार्यालय (सू.वि.का.), राँची तथा पशुपालन निदेशालय, झारखण्ड सरकार (झा.स.) के अभिलेखों से पाया (नवंबर 2017 और जून 2019) कि राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) ने एनएमपीएस के तहत पीडीएस की एक परियोजना के लिए ₹ 3.17 करोड़ स्वीकृत किया (सितंबर 2012), जिसमें एक पीबीएन इकाई (₹ 2.67 करोड़), एक आहार मिक्सिंग संयंत्र (₹ 20 लाख) और 10 एसएफबी यूनिट (₹ 30 लाख) शामिल हैं। तदनुसार, कृषि, पशुपालन और सहकारी विभाग (विभाग), झा.स. ने 2012-14 में कार्यान्वयन हेतु इस परियोजना में एक पीबीएन तथा 10 एसएफबी इकाइयों (आहार मिक्सिंग संयंत्र को छोड़कर जिसे पीपीपी मोड पर निर्माण करना था) के लिए ₹ 2.97 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (दिसंबर 2012) एवं व्यय की स्वीकृति दी।

2012-13 के दौरान, भास ने एनएमपीएस के तहत ₹ 16.97 करोड़ के विनिधान के विरुद्ध ₹ 12.39 करोड़, परियोजना/घटक-वार पृथक किए बिना जारी किए। इसमें से, विभाग ने पीबीएन इकाई के निर्माण के लिए सू.वि.का., राँची को ₹ 1.59 करोड़ जारी किए, जिसे मवेशी एवं भैंस विकास के लिए झारखण्ड राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (जेएसआईएसीबीडी), राँची को स्थानांतरित कर दिया गया। जेएसआईएसीबीडी ने (फरवरी 2013) सूकर प्रजनन केंद्र, कांके, राँची के परिसर में पीबीएन इकाई के निर्माण

हेतु ₹ 1.56 करोड़ के तीन इकरारनामा को क्रियान्वित किया। पीबीएन इकाई का निर्माण ₹ 1.59 करोड़ की लागत से पूर्ण हुआ (दिसंबर 2014)। मई 2020 तक चालू परियोजना को पूरा करने हेतु ₹ 1.38 करोड़ की शेष राशि जारी नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित का खुलासा हुआ:

- यद्यपि, विभाग द्वारा परियोजना लागत (₹ 2.97 करोड़) को भास के विनिधान (₹ 2.10 करोड़) से ₹ 87 लाख अधिक कर दिया गया था, विभाग ने 2012-14 के दौरान, पीबीएन इकाई के लिए उपकरणों, प्रजनन भण्डार की खरीद, आहार लागत, दवा, वैक्सीन, श्रम आदि हेतु आवश्यक अतिरिक्त धन के लिए बजट प्रावधान नहीं किया था।
- आगे यह देखा गया कि एसएलएससी ने ₹ 1.40 करोड़ की पीडीएस सहित परियोजना पुनः एनएमपीएस के तहत ₹ 12.64 करोड़ लागत की परियोजनाओं को लागत-सहभाजन आधार पर स्वीकृति दी (जुलाई 2014)। विभाग ने कहा (सितंबर 2019) था कि अनुमोदन चालू परियोजना को पूर्ण करने के लिए था। भास ने ₹ 6.32 करोड़ का अपना अंश, बिना परियोजना/ घटक-वार पृथक किए जारी किया (अगस्त और सितंबर 2014)। हालाँकि, विभाग ने चालू परियोजना को पूर्ण करने के लिए शेष ₹ 1.38 करोड़ की राशि, न तो केन्द्रांश से अथवा न ही राज्यांश से जारी किया।
- विभाग ने बाद के वर्षों में भी (मई 2020 तक) पीबीएन इकाई को चलाने हेतु निधि जारी नहीं की। उसने सितंबर 2012 में एसएलएससी द्वारा अनुमोदित एसएफबी इकाइयों तथा आहार मिक्सिंग संयंत्र की स्थापना हेतु भी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।

पीबीएन इकाई के लिए बने सूकर-शेडों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2020) में पता चला कि सभी 13 इकाइयों (आठ सूकर पालन एवं पाँच सूकर कलम बाड़ों) के फर्श, बाड़े की दीवारें तथा जलापूर्ति पाइपें क्षतिग्रस्त हो गए थे। शेडों की छत या तो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त थे। इस प्रकार, पीबीएन इकाई सूकर प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं था।

अतः, विभाग पीबीएन इकाई को परिचालित करने हेतु निधि निर्गत करने, एसएफबी इकाइयों की स्थापना करने तथा सूकर विकास योजना का कार्यान्वयन करने में, शुरुआत से सात वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के बावजूद, विफल रहा। इसके अलावा, विभाग ने जानबूझकर पीबीएन इकाई के सूकर शेड के निर्माण पर ₹ 1.59 करोड़ बर्बाद किए, जो दिसंबर 2014 से निष्क्रिय पड़े थे एवं जर्जर हालत में थे।

बताए जाने पर (जुलाई 2019), विभाग ने कहा (सितंबर 2019) कि एसएलएससी ने अपनी बैठक में (जुलाई 2014) एनएमपीएस के तहत ₹ 1.40 करोड़ लागत की सूकर विकास योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया परन्तु भास से निधि प्राप्त नहीं हुए। विभाग ने आगे कहा कि राज्य योजना के माध्यम से इस योजना को पूर्ण करने हेतु कदम उठाए गए तथा एनएमपीएस के तहत निर्मित सूकर शेडों का उपयोग वर्तमान में सूकर प्रजनन फार्म, कांके के सूकरों के रहने के लिए किया जा रहा था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2014-15 के दौरान भास ने एनएमपीएस के तहत ₹ 6.32 करोड़ जारी किए थे परन्तु विभाग ने पीडीएस परियोजना के लिए स्वीकृत केन्द्रांश (₹ 34.89 लाख) तक को भी जारी नहीं किया था। विभाग ने ₹ 1.05 करोड़ का अपना अंश भी जारी नहीं किया। इसके अलावा, ₹ 87 लाख के अतिरिक्त लागत हेतु बजटीय प्रावधान नहीं किया गया। आगे, भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि पीबीएन इकाई के सूअर शेडों के 156 कक्षों में से केवल तीन का उपयोग अस्थायी रूप से सूकर प्रजनन फार्म के सूकरों के रहने के लिए किया जा रहा था।

जल संसाधन तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2.2.6 निष्क्रिय व्यय और निधि का अवरोधन

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा किए बिना चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना पर काम शुरू करने के कारण ₹ 1.30 करोड़ का व्यय निष्क्रिय हुआ तथा ₹ 3.93 करोड़ का अवरोधन हुआ।

झारखण्ड लोक निर्माण विभाग (झा.लो.नि.वि.) संहिता के नियम 132 यह निर्धारित करता है कि आकस्मिक कार्य यथा- दरारों की मरम्मत आदि को छोड़कर कोई भी कार्य ऐसी भूमि पर आरम्भ नहीं किया जाना चाहिए जिसे जिम्मेदार असैनिक पदाधिकारी द्वारा विधिवत रूप से न सौंपी गई हो।

गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखण्ड में चरकी पहाड़ी मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण जल संसाधन विभाग द्वारा कृषि-योग्य सिंचन क्षेत्र की 280 हेक्टेयर वृद्धि के उद्देश्य से ₹ 2.30 करोड़ के लिए प्रशासनिक रूप से अनुमोदित (अगस्त 2007) एवं ₹ 2.32 करोड़ के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत (अप्रैल 2008) किया गया। इस कार्य में एक कच्चा बाँध (520 मीटर), मुख्य दीवार, सुरक्षक, छलकन पाट, दो शीष नियमक, बायीं (550 मीटर) एवं दायीं (540 मीटर) मुख्य नहरों का निर्माण शामिल था।

लघु सिंचाई (ल.सिं.) प्रमंडल, गिरिडीह द्वारा कार्य के लिए ₹ 1.98 करोड़ की अनुमानित लागत पर निविदा आमंत्रण सूचना निर्गत की गयी (अप्रैल 2008) तथा ₹ 2.03 करोड़ की सबसे कम बोली वाले बोलीदाता को यह कार्य (मई 2008) आवंटित किया गया। इसके पश्चात, प्रमंडल ने दिसंबर 2009 तक कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक के साथ एक इकरारनामा क्रियान्वित किया (दिसंबर 2008)।

संवेदक ने ₹ 73.04 लाख मूल्य के कच्चा बाँध (आंशिक), एक शीष नियमक एवं सुरक्षक का निर्माण (मार्च 2009) पूर्ण किया तथा आगे का काम इस आधार पर रोक दिया कि योजना के शेष भाग के निर्माण के लिए आवश्यक 8.25 एकड़ भूमि अधिग्रहित नहीं हुई थी। संवेदक के अनुरोध पर (अगस्त 2010 और अक्टूबर 2010), विभाग ने इकरारनामा को बंद करने का निर्णय लिया (दिसंबर 2015) क्योंकि कार्य को पुनः शुरू करने के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकी थी।

लेखापरीक्षा ने ल.सिं. प्रमंडल, गिरिडीह तथा जिला भू-अर्जन कार्यालय, गिरिडीह के अभिलेखों में पाया (अगस्त 2019 और फरवरी 2020) कि जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा माँगे जाने पर (जुलाई 2009) प्रमंडल ने आवश्यक भूमि (शुरुआत में 8.89 एकड़, जो बाद में संशोधित होकर 8.25 एकड़) के अधिग्रहण के लिए ₹ 15 लाख भुगतान किया (जुलाई 2009)। यद्यपि अधिग्रहण तत्काल आधार पर किया जाना था, जिला भू-अर्जन कार्यालय ने, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 एवं 6 के तहत अधिसूचना प्रकाशित करने (अगस्त 2011) एवं अधिघोषणा जारी करने में दो वर्ष से अधिक का समय लिया। भूमि के तत्काल अधिग्रहण हेतु प्रक्रिया शुरू करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की स्वीकृति (अगस्त 2012) में भी विलम्ब हुआ क्योंकि जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा इसका प्रस्ताव केवल जुलाई 2012 में प्रस्तुत किया गया था। आगे, जिला भू-अर्जन कार्यालय ने प्रमंडल से ₹ 1.46 करोड़ के शेष मुआवजे की माँग देर से जून 2013 में की। इस प्रकार, जिला भू-अर्जन कार्यालय ने औपचारिकताओं को पूरा करने में लगभग चार वर्ष बिताए, जबकि भूमि को तत्काल आधार पर अधिग्रहित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि भूमि अधिग्रहण पर मुआवजे के अतिरिक्त भार को पूरा करने तथा योजना के शेष कार्य को पूर्ण करने के लिए, जल संसाधन विभाग ने ₹ 9.31 करोड़ (भूमि अधिग्रहण हेतु ₹ छः करोड़ सहित) की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति (जुलाई 2016) तथा ₹ 9.48 करोड़ की संशोधित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (सितंबर 2016)। प्रमंडल ने पुनः भूमि अधिग्रहण हेतु उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार, सुधार तथा पुनर्वास (एलए) अधिनियम, 2013 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 के तहत प्रस्ताव प्रारंभ किया (जुलाई 2017) तथा 8.72 एकड़ निजी भूमि के अधिग्रहण के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय में ₹ 94.31 लाख

(फरवरी 2018) और ₹ 2.83 करोड़ (सितंबर 2019) जमा किया। यद्यपि प्रारंभिक अधिसूचना अक्टूबर 2018 में प्रकाशित हो गई थी, फरवरी 2020 तक इसकी अधिघोषणा नहीं की गई थी। इस प्रकार, मई 2020 तक भूमि अधिग्रहित नहीं की गई थी।

यद्यपि आवश्यक भूमि अधिग्रहित नहीं हुई थी, प्रमंडल द्वारा ₹ 2.69 करोड़ की अनुमानित लागत पर शेष निर्माण कार्य को एक बार पुनः निविदा हेतु रखा गया (सितंबर 2016 एवं मार्च 2017 के बीच) तथा ₹ 2.44 करोड़ पर एक संवेदक को आवंटित (मई 2017) किया गया। यद्यपि संवेदक ने प्रमंडल को सूचित (अगस्त 2017) कर दिया था कि योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि अधिग्रहित नहीं हुई है, प्रमंडल ने फरवरी 2019 तक काम पूर्ण करने हेतु संवेदक के साथ एक इकरारनामा क्रियान्वित किया (फरवरी 2018)। संवेदक ने मई 2018 तक ₹ 56.67 लाख मूल्य के कार्य का निष्पादन किया और काम पूरा करने के लिए आवश्यक भूमि के अभाव में इकरारनामा को बंद करने का अनुरोध किया (जुलाई 2019)। हालाँकि, मई 2020 तक इकरारनामा को बंद नहीं किया गया था तथा दायीं नहर, नदी के मुहाने की मुख्य दीवार एवं पुलिया का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था (मई 2020)।

अतः, भूमि के अधिग्रहण के बिना दो बार कार्य प्रारंभ करने के कारण ₹ 1.30 करोड़ के व्यय के बाद काम रुक गया तथा भूमि अधिग्रहण पर ₹ 3.93 करोड़ का अवरोधन भी हुआ। योजना का कृषि-योग्य सिंचन क्षेत्र को 280 हेक्टेयर और बढ़ाने का उद्देश्य भी 12 वर्ष से अधिक की अवधि बीतने तथा ₹ 5.23 करोड़ कुल व्यय के बाद प्राप्त नहीं किया जा सका।

प्रमंडल ने कहा (अगस्त 2019) कि कार्य प्रारंभ किया गया (दिसम्बर 2008) क्योंकि योजना के लिए केवल 18 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित की जानी थी। प्रमंडल ने आगे कहा (मई 2020) कि कार्य की पुनर्निविदा की गयी क्योंकि भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाधीन था तथा काम को पुराने अनुबंध को बंद करने पर प्राप्त संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप किया जाना था। जिला भू-अर्जन कार्यालय ने अन्य बातों के साथ साथ बताया (फरवरी 2020) कि 2009 से 2013 के दौरान एलए अधिनियम, 1894 के सभी प्रोटोकॉल का पालन किया गया परन्तु अभियाचित प्राधिकरण द्वारा मुआवजा जमा करने में देरी तथा जनवरी 2014 से नया एलए अधिनियम लागू होने के कारण भूमि का मूल्य बढ़ गया था और इसलिए, भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकी।

प्रमंडल का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संरचनाओं का निर्माण एवं नदी बंद करने हेतु आवश्यक भूमि का अधिग्रहण किए बिना कार्य प्रारम्भ किया गया था (दिसम्बर 2008)। फिर से भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव की प्रक्रिया (जुलाई 2017) शुरू करने से पहले भी, जैसा कि एलए अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक था, सितम्बर

2016 से मार्च 2017 के बीच तीन बार कार्य की पुनर्निविदा की गई। इस प्रकार, केवल भूमि अधिग्रहण के उपरांत कार्य आरम्भ करने का झा.लो.नि.वि. संहिता के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया तथा स्वीकृति के 12 वर्ष के बाद भी योजना पूरी नहीं हो सकी। जिला भू-अर्जन कार्यालय का जवाब भी संतोषप्रद नहीं है क्योंकि जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा अधिग्रहण प्रक्रिया में विलम्ब करने के कारण मुआवजा राशि में बड़ी वृद्धि हुई जिससे प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति में संशोधन की आवश्यकता पड़ी।

विभाग को निरपवाद रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निविदा का आमंत्रण एवं कार्य का आवंटन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही हो तथा इस कोडल प्रावधान का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2020) किया गया था; उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2021)।

भाग ब
राजस्व क्षेत्र

अध्याय-1: सामान्य

1.1 प्रस्तावना

इस अध्याय में झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित प्राप्तियों और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध बकाया करों के लंबित संग्रहण का विहंगावलोकन प्रस्तुत है।

1.2 राजस्व की प्रवृत्ति

1.2.1 2018-19 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त हुए राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े तालिका-1.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व					
	• कर राजस्व	10,349.81	11,478.95	13,299.25	12,353.44	14,752.04
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	10.34	10.91	15.86	(-) 7.11	19.42
	• कर-भिन्न राजस्व	4,335.06	5,853.01	5,351.41	7,846.67	8,257.98
	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि की प्रतिशतता	15.52	35.02	(-) 8.57	46.63	5.24
	कुल	14,684.87	17,331.96	18,650.66	20,200.11	23,010.02
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का अंश	9,487.01	15,968.75	19,141.92	21,143.63	23,906.16
	• सहायता अनुदान	7,392.68	7,337.64	9,261.35	11,412.29	9,235.52
	कुल	16,879.69	23,306.39	28,403.27	32,555.92	33,141.68
3	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	31,564.56	40,638.35	47,053.93	52,756.03	56,151.70
4	1 से 3 का प्रतिशतता	47	43	40	38	41

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (₹ 23,010.02 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 41 प्रतिशत था। वर्ष 2018-19 के दौरान शेष 59 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त हुईं। 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व में क्रमशः 19.42 एवं 5.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

प्रतिशतता के संदर्भ में वर्ष 2018-19 के लिये राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विघटन चार्ट-1.1 में दिखाया गया है।



1.2.2 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण तालिका-1.2 में दिया गया है।


तालिका-1.2: कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	8,069.72	8,998.95	10,549.25	5,714.69	3,474.96	(-39.19)
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0.00	0.00	0.00	4,123.88	8,200.84	(+98.86)
3	राज्य उत्पाद	740.16	912.47	961.68	840.81	1,082.82	(+28.78)
4	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	530.67	531.64	607.00	469.34	451.04	(-3.90)
5	वाहनों पर कर	660.37	632.59	681.52	778.37	863.94	(+10.99)
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	175.40	125.68	151.89	183.50	209.07	(+13.93)
7	भू-राजस्व	83.54	164.35	240.26	156.01	389.38	(+149.59)
8	पेशा, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	57.11	82.88	67.69	73.98	78.61	(+6.26)
9	अन्य	32.85	30.39	39.95	12.86	1.38	(-89.27)
	कुल	10,349.81	11,478.95	13,299.25	12,353.44	14,752.04	(+19.42)

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2018-19 के लिये कर राजस्व का विघटन चार्ट-1.2 में दिखाया गया है।



कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों में 2017-18 की तुलना में 2018-19 की प्राप्तियों में परिवर्तन के कारण निम्न थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर और राज्य वस्तु एवं सेवा कर: विभाग द्वारा 18.67 प्रतिशत की वृद्धि का कारण जुलाई 2017 से मू.व.क. के स्थान पर व.से.क. को लागू किया जाना बताया गया।

राज्य उत्पाद: विभाग द्वारा 28.78 प्रतिशत की वृद्धि का कारण 2018-19 में झारखण्ड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.) द्वारा संचालित दुकानों की संख्या में, 2017-18 (जुलाई 2017 एवं मार्च 2018 के बीच) की तुलना में वृद्धि; और अवकारी परिवहन शुल्क (अ.प.शु.) की दर में संशोधन और लाइसेंस शुल्क ₹ 50,000 प्रति दुकान से रूपए सात लाख प्रति दुकान किया जाना बताया गया।

मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क: विभाग द्वारा 3.90 प्रतिशत की कमी का कारण जून 2017 से प्रभावी, महिलाओं के पक्ष में किये गये अचल संपत्तियों के विक्रय विलेखों पर मुद्रांक शुल्क और निबंधन फीस में छूट को बताया गया।

वाहनों पर कर: विभाग ने 10.99 प्रतिशत वृद्धि का कारण नए कर ढांचे को लागू किया (जनवरी 2019) जाना बताया गया जिसमें ट्रैक्टर, ट्रेलर, मशीनरी उक्त वाहन, तीन पहिया वाहन (यात्री और माल वाहन) को एकमुस्त कर (ए.मु.क.) के तहत लाया गया।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विभाग द्वारा 13.93 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बेहतर कर प्रशासन बताया गया।

भू-राजस्व: विभाग द्वारा 149.59 प्रतिशत की वृद्धि का कारण विभिन्न कंपनियों, संस्थानों, प्राधिकरणों आदि को सरकारी भूमि के हस्तांतरण बताया गया।


1.2.3 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व का विस्तृत विवरण तालिका-1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.3: कर-भिन्न राजस्व का विवरण

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष						(₹ करोड़ में)
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशतता
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	3,472.99	4,384.43	4,094.25	5,941.36	5,934.64	(-)0.11
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	3.66	4.13	4.48	4.44	14.79	(+)233.11
3	ब्याज प्राप्तियाँ	143.04	122.44	121.34	168.88	47.20	(-)72.05
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4.16	3.73	36.79	135.78	8.46	(-)93.77
5	अन्य	711.21	1,338.28	1,094.55	1,596.21	2,252.89	(+)41.14
कुल		4,335.06	5,853.01	5,351.41	7,846.67	8,257.98	(+)5.24

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

वर्ष 2018-19 के लिए कर-भिन्न राजस्व का विघटन चार्ट-1.3 में दिखाया गया है।



विभागों ने कई अनुरोधों के बावजूद 2017-18 की तुलना में 2018-19 में कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों में भिन्नता के कारणों को प्रस्तुत नहीं किया।

वानिकी एवं वन्य जीवन: विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 में वानिकी और वन्य जीवन के तहत प्राप्तियों में 233.11 प्रतिशत वृद्धि हुई है। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि की

वसूली को गलत तरीके से '0406-वानिकी और वन्य जीवन' लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया।

ब्याज प्राप्तियाँ: विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 में ब्याज प्राप्तियों में 72.05 प्रतिशत की कमी हुई है। 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा में देखा गया कि योजनाओं की अव्ययित राशि पर ब्याज की राशि जो वर्षों से बैंकों में पड़ी थी, उन्हें '0049-ब्याज प्राप्तियाँ' के अंतर्गत लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' में राशि जमा की गयी जिसके कारण वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज प्राप्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण: 'सामाजिक सुरक्षा और कल्याण' शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 में 93.77 प्रतिशत की कमी हुई। 2017-18 के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि की वसूली को गलत तरीके से लघु शीर्ष '913- सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राज्य के राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया।

अन्य: 'अन्य' के अन्तर्गत लिए गए शीर्षों की प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 में 41.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस वृद्धि का मुख्य कारण यह था कि 'अन्य' के अन्तर्गत लिए गए निम्नलिखित राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्षों: 0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹ 335.18 करोड़), 0216-आवास (₹ 49 करोड़), 0217-शहरी विकास (₹ 186.78 करोड़), 0250-अन्य सामाजिक सेवार्यें (₹ 166.48 करोड़), 0404-डेयरी विकास (₹ 137.42 करोड़), 0700-वृहत सिंचाई (₹ 305.69 करोड़), 0851-ग्राम और लघु उद्योग (₹ 77.73 करोड़) और 0852- उद्योग (₹ 33.35 करोड़) में भी सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली को गलत तरीके से लघु शीर्ष '913-सहायता अनुदानों की अव्ययित शेष राशि की वसूली' में राजस्व प्राप्तियों के रूप में दिखाया गया था। केन्द्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से में वापस की गयी राशि का विभाजन वाउचर स्तर संकलन (वा.स्त.सं.) डेटाबेस/चालान में उपलब्ध नहीं था।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2019 को राजस्व के दो प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ₹ 6,534.13 करोड़ थी, जिसमें ₹ 1,694.94 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक बकाया था, जैसा कि तालिका-1.4 में वर्णित है।

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया राशि	31 मार्च 2019 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,251.73	1,469.97	₹ 6,251.73 करोड़ में से ₹ 439.52 करोड़ के माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। ₹ 1,208.54 करोड़ एवं ₹ 594.36 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों एवं सरकार द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 142.12 करोड़ की माँग पर क्रमशः सुधार/पुनर्विचार आवेदन के कारण रोक लगायी गयी और ₹ 2.30 करोड़ की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ₹ 3,864.89 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (मई 2021)।
2	वाहनों पर कर	282.40	224.97	₹ 282.40 करोड़ में से ₹ 98.57 करोड़ माँग की वसूली के लिये भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्र वाद दायर किये गये। शेष ₹ 183.83 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (मई 2021)।
कुल		6,534.13	1,694.94	

लेखापरीक्षा द्वारा (नवंबर 2019 और फरवरी 2021 के बीच) सक्रिय अनुसरण के उपरांत भी अन्य विभागों द्वारा 31 मार्च 2019 तक राजस्व लंबित संग्रह के बकाया की स्थिति उपलब्ध नहीं करायी गयी (मई 2021)।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण - संक्षेपित स्थिति

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, पटना द्वारा जारी (अगस्त 1993) निर्देशों के अनुसार, सरकारी विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के प्रतिवेदन विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन महीने के अन्दर लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, समिति द्वारा की गयी सिफारिशों पर कार्रवाई की टिप्पणी (ए.टी.एन.) छह महीने के अन्दर विभागों द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिये। 31 मार्च 2013, 2014, 2015, 2016 एवं 2017 को समाप्त हुए वर्ष के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो मार्च 2014 एवं जुलाई 2018 के मध्य राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, में शामिल 136 कण्डिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणी (विभागों का उत्तर) प्रस्तुत करने में अत्यधिक विलंब देखे गए, तीन महीने के औसत विलंब से किया गया। विभिन्न

विभागों से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणी का विवरण तालिका-1.5 में दिया गया है।

तालिका-1.5: लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष	विधानमंडल में प्रस्तुतीकरण की तिथि	कण्डिकाओं की संख्या	कण्डिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कण्डिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1	2013	04.03.2014	27	12	15
2	2014	26.03.2015	28	20	8
3	2015	15.03.2016	32	4	28
4	2016	02.02.2017	32	14	18
5	2017	20.07.2018	17	0	17
कुल			136	50	86

वर्ष 2018-19 तक, लो.ले.स. ने वर्ष 2012-13 से 2016-17 के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित 16 चयनित कण्डिकाओं पर चर्चा की है। 2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014-15 और 2015-16 से संबंधित सात कण्डिकाओं पर पहली बार चर्चा की गई और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2015-16 से संबंधित तीन कण्डिकाओं पर दूसरी बार चर्चा की गई। परन्तु, उन कण्डिकाओं पर कोई सिफारिश नहीं की गयी थी।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात, लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) संबंधित कार्यालयों के प्रमुखों को तथा उसकी प्रतियाँ उनके उच्च पदाधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिये निर्गत करती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2018-19 तक के लिये निर्गत नि.प्र. की समीक्षा में उदघटित हुआ कि 942 नि.प्र. के संबंध में 8,394 कण्डिकाएँ अगस्त 2020 के अंत तक लंबित थीं। इन नि.प्र. में बताये गये वसूली योग्य संभावित राजस्व ₹ 13,465.46 करोड़ के बराबर है जबकि 2018-19 में राज्य का कुल राजस्व प्राप्त ₹ 23,010.02 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण तालिका-1.6 में दिया गया है।

तालिका-1.6: निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

					(₹ करोड़ में)
क्र.स.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि. प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	226	4,597	6,450.44
		प्रवेश कर	5	5	9.54
		विद्युत पर कर एवं शुल्क	12	62	98.59
2	उत्पाद एवं मद्य निषेध	राज्य उत्पाद	157	802	958.14
3	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	भू-राजस्व	95	488	4,277.78
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	160	1,057	315.61
5	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	126	578	36.63
6	खनन एवं भू-तत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	161	805	1,318.73
कुल			942	8,394	13,465.46

2008-09 से निर्गत किये गये 133 नि.प्र. के प्रथम उत्तर भी जिसे नि.प्र. निर्गत होने की तिथि से एक महीने के अन्दर कार्यालयों प्रमुखों से प्राप्त होना है, प्राप्त नहीं हुए।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के तीन विभागों¹⁴ को शामिल किया गया था और 2018-19 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, भू-राजस्व, तथा मुद्रांक एवं निबंधन फीस से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 590 इकाइयों में से 55 इकाइयों (9.32 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। इन तीन विभागों ने, 2017-18 के दौरान ₹ 7,180.85 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया था, जिनमें से 55 लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 2,122.66 करोड़ (29.56 प्रतिशत) संग्रहित किये। 55 लेखापरीक्षित इकाइयों में, लेखापरीक्षा ने 1,332 मामलों में ₹ 588.57 करोड़ (इकाइयों द्वारा संग्रहित राजस्व का 27.73 प्रतिशत) के अवनिर्धारण, कर/ब्याज/जुर्माना का अनारोहण/अल्पारोपण, राजस्व की हानि इत्यादि पाया। लेखापरीक्षा ने "परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का निर्धारण और संग्रहण" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा "झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र" पर एक अनुपालन लेखापरीक्षा भी किया, जिसमें ₹ 1,569.58 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्पारोपण/राजस्व की हानि उद्घटित हुआ।

¹⁴ वाणिज्य कर, उत्पाद एवं मद्य निषेध और राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार।

संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित 588 मामलों में ₹ 1,628.15 करोड़ (कुल लेखापरीक्षा अवलोकन का 75.44 प्रतिशत) के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और 84 मामलों में ₹ 15.50 करोड़ वसूल किया।

1.7 इस भाग का विस्तार

इस भाग में चयनित पाँच कण्डिकायें जो इस वर्ष के स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, शामिल हैं। इस भाग में "परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का निर्धारण और संग्रहण" पर निष्पादन लेखापरीक्षा तथा "झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र" पर अनुपालन लेखापरीक्षा, जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 1,627.99 करोड़ हैं, भी शामिल हैं।

विभाग/सरकार ने ₹ 1,612.24 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 14.43 करोड़ वसूली की।

बतायी गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। अतः विभाग/सरकार सभी इकाइयों की गहन समीक्षा यह जाँच करने के लिए करे कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा एक प्रणाली, जो इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सके, को स्थापित करने के लिए व्यापक पुनरीक्षण कर सकती है।

अध्याय-II: निष्पादन लेखापरीक्षा

परिवहन विभाग

2.1 परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर और शुल्क का निर्धारण एवं संग्रहण

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 2014-19 के दौरान परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर और शुल्क के निर्धारण और संग्रहण की लेखापरीक्षा से उद्घटित बिंदुओं को प्रस्तुत करता है। लेखापरीक्षा परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की करारोपण संरचना में अस्पष्ट प्रावधानों के साथ संशोधन और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के अनुकूलन में देरी के कारण उद्घाटित कमियों को बताया है। इसके साथ ही, गलत और अपूर्ण प्रावधानों के साथ क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप ₹ 6.76 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त, विभाग की कुछ गतिविधियों को अभी तक एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में क्रियान्वित किया जाना बाकी है। इन कमियों के निम्नलिखित प्रभाव थे।

- (i) प्रावधानों में स्पष्टता की अनुपस्थिति के कारण ट्रैक्टर और ट्रेलर के निबंधन की वैधता, पूर्व से निबंधित परिवहन वाहन, जिनको एकमुश्त कर के दायरे में लाया गया है, पर देय एकमुश्त कर का प्रतिशत, राज्य से हस्तांतरण के मामले में कर वापसी की दर, चेसिस/अनबिल्ट बॉडी वाहनों पर देय कर एवं परिवहन वाहन जिनको एकमुश्त कर के दायरे में लाया गया पर अस्थायी निबंधन के समय देय कर पता करने में कठिनाई; तथा
- (ii) व्यापार नियमों को विलंब, त्रुटिपूर्ण और अपूर्ण रूप से सम्मिलित करने के कारण प्रणाली संशोधन पूर्व की दरों पर कर की गणना की और वाहन स्वामियों से कम राजस्व का उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, त्रुटिपूर्ण रूप से शामिल करने के परिणामस्वरूप एकमुश्त कर का अधिक उदग्रहण हुआ। एप्लिकेशन में एक वर्ष से अधिक समय से परिचालित अन्य राज्यों के वाहनों की पहचान के लिए जाँच तंत्र नहीं होने के कारण अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों को राज्य का स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित नहीं किया जा सका। अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों का वर्तमान पता दर्ज करने और व्यापार कर संग्रहण का कार्य मैन्युअल रूप से किये जाने के कारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र के विलंब से प्रस्तुत करने पर देय अतिरिक्त शुल्क और कम व्यापार कर एवं व्यापार कर का विलंब से भुगतान के लिए अर्थदण्ड आरोपित करने में चूक हुई।

राज्य सरकार ने राज्य के राजस्व हितों की सुरक्षा के लिए संशोधनों और व्यावसायिक नियमों को शामिल करने में निहित खामियों की पहचान और उन्हें सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। बेहतर कर प्रशासन के लिए विभाग की सभी गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत वातावरण में लाना अभी बाकी है।

लेखापरीक्षा ने मोटर वाहन कर और शुल्क के आरोपण और संग्रहण में अनियमितताओं को भी उद्घटित किया। इस लेखापरीक्षा में कुल वित्तीय निहितार्थ राशि ₹ 175.41 करोड़ है, जिसमें राशि ₹ 7.04 करोड़ राजस्व की हानि सम्मिलित है जो परिवहन आयुक्त के

कार्यालय, पाँच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण कार्यालयों और 12 जिला परिवहन कार्यालयों की नमूना जाँच पर आधारित है (कंडिका 2.1.11.3 एवं 21.12.2)।

2.1.1 प्रस्तावना

2014-19 की अवधि के दौरान परिवहन विभाग से प्राप्त राजस्व झारखण्ड राज्य के कुल कर राजस्व का औसतन 5.83 प्रतिशत रहा। लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गयी कि क्या राज्य परिवहन विभाग राज्य के राजस्व हितों की रक्षा करने में सक्षम है।

प्रतिवेदन में कर और शुल्क के प्रशासन, कम्प्यूटरीकरण, कर प्रशासन की कमियों और अन्य अनियमितताओं, जो विभाग के राजस्व सृजन को प्रभावित करते हैं, पर प्रकाश डाला गया है।

निम्नलिखित कंडिकाएँ सरकार द्वारा उदग्रहीत मोटर वाहन प्राप्तियों के रुझान तथा लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंडों, क्षेत्र और कार्यप्रणाली का अवलोकन प्रस्तुत करते हैं।

2.1.2 वाहनों से कर संग्रहण

झारखण्ड वित्तीय नियम (जे.एफ.आर.), खण्ड-1 यह प्रावधान करता है कि बजट अनुमान तैयार करने की जिम्मेदारी वित्त विभाग के पास निहित है। परिवहन विभाग विस्तृत अनुमानों के आंकड़ों के संकलन कर वित्त विभाग को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य शीर्ष "0041-वाहनों पर कर" के अंतर्गत कर, शुल्क, अर्थदण्ड और दण्ड शामिल है। 2014-19 के दौरान वाहनों पर कर संबंधी बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियाँ तालिका-2.1 में दर्शायी गई हैं।

तालिका-2.1: वाहनों पर कर से प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वास्तविक प्राप्तियाँ	राज्य के कुल कर राजस्व	राज्य के कुल राजस्व का वाहनों से प्राप्त कर का प्रतिशत (% स्तम्भ 2 का 3 से)
1	2	3	4
2014-15	660.37	10,349.81	6.38
2015-16	632.59	11,478.95	5.51
2016-17	681.52	13,299.25	5.12
2017-18	778.37	12,353.44	6.30
2018-19	863.94	14,752.03	5.86

(स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे)

2.1.3 संग्रहण की लागत

2014-19 के दौरान "वाहनों पर कर" के संग्रहण पर किए गए व्यय का प्रतिशत, अखिल भारतीय औसत के साथ तुलनात्मक अवलोकन तालिका-2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.2: संग्रहण की लागत

वर्ष	कुल संग्रह (₹ करोड़ में)	संग्रह पर व्यय (₹ करोड़ में)	संग्रह की लागत (स्तम्भ 3/ स्तम्भ 2)	अखिल भारतीय औसत
1	2	3	4	5
2014-15	660.37	6.20	0.94	6.25
2015-16	632.59	6.12	0.97	6.08
2016-17	681.52	6.18	0.91	4.99
2017-18	778.37	6.61	0.82	2.61
2018-19	863.94	6.76	0.78	अनुपलब्ध

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा निम्न की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए किया गया था:

- मोटर वाहनों पर करों और शुल्क के निर्धारण के लिए प्रणाली; तथा
- मोटर वाहनों के करों और शुल्क के संग्रहण की प्रणाली।

2.1.5 लेखापरीक्षा आधार

लेखापरीक्षा निम्नलिखित अधिनियमों और नियमावलियों के प्रावधानों के तहत किया गया था:

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;
- झारखण्ड मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 2001;
- झारखण्ड मोटर वाहन कराधान नियमावली, 2001;
- झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001;
- झारखण्ड वित्तीय नियमावली;
- सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007;
- सड़क मार्ग द्वारा वहन नियमावली, 2011; तथा
- समय-समय पर जारी विभागीय निर्देश।

2.1.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और विस्तार

वर्ष 2014-19 की अवधि से संबंधित "परिवहन विभाग, झारखण्ड में मोटर वाहन कर और शुल्क के निर्धारण और संग्रहण" पर जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित किया गया। इस लेखापरीक्षा के लिए 24 जिला परिवहन कार्यालयों में से 12 जिला परिवहन कार्यालयों, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के सभी पाँच कार्यालयों¹⁵ और परिवहन आयुक्त के कार्यालय का चयन किया गया था। 12 चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में से पाँच कार्यालयों¹⁶ को उच्च राजस्व संग्रहण के आधार पर

¹⁵ कोल्हान, दुमका, हजारीबाग, पलामू और राँची।

¹⁶ बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

और सात कार्यालयों¹⁷ को स्तरीकृत यादृच्छिक अप्रतिस्थापन प्रतिचयन विधि (एस.आर.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के माध्यम से चयनित गया था।

2.1.7 लेखापरीक्षा प्रणाली

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, क्षेत्र और कार्य प्रणाली पर चर्चा करने के लिए 3 जुलाई 2019 को सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया था।

लेखापरीक्षा को विभाग में संचालित किए जा रहे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (वाहन {VAHAN}, सारथी {SARATHI}, एस-परमिट {SPERMIT} और राष्ट्रीय परमिट प्रणाली) के रियल टाइम डाटा तक पहुंच नहीं थी, इसलिए लेखापरीक्षा मई 2019 में एन.आई.सी., झारखण्ड राज्य इकाई, राँची से वर्ष 2014-19 की अवधि का डाटा डंप प्राप्त किया। आंकड़ों के विश्लेषण में कई अनियमितताएँ सामने आई जिन्हें तालिका-2.3 में वर्गीकृत किया गया है।

तालिका-2.3: आंकड़ों के विश्लेषण में पाई गयी अनियमितताएँ

क्र. सं.	विवरण	डाटा डंप में मिले कुल रिकॉर्ड
1	एकमुश्त कर के दायरे वाले परिवहन वाहन के प्रमादी मालिक	2,68,816
2	प्रमादी परिवहन वाहन	74,341
3	धुरी भार का संशोधन नहीं होना	86,606
4	स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटन नहीं होना	27,560
5	परिवहन वाहनों की दुरुस्ती प्रमाण पत्र का नवीकरण नहीं होना	3,31,327
6	वैयक्तिक वाहनों पर कम एकमुश्त कर का आरोपण	25,478
7	वैयक्तिक वाहनों पर अधिक एकमुश्त कर का आरोपण	208

कर की स्थिति, दुरुस्ती प्रमाण-पत्रों की वैधता, परमिटों के प्राधिकरण आदि में परिवर्तन के लिए चयनित कार्यालयों में विश्लेषण के परिणामों को रियल टाइम डाटा/मैनुअल अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया। तदंतर, लेखापरीक्षा ने उन संचालित कार्यों के अभिलेखों जिन्हें मैनुअल रूप से संधारित किया जा रहा था और किसी भी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि नहीं थी की नमूना जाँच किया, यथा, वर्तमान पता दर्ज कराने के लिए प्रस्तुत वाहनों के अनापत्ति प्रमाण-पत्र, व्यापार कर और राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकरण के प्रमादी वाहन। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने चयनित कार्यालयों में संधारित मैनुअल अभिलेखों के साथ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में दर्ज की गई जानकारी जैसे, वाहनों का विक्रय मूल्य, निबंधन की वैधता की तारीख, ड्राइविंग लाइसेंस, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र आदि की तिर्यक जाँच की।

¹⁷ देवघर, दुमका, गिरिडीह, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और रामगढ़।

लेखापरीक्षा के परिणाम पर चर्चा करने के लिए विभाग के सचिव के साथ 11 दिसंबर 2020 को एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया। सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

2.1.8 आभारोक्ति


आवश्यक जानकारी, डाटा और अभिलेख प्रदान करने में परिवहन विभाग और एन.आई.सी., झारखण्ड राज्य इकाई, राँची के सहयोग के लिए लेखापरीक्षा आभार प्रकट करता है।

2.1.9 कर और शुल्क प्रशासन

2.1.9.1 संगठनात्मक ढाँचा

विभाग के सचिव प्रशासनिक प्रमुख होते हैं तथा नीति और प्रशासन के सभी मामलों पर सरकार का प्रमुख सलाहकार होते हैं। परिवहन आयुक्त (प.आ.), झारखण्ड कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जो राज्य में अधिनियमों और नियमावलियों के अनुपालन के लिए तथा पारस्परिक समझौतों के तहत परिचालित वाहनों के लिए अंतर्राज्यीय परमिट जारी करने तथा इन पर कर का आरोपण और संग्रहण तथा अस्थायी परमिटों के तहत प्रचालित वाहनों से कर संग्रहण के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (क्षे.प.प्रा.) परमिट जारी करने वाले प्राधिकारी होते हैं, जो परिवहन वाहनों के परमिट जारी और नवीनीकृत करते हैं और दूसरे क्षे.प.प्रा. द्वारा जारी परमिटों को प्रतिहस्ताक्षरित करते हैं। जिला परिवहन पदाधिकारी (जि.प.प.) लाइसेंस, निबंधन और कर आरोपित करने वाले प्राधिकरण हैं और मोटर वाहन कर, व्यापार कर और शुल्क के आरोपण और संग्रहण के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें सड़क परिवहन से संबंधित सभी तकनीकी मामलों में मोटर वाहन निरीक्षकों (मो.वा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

चार्ट-2.1



2.1.9.2 कर और शुल्क प्रशासन

15 नवंबर 2000 को झारखण्ड राज्य के गठन होने पर, बिहार राज्य के विद्यमान अधिनियमों, नियमावलियों और कार्यकारी निर्देशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया था। मोटर वाहन कर झारखण्ड मोटर वाहन कर अधिनियम (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 और झारखण्ड मोटर वाहन कर अधिनियम (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 द्वारा शासित होता है। मोटर वाहन शुल्क केन्द्रीय मोटर वाहन (के.मो.वा.) अधिनियम, 1989 और झारखण्ड मोटर वाहन (झा.मो.वा.) अधिनियम, 2001 द्वारा शासित है। वाहनों पर कर का निर्धारण झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 5, 6 और 7 के तहत संलग्न अनुसूचियों के अनुसार किया जाता है। करों और शुल्क की गणना के उद्देश्य से वाहनों के उपयोग, निबंधित लदान भार (आर.एल.डब्लू.), बैठने की क्षमता और वाहनों की लागत के आधार पर वाहनों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है।

- **वैयक्तिक वाहनों पर कर:** वैयक्तिक वाहनों पर एक निश्चित एकमुश्त कर की राशि देय था, जिसमें दो पहिया और पाँच सीटों तक की बैठने की क्षमता वाले हल्के मोटर वाहन शामिल थे। मई 2011 में वैयक्तिक वाहनों की सीमा 10 सीटों तक बढ़ाई गई और उनकी बैठने की क्षमता के आधार पर वाहन की लागत का तीन, चार और पाँच प्रतिशत एकमुश्त कर आरोप्य था। पुनः, जनवरी 2019 में, वैयक्तिक वाहनों की सीमा 12 सीटों तक बढ़ा दी गई और एकमुश्त कर की दर को संशोधित कर वाहन की लागत का छह प्रतिशत कर दिया गया। वाहन मालिक के पास पहले से वैयक्तिक वाहन होने पर अगामी वैयक्तिक वाहनों या ₹ 15 लाख से अधिक लागत वाले वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का तीन प्रतिशत की अतिरिक्त कर और दोनों स्थितियों में छह प्रतिशत अतिरिक्त कर का प्रावधान किया गया। 15 वर्ष से पुराने वाहनों पर कुल देय कर का 10 प्रतिशत हरित कर का प्रावधान किया गया।

- **परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों पर कर:** मोटर वाहन (मो.वा.) कर और अतिरिक्त मोटर वाहन (अ.मो.वा.) कर की गणना निबंधित लदान भार (आर.एल.डब्लू.), या परिवहन वाहनों के बैठने की क्षमता के आधार पर किया जाता था। पाँच साल से अधिक पुराने वाहनों के अ.मो.वा. कर पर 10 से 30 प्रतिशत की छूट का प्रावधान था। जनवरी 2019 में, परिवहन वाहनों पर मो.वा. करों की दरों को संशोधित करते हुए अतिरिक्त मोटर वाहन कर के प्रावधान को हटा दिया गया। 12 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों पर कुल देय कर का 10 प्रतिशत हरित कर का प्रावधान किया गया। तीन टन तक आर.एल.डब्लू. वाले माल वाहन, मोटर कैब/ओमनी, निर्माण उपकरण वाहन, तिपहिया यात्री वाहन, ट्रैक्टर और उसके ट्रेलर को एकमुश्त कर के दायरे में लाया गया जिसकी वैधता 10 से 15 वर्ष है। तीन टन से अधिक आर.एल.डब्लू. वाले माल वाहन वाहनों और 13 से अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों पर वार्षिक कर को संशोधित किया गया। वाहन स्वामियों को अग्रिम कर का भुगतान तिमाही आधार पर करना है।

- **अस्थायी कर:** अन्य राज्यों में निबंधित परिवहन वाहनों को अस्थायी रूप से झारखण्ड में परिचालित करने पर एक निश्चित अवधि के लिए निर्धारित दर से अस्थायी


कर का भुगतान करना होता है और एक अस्थायी कर टोकन जारी किया जाता है। मार्च 2019 में, झारखण्ड सरकार ने अस्थायी कर की दर में संशोधन किया।

- **व्यवसायियों/निर्माताओं पर व्यापार कर:** वाहन निर्माता या मोटर वाहन के व्यवसायी द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान कब्जे में रखे वाहनों पर वार्षिक आधार पर प्रत्येक सात वाहनों के ब्लॉक के लिए निर्दिष्ट दर पर व्यापार कर भुगतान किया जाता था। जनवरी 2019 में व्यापार कर को संशोधित किया गया और प्रत्येक वाहन के आधार पर इसकी गणना किए जाने का प्रावधान लाया गया।
- **कर भुगतान में विलंब के लिए अर्थदण्ड और ब्याज:** परिवहन वाहनों पर कर के भुगतान में विलंब के लिए आवधिकता के आधार पर कर का 25 से 200 प्रतिशत तक का अर्थदण्ड आरोप्य है और एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) के मामले में प्रति माह दो प्रतिशत की दर से ब्याज आरोप्य है। वैयक्तिक वाहनों को छोड़ कर अन्य वाहनों के लिए कर के भुगतान की तारीख उस अवधि की समाप्ति की तारीख होती है, जिस अवधि के लिए कर का भुगतान किया गया था। देय तिथि से 15 दिनों की अवधि कर भुगतान के लिए अनुग्रह अवधि होती है। वैयक्तिक वाहनों के मामले में वाहन के अधिग्रहण की तारीख से 30 दिनों के अंदर ओ.टी.टी. का भुगतान किया जाना आवश्यक होता था, जिसे जनवरी 2019 में संशोधित कर सात दिन किया गया है।
- **शुल्क:** ड्राइविंग लाइसेंस, निबंधन, निरीक्षण, वाहनों का दुरुस्ती प्रमाण-पत्र, परमिट आदि के लिए शुल्क के.मो.वा. नियमावली और झा.मो.वा. नियमावली के तहत निर्धारित दर पर आरोपित होता है।
- **समेकित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क:** मई 2010 में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार (MoRTH) ने देश भर में माल वाहक वाहनों के लिए एक नई राष्ट्रीय परमिट प्रणाली शुरू की। माल वाहक वाहन को राष्ट्रीय परमिट ₹ 1,000 वार्षिक प्राधिकरण शुल्क के साथ ₹ 15,000 समेकित शुल्क के अग्रिम भुगतान पर स्वीकृत किया जाता था। समेकित शुल्क राष्ट्रीय परमिट खाते (8499-अन्य जमा) में जमा किया जाता है और एक निर्धारित फार्मूले से प्राप्त, यथा अनुपात के आधार पर संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का हिस्सा वितरित किया जाता है। राज्यांश का वितरण प्रत्येक माह भारतीय रिज़र्व बैंक के द्वारा MoRTH के वेतन व लेखा कार्यालय की सलाह पर किया जाता है, और यह राज्य के मुख्य शीर्ष "0041-वाहनों पर कर" के अंतर्गत राजस्व का हिस्सा बन जाता है। अप्रैल 2012 में समेकित शुल्क की दर को संशोधित करके ₹ 16,500 कर दिया गया और इस प्रणाली के तहत जारी प्रत्येक परमिट के लिए राज्य का हिस्सा ₹ 664 है।

2.1.9.3 वाहनों का निबंधन, करारोपण और निरीक्षण

राज्य में वैयक्तिक और परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों के निबंधन, करारोपण और निरीक्षण के लिए प्रक्रिया चार्ट-2.2 में दिखाई गई है:

चार्ट-2.2



2.1.10 झा.मो.वा.क. अधिनियम में संशोधन

झारखण्ड सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. 95 दिनांक 31 जनवरी 2019 द्वारा मोटर वाहनों के करारोपण संरचना में परिवर्तन लाया और इसे झारखण्ड मोटर वाहन करधान (संशोधन) अधिनियम, 2018 कहा गया। लेखापरीक्षा ने कुछ प्रावधानों को अस्पष्ट पाया, जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

- झा.मो.वा.क. अधिनियम में एक नयी उप धारा 7(7) अंतर्निर्दिष्ट किया गया, जिसमें ट्रेलर के निबंधन के समय ₹ 5,000 का आजीवन कर और ट्रैक्टर के लिए, जी.एस.टी. रहित लागत का चार प्रतिशत एकमुश्त कर का प्रावधान किया गया। अग्रेतर, झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 7(2) राज्य से वाहन के हस्तांतरण के मामले में एकमुश्त कर की वापसी का प्रावधान करती है।

यद्यपि, लेखापरीक्षा ने देखा कि ट्रैक्टर और ट्रेलर पर देय कर की वैधता और संशोधन के पूर्व निबंधित ट्रैक्टर और ट्रेलर पर आरोपणीय अवशेष एकमुश्त कर की राशि के बारे में यह उपधारा मौन है। राज्य से वाहनों के हस्तांतरण के मामले में आजीवन कर और एकमुश्त कर की वापसी दर का चार्ट भी संलग्न नहीं किया गया था। निबंधन के समय वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर आरोपित होता है, जिसकी वैधता 15 वर्ष है और पूर्व निबंधित वैयक्तिक वाहनों पर, वाहन की उम्र के आधार पर निबंधन की अवशेष अवधि के लिए आरोप्य एकमुश्त कर के लिए, लागत मूल्य का प्रतिशत निर्धारित करते हुए अनुसूची-1 के भाग 'ए' में एक चार्ट संलग्न किया गया है। लेकिन इस मामले में न तो निबंधन या कर की वैधता और न ही आरोपणीय एकमुश्त कर और कर वापसी का प्रतिशत चार्ट संलग्न किया गया है।

- इसी प्रकार, परिवहन वाहनों के मामले में, तीन पहिया (यात्री) और मशीनरी वाहन एकमुश्त कर के दायरे में लाए गए हैं, नए निबंधित तीन पहिया (यात्री) के लिए 15 वर्षों के लिए ₹ 9,000 और एक वर्ष तक पुराने वाहनों पर 10 वर्ष के लिए ₹ 6,000 एकमुश्त कर आरोप्य है और नए निबंधित मशीनरी वाहनों की लागत पर सात प्रतिशत एकमुश्त कर 12 वर्ष के लिए प्रावधानित है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम एक वर्ष से अधिक पुराने तिपहिया यात्री वाहनों पर देय एकमुश्त कर आरोपण के मामले में मौन था। इसके अतिरिक्त, पूर्व निबंधित वाहनों पर देय एकमुश्त कर और कर वापसी की प्रतिशतता, जैसा कि वैयक्तिक वाहनों के मामलों में दी गई है, का प्रावधान नहीं किया गया था।

- निरस्त प्रावधान की अनुसूची-1 भाग 'सी' के तहत, चेसिस/अनबिल्ट बॉडी के वाहनों को बॉडी बनवाने हेतु सड़कमार्ग पर परिचालित करने के लिए उनके अलदान क्षमता पर करारोपण का प्रावधान किया गया था।

यह देखा गया कि इस प्रावधान को संशोधित अधिनियम में हटा दिया गया है। इस प्रावधान के अभाव में चेसिस/अनबिल्ट बॉडी के वाहन पर आरोप्य कर की दर स्पष्ट नहीं है।

- झा.मो.वा. अधिनियम की धारा 7(4) परिवहन वाहनों के अस्थायी निबंधन के समय वार्षिक कर के 1/12वें की दर से कर आरोपित करने के लिए निर्दिष्ट करती है और एकमुश्त कर भुगतान करने वाले वैयक्तिक वाहनों के लिए एक निश्चित राशि, ₹ 100 और ₹ 400 अस्थायी कर के रूप में देय है। आजीवन कर/एकमुश्त कर के दायरे में लाए गए परिवहन वाहनों के अस्थायी निबंधन के समय देय कर की दर का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अभाव में अस्थायी निबंधन के समय देय कर स्पष्ट नहीं था। हालांकि, विभाग ने अस्थायी निबंधन के मामले में एक महीने के कर के रूप में एकमुश्त कर की आनुपातिक राशि वसूल की।


मामला को सामने लाने पर (जुलाई 2019), सरकार/विभाग ने कहा कि संशोधित अधिनियम में सुधार प्रक्रियाधीन था। अग्रेत्तर उत्तर की प्रतीक्षा है।

2.1.11 एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर

2.1.11.1 प्रस्तावना

बेहतर नियंत्रण, त्वरित निगरानी और बेहतर नागरिक सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) दो एप्लिकेशन सॉफ्टवेयरस VAHAN और SARATHI को पूरे भारत में लागू करने के लिए डिजाइन किया था, जिसे अगस्त 2004 में झारखण्ड सरकार द्वारा क्रियान्वित किया गया। एन.आई.सी., झारखण्ड राज्य इकाई द्वारा विकसित sPERMIT एप्लिकेशन को राज्य द्वारा अक्टूबर 2017 में क्रियान्वित किया गया। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के कामकाज का व्यापक क्षेत्र चार्ट-2.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.3



VAHAN में वाहनों का निबंधन, निबंधन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण, स्वामित्व का हस्तांतरण, पता परिवर्तन, बंधक अनुबंध का पृष्ठांकन और निरस्त करना, करों का आरोपण और उद्ग्रहण आदि के लिए अलग-अलग मॉड्यूल हैं, जबकि SARATHI में ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण से संबंधित मॉड्यूल हैं। एप्लिकेशन प्रोग्राम विंडोज वातावरण के लिए नम्य था जिसे बाद में वेब-आधारित अनुप्रयोगों में अपग्रेड किया गया। राज्य में मौजूदा प्रणाली को केंद्रीकृत मंच के लिए कोर एप्लिकेशन मॉड्यूल को समेकित करते हुए फरवरी 2017 से VAHAN 4.0 और SARATHI 4.0 उन्नत संस्करणों की शुरुआत की गयी। यह संस्करण उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुरक्षित, पारदर्शी, लागत-प्रभावशील जैसी उन्नत विशेषताएं वाली हैं जो नागरिकों को उनके द्वार तक सेवाओं को प्रदान किया।

राष्ट्रीय परमिट प्रणाली (एन.पी.एस.) के तहत, MoRTH द्वारा विकसित इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से माल वाहकों के लिए राष्ट्रीय परमिट जारी या नवीनीकृत किए जाते हैं। नेशनल मिशन मोड प्रोजेक्ट्स- ट्रांसपोर्ट कंप्यूटरीकरण प्रोजेक्ट के लिए PERMIT मॉड्यूल संशोधित अनुप्रयोगों का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय परमिट की सेवाएं, VAHAN एप्लिकेशन में राष्ट्रीय परमिट के मॉड्यूल के अंतर्गत वेब पोर्टल www.parivahan.gov.in के माध्यम से वेब पर उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय परमिट के अतिरिक्त अन्य परमिट जारी करने के लिए, विभाग ने www.spermit.jharkhand.gov.in पोर्टल के माध्यम से वेब आधारित "ऑनलाइन राज्य परमिट सिस्टम" शुरू किया। यात्री वाहन परमिट, पारस्परिक समझौतों के तहत अंतर-राज्य परमिट, माल वाहन परमिट और अनुबंध वाहन परमिट वाहनों को इस पोर्टल के माध्यम से आवेदित और जारी किया जाता है।

परिवहन विभाग के प्रमुख कार्यों को VAHAN और SARATHI के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है। राज्य में VAHAN और SARATHI के कामकाज की निगरानी के लिए

एन.आई.सी. के तकनीकी समर्थन के साथ एक परियोजना निगरानी इकाई (पी.एम.यू.) बनाई गई। पी.एम.यू. का उद्देश्य कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के कामकाज को तत्परता से क्रियान्वित करना और पूरे राज्य में आवेदन प्रणाली की एकरूपता को बनाए रखना था। विभाग द्वारा पी.एम.यू. के माध्यम से अधिनियमों/नियमावतियों में संशोधन के तदनुसार एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव कराये जाते हैं।

अनुवर्ती कंडिकाएँ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में विभाग के व्यापार नियमों को शामिल करने में विलंब और कुछ गतिविधियों के लिए मॉड्यूल का संचालन नहीं होना, के कारण कर और अर्थदण्ड का मूल्यांकन कम या न होना को उजागर किया है। **चार्ट-2.4** व्यापार नियमों के मानचित्रण में विलंब के कारण और प्रभाव को दर्शाता है।

चार्ट-2.4

13 फरवरी और 12 मार्च 2019 प्रावधानों को क्रमशः 13 दिन और पाँच दिन के विलंब से और गलत व्याख्या के साथ शामिल किया गया। अग्रतर, कुछ मॉड्यूल एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में परिचालित नहीं थे।

एकमुश्त कर और अस्थाई कर पूर्व संशोधित दर पर 5 और 13 दिनों तक लिया गया, साथ ही आधिक्य कर की भी वसूली हुई। असाइनमेंट, वर्तमान पता दर्ज करने और व्यापार कर गतिविधियों पर कर, शुल्क और अर्थदण्ड का नहीं/कम आरोपण।

अधिनियम/नियमावली में कर एवं शुल्क के प्रावधान। 31 जनवरी एवं 8 मार्च 2019 को एकमुश्त कर और अस्थाई कर की दर में संशोधन का प्रकाशन।

व्यवसायिक नियमों का विलंब से अनुकूलन

लेखापरीक्षा VAHAN के डाटा का विश्लेषण किया। यह पाया कि अधिनियम/नियमावली के संशोधित प्रावधानों को गलत तरीके से और पाँच से 13 दिनों की देरी से एप्लिकेशन में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.63 करोड़ राजस्व की हानि हुई और ₹ 59.32 लाख अधिक राजस्व उद्ग्रहीत किया गया जिस पर निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गयी है:

2.1.11.2 एकमुश्त कर का आरोपण

VAHAN में व्यवसाय नियमों को विलंब/गलत रूप से शामिल करने के कारण 2,633 वैयक्तिक वाहनों पर ₹ 5.54 करोड़ एकमुश्त कर कम आरोपित हुआ और 189 वैयक्तिक वाहनों से ₹ 59.32 लाख अधिक एकमुश्त कर की वसूली हुई।

झा.मो.वा. अधिनियम की धारा 2 (जी) के प्रावधानों के अनुसार वाहन जिनकी बैठने की क्षमता चालक सहित दो, लेकिन 12 से अधिक नहीं है और जिनका उपयोग केवल व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए किया जाता है, को वैयक्तिक वाहनों के दायरे में लाया गया। 31 जनवरी 2019 से एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) की दर को संशोधित करते हुए इसे वाहन की लागत का छह प्रतिशत निर्धारित किया गया। यदि वाहन स्वामी के पास पहले से वैयक्तिक वाहन है, तो ओ.टी.टी. का तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर प्रावधानित किया गया। यदि अतिरिक्त वाहन की लागत ₹ 15 लाख से अधिक है तो छह प्रतिशत अतिरिक्त कर आरोपित होगा।

डंप डाटा के विश्लेषण में यह पाया गया कि राज्य में 31 जनवरी और 31 मार्च 2019 के बीच 8,372 वैयक्तिक वाहन निबंधित हुए। इनमें से 7,632 वाहन (91 प्रतिशत) चयनित जिलों के परिवहन कार्यालयों में निबंधित थे। अग्रेत्तर जाँच से पता चला है कि 3,082 हल्के मोटर वाहनों में ओ.टी.टी. कम आरोपित हुआ था, जिसमें से 2,801 मामले चयनित जिला परिवहन कार्यालयों के थे। लेखापरीक्षा ने इन मामलों को संबंधित चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में वास्तविक समय के आंकड़ों के साथ सत्यापित किया (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और पाया कि 2,633 मामलों में छह प्रतिशत की दर से ₹ 12.34 करोड़ के बदले संशोधन पूर्व की दर, तीन से पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 6.80 करोड़ ओ.टी.टी. आरोपित किया गया था। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में संशोधित दर प्रवर्तन की तारीख (31 जनवरी 2019) से 13 दिनों की देरी के बाद, 13 फरवरी 2019 को शामिल किया गया था। इस प्रकार, संशोधित दरों को सम्मिलित करने में देरी के कारण ₹ 5.54 करोड़ का कम एकमुश्त कर आरोपित हुआ। यह पाया गया कि एन.आई.सी ने विभाग को सूचित किया था (28 जनवरी 2019) कि प्रस्तावित संशोधनों को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में शामिल करने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता होगी। तथापि, विभाग ने संशोधित दरों पर ओ.टी.टी. के संग्रह के लिए कोई वैकल्पिक पद्धति निर्धारित किए बिना 31 जनवरी 2019 से संशोधन लागू कर दिया। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. ने संशोधित दर पर ओ.टी.टी. आरोपित नहीं किया और संशोधित प्रावधानों के प्रकाशन के बाद भी संशोधित पूर्व की दर पर कर एकत्र करना जारी रखा।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि चार जि.प.का.¹⁸ में 131 वाहन स्वामियों से ₹ 20.93 लाख की वसूली की गई। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को अंतर कर की वसूली करने के लिए माँग पत्र जारी करने के लिए

¹⁸ बोकारो, देवघर, धनबाद और राँची।

निर्देशित किया गया। यह भी आशवासित किया गया कि अधिसूचना के प्रावधानों को भविष्य में एप्लिकेशन में सही ढंग से शामिल किया जाएगा।

- डाटा डंप के विश्लेषण पर यह देखा गया कि 208 व्यक्तिगत वाहनों में ओ.टी.टी. पर अधिक अतिरिक्त कर आरोपित हुआ था, जिसमें से 189 वाहन 10 चयनित जिला परिवहन कार्यालयों¹⁹ में थे। आंकड़ों की आगे जाँच से पता चला कि 189 वाहन स्वामियों से ₹ 1.31 करोड़ रुपये के बदले ₹ 1.90 करोड़ अतिरिक्त कर वसूले गए। लेखापरीक्षा ने संबंधित जिला परिवहन कार्यालयों में वास्तविक समय के डाटा और करारोपण रजिस्टर के साथ डाटा विश्लेषण के परिणाम को सत्यापित किया और देखा कि सभी 189 मामलों में ओ.टी.टी. पर ₹ 59.32 लाख अधिक अतिरिक्त कर वसूला गया था। यह देखा गया कि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में संशोधित प्रावधानों की गलत व्याख्या और शामिल किए जाने के कारण ही अधिक अतिरिक्त कर वसूला गया जिसे तालिका-2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.4: संशोधित प्रावधानों की गलत व्याख्या और अनुकूलन

क्र. सं.	स्थिति	वाहन के जी.एस.टी. रहित लागत मूल्य पर आरोप्य ओ.टी.टी. प्रतिशत	आरोपित ओ.टी.टी. प्रतिशत	अधिक ओ.टी.टी. की वसूली (प्रतिशत में)
1	यदि मालिक के पास पहले से ही एक वैयक्तिक वाहन हो।	$6 + (3\% \times 6) = 6.18$	9	2.82
2	यदि वाहन की लागत मूल्य ₹ 15 लाख से अधिक हो।	$6 + (3\% \times 6) = 6.18$	9	2.82
3	यदि वाहन मालिक के पास पहले से एक वैयक्तिक वाहन है, दूसरा वाहन खरीदा है और जिसकी लागत मूल्य ₹ 15 लाख से अधिक हो।	$6 + (6\% \times 6) = 6.36$	12	5.64

इसके अतिरिक्त, जि.प.प. ने संशोधित प्रावधानों का सत्यापन किए बिना एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से आरोपित ओ.टी.टी. पर अतिरिक्त कर एकत्र किया।

सरकार ने कहा (नवंबर 2020) कि ओ.टी.टी. पर प्रतिशत अतिरिक्त कर के बदले वाहन की लागत पर तीन प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने की मंशा थी और यह कहा कि इस संबंध में नवंबर 2019 में एक अध्यादेश द्वारा इसे संशोधन कर लिया गया। अध्यादेश की वैधता मई 2020 में समाप्त हो गई थी। हालांकि, सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन में कहा (11 दिसम्बर 2020) कि अध्यादेश को अधिनियम के रूप में पारित करने के लिए लाया गया है।

¹⁹ जिला परिवहन कार्यालय: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, रामगढ़ और राँची।

2.1.11.3 अस्थाई कर का आरोपण

VAHAN में व्यवसाय नियम का विलंब से शामिल करने के कारण ₹ 8.68 लाख अस्थायी कर का कम आरोपण।

झा.मो.क. अधिनियम की धारा 7(5) में निर्दिष्ट कर के भुगतान पर अन्य राज्यों में निबंधित वाहनों को झारखण्ड में अस्थायी रूप से परिचालन के लिए एक अस्थायी कर टोकन जारी किया जाता है। झारखण्ड सरकार ने 8 मार्च 2019 को अस्थायी कर की मौजूदा दर में संशोधन किया। अस्थायी कर का निर्धारण और संग्रहण की सुविधा और निगरानी VAHAN के वेब पोर्टल के अंतर्गत 'चेक पोस्ट' मॉड्यूल के द्वारा की जाती है।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय द्वारा अस्थायी कर संग्रह के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार, मार्च 2019 में 1,871 वाहनों से ₹ 34.46 लाख की राशि संग्रहीत की गई। आगे की जाँच में पता चला कि 8 मार्च से 12 मार्च 2019 तक की अवधि में 434 वाहनों से संशोधित दरों पर ₹ 13.53 लाख के बदले संशोधित पूर्व की दर पर ₹ 4.85 लाख का अस्थायी कर आरोपित किया गया। यह देखा गया कि संशोधित प्रावधान को एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में इसके लागू होने की तारीख से पाँच दिनों की देरी के साथ शामिल होने के कारण 434 वाहनों से ₹ 8.68 लाख कम अस्थायी कर आरोपित हुआ। विभाग ने एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के अद्यतन होने तक संशोधित दरों पर कर संग्रह के लिए एक वैकल्पिक तंत्र तैयार किए बिना संशोधित पूर्व की दरों पर अस्थाई कर आरोपित करना जारी रखा। यह पाया गया कि विभाग ने 26 फरवरी 2019 को एन.आई.सी. में संशोधन को अग्रेषित किया जिसे 6 मार्च 2019 को परीक्षण के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में अपलोड किया गया था किन्तु प्रोडक्शन सर्वर पर इसे 13 मार्च 2019 को शामिल किया जा सका। सर्वर में संशोधन शामिल किए जाने की देरी के कारण का कोई अभिलेख नहीं मिला।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और यह सुनिश्चित किया कि अधिसूचना के प्रावधानों को भविष्य में समय पर और सही ढंग से लागू किया जाएगा।

परिचालित मॉड्यूल में खामियाँ

लेखापरीक्षा ने VAHAN डाटा का विश्लेषण किया और पाया कि अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों के तहत वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए अन्य मॉड्यूल के साथ आवश्यक कड़ी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में विकसित या शामिल नहीं किया गया था। इससे ₹ 1.14 करोड़ रुपये राजस्व की हानि हुई है, जैसा कि निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

2.1.11.4 स्थानीय निबंधन चिन्ह का आवंटन

झारखण्ड में अन्य राज्यों के परिचालित वाहनों को स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित नहीं करने के कारण ₹ 81.23 लाख राजस्व का निर्धारण नहीं हुआ।

मो.वा. अधिनियम की धारा 47 और उसके अंतर्गत बनाए नियमों में प्रावधान है कि जब एक राज्य में निबंधित मोटर वाहन दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक की अवधि के लिए रखा जाता है, तो वाहन मालिक नए निबंधन प्राधिकरण के पास नए निबंधन चिन्ह प्राप्त करने के आवेदन देगा। यदि मालिक 12 महीने के अंदर आवेदन करने में विफल रहता है, तो उसे निर्दिष्ट दरों पर अर्थदण्ड देना होगा।

डंप डाटा के विश्लेषण में देखा गया कि अन्य राज्यों से 27,560 वाहन पलायन कर राज्य में प्रवासित हुये थे। इनमें से 21,876 वाहन (79 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में थे। लेखापरीक्षा ने कर भुगतान के आधार पर 8,043 वाहनों (37 प्रतिशत) की नमूना जाँच की (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) और इसे वास्तविक समय के आंकड़ों से सत्यापित करने पर पाया कि 11 कार्यालयों²⁰ में 3,928 वाहन अन्य राज्यों के निबंधन चिन्ह धारण किए हुए 12 महीने से अधिक अवधि तक राज्य में परिचालित हुए। पुनः यह देखा गया कि VAHAN में अन्य राज्य के वाहन के परिचालन की आवधिकता पता लगाने के लिए असाइनमेंट मॉड्यूल और पथकर भुगतान मॉड्यूल के मध्य कोई कड़ी नहीं था। जि.प.प. ने इन वाहनों पर पथकर आरोपित करते समय परिचालन की आवधिकता का सत्यापन नहीं किया। विभाग 12 महीनों से अधिक समय तक राज्य में प्रवासित वाहनों की संख्या से अनभिज्ञ रहा और स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित और ₹ 81.23 लाख शुल्क आरोपित करने की कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और बताया कि तीन जि.प.का.²¹ में 93 प्रवासित वाहनों से ₹ 1.85 लाख की वसूली कर ली गई है। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को माँग पत्र जारी कर स्थानीय निबंधन चिन्ह का आवंटन शुल्क की वसूली करने के लिए निर्देशित किया गया है। सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन में कहा कि वाहनों के वर्तमान पता दर्ज करते समय ही आवंटन शुल्क वसूल लिया जाएगा या अन्य सुधारात्मक कार्रवाई अन्वेषित किया जायगा।

²⁰ जिला परिवहन कार्यालय: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़ और राँची।

²¹ बोकारो, धनबाद और राँची।

2.1.11.5 अनापत्ति प्रमाण-पत्र विलंब से प्रस्तुत करने पर अतिरिक्त शुल्क का आरोपण

अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) विलंब से प्रस्तुति पर अतिरिक्त शुल्क आरोपण का प्रावधान मोड्यूल में शामिल नहीं होने के फलस्वरूप 764 वाहनों से ₹ 17.42 लाख शुल्क का आरोपण नहीं होना।

के.मो.वा. नियमावली के नियम 59 के प्रावधानों के अनुसार निर्दिष्ट शुल्क के साथ वाहन स्वामी निबंधन प्रमाण-पत्र (आर.सी.) में निवास परिवर्तन का आवेदन करेगा। मो.वा. अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, वाहन स्वामी को पुराने निबंधन प्राधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी.) को 30 दिनों के अंदर नए निबंधन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने में विलंब होने पर मोटर साइकिल के लिए ₹ 300 और अन्य वाहनों के लिए ₹ 500 प्रत्येक माह के लिए अतिरिक्त शुल्क आरोपित होगा।

लेखापरीक्षा ने चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में वर्तमान पता रजिस्टर की नमूना जाँच की और उनमें से 10 कार्यालयों²² में पाया कि 29 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2019 के मध्य 2,991 वाहन स्वामियों ने अपने वर्तमान पते में परिवर्तन के लिए आवेदन किया था। कार्यालयों में संधारित अभिलेखों के अनुसार, इनमें से 764 मामलों में एन.ओ.सी. एक महीने से अधिक विलंब पर प्रस्तुत किए गए थे। पुनः यह भी पाया गया कि एन.ओ.सी. प्रस्तुत करने में विलंब पर अतिरिक्त शुल्क आरोपण के प्रावधान VAHAN में शामिल नहीं किया गया था और वर्तमान पता दर्ज करने के समय कर और शुल्क की गणना मैनुअल रूप से किया जाता था। जि.प.प. ने भी वर्तमान पते को दर्ज करते समय अनापत्ति प्रमाण-पत्र जमा करने में विलंब को नज़रअंदाज़ करते हुए अतिरिक्त शुल्क आरोपित नहीं किया। अतः एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में जाँच-तंत्र की अनुपस्थिति तथा जि.प.प. द्वारा निगरानी के अभाव में अतिरिक्त शुल्क आरोपित नहीं हुआ जिसके कारण ₹ 17.42 लाख अतिरिक्त शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि जि.प.प., बोकारो और धनबाद ने 20 वाहन स्वामियों से ₹ 30,000 वसूली कर ली है। अग्रेतर, जि.प.प. को माँग पत्र जारी कर अंतर-शुल्क की वसूली के लिए निर्देशित किया गया है। यह भी सूचित किया गया कि प्रावधानों का एप्लिकेशन में शामिल कर लिया गया है।

²² जिला परिवहन कार्यालय: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू और राँची।

2.1.11.6 व्यापार कर और विलंब से भुगतान पर अर्थदण्ड का निर्धारण

व्यापार कर मॉड्यूल के अक्रियाशील और जि.प.प. का कम/विलंब से व्यापार कर भुगतान पर अप्रभावी निगरानी के फलस्वरूप ₹ 15.12 लाख व्यापार कर एवं अर्थदण्ड का कम आरोपण।

झा.मो.वा. अधिनियम की धारा 6 निर्माता/व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के दौरान उनके अधिकार में रखे गए मोटर वाहनों पर अनुसूची-III में निर्दिष्ट वार्षिक दर पर व्यापार कर के भुगतान का प्रावधान करता है। 90 दिनों से अधिक विलंब पर कर भुगतान करने पर डीलर कर के दोगुना के बराबर अर्थदण्ड भुगतान का उत्तरदायी है।

चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में व्यापार कर पंजी और संचिकाओं की लेखापरीक्षा (अगस्त 2019 और मार्च 2020 के बीच) में पता चला कि जिला परिवहन कार्यालयों, पलामू और रामगढ़ में 38 में से तीन व्यवसायियों ने 2015-16 और 2018-19 के बीच की अवधि के लिए 30 दिनों से लेकर 90 दिनों तक के विलंब के साथ ₹ 11.68 लाख का व्यापार कर भुगतान किया। जि.प.प. ने व्यापार प्रमाण-पत्रों को नवीनीकृत करते समय कम और विलंबित व्यापार के भुगतान को नजरंदाज किया जिसके कारण ₹ 15.12 लाख कर और अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया। अग्रेतर, यह देखा गया कि VAHAN में उपलब्ध व्यापार प्रमाण-पत्र मॉड्यूल क्रियाशील नहीं था। निबंधित व्यवसायियों के बारे में जानकारी, प्रत्येक व्यवसायी द्वारा वाहनों की बिक्री, व्यापार कर का भुगतान, आरोपण और संग्रहण आदि से संबंधित कार्य मैनुअल रूप से संचालित किए जा रहे थे।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और संबंधित जि.प.प. को वाहन डीलरों को माँग पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया। बहिर्गमन सम्मेलन (दिसंबर 2020) में सचिव ने कहा कि VAHAN एप्लिकेशन में व्यापार कर के मॉड्यूल को क्रियाशील बनाया जाएगा।

2.1.11.7 VAHAN और SARATHI डाटा में बैकलॉग प्रविष्टियाँ

स्मार्ट कार्ड तकनीक की शुरुआत वाहनों के निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस से सम्बंधित सभी कार्यों को स्वचल करने के उद्देश्य के साथ, अंतर-राज्य परिवहन वाहनों के परिचालन और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस के रजिस्टर बनाने सम्बंधित कार्यों को संपादित करने के लिए MoRTH ने देश के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण सुविधा प्रदान किया।

कम्प्यूटरीकरण योजना के क्रियांवयन और अनुपालन के लिए जून 2004 में आयोजित अपनी बैठक में विभाग ने VAHAN और SARATHI अनुप्रयोगों की शुरुआत से पहले विभाग में उपलब्ध सभी मैनुअल डाटा के बैकलॉग प्रविष्टि के लिए प्रावधान किया था। तथापि, क्षेत्रीय कार्यालयों में VAHAN और SARATHI के कार्यान्वयन से पहले निर्गत किए गए वाहनों के निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस की बैकलॉग प्रविष्टियाँ 16 साल की अवधि के बाद भी नहीं की गईं। इससे झारखण्ड के जि.प.का. के कार्यों पर भी निम्न रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है:

क) 2004 से पूर्व निबंधित वैयक्तिक वाहनों का डाटा VAHAN एप्लिकेशन में प्रविष्ट नहीं किया गया था। इन डाटा की अनुपस्थिति में विभाग वैसे वैयक्तिक वाहनों की वास्तविक संख्या से अनभिज्ञ रहा, जिनके निबंधन की वैधता 15 वर्ष के बाद समाप्त हो गई थी और निबंधन प्रमाण-पत्रों का अभ्यर्पण/नवीनीकरण नहीं किया गया था।

ख) नए वाहन के निबंधन के समय दूसरे और अनुवर्ती वाहनों के स्वामित्व का सत्यापन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

ग) SARATHI कार्यान्वित करने से पहले जिन धारकों को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए थे, वे बैकलॉग प्रविष्टियों की अनुपस्थिति में Parivahan Sewa पोर्टल की ऑनलाइन सेवाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2020), हालांकि, वाहन स्वामियों और लाइसेंस धारकों के वाहनों की लागत मूल्य, पैन, मोबाइल नंबर और आधार जैसे विवरणों की अनुपलब्धता के कारण बैकलॉग प्रविष्टि में असमर्थता जताई। यह कहा गया कि इस आशय का स्थानीय समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित किया जाएगा ताकि संबंधित व्यक्ति अपने रिकॉर्ड को अद्यतन कराने के लिए परिवहन कार्यालयों से संपर्क कर सकें।

2.1.12 कर शुल्क का निर्धारण और उद्ग्रहण

2.1.12.1 प्रस्तावना

झा.मो.वा.क. नियमावली के नियम 23 में प्रावधान है कि कर अधिकारी प्रपत्र-‘एम’ में कराधान पंजी, प्रपत्र-‘एन’ में परिवहन वाहनों के लिए माँग पंजी और प्रपत्र-‘ओ’ में वाहन का अस्थायी विराम पंजी संधारित करेंगे। प्रपत्र-‘एम’ और ‘एन’ पंजियों का हर साल 1 अक्टूबर और 31 मार्च को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 37 द्वारा नियंत्रण अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि सरकार के सभी बकाए राशियों को नियमित रूप से शीघ्र मूल्यांकन, वसूली और विधिवत सरकारी खाते में जमा किया जाय। विभाग के कम्प्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप सभी कार्यों को वेब आधारित अनुप्रयोगों के तहत लाया गया, जिसमें अभिलेखों के स्वतः संधारण की सुविधा थी और नियंत्रण अधिकारियों को हमेशा उपलब्ध थी।

वाहनों की श्रेणी के आधार पर कर का त्रैमासिक या एकमुश्त अग्रिम भुगतान लिया जाता है। वैयक्तिक और कुछ अधिसूचित परिवहन वाहनों पर एकमुश्त कर आरोपित होता है, जबकि अन्य वाहनों पर कर का भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है। निर्दिष्ट दरों पर कर का भुगतान न करने पर झा.मो.वा.क. नियमावली के नियम 4 में विलंब की आवधि के आधार पर अर्थदण्ड का प्रावधान है। निम्नलिखित कंडिकाओं में ₹ 168.07 करोड़ के कर और शुल्क का कम/अनिर्धारण और कम/नहीं सग्रहण संबंधी लेखापरीक्षा अवलोकन वर्णित हैं।

कर शुल्क का निर्धारण

2.1.12.2 धुरी भार का संशोधन

15,507 परिवहन वाहनों के धुरी भार में संशोधन नहीं होने के फलस्वरूप ₹ 6.95 करोड़ कर का अवनिर्धारण।

MoRTH, भारत सरकार ने जुलाई 2018 में परिवहन वाहनों में सुरक्षित धुरी भार की सीमा को संशोधित किया। परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार ने संशोधन (जुलाई 2018) को अग्रसारित करते हुए सभी जि.प.प. और मो.वा.नि. को इसके अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया।

डाटा डंप के विश्लेषण में यह पाया गया कि धुरी भार संशोधित किए जाने वाले 1,14,038 माल वाहक वाहनों में से 86,606 का संशोधन लंबित था। इनमें से चयनित जिला परिवहन कार्यालयों के 69,912 मामले (81 प्रतिशत) थे।

लेखापरीक्षा ने वर्तमान कर भुगतान के आधार पर 15,507 (22 प्रतिशत) मामलों का नमूना लिया और इन वाहनों को रियल टाइम डाटा और निबंधन अभिलेखों के साथ सत्यापित किया। सत्यापन से पता चला है कि इन वाहनों के धुरी वजन को संशोधित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 15,507 वाहनों पर ₹ 6.95 करोड़ कर का कम निर्धारण हुआ। अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने यथासमय धुरी भार संशोधन के लिए प्रक्रिया निर्धारित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. ने भी विभागीय निर्देशों का पालन नहीं किया और पहले से दर्ज धुरी भार के आधार पर कर संग्रहित किया। इस परिस्थिति में राज्य में 76 प्रतिशत माल वाहक वाहनों के धुरी भार को एक साल से अधिक समय के बाद भी संशोधित किया जाना बाकी था।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि चार जि.प.का.²³ में 471 वाहन स्वामियों से ₹ 21.76 लाख की वसूली की गयी। इसके अतिरिक्त, धुरी भार के संशोधन के लिए स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी करने के लिए जि.प.प. को निर्देशित किया गया है।

2.1.12.3 व्यापार प्रमाण-पत्र के प्रावधान वित्तपोषकों के लिए लागू करना

जि.प.प. ने अनियमित रूप से निबंधन प्रमाण-पत्र में उन वित्तपोषकों के पक्ष में किराया-खरीद/बंधक अनुबंध पृष्ठांकित किया, जो व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किये थे।

मो.वा. अधिनियम की धारा 2(8)(डी) के प्रावधानों के तहत "व्यवसायी" ऐसे व्यक्ति को भी सम्मिलित करता है जो मोटर वाहनों के बंधक, लीज या किराया-खरीद के व्यवसाय में लगा हुआ है। अग्रेतर, के.मो.वा. नियमावली के नियम 41(एच) में किराया-खरीद, पट्टे या बंधक अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत दूसरे पक्ष की ओर से किसी प्रमाद के कारण

²³ बोकारो, धनबाद, लोहरदगा और राँची।

वाहन को जब्त करने के लिए एक वित्तपोषक को व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

डाटा डंप की समीक्षा से पता चला कि 294 वित्तपोषक वाहन स्वामियों के साथ किराया और खरीद अनुबंध (एच.पी.ए.) के व्यवसाय में लगे हुए थे। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तपोषकों को व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक था। हालांकि, चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में किसी भी वित्तपोषक ने व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किया था। यह भी पाया गया कि जि.प.प. निबंधन प्रमाण-पत्र में बंधक पृष्ठांकित करने से पहले यह भी सत्यापित नहीं किया है कि वित्तपोषकों ने व्यापार प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है अथवा नहीं। इस प्रकार, जि.प.प. की कर्तव्यप्रयांता की कमी के कारण वैध व्यापार प्रमाण-पत्र और देय शुल्क के भुगतान के बिना ही वित्तपोषकों को अपना व्यवसाय संचालित करने दिया गया।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और कहा कि इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किये जायेंगे। विभाग ने (01 दिसंबर 2020) द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देशित किया कि वैसे सभी व्यवसायी, जो मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 2(8) के दायरे में आते हैं, को व्यापार प्रमाण-पत्र जारी करें।

2.1.12.4 परिवहन वाहनों के दुरुस्ती प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता की समाप्ति पता लगाने के तंत्र के अभाव में 6,498 परिवहन वाहनों से दुरुस्ती प्रमाण-पत्र नवीनीकरण का शुल्क एवं अर्थदण्ड के रूप में ₹ 22.82 करोड़ का निर्धारण नहीं हुआ।

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 56 प्रावधान करता है कि जब तक परिवहन वाहन को निर्धारित प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दुरुस्ती प्रमाण-पत्र न हो उनका निबंधन प्रमाण-पत्र वैध नहीं माना जाएगा। नए परिवहन वाहनों के लिए दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता दो वर्ष है, इसके बाद वार्षिक रूप से नवीनीकरण किया जाता है। वैधता समाप्ति के उपरांत विलंब से दुरुस्ती प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण पर प्रत्येक दिन के लिए ₹ 50 का अतिरिक्त शुल्क देय है। दुरुस्ती प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण नहीं होने पर निबंधन प्राधिकारी वाहन के निबंधन को निलंबित कर सकता है।

डाटा डंप के विश्लेषण पर यह देखा गया कि राज्य में 3,31,327 परिवहन वाहनों के दुरुस्ती प्रमाण-पत्र 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गए थे जिनमें से 2,92,221 वाहन (88 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित थे। लेखापरीक्षा ने अद्यतन कर की स्थिति के आधार पर 32,592 (11 प्रतिशत) मामलों का नमूना लिया और इन वाहनों को वास्तविक समय के आंकड़ों के साथ सत्यापित किया। यह देखा गया कि 11 कार्यालयों²⁴ में 6,498 वाहन स्वामियों ने दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्ति के

²⁴ जिला परिवहन कार्यालय: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू, रामगढ़ और राँची।

पश्चात भी नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था, हालांकि, इन वाहनों के कर भुगतान की स्थिति अद्यतन थी। इसके परिणामस्वरूप शुल्क एवं अर्थदण्ड के रूप में ₹ 22.82 करोड़ राजस्व आरोपित नहीं हुआ। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता की समाप्ति के बारे में जानकारी उपलब्ध थी, किन्तु कर भुगतान स्वीकार करते समय दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता की समाप्ति का पता लगाने के लिए सॉफ्टवेयर में जाँच-तंत्र का अभाव था। विभाग ने ऐसे मामलों का मूल्यांकन और उनका नवीनीकरण या निबंधन प्रमाण-पत्र को निलंबित करने की कार्रवाई की सामयिक समीक्षा नहीं की।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि तीन जि.प.का.²⁵ में 856 परिवहन वाहन स्वामियों से ₹ 1.74 करोड़ की वसूली हुई है। इसके अतिरिक्त जि.प.प. को ऐसे वाहनों का पता लगाने और अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डित करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहिर्गमन सम्मेलन (दिसंबर 2020) में सचिव ने यह आश्वस्त किया कि राज्य में अधिक से अधिक स्वचालित दुरुस्ती केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

2.1.12.5 निबंधन प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण

वैयक्तिक वाहनों की निबंधन वैधता समाप्ति के उपरांत नवीनीकरण नहीं होने के कारण 829 वाहनों से ₹ 2.94 करोड़ राजस्व का निर्धारण नहीं हुआ।

मो.वा. अधिनियम की धारा 41 (7) में प्रावधान है कि परिवहन वाहन को छोड़ कर अन्य वाहनों का निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत तिथि से 15 साल के लिए वैध होगा और पुनः अनुवर्ती पाँच वर्षों के लिए नवीनीकरणीय होगा। वाहन के परिचालन से विराम के मामले में निबंधन अभिलेख को रद्द करने के लिए धारा 17 के तहत सूचना की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, झा.मो.वा.क. अधिनियम की धारा 5(5) में 15 वर्ष से अधिक पुराने वैयक्तिक वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रावधान है। निबंधन के नवीनीकरण के मामले में एक माह से अधिक के विलंब से आवेदन करने पर अतिरिक्त शुल्क भी देय है।

डाटा डंप के विश्लेषण पर यह देखा गया कि राज्य में 1 अप्रैल 1999 और 31 मार्च 2004 के बीच निबंधित 22,923 व्यक्तिगत वाहनों (हल्के मोटर वाहनों) के निबंधन प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त हो गयी थी (31 मार्च 2019 तक) और नवीनीकरण लंबित था। इनमें से 18,968 वाहन (83 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित था। डाटा की अग्रेसर जाँच से पता चला कि 18,968 वाहनों में से, 13,490 वाहनों का विक्रय मूल्य आवेदन सॉफ्टवेयर में दर्ज नहीं था। लेखापरीक्षा ने रियल टाइम डाटा और निबंधन पंजी के साथ सत्यापन के लिए पाँच से 10 सीटों की बैठान क्षमता वाले शेष 5,478 वाहनों में से 2,279 (42 प्रतिशत) का नमूना लिया। चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में लेखापरीक्षा सत्यापन (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) में

²⁵ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

पता चला कि 10 चयनित कार्यालयों²⁶ में 829 वाहनों की निबंधन वैधता अप्रैल 2014 और मार्च 2019 के बीच समाप्त हो गई थी। वाहन स्वामियों ने न तो निबंधन के नवीनीकरण के लिए और न ही वाहनों के निबंधन रद्द के लिए आवेदन किया था। इसके परिणामस्वरूप निबंधन शुल्क, निरीक्षण शुल्क और हरित कर के रूप में ₹ 2.94 करोड़ राजस्व का आरोपण नहीं हुआ। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि निबंधन की वैधता समाप्त होने की जानकारी एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में उपलब्ध थी, लेकिन ऐसी सूची के ऑटो जेनरेशन की सुविधा अनुपस्थित थी। विभाग ने ऐसे मामलों का आवधिक मूल्यांकन कर समीक्षा नहीं की और निबंधन के नवीनीकरण की कार्रवाई नहीं की गयी।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि 61 वैयक्तिक वाहन स्वामियों ने निबंधन प्रमाण-पत्र को नवीनीकृत किया और तीन जि.प.का.²⁷ में ₹ 11.30 लाख की वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को आम जनता की जागरूकता के लिए एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2.1.12.6 सार्वजनिक वाहकों का निबंधन

अंतर-विभागीय डाटा/सूचना के अदान-प्रदान तंत्र की अनुपस्थिति में 174 सार्वजनिक वाहक अनिबंधित रह गये जिसके फलस्वरूप ₹ 33.06 लाख शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम की धारा 4 और उसके तहत बनाये गए नियमावली में प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक वाहक के व्यवसाय (ट्रांसपोर्टर) में संलग्न है या इसकी इच्छा रखता है, निबंधन प्रमाण-पत्र की स्वीकृति के लिए क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (क्षे.प.प्रा.) के समक्ष आवेदन करेगा। सामान्य वाहक का निबंधन प्रमाण-पत्र सम्पूर्ण देश में 10 वर्षों के लिए वैध है।

लेखापरीक्षा ने वाणिज्यिक विभाग से ट्रांसपोर्टर, वाहक, रसद आदि के संबंध में डाटा/सूचना प्राप्त की और चयनित क्षे.प.प्रा. में निबंधन अभिलेख के साथ इसे प्रतिसत्यापित किया। प्रति-सत्यापन से पता चला कि 575 सड़क वाहक/ट्रांसपोर्टरों में से 401 को वर्ष 2014-19 के दौरान चयनित क्षे.प.प्रा. द्वारा निबंधित किया गया था और शेष 174 वाहक अभी तक अनिबंधित थे। यह देखा गया कि सड़क वाहक/ट्रांसपोर्टरों की पहचान करने के लिए अंतर-विभागीय डाटा/सूचना के आदान-प्रदान के लिए कोई तंत्र नहीं था। इस प्रकार, विभाग इन अनिबंधित संस्थाओं को कर के दायरे में लाने के लिए उनकी पहचान नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 33.06 लाख निबंधन शुल्क, प्रसंस्करण शुल्क और प्रतिभूति राशि आरोपित नहीं हुआ।

²⁶ जिला परिवहन अधिकारी: बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू और राँची।

²⁷ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और क्षे.प.प्रा. को वाणिज्यिक कार्यालयों से ट्रांसपोर्टर्स का विवरण प्राप्त करने और उन्हें अधिनियम के तहत निबंधित करने का निर्देश दिया।

कर और शुल्क का संग्रहण

2.1.12.7 परिवहन वाहनों से कर संग्रहण

9,260 प्रमादी परिवहन वाहनों से कर और अर्थदण्ड के रूप में वसूलनीय ₹ 74.57 करोड़ का उदग्रहण जि.प.प. द्वारा नहीं किया गया।

झा.मो.वा.क. अधिनियम और झा.मो.वा.क. नियमावली के अनुसार निबंधित परिवहन वाहनों के स्वामियों को देय कर का अग्रिम भुगतान करना है। यदि भुगतान में विलंब 90 दिनों से अधिक हो जाता है, तो कर के साथ देय करों की दोगुनी राशि का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2019 से अधिनियम में 12 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन वाहनों पर हरित कर आरोपित करने का प्रावधान किया गया है। VAHAN सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को प्रणाली से प्रमादियों की सूची जनन करने में सक्षम बनाया है। जिला परिवहन अधिकारियों (जि.प.प.) को प्रमादियों को माँग पत्र निर्गत करना है। इसके अतिरिक्त, वाहन स्वामियों को अपने वाहनों के परिचालन विराम की पूर्व सूचना देना है।

डाटा डंप के विश्लेषण से पाया गया कि राज्य में 74,341 परिवहन वाहनों की कर वैधता 31 मार्च 2019 को समाप्त हो गई थी, जिसमें से 60,728 वाहन (82 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित थे। लेखापरीक्षा ने लेखापरीक्षा का क्षेत्र, मॉडल और प्रमाद की अवधि के आधार पर 25,161 परिवहन वाहनों (41 प्रतिशत) का नमूना लिया। यह देखा गया कि 9,260 वाहन स्वामियों ने एक वर्ष से अधिक समय के लिए करों का भुगतान नहीं किया था। इन वाहनों के परिचालन से बाहर होने के बारे में कोई अभिलेख नहीं मिला। आगे यह देखा गया कि माँग पत्र जारी करने के लिए जिम्मेवार जि.प.प. ने न तो VAHAN सॉफ्टवेयर से प्रमादियों की सूची तैयार की और न ही झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के प्रावधानों के अनुसार माँग, संग्रहण और बकाया पंजी को तिमाही आधार पर अद्यतन किया और न ही बकाया करों की माँग की। राज्य परिवहन आयुक्त और संयुक्त परिवहन आयुक्त ने भी परिवहन कार्यालयों के कामकाज की निगरानी नहीं की। इसके परिणामस्वरूप 9,260 परिवहन वाहनों से ₹ 49.59 करोड़ अर्थदण्ड और ₹ 0.19 करोड़ हरित कर सहित कुल ₹ 74.57 करोड़ कर राजस्व का संग्रहण नहीं हुआ।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और सूचित किया कि पाँच जि.प.का.²⁸ में 388 परिवहन वाहन स्वामियों से ₹ 2.02 करोड़ की वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को कर की वसूली करने के लिए प्रमादी वाहन स्वामियों के

²⁸ बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा और राँची।

विरुद्ध माँग पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहिर्गमन सम्मेलन (दिसंबर 2020) में सचिव ने कहा कि जि.प.प. को बकाया राजस्व वसूलने का निर्देश दिया जाएगा, जिसकी निगरानी हर महीने शीर्ष स्तर पर की जाएगी। अग्रेतर, बताया गया कि प्रत्येक माह राजस्व संग्रहण और नीलामपत्र वाद मामलों की समीक्षा की जा रही है और समर्पित अधिकारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में इस तरह की अनियमितताओं को इंगित किया था, लेकिन त्रुटियां यथा विद्यमान हैं।

2.1.12.8 एकमुश्त कर का उदग्रहण

30,262 वाहनों, जो एक-मुश्त कर के दायरे में लाये गए हैं, से ₹ 44.37 करोड़ एकमुश्त कर और अर्थदण्ड वसूलनीय था, जिसे जि.प.प. ने उदग्रहीत नहीं किया।

झारखण्ड सरकार ने जनवरी 2019 में मोटर वाहनों के करारोपण संरचना में परिवर्तन लाया और वैयक्तिक वाहनों के अतिरिक्त, कुछ परिवहन वाहनों, यथा तिपहिया यात्री वाहनों, तीन टन निबंधित लदान भार तक के माल वाहनों और निर्माण उपकरण वाहनों को भी एकमुश्त कर (ओ.टी.टी.) के दायरे में लाया गया।

लेखापरीक्षा ने ओ.टी.टी. के दायरे में लाए गए परिवहन वाहनों के निबंधन डाटा में पाया कि राज्य में 2,68,816 वाहनों की कर वैधता समाप्त हो गई थी (31 मार्च 2019 तक), जिसमें से 2,25,224 (84 प्रतिशत) चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधित थे।

- लेखापरीक्षा ने चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में एकमुश्त कर के दायरे में आने वाले परिवहन वाहनों की कर स्थिति 1,34,901 (60 प्रतिशत) का रियल टाइम डाटा और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के साथ सत्यापित किया और देखा कि 30,262 वाहन स्वामियों ने कर का भुगतान नहीं किया था। इन वाहनों के परिचालन से बाहर होने के बारे में शपथ-पत्र का कोई अभिलेख नहीं था। अग्रेतर, देखा गया कि माँग पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार जि.प.प. ने VAHAN सॉफ्टवेयर से कर प्रमादियों की सूची तैयार नहीं की और बकाया करों की माँग नहीं की। इस प्रकार, संशोधित प्रावधान के अनुसार, विभाग ₹ 7.35 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 44.37 करोड़ राजस्व की वसूली नहीं कर सका।

सरकार ने (नवंबर 2020) लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और सूचित किया कि छह जि.प.का.²⁹ में 2,331 वाहन स्वामियों से ₹ 4.22 करोड़ की वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, जि.प.प. को कर की वसूली करने के लिए संबंधित वाहन स्वामियों को माँग पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। बहिर्गमन सम्मेलन (दिसंबर 2020) में सचिव ने कहा कि जि.प.प. को बकाया राजस्व वसूलने का निर्देश दिया जाएगा, जिसकी निगरानी हर महीने शीर्ष स्तर पर की जाएगी। अग्रेतर, बताया गया कि प्रत्येक माह

²⁹ बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा, रामगढ़ और राँची।

राजस्व संग्रहण और नीलामपत्र वाद मामलों की समीक्षा की जा रही है और समर्पित अधिकारियों को इसका जिम्मा सौंपा गया है।

- इसके अतिरिक्त, चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में लेखापरीक्षा द्वारा ओ.टी.टी. के भुगतान से संबंधित रियल टाइम डाटा के साथ विक्रय चालान का तिर्यक सत्यापन किया (दिसंबर 2019) और यह उद्घटित हुआ कि जि.प.का., राँची में निबंधित 225 मशीनरी वाहनों में से तीन मामलों में, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में दर्ज विक्रय मूल्य, विक्रय चालान की तुलना में कम था, इस प्रकार वाहनों की विक्रय मूल्य के शमन के कारण ₹ 11.17 लाख कम एकमुश्त कर आरोपित हुआ, जैसा कि तालिका-2.5 में दिखाया गया है।

तालिका-2.5: एकमुश्त कर का कम आरोपण

क्र. सं.	निबंधन सं.	वर्ग	निबंधन तिथि	विक्रय मूल्य	आरोपित ओ.टी.टी.	कर वैद्यता	वास्तविक विक्रय मूल्य	आरोपणीय ओ.टी.टी.	कम आरोपण
1	JH01CL 6775	लोडर	16.06.17	1,06,000	6,183	21.03.19 से 20.03.29	84,82,500	4,94,793	4,88,610
2	JH01CL 3420	लोडर	16.06.17	1,03,000	6,008	21.03.19 से 20.03.29	84,82,500	4,94,793	4,88,785
3	JH01CL 7811	क्रेन	02.06.17	2,75,000	15,509	13.08.19 से 12.04.29	27,50,000	1,55,090	1,39,581
कुल					27,700			11,44,676	11,16,976

अग्रेतर, देखा गया कि VAHAN एप्लिकेशन में इन वाहनों के गलत डाटा प्रविष्टि के कारण चूक हुई। हालाँकि डाटा प्रविष्टि के सत्यापन और पुष्टि की व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन जि.प.प. द्वारा इन अनियमितताओं पर ध्यान नहीं दिया गया था।

सरकार/विभाग इस संबंध में कुछ नहीं कहा। हालाँकि, जि.प.प., राँची ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि दो वाहनों के मामले में ₹ 9.77 लाख की राशि की वसूली कर ली गई है और अन्य मामले में माँग पत्र जारी किया गया है।

2.1.12.9 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण

राष्ट्रीय परमिट वैधता के दौरान 1,515 राष्ट्रीय परमिट धारकों ने अनुवर्ती प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 6.73 करोड़ समेकित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क का उदग्रहण नहीं हुआ।

मो.वा. अधिनियम और के.मो.वा. नियमावली के अनुसार राष्ट्रीय परमिट पाँच साल की अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। राष्ट्रीय परमिट के लिए प्राधिकार पत्र एक बार में एक वर्ष के लिए निर्गत किया जाता है और यह तब तक वैध रहता है जब तक कि परमिट की वैधता समाप्त नहीं हो जाती है या परमिट धारक द्वारा इसे अभ्यर्पित नहीं कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र को निर्धारित

वार्षिक समेकित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क के अग्रिम भुगतान पर नवीनीकृत किया जाएगा तथा विलंब की दशा में निर्धारित दरों पर अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाँच क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार (क्षे.प.प्रा.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और अभिलेखों की नमूना जाँच (अगस्त 2019 और मार्च 2020 के बीच) में पाया कि वर्ष 2015 और 2019 के बीच उनके द्वारा 16,342 राष्ट्रीय परमिट जारी किए गए थे। आगे की जाँच से पता चला है कि 1,515 मामलों में राष्ट्रीय परमिट के अनुवर्ती प्राधिकरण को परमिट की आवधि में नवीनीकृत नहीं किया गया। इन वाहनों के परिचालन से बाहर होने या परमिट अभ्यर्पण करने संबंधी कोई भी अभिलेख नहीं थे। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा ने पाया कि VAHAN सॉफ्टवेयर में उपलब्ध राष्ट्रीय परमिट मॉड्यूल प्राधिकरण की समय सीमा समाप्त हुए परमितों की सूची जनन नहीं कर सकता था और इसमें परमिट अभ्यर्पण के प्रावधान को भी शामिल नहीं किया गया था। विभाग ने प्राधिकरण के नवीनीकरण की निगरानी भी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित समेकित शुल्क और प्राधिकरण शुल्क ₹ 6.73 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और बताया कि तीन क्षे.प.प्रा.³⁰ में 120 वाहनों के राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकरण का नवीनीकरण किया गया और ₹ 47.72 लाख की वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, सभी क्षे.प.प्रा. को संबंधित वाहन स्वामियों को माँग पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है।

2.1.12.10 पारस्परिक समझौतों के अंतर्गत परिचालित वाहनों से कर की वसूली

कर प्रमादी वाहनों पर नियंत्रण तंत्र के अभाव में 108 सार्वजनिक सेवा वाहन, जिनका परिचालन पारस्परिक समझौते के तहत हो रहा था, से ₹ 1.66 करोड़ कर और अर्थदण्ड की वसूली नहीं हुई।

मो.वा. अधिनियम की धारा 88(5) में प्रावधान है कि एक राज्य में निबंधित परिवहन वाहन दूसरे राज्यों में सरकारों के बीच पारस्परिक समझौतों के तहत परिचालित किये जा सकते हैं। तदनुसार, झारखण्ड राज्य ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों से पारस्परिक समझौते जनवरी 2003 में, बिहार के साथ अप्रैल 2007 में और छत्तीसगढ़ के साथ सितम्बर 2008 में किया, जिससे सार्वजनिक सेवा वाहन इन राज्यों में परिचालन कर सके। सार्वजनिक सेवा वाहनों, जिसे अंतर-राज्य परमिट दिया गया था, के लिए एक दोहरे बिंदु कराधान प्रणाली को अपनाया गया था और अन्य राज्यों में संचालन के दौरान वाहन अन्य राज्यों के सभी करों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय में पारस्परिक समझौतों के तहत अन्य राज्यों की बसों की कर स्थिति की जाँच में पाया गया कि 901 बसों में से 108 बसों के स्वामी कर प्रमादी थे। वाहन मालिक नए शुरू किए गए sPERMIT पोर्टल के माध्यम से कर का ऑनलाइन भुगतान कर सकते थे, लेकिन पोर्टल में प्रमादियों को चिन्हित करने का प्रावधान

³⁰ दुमका, हजारीबाग और कोल्हान।

उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार कर प्रमादी वाहनों की सूची नहीं बनाई जा सकी। विभाग ने इन वाहनों के कर भुगतान की निगरानी नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.10 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 1.66 करोड़ कर राजस्व की वसूली नहीं हुई।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवंबर 2020) और कहा कि पारस्परिक समझौते के तहत परिचालित प्रमादी वाहनों की रोकथाम के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

2.1.12.11 सेवा कर/जी.एस.टी. का समुचित शीर्ष में जमा

दुरुस्ती शुल्क के साथ सेवा कर/जी.एस.टी. की संग्रहित राशि ₹ 7.59 करोड़ को समुचित शीर्ष में जमा नहीं करना।

सेवा कर नियमों के प्रावधानों के साथ पठित परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के दिसम्बर 2006 और मई 2007 में जारी किए गए कार्यकारी निर्देश के अनुसार दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करते समय दुरुस्ती शुल्क के साथ निर्धारित दर पर सेवा कर/जी.एस.टी. का आरोपण करना था। मोटर वाहन निरीक्षक (एम.भी.आई.) को एक सेवा कर निबंधन संख्या खोलने और एकत्रित राशि को शीर्ष "0044-जी.एस.टी." में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था। सेवा कर जून 2017 तक प्रभावी था और उसके पश्चात जी.एस.टी. के अन्दर आ गया।

चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में रियल टाइम डाटा से सेवा कर/जी.एस.टी. संग्रहण के आंकड़े प्राप्त किया गया। यह देखा गया कि वर्ष 2016-19 के दौरान वाहनों के दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करते समय सेवा कर/जी.एस.टी. मद में कुल ₹ 7.59 करोड़ राजस्व का संग्रहण हुआ। एकत्रित राशि को शीर्ष "0044" के बदले शीर्ष "0041-वाहनों पर करों" के अंतर्गत जमा किया गया, जो अनियमित था। विभाग ने सेवा कर/जी.एस.टी. राशि को वाहनों पर कर के अंतर्गत जमा किया, जिससे लेखा शीर्ष में राजस्व प्राप्ति आंकड़े गलत दर्शाये गये।

यह मामला 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के निष्पादन लेखापरीक्षा "परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण" की कंडिका 4.8.9.14 और 31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के निष्पादन लेखापरीक्षा "प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर जोर देने के साथ परिवहन विभाग के कामकाज" की कंडिका 4.3.22 में इंगित किया गया था। सरकार ने एन.आई.सी. को निर्देश दिया था (नवंबर 2011) कि तालिका संरचना में इस तरह का बदलाव किया जाए ताकि जी.एस.टी. की राशि की गणना अलग से की जा सके और उसे उपयुक्त लेखा शीर्ष में हस्तांतरित किया जा सके। हालांकि, विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है और अनियमितता अभी भी विद्यमान है।

सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (नवम्बर 2020) और कहा कि इस विषय पर एन.आई.सी. के साथ चर्चा की जाएगी ताकि एक प्रणाली विकसित की जा सके

और दुरुस्ती शुल्क की वसूली के समय संग्रहित जी.एस.टी की राशि उचित लेखा शीर्ष में जमा की जा सके। बहिर्गमन सम्मेलन में सचिव ने कहा (दिसम्बर 2020) कि एन.आई.सी. और केंद्रीय कर राजस्व विभाग के परामर्श से स्रोत पर ही जी.एस.टी कटौती के उपाय विकसित किए जाएंगे। हालांकि, पूर्व संग्रहीत सेवा कर/जी.एस.टी. राशि पर विभाग मौन रहा।

2.1.13 निष्कर्ष

विभाग ने जनवरी और मार्च 2019 में वैयक्तिक और परिवहन वाहनों पर करारोपण के प्रावधानों में संशोधन किया तथा कर और शुल्क संरचना में संशोधन के साथ-साथ नए करों को भी लागू किया। संशोधन में कुछ परिवहन वाहनों को आजीवन कर/ओ.टी.टी. के दायरे में लाया गया। हालांकि, कर के विलंबित भुगतान के लिए अर्थदण्ड लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था और कुछ मामलों में कर वैधता की अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, इन वाहनों के अस्थायी निबंधन पर कर संबंधी प्रावधान नहीं थे और पूर्व से निबंधित वाहनों पर ओ.टी.टी. का प्रतिशत, जैसा कि वैयक्तिक वाहनों के मामले में था, अनुपस्थित था। इसके अतिरिक्त, अधिनियम राज्य से वाहन हस्तांतरण के मामले में ओ.टी.टी. की वापसी के लिए दर की चार्ट प्रावधानित नहीं किया।

एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में इन संशोधनों के कार्यान्वयन को निष्पादित करते समय विभाग संशोधनों को अनुप्रयोगों में कुशल और सटीक रूप से शामिल करने के लिए एक प्रभावी योजना तैयार नहीं कर सका। पाँच से 13 दिनों तक संशोधनों को शामिल करने में विलंब हुआ और साथ ही गलत और अपूर्ण रूप से सम्मिलित करने के कारण क्रमशः ₹ 5.63 करोड़ कम और ₹ 59.32 लाख के अधिक राजस्व का आरोपण हुआ। परिवहन आयुक्त और जि.प.प. कार्यालय संशोधित दरों की अधिसूचनाओं के बाद भी क्रमशः पाँच और 13 दिनों तक संशोधन पूर्व की दरों पर कर एकत्र करते रहे। विभाग के गतिविधियों के लिए कम्प्यूटरीकरण के कार्यान्वयन के 16 साल बाद भी VAHAN एप्लिकेशन के कुछ मॉड्यूल यथा, वर्तमान पता दर्ज के लिए अनापति प्रमाण-पत्र जमा करने, व्यापार कर का मूल्यांकन तथा संग्रहण और स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित करने जैसी गतिविधियाँ सम्मिलित नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप 3,928 वाहनों पर ₹ 81.23 लाख के लंबित मूल्यांकन, 764 वाहनों से स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटन के लिए अनापति प्रमाण-पत्र जमा करने में विलंब पर ₹ 17.42 लाख अतिरिक्त शुल्क और ₹ 15.12 लाख व्यापार कर और अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ। विभाग द्वारा राज्य में परिवहन वाहनों के धुरी भार को संशोधित करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित नहीं की जा सकी, परिणामस्वरूप भारत सरकार द्वारा संशोधन के एक वर्ष से अधिक के बाद भी 76 प्रतिशत वाहनों के धुरी भार संशोधित नहीं हुए। लेखापरीक्षा ने 15,507 वाहनों की जाँच किया और पाया कि धुरी भार के पुनरीक्षण न करने के कारण ₹ 6.95 करोड़ की कम वसूली हुई। विभाग को अभी भी एक ऐसी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करनी है, जिसके तहत प्रमादियों से करों और शुल्क को समय पर और कुशल तरीके से वसूल किया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप 39,630 परिवहन वाहनों से ₹ 120.60 करोड़, 1,515

राष्ट्रीय परमिट धारकों से ₹ 6.73 करोड़ और 6,498 वाहनों, जिनका दुरुस्ती प्रमाण-पत्र समाप्त हो गया था, से ₹ 22.82 करोड़ कर और शुल्क संग्रह नहीं हुआ।

2.1.14 अनुशंसाओं का सारांश

सरकार/विभाग को चाहिए:

- एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में व्यावसायिक नियमों को शामिल करने की प्रणाली की समीक्षा करे और प्रावधानों का समयबद्ध, सटीक और पूर्ण रूप से शामिल करना सुनिश्चित करे।
- निबंधन पदाधिकारियों को वाहनों के निबंधन प्रमाण-पत्र में केवल उन वित्तपोषकों के पक्ष में बंधक दर्ज करने का निर्देश दें जिनके पास वैध व्यापार प्रमाण-पत्र हो।
- कर भुगतान स्वीकार करते समय दुरुस्ती प्रमाण-पत्र की वैधता का पता लगाने के लिए निगरानी तंत्र विकसित करने के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को संशोधित करे।
- अनिबंधित सार्वजनिक वाहक/ट्रांसपोर्टों की पहचान करने के लिए डाटा/सूचना के अंतर-विभागीय आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र तैयार करे।
- एक प्रणाली विकसित करे ताकि प्रमादियों को निश्चित अंतराल पर ईमेल/SMS के माध्यम से माँग पत्र दिए जा सके।
- दुरुस्ती शुल्क के संग्रहण की प्रणाली को इस तरह से विकसित करे कि सेवा कर/जी.एस.टी. को उपयुक्त शीर्ष में सुचारू हस्तांतरण की सुविधा के लिए अलग हो जाए।

सरकार/विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा की गई सभी सिफारिशों को स्वीकार किया और सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष चयनित नमूने जाँच के आधार पर निकाले गए हैं और संभावना है कि राज्य में मोटर वाहन कर और शुल्क के मूल्यांकन और संग्रहण करने वाले अन्य कार्यालयों में समान तरह की अनियमितताएँ हो। परिवहन विभाग इन मामलों की गहन जाँच राज्य के सभी जिलों में कर आवश्यक कार्रवाई कर सकती है।

अध्याय-III: अनुपालन लेखापरीक्षा

वाणिज्य कर विभाग

3.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर और केन्द्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते थे। 01 जुलाई, 2017 से, विभाग राज्य में झारखण्ड वस्तु एवं सेवा कर (झा.व.एवं.से.क.) प्रशासित कर रहा है। राज्य कर आयुक्त वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में झा.व.एवं.से.क. अधिनियम एवं नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें अपर आयुक्त, संयुक्त आयुक्तों, उप आयुक्तों एवं सहायक आयुक्तों द्वारा सहयोग किया जाता है।

राज्य पाँच राज्य कर प्रमंडलो³¹, प्रत्येक संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के प्रभार में एवं 28 अंचलों, प्रत्येक राज्य कर उपायुक्त/सहायक आयुक्त (रा.क.उ.आ./रा.क.स.आ.) के प्रभार में विभाजित है। अंचल के वा.क.उ.आ./वा.क.स.आ., जिन्हें राज्य कर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में एक उपायुक्त (अणवेषण ब्यूरो) पदस्थापित होते हैं तथा वह करदाताओं के गोदाम या मालखानों के निरीक्षण, वस्तुओं या दस्तावेजों की जाँच एवं ज़बती, वस्तुओं के आवागमन का निरीक्षण एवं इस अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के लिए किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के कार्य का निर्वहन करते हैं।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 के दौरान, वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) के लेखापरीक्षा योग्य 44 इकाइयों में से छह इकाइयों³² (16 प्रतिशत) के अभिलेखों का नमूना जाँच किया। लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि में, राज्य में कुल 2,28,771 करदाता निबंधित थे जिनमें से 24,796 करदाता नमूना जाँच किये गये अंचलों में निबंधित थे तथा लेखापरीक्षा के द्वारा 668 कर-निर्धारण अभिलेखों का जाँच किया गया। इसके अलावा “झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र” पर एक लेखापरीक्षा भी किया गया। विभाग ने 2017-18 के दौरान ₹ 3,684.03 करोड़ के राजस्व का संग्रहण किया (बिक्री, व्यापार आदि पर कर: ₹ 3,474.96 करोड़ और विद्युत शुल्क ₹ 209.07 करोड़) जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 1,623.96

³¹ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

³² राज्य कर उपायुक्त का कार्यालय, धनबाद नागरीय, हजारीबाग, लोहरदगा, राँची पूर्वी एवं राँची पश्चिमी; तथा राज्य कर के सचिव-सह-आयुक्त का कार्यालय।

करोड़ (44 प्रतिशत) का संग्रहण किया। लेखापरीक्षा ने अधिनियम/नियमों के अनुपालन नहीं होने के फलस्वरूप 125 मामलों में सन्निहित ₹ 1,749.39 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण का पहचान किया, जैसा तालिका-3.1 में विवरणित है।

तालिका-3.1: राजस्व का अवनिर्धारण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की सं.	राशि
1	झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र	1	1,394.16
2	आवर्त के छिपाव के कारण कर का नहीं/ कम आरोपण	45	245.78
3	ब्याज का कम/ नहीं आरोपण	10	48.10
4	अर्थदण्ड/ब्याज का नहीं आरोपण	7	14.27
5	गलत आवर्त निर्धारण के कारण कर का नहीं/ कम आरोपण	15	12.59
6	कर से छूट की अनियमित अनुमति	10	6.80
7	इनपुट टैक्स क्रेडिट की गलत अनुमति	15	2.62
8	कर के गलत दर का अनुप्रयोग	4	0.10
9	अन्य मामलें	18	24.97
कुल		125	1,749.39

विभाग ने 11 मामलों में ₹ 1,430.09 करोड़ के कर अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से नौ मामलों में सन्निहित ₹ 1,424.77 करोड़ वर्ष 2018-19 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्ष 2017-18 के दौरान निर्गत किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित किए गये थे। विभाग द्वारा ₹ 1.03 करोड़ की वसूली सूचित किया गया है।

कण्डिका 3.4 से 3.7 में मूल्यवर्द्धित कर से सम्बंधित ₹ 35.95 करोड़ के आठ अनियमितताओं को दर्शाया गया है। इसी प्रकार की अनियमितताएँ पिछले पाँच वर्षों के दौरान बार-बार प्रतिवेदित की गई है, जैसा कि तालिका-3.2 में वर्णित है।

तालिका-3.2: पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में अवलोकनों की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

अवलोकनों की प्रकृति	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
क्रय/विक्रय आवर्त का छिपाया जाना	44	222.28	69	169.03	18	284.10	108	405.37	1	1.10	240	1,081.88
कर के गलत दर का अनुप्रयोग	51	37.76	22	6.96	22	15.44	21	11.07	-	-	116	71.23
अस्वीकृत छूटों/रियायतों पर ब्याज का आरोपण नहीं	46	60.02	52	72.58	19	119.92	62	142.00	6	10.95	185	405.47
बढाए गये आवर्त पर अर्थदण्ड/ब्याज का नहीं आरोपण	10	17.71	17	60.73	15	53.14	-	-	2	3.93	44	135.51

विभाग ने पूर्व के लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सुधारात्मक कारवाई का आश्वासन दिया था (अगस्त 2015)। हालांकि, अनियमितताओं की पुनरावृत्ति यह स्पष्ट करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा साल दर साल इंगित की गई अनियमितताओं को दूर करने के लिए कोई उचित उपाय नहीं किया है।

3.3 “झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र” पर लेखापरीक्षा

3.3.1 प्रस्तावना


झारखण्ड में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत (दिसम्बर 2000) बिहार विद्युत शुल्क (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948 और बिहार विद्युत शुल्क नियमावली, 1949 और झारखण्ड विद्युत शुल्क (झा.वि.शु.) (संशोधित) अधिनियम, 2011 एवं झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधित) नियमावली, 2011, 2012 द्वारा संशोधित और उसके अधीन समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएँ द्वारा शासित होती है।

वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.), झारखण्ड सरकार अधिनियम में विनिर्दिष्ट दरों पर लाइसेंसधारियों, कैप्टिव उत्पादक संयंत्रों और थोक उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क एकत्र करती है। कैप्टिव उत्पादक संयंत्रों और थोक उपभोक्ताओं को विवरणी जमा करना और विद्युत शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है जबकि लाइसेंसधारियों को थोक खरीदारों के अलावा अन्य उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क संग्रहण कर और विद्युत शुल्क का भुगतान करना है। मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.), ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, भारतीय विद्युत अधिनियम, 1956 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत, उस प्रयोजन के लिए निर्धारित वार्षिक शुल्क के भुगतान पर विद्युत प्रतिष्ठानों/डी.जी. सेटों को वार्षिक दुरुस्ती प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। झारखण्ड में छः वितरण लाइसेंसधारी हैं।

राज्य कर आयुक्त (रा.क.आ.) अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए उत्तरदायी हैं। रा.क.आ. को अतिरिक्त आयुक्त (अ.आ.), राज्य कर संयुक्त आयुक्तों, संयुक्त आयुक्त (सं.आ.) राज्य कर के अन्वेषण ब्यूरो के साथ राज्य कर के अन्य उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों (उ.आ./स.आ.) का सहयोग प्राप्त होता है।

मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) विद्युत प्रतिष्ठानों को वार्षिक दुरुस्ती प्रमाण-पत्र देने के लिए उत्तरदायी है। उनकी सहायता एक वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक और सचिव लाइसेंसिंग बोर्ड के साथ एक विद्युत निरीक्षक और अन्य सहायक/कनिष्ठ विद्युत निरीक्षकों द्वारा की जाती है।

चार्ट-3.1



3.3.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा यह पता लगाने के लिए किया गया था कि:

- राज्य में विद्युत शुल्क का आरोपण और संग्रहण की प्रणाली प्रभावी और कुशल थी; और
- विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए निर्धारित मानदंड का कड़ाई से पालन किया जाता था।

3.3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा 2014-19 की अवधि के लिए 28 में से 14 वाणिज्यकर अंचलों³³ में जून 2019 और मार्च 2020 के बीच किया गया था। प्रत्येक अंचल द्वारा 2014-19 के दौरान सृजित राजस्व के आधार पर उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम में वर्गीकृत करके अप्रतिस्थापन सरल यादृच्छिक प्रतिचयन पद्धति का उपयोग करके इन 14 अंचलों को चयन किया गया था।

प्रवेश और बहिर्गमन सम्मेलन क्रमशः 18 जुलाई 2019 और 04 दिसम्बर 2020 को वा.क.वि. के सचिव-सह-आयुक्त, झारखण्ड के साथ आयोजित किए गए थे जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र और कार्यप्रणाली, अवलोकनों, निष्कर्ष और अनुशंसाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। विभाग ने विशेष रूप से पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्व तुलना और त्रियक-जाँच के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से पता लगाए गए अवलोकनों की सराहना की। सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया को उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

³³ आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, हजारीबाग, कोडरमा, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रामगढ़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

लेखापरीक्षा ने मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) कार्यालय, राँची से आंकड़े/जानकारी एकत्र किया, जो विद्युत प्रतिष्ठानों के लिए दुरुस्ती प्रमाण-पत्र जारी करता है और कैप्टिव ऊर्जा संयंत्रों सहित विद्युत प्रतिष्ठानों से सम्बंधित शुल्क प्राप्त करता है। लेखापरीक्षा ने दामोदर घाटी निगम (द.घा.नि.), कोलकाता और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झा.बि.वि.नि.लि.), राँची से भी ऊर्जा की बिक्री/आपूर्ति/हस्तांतरण का आंकड़ा एकत्र किया। एकत्र किए गए आंकड़े/जानकारी को वा.क.वि. के पंजीकरण और कर निर्धारण अभिलेखों के साथ त्रिक-जाँच किया गया। लेखापरीक्षा ने चयनित वाणिज्य कर अंचलों में पंजीकृत 559 विद्युत शुल्क निर्धारितियों में से 387 के कर निर्धारण अभिलेखों (69.23 प्रतिशत) का यादृच्छिक चयन कर जाँच भी किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.3.4 राजस्व प्रबंधन

3.3.4.1 विद्युत शुल्क संग्रहण

झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत बिहार बजट नियमावली के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने वाली अपेक्षित राशि को राजस्व प्राप्तियों के अनुमान के रूप में दिखाना चाहिए। वर्तमान माँग और बकाया को अलग-अलग दिखाया जाना चाहिए, यदि पूर्ण वसूली नहीं हो सके तो, कारण दिया जा सकता है। राजस्व में उतार-चढ़ाव के मामले में, अनुमान पिछले तीन साल की प्राप्तियों की तुलना पर आधारित होना चाहिए।

2014-19 के दौरान विद्युत पर शुल्क और कर के संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों को तालिका-3.3 में दर्शायी गई है।

तालिका-3.3: अनुमान और विद्युत शुल्क से वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ				विचलन आधिक्य (+)/ कमी (-) (कॉलम 3-2)	विचलन की प्रतिशतता (कॉलम 2 से कॉलम 4 की)
		विद्युत शुल्क	निरीक्षण फीस	अन्य	कुल		
1	2	3				4	5
2014-15	193.82	171.20	4.20	00	175.40	(-) 18.42	(-) 09.50
2015-16	220.00	120.62	5.06	00	125.68	(-) 94.32	(-) 42.87
2016-17	250.00	148.19	3.16	0.54	151.89	(-) 98.11	(-) 39.24
2017-18	300.00	181.63	0.00	1.87	183.50	(-) 116.50	(-) 38.83
2018-19	280.00	207.00	0.30	1.77	209.07	(-)70.93	(-) 25.33

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे और संशोधित अनुमान के अनुसार 2014-15 से 2018-19 के राजस्व और प्राप्तियों की विवरणी।

बजट तैयार करने के लिए मानदंड, राजस्व संग्रह और पिछले वर्षों की बढ़ती दर, प्रमुख क्षेत्रों एवं वस्तुओं का विकास दर और राज्य एवं राष्ट्र की आर्थिक विकास दर पर आधारित है। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2014-15 को छोड़कर, बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों के बीच 25 और 43 प्रतिशत के बीच व्यापक भिन्नता थी। 2014-15 की तुलना में 2015-16 और 2016-17 के दौरान प्राप्तियों में कमी आई थी। विभाग ने कहा (मार्च 2020) कि विद्युत शुल्क प्राप्तियों में 2015 और 2019 के बीच वृद्धि, बेहतर कर प्रशासन के कारण थी लेकिन थोक खरीदारों द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण संबंधित वर्षों के बजट अनुमानों के साथ तालमेल नहीं रखा जा सका।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2020) कि बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा पिछले वर्ष के दौरान प्राप्तियों, पिछले वर्ष की आर्थिक विकास दर, क्षेत्र की विकास दर आदि के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

बहिर्गमन सम्मलेन में लेखापरीक्षा अवलोकन से वा.क.वि. सहमत हुआ और कहा (दिसम्बर 2020) कि उचित कार्रवाई की गई है।

3.3.4.2 राजस्व के बकाये

वा.क.वि. ने 31 मार्च 2019 तक के विद्युत शुल्क से संबंधित राज्य के राजस्व की कुल बकाया राशि प्रस्तुत नहीं किया, यद्यपि इसकी माँग (जून 2019) की गई थी। अतः लेखापरीक्षा ने 2014-19 के लिए 14 चयनित अंचलों से बकाया विद्युत शुल्क की जानकारी एकत्र किया, जिसे तालिका-3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.4: 14 अंचलों में बकाया विद्युत शुल्क

(₹ करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान योग	कुल	वर्ष के दौरान की गई भुगतान	अंत शेष
2014-15	222.54	40.07	262.61	38.87	223.74
2015-16	223.74	77.32	301.06	19.82	281.24
2016-17	281.24	46.05	327.29	18.10	309.19
2017-18	309.19	83.55	392.74	18.14	374.60
2018-19	374.60	20.07	394.67	32.71	361.96

चयनित अंचलों में, राजस्व का बकाया 2014-15 में ₹ 222.54 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 361.96 करोड़ हो गया; यानी 62.65 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालाँकि, ये अंचल कुल मामले, बकाया राशि का वर्ष-वार विश्लेषण और बकाया राशि का अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने में असमर्थ थे। लम्बित बकाया राशि के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा पूछे गये प्रश्न के जवाब में, रा.क.उ.आ./रा.क.स.आ. द्वारा कहा गया कि किसी भी मामले में निलामपत्र वाद की कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी। हालाँकि, हजारीबाग वाणिज्य कर अंचल में, एक मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित था और आदित्यपुर वाणिज्य कर अंचल में, 15 मामले अपीलीय प्राधिकारी के

अधीन लंबित थे। तदन्तर, चयनित अंचलों में कर निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि छह अंचलों³⁴ में, नवम्बर 2012 और दिसम्बर 2019 के बीच 191 मामलों में ₹ 208.98 करोड़ की माँग पत्र जारी किए गए थे, लेकिन माँग पत्र के खिलाफ संग्रहण के बारे में जानकारी न तो संबंधित अभिलेखों में उपलब्ध थी और न ही लेखापरीक्षा को सूचित की गई। यह इंगित करता है कि वा.क.वि./अंचलों में राजस्व के बकाया और इसमें सम्महित मामलों की समेकित जानकारी नहीं थी।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (जुलाई 2020) कि सभी अंचलों को बकाया राशि की विवरणी प्रस्तुत करने और उन्हें वसूल करने के लिए सभी तरीकों को अपनाने का निर्देश दिया गया है। तदन्तर, दिसम्बर 2020 में, यह कहा गया था कि झा.रा.वि.प. और झा.रा.बि.वि.नि.लि. पर कुल बकाया राशि ₹ 450.62 करोड़ थी और इनसे 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 26.21 करोड़ और ₹ 14.68 करोड़ की वसूली की गयी।

3.3.5 त्रियक-जाँच के परिणाम

दामोदर घाटी निगम, कोलकाता और झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, राँची से झारखण्ड में विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा की बिक्री/हस्तांतरण से संबंधित आंकड़े/जानकारी एकत्र की गई जबकि विद्युत प्रतिष्ठानों में विद्युत संयंत्र प्रतिस्थापन (डीजल उत्पादन संयंत्र) को दिए गए दुरुस्ती प्रमाण-पत्रों का विवरण मु.वि.नि. से एकत्र किया गया। लेखापरीक्षा ने वाणिज्यकर विभाग के संबंधित अंचल में उपलब्ध अभिलेखों के साथ इस आंकड़ों का त्रियक-जाँच किया और यादृच्छिक तरीके से डी.जी. सेट मालिकों के परिसर में संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापन भी किया। लेखापरीक्षा ने वा.क.वि. में विद्युत ऊर्जा की बिक्री/हस्तांतरण से संबंधित अंतर-निर्धारिती अभिलेखों का त्रियक-जाँच भी किया। त्रियक-जाँच के दौरान, कई अनियमितताएँ पाई गयी जिसकी चर्चा आगे कि कण्डिकाओं में की गई है।

3.3.5.1 डी.जी. सेट के माध्यम से ऊर्जा की खपत को जाँच करने के तंत्र का अभाव

वा.क.वि. ने निर्धारितियों का निरीक्षण नहीं किया और डी.जी. सेटों से उत्पादित ऊर्जा की वास्तविक खपत से अनभिज्ञ था।

बि.वि.शु. नियमावली के नियम 19 और 19(अ) के साथ पठित नियम 16 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक निर्धारिती, उसके द्वारा उत्पादित, वितरित, बिक्री या खपत की गई ऊर्जा की मात्रा को लेखापित करने के लिए मीटर लगाएगा। वा.क.वि. का निरीक्षण अधिकारी निर्धारिती के परिसर में प्रवेश कर सकता है और किसी भी मीटर पर एक सील लगा सकता है और निर्धारिती से ऊर्जा के उत्पादन/वितरण/बिक्री/ खपत के बारे में जानकारी/अभिलेख की माँग कर सकता है।

³⁴ आदित्यपुर, बोकारो, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरिय, झरिया और राँची दक्षिणी।

मु.वि.नि. से प्राप्त आंकड़े/जानकारी (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) से पता चला कि 14 चयनित अंचलों में 454 इकाइयाँ 10 के.भी.ए. क्षमता से अधिक 673 डी.जी. सेट का उपयोग विद्युत ऊर्जा की कैपटीव खपत के लिए कर रही थीं। इन 454 इकाइयों में से, 363 डी.जी. सेटों का उपयोग करने वाले केवल 211 इकाइयाँ ही वा.क.वि. में पंजीकृत थे। आगे, अभिलेखों की जाँच से पता चला कि निरीक्षण अधिकारी द्वारा इन 211 निर्धारितियों में से किसी के भी परिसर में मीटर पर अतिरिक्त सील लगाने के लिए निरीक्षण नहीं किया गया था।

आगे, विभाग इन डी.जी. सेटों से उत्पन्न ऊर्जा की वास्तविक उत्पादन/खपत से अनभिज्ञ था क्योंकि डी.जी. सेटों से प्राप्त ऊर्जा के संबंध में निर्धारितियों द्वारा दाखिल किए गए विवरणी की जाँच करने के लिए विभाग के पास कोई तंत्र नहीं था। अतः लेखापरीक्षा डी.जी. सेटों से ऊर्जा के उत्पादन/खपत को सुनिश्चित नहीं कर सकता था।

विभाग ने कहा (जुलाई और दिसम्बर 2020 के बीच) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में सभी अंचल प्रभारियों को निबंधित निर्धारितियों के डी.जी. सेटों का मीटर रीडिंग के लिए निरीक्षण करने और अनिबंधित धारकों के निबंधन के लिए मु.वि.नि. राँची से डी.जी. सेट धारकों का आँकड़ा प्राप्त करने, निरीक्षण और मीटर रीडिंग करने का निर्देश दिया गया है।

3.3.5.2 निर्धारितियों का निबंधन नहीं होना

अन्तर-विभागीय सूचना के आदान-प्रदान के तंत्र की अनुपस्थिति से, वा.क.वि. 287 डी.जी. सेटों का उपयोग करने वाले 222 व्यक्तियों/प्रतिष्ठानों, जो निबंधन के लिए उत्तरदायी थे, का पहचान करने में विफल रहा।

• डी.जी. सेट धारकों का निबंधन नहीं होना

झा.वि.शु. (संशोधित) नियमावली के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक निर्धारिती, जो शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, शुल्क के भुगतान के लिए उत्तरदायी होने की तारीख से 45 दिनों के अंदर निबंधन प्राधिकारी को निबंधन हेतु आवेदन करेगा।

लेखापरीक्षा ने मु.वि.नि. से एकत्र किए गए आंकड़ों का चयनित अंचलों के अभिलेखों से त्रिक-जाँच (जुलाई 2019 और जनवरी 2020 के बीच) किया जिससे पता चला कि चयनित 14 अंचलों में से 11 अंचलों³⁵ के 454 इकाइयों में से 287 डी.जी. सेटों का उपयोग करने वाले 222 इकाइयाँ, जिन्हें स्वयं निबंधन कराना और शुल्क भुगतान हेतु विवरणी दाखिल करना आवश्यक था, अनिबंधित थे। आगे, यह पाया गया था कि आंकड़े/जानकारी के अंतर-विभागीय आदान-प्रदान के लिए कोई तंत्र नहीं था। इस प्रकार, वा.क.वि. इन अनिबंधित इकाइयों को कर के दायरे में लाने के लिए उनकी

³⁵ आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, धनबाद, गिरीडीह, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, कोडरमा, रामगढ और राँची दक्षिणी।

पहचान नहीं कर सका। इसके परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा की खपत/बिक्री का निर्धारण नहीं हुआ। अतः, विद्युत शुल्क (वि.शु.) के हानि को निर्धारित नहीं किया जा सका। आगे, यह देखा गया कि अधिनियम/नियमों में निबंधन नहीं कराने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं है।

भौतिक सत्यापन के परिणाम

आगे, लेखापरीक्षा ने 11 अंचलों जिसमें अनियमितता पाई गई थी में से 10 अंचलों³⁶ के 124 अनिबंधित डी.जी. सेट धारकों के परिसरों में से 45 का वा.क.वि. और मु.वि.नि. के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (फरवरी और मार्च 2020 के मध्य) किया। यह देखा गया कि इन 45 डी.जी. सेट धारकों में से, 15 के मामलों में मीटर/डी.जी. सेट के खराब होने के कारण मीटर गणना नहीं किया जा सका। 30 मामलों में, उपयोग किये गए 46 डी.जी. सेटों की विस्तृत जाँच में, संयुक्त सत्यापन की तारीख तक विभिन्न उद्देश्यों के लिए डी.जी. सेटों के साथ लगे मीटरों के अनुसार 117.68 लाख विद्युत ऊर्जा इकाइयों (मानक मानदंडों के अनुसार गणित) के खपत का पता चला। इस प्रकार, वे ₹ 11.73 लाख विद्युत शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, जिसे वसूल करने की आवश्यकता है।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि सुनवाई के लिए 22 निर्धारितियों को सूचना निर्गत की गई है और सात निर्धारितियों के विरुद्ध ₹ 4.43 लाख का अतिरिक्त माँग जारी की गई है, जिनमें से ₹ 2.31 लाख की वसूली की गई है।

• थोक ऊर्जा उपभोक्ताओं का निबंधन न होना

लाइसेंसधारियों से आंकड़े/सूचनाएँ प्राप्त करने के तंत्र की अनुपस्थिति से, 550 अनिबंधित थोक उपभोक्ताओं की पहचान करने में विभाग विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 16.57 करोड़ विद्युत शुल्क और ₹ 22.40 करोड़ का जुर्माना आरोपण नहीं किया गया।

झा.वि.शु. (संशोधित) नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों के तहत, ऊर्जा की खपत पर शुल्क का आरोपण और भुगतान ऐसी औद्योगिक इकाइयों, खानों और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा किया जाएगा, जो किसी भी लाइसेंसधारी या विद्युत व्यापारी से ऊर्जा की थोक आपूर्ति प्राप्त करते हैं। आगे, बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 5ए(2) प्रावधानित करता है कि शुल्क का भुगतान न करने पर, विहित प्राधिकारी देय शुल्क पर पहले तीन महीनों के लिए प्रति माह 2.5 प्रतिशत से कम नहीं से पाँच प्रतिशत तक और उसके बाद पाँच प्रतिशत से कम नहीं से 10 प्रतिशत तक का जुर्माना लगाएगा।

लेखापरीक्षा ने द.घा.नि./झा.बि.वि.नि.लि. से आंकड़े/सूचनाएँ एकत्र किया और देखा कि 2014-19 के दौरान चयनित 14 अंचलों में 1,378 थोक उपभोक्ता थे। लेखापरीक्षा ने

³⁶ आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, धनबाद, गिरीडीह, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, कोडरमा और रामगढ़।

एकत्र किए गए आंकड़ों को 14 चयनित अंचलों के निबंधन अभिलेखों के साथ त्रिक जाँच किया और देखा कि 11 अंचलों³⁷ में 1,378 उपभोक्ताओं में से 550 उपभोक्ताओं (39.91 प्रतिशत) ने द.घा.नि./झा.बि.वि.नि.लि. से 2014-19 के दौरान 191.17 करोड़ यूनिट विद्युत ऊर्जा प्राप्त की और ऊर्जा बिपत्रों का भुगतान किया (अगस्त 2018 तक)।

हालांकि, वे वा.क.वि. में निबंधित नहीं थे और वि.शु. का भुगतान नहीं कर रहे थे। आगे यह देखा गया कि लाइसेंसधारियों से आंकड़े/सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप, थोक आपूर्ति ऊर्जा के इन अनिबंधित उपभोक्ताओं की पहचान करने में विभाग विफल रहा। इसके फलस्वरूप ₹ 16.57 करोड़ वि.शु. और वि.शु. के भुगतान नहीं होने के कारण ₹ 22.40 करोड़ अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया। आगे, यह देखा गया कि अधिनियम/नियमावली में निबंधन नहीं कराने के लिए अर्थदण्ड लगाने का प्रावधान नहीं है। पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़ और ओडिशा में वि.शु. के आरोपण और संग्रहण के प्रणाली के अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि कैप्टिव जनरेटिंग प्लांट, थोक उपभोक्ताओं और बिजली के व्यापारियों को ऊर्जा विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, जो लाइसेंसधारियों से वि.शु. का निर्धारण और संग्रहण करता है। हालांकि, झारखण्ड में कैप्टिव जेनरेटिंग प्लांट, बिजली के थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को ऊर्जा विभाग से लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और वि.शु. के निर्धारण और संग्रहण के लिए खुद को वा.क.वि. में निबंधन कराना आवश्यक होता है। इस मामले में, ऊर्जा विभाग के लाइसेंसधारियों ने खुद को वा.क.वि. में निबंधित नहीं कराया।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई और दिसम्बर 2020 के मध्य) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में 306 निर्धारितियों के विरुद्ध ₹ 5.91 करोड़ की अतिरिक्त माँग का सृजन किया गया है जिसमें से ₹ 35.75 लाख की वसूली की गई है और शेष मामलों में नोटिस निर्गत किए गए हैं।

सरकार अंतर-विभागीय सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र तैयार करने और निबंधन नहीं कराने पर जुर्माना लगाने के प्रावधानों को बनाने पर विचार कर सकती है।

3.3.5.3 विद्युत ऊर्जा खरीद को छिपाया जाना

वास्तविक खपत की सूचनाओं के साथ विवरणी की जाँच करने के तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 482.31 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाइयों का छिपाव हुआ और इसके फलस्वरूप ₹ 24.85 करोड़ विद्युत शुल्क और ₹ 28.87 करोड़ अर्थदण्ड का कम आरोपण हुआ।

बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 3 के साथ पठित झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 7 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक निर्धारित ऊर्जा की इकाइयों के खपत या

³⁷ आदित्यपुर, बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरीडीह, हज़ारीबाग, जमशेदपुर, कोडरमा, रामगढ़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

बिक्री पर, संचरण और परिवर्तन में ऊर्जा के नुकसान को छोड़कर, उचित दरों पर शुल्क का भुगतान करेगा। आगे, बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

द.घा.नि./झा.बि.वि.नि.लि. और अन्य बिजली उत्पादन इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों का, 14 चयनित अंचलों के शुल्क निर्धारण अभिलेखों/विवरणियों के साथ त्रियक-जाँच (जुलाई 2019 और मार्च 2020 के बीच) से पता चला कि 60 निर्धारितियों (13 अंचलों³⁸ में निबंधित 551 निर्धारितियों में से) द्वारा 2011-12 और 2017-18 के बीच की अवधि के लिए द.घा.नि./झा.बि.वि.नि.लि. और अन्य विद्युत उत्पादन इकाइयों से 877.49 करोड़ इकाई विद्युत ऊर्जा खरीदे गए थे, लेकिन उनके विवरणों में केवल 395.18 करोड़ इकाइयों दिखाई गई थी (जिसका शुल्क निर्धारण दिसम्बर 2014 और मार्च 2019 के बीच किया गया था)। आगे, यह देखा गया कि लाइसेंसधारियों/निर्धारितियों से ऊर्जा के विक्रय/हस्तांतरण से संबन्धित आंकड़ों/सूचनाओं को प्राप्त करने और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों/विवरणियों से त्रियक-जाँच करने का कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप, विभाग विद्युत ऊर्जा की 482.31 करोड़ इकाइयों के छिपाव को पत्ता करने में विफल रहा, जिसके कारण ₹ 28.87 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 53.72 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि 11 मामलों में ₹ 33.59 करोड़ की अतिरिक्त माँग की गई है और हजारीबाग अंचल के तीन मामलों को छोड़कर शेष मामलों में नोटिस निर्गत की गई है। इन तीन मामलों में यह कहा गया था कि शुल्क निर्धारण, झा.बि.वि.नि.लि. द्वारा जारी किए गए ऊर्जा बिपत्रों के आधार पर किया गया था। हालांकि, ऊर्जा बिपत्रों के आधार पर शुल्क निर्धारण के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे, विभाग ने कहा कि विभिन्न विभागों के सॉफ्टवेयर को समेकित किया जा रहा है जिससे विभाग बड़े उद्योगों द्वारा की गयी ऊर्जा की खपत का आकलन कर सकेगा।

3.3.5.4 अधिक छूट की अनुमति

लाइसेंसधारियों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की सूचनाएँ के साथ विवरणियों की जाँच करने के तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 1,005.51 करोड़ इकाई की अधिक छूट और इसके फलस्वरूप ₹ 120.16 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 270.99 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 11(ए) के प्रावधानों के तहत, एक लाइसेंसधारी द्वारा दूसरे लाइसेंसधारी या विद्युत व्यवसायियों को आपूर्ति के बिंदु पर, जहाँ आपूर्ति क्रेता लाइसेंसधारी या विद्युत व्यवसायियों द्वारा पुनर्विक्रय के लिए

³⁸ आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रामगढ़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

की जाती है, कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। उपर्युक्त श्रेणी में नहीं आने पर लाइसेंसधारी पर शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण किया जाएगा। तदंतर, बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

कोडरमा वाणिज्यकर अंचल में निबंधित मेसर्स कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन (के.टी.पी.एस.) के अभिलेखों/विवरणियों के साथ द.घा.नि. द्वारा लाइसेंसधारियों को विद्युत ऊर्जा की बिक्री/हस्तांतरण से संबंधित प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं की त्रियक-जाँच से पता चला (सितम्बर 2019) कि निर्धारिती/लाइसेंस धारक ने 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए नेशनल ग्रिड को 1,488.34 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाई का हस्तांतरण दिखाया था, जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया था। द.घा.नि. द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 2015-18 की अवधि के दौरान के.टी.पी.एस. (द.घा.नि. की एक इकाई) द्वारा विद्युत ऊर्जा का कुल हस्तांतरण 482.83 करोड़ इकाई था। निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) ने, शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2018 और मार्च 2019 के बीच), निर्धारिती द्वारा दायर विवरणी के अनुसार छूट को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप 1,005.51 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाई की अधिक छूट दी गई और इसके फलस्वरूप ₹ 120.16 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 270.99 करोड़ (उपयोग स्पष्ट नहीं होने के कारण, 15 पैसे प्रति इकाई की दर से गणना) विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ। यह देखा गया कि एक लाइसेंसधारी से दूसरे को विद्युत ऊर्जा की बिक्री/हस्तांतरण के संबंध में आंकड़ों/सूचनाओं को प्राप्त करने का कोई तंत्र नहीं था। परिणामस्वरूप विभाग, निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी में दर्शाए गए स्थानांतरण/बिक्री की त्रियक-जाँच नहीं कर सका।

विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर और दिसम्बर 2020 के बीच) कि आपत्ति में अंतर्निहित राशि की माँग की गई है।

सरकार शुल्क निर्धारण को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित निर्धारितियों से अतिरिक्त आंकड़ें/सूचनाएँ प्राप्त करने के लिए हस्तांतरण दावा प्रपत्र जैसे तंत्र बनाने पर विचार कर सकती है।

3.3.5.5 विद्युत शुल्क का आरोपण नहीं होना

शुल्क निर्धारण प्राधिकारियों ने विवरणियों की अप्रस्तुतिकरण का पता नहीं किया जिस पर ₹ 71.54 लाख वि.शु. और ₹ 1.11 करोड़ अर्थदण्ड आरोप्य था। इसमें से ₹ 51.54 लाख वि.शु. और ₹ 99.03 लाख अर्थदण्ड का निर्धारण कालबाधित हो गया था।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों के तहत, निर्धारिती को विहित अवधि में तिमाही और वार्षिक विवरणियाँ जमा करना और लागू दरों पर शुल्क भुगतान करना है। वार्षिक विवरणी जमा करने की तारीख से 30 महीनों के अंदर शुल्क निर्धारण आदेश पारित किया जाना है। आगे, बि.वि.शु. अधिनियम की

धारा 5ए(1) विवरणी जमा करने की नियत तारीख के बाद चूक के प्रत्येक दिन के लिए ₹ 50 से अधिक नहीं अर्थदण्ड प्रावधानित करता है और धारा 5ए(2) के तहत भुगतान में चूक के लिए अर्थदण्ड आरोप्य है।

चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त और सितंबर 2019 के बीच) से पता चला कि रामगढ़ और कोडरमा वाणिज्यकर अंचलों में, पाँच निर्धारितियों (57 निबंधित निर्धारितियों में से) ने 2014-19 की अवधि के लिए विवरणियाँ दाखिल नहीं किया। निर्धारण अधिकारियों ने भी विवरणियों को दाखिल नहीं करने के लिए नोटिस निर्गत नहीं किया। झा.बि.वि.नि.लि./द.घा.नि. से लेखापरीक्षा द्वारा संग्रहित आंकड़ों से पता चला कि इन निर्धारितियों ने 2014-18 के दौरान झा.बि.वि.नि.लि./द.घा.नि. से 14.31 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाई का क्रय किया था। अतः, निर्धारित ₹ 1.11 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 1.82 करोड़ वि.शु. भुगतान करने हेतु उत्तरदायी थे। चूंकि 2014-15 से 2016-17 की अवधि का शुल्क निर्धारण मार्च 2020 तक संपन्न किया जाना था, इससे 10.31 करोड़ इकाइयों के लिए ₹ 51.54 लाख वि.शु. का निर्धारण कालबाधित हो गया। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर्तव्यपरायणता में कमी और लाइसेंसधारियों से अतिरिक्त आंकड़े/सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु तंत्र की अनुपस्थिति के कारण, सरकार को ₹ 51.54 लाख वि.शु. और ₹ 99.03 लाख अर्थदण्ड से वंचित होना पड़ा। इसके अलावा ₹ 31.58 लाख वि.शु. और अर्थदण्ड अब तक आरोपित होना था।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि ₹ 2.43 करोड़ की अतिरिक्त माँग सृजित की गई है, जिसमें से ₹ 65.02 लाख की वसूली हुई है।

3.3.6 पड़ोसी राज्यों में विद्युत शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण का तंत्र

विद्युत शुल्क अधिनियमों का क्रमशः छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों में मुख्य विद्युत निरीक्षक और प्रधान मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा प्रशासित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने इन राज्यों में ऊर्जा की उपलब्धता और शीर्ष स्तर पर उसकी निगरानी के साथ ही विद्युत शुल्क आरोपण एवं संग्रहण प्रणाली का विश्लेषण किया जिसकी विवेचना अनुवर्ती कण्डिकाओं में की गई है।

3.3.6.1 पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्व की तुलना

छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ झारखण्ड में 2014-19 की अवधि के लिए विद्युत पर करों एवं शुल्क से प्राप्त राजस्व और विद्युत की वास्तविक आपूर्ति की स्थिति को तालिका-3.5 में दर्शाया गया है।

तालिका-3.5: पड़ोसी राज्यों के साथ राजस्व की तुलना

(₹ करोड़ में/आपूर्ति 10 लाख इकाई में)

राज्य		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	संग्रहण प्राधिकारी
झारखण्ड	प्राप्ति	175.40	125.68	151.89	183.50	209.07	वा.क.वि.
	आपूर्ति	17,205	17,797	18,267	18,737	18,737	
	प्रति इकाई आपूर्ति पर प्राप्ति	0.10	0.07	0.08	0.10	0.11	
छत्तीसगढ़	प्राप्ति	1,312.92	1,372.84	1,495.48	1,688.95	1,790.27	मु.वि.नि.
	आपूर्ति	21,230	25,310	23,699	25,832	26,417	
	प्रति इकाई आपूर्ति पर प्राप्ति	0.62	0.54	0.63	0.65	0.68	
उड़ीसा	प्राप्ति	1,722.60	1,212.21	1,637.14	1,969.74	3,257.66	मु.वि.नि.
	आपूर्ति	26,052	26,600	26,756	28,706	32,115	
	प्रति इकाई आपूर्ति पर प्राप्ति	0.66	0.45	0.61	0.69	1.01	

स्रोत : संबंधित राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार और दामोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन।

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में 2014-19 की अवधि के दौरान राजस्व में क्रमशः 19.20, 36.36 और 89.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आपूर्ति में 8.90, 24.43 और 23.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आगे, यह देखा गया कि उड़ीसा में प्रति इकाई आपूर्ति से प्राप्ति 45 पैसा और ₹ 1.01 के बीच और छत्तीसगढ़ में यह 54 पैसा और 68 पैसा के बीच थी जबकि झारखण्ड में यह सात पैसा और 11 पैसा के बीच थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखण्ड में प्रति इकाई आपूर्ति से प्राप्ति कम है।

लेखापरीक्षा ने पड़ोसी राज्यों के साथ झारखण्ड में विद्युत शुल्क के आरोपण और संग्रहण की प्रणाली का तुलना किया। झारखण्ड के प्रावधानों और विद्युत शुल्क (वि.शु.) के आरोपण एवं संग्रहण के लिए इन राज्यों के प्रमुख प्रावधानों और मानदंडों की तुलनात्मक तस्वीर तालिका-3.6 में दर्शाई गई है।

तालिका-3.6: झारखण्ड एवं अन्य राज्यों में वि.शु. आरोपण एवं संग्रहण की प्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण

प्रणाली का विवरण	छत्तीसगढ़	उड़ीसा	झारखण्ड
विद्युत शुल्क आरोपण एवं संग्रहण का उत्तरदायित्व	ऊर्जा विभाग (मुख्य विद्युत निरीक्षक)	ऊर्जा विभाग (प्रधान मुख्य विद्युत निरीक्षक)	वाणिज्यकर विभाग (आयुक्त)
उपभोक्ताओं की मुख्य श्रेणियों पर वि.शु. की दर	खनन: सीमेंट उद्योग की कैप्टिव खानों के अलावा अन्य पर ऊर्जा प्रभार का 40 प्रतिशत। उद्योग: उद्योग की प्रकृति के आधार पर ऊर्जा प्रभार का तीन से 20 प्रतिशत। घरेलू: ऊर्जा प्रभार का आठ प्रतिशत।	खनन: कैप्टिव खपत के लिए प्रति इकाई 55 पैसा, एच.टी. श्रेणी के लिए ऊर्जा प्रभार का आठ प्रतिशत और ई.एच.टी. श्रेणी के लिए ऊर्जा प्रभार का नौ प्रतिशत। उद्योग: कैप्टिव खपत के लिए प्रति इकाई 55 पैसा। घरेलू: ऊर्जा प्रभार का चार प्रतिशत।	खनन: 100 ब्रिटिश अश्वशक्ति से अधिक भार के लिए प्रति इकाई 20 पैसा। उद्योग: प्रति इकाई पाँच पैसा। घरेलू: 250 इकाई तक 20 पैसा प्रति इकाई और 250 इकाई से ज्यादा के लिए 24 पैसा प्रति इकाई।
विवरणी	ऊर्जा विभाग में मासिक विवरणी दाखिल किया जाता है।	मासिक और वार्षिक विवरणी ऊर्जा विभाग में दाखिल किया जाता है।	वा.क.वि. में त्रैमासिक और वार्षिक विवरणी दाखिल किया जाता है।
मीटर पठन	मीटर पठन नहीं की जा रही है। विवरणी में स्व-घोषित।	विवरणी में घोषित करने के अलावा कैप्टिव निर्धारित के लिए विद्युत निरीक्षक द्वारा मीटर पठन किया जाता है और वेब पोर्टल में डाला जाता है।	मीटर पठन नहीं की जा रही है। विवरणी में स्व-घोषित।
विवरणी दाखिल नहीं करने पर दण्ड का प्रावधान	दण्ड का प्रावधान नहीं है।	कारावास जो छह महीने तक का हो सकता है या ₹ 1,000 का दण्ड या दोनों हो सकता है।	निबंधित निर्धारितियों के मामले में प्रत्येक दिन चूक के लिए अर्धदण्ड ₹ 50 से अधिक नहीं।
शुल्क निर्धारण	वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं किया जा रहा है। मासिक विवरणी के माध्यम से बिक्री/खपत घोषित किया जाता है।	मासिक और वार्षिक शुल्क निर्धारण किया जा रहा है। विवरणी में घोषित बिक्री/खपत को मीटर पठन के साथ जाँच किया जाता है। तदनुसार, विद्युत शुल्क का निर्धारण किया जाता है।	वार्षिक विवरणी जमा करने के 30 महीने के अंदर वार्षिक विवरणी/त्रैमासिक विवरणी के आधार विद्युत शुल्क का निर्धारण किया जाता है।
विद्युत शुल्क के संग्रहण का तरीका	विद्युत शुल्क का मासिक भुगतान होता है।		
विद्युत शुल्क के भुगतान में विलम्ब हेतु दण्ड का प्रावधान	3 महीने तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, तीन से छह महीने के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से, छह से 12 महीने तक 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और 12 महीने से अधिक समय के लिए 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज।	स्वीकृत किये गए विद्युत शुल्क के लिए प्रति वर्ष 18 प्रतिशत का ब्याज और अस्वीकृत विद्युत शुल्क के प्रति दिन विलम्ब के लिए ₹ 1,000 से अधिक का अर्धदण्ड, लेकिन ₹ एक लाख से अधिक नहीं।	स्वीकृत किए गए विद्युत शुल्क के लिए 1.5 प्रतिशत प्रति माह का ब्याज और अस्वीकृत विद्युत शुल्क के लिए पहले तीन महीनों के लिए प्रति माह 2.5 से पाँच प्रतिशत और उसके बाद प्रति माह पाँच प्रतिशत से 10 प्रतिशत अर्धदण्ड।

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि खनन और उद्योग के संबंध में विद्युत शुल्क की दरें झारखण्ड की तुलना में इन पड़ोसी राज्यों में काफी अधिक थीं, जो राज्य में कम राजस्व सृजन का एक कारण हो सकता है।

इसके अलावा, उड़ीसा में, मासिक विवरणी के माध्यम से घोषित ऊर्जा की खपत/बिक्री को ऊर्जा विभाग के विद्युत निरीक्षकों द्वारा किए गए मीटर पठन के साथ त्रिक-जाँच किया जाता है। विद्युत शुल्क का आरोपण और संग्रहण की भी जिम्मेदारी एक ही विभाग, यानि ऊर्जा विभाग की है।

दूसरी ओर, झारखण्ड में, ऊर्जा विभाग के मु.वि.नि. विद्युत संस्थापनों की दुरुस्ती को प्रशासित करते हैं जबकि वा.क.वि. के आयुक्त वि.शु. के आरोपण और संग्रहण को प्रशासित करते हैं। चूंकि दो अलग-अलग विभाग शामिल हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिन उपभोक्ताओं को मु.वि.नि. द्वारा दुरुस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाते हैं, वे वा.क.वि. में भी निबंधित हैं और वि.शु. का भुगतान कर रहे हैं, आंकड़ों/सूचनाओं के सहज आदान-प्रदान हेतु एक तंत्र जरूरी है। हालांकि, ऐसा कोई तंत्र मौजूद नहीं था और लेखापरीक्षा में विद्युत शुल्क भुगतान करने के उत्तरदायी अनिबंधित निर्धारितियों के उदाहरण मिले, जिसका कण्डिका 3.3.5.2 में उल्लेख किया गया है। आगे, उड़ीसा की तुलना में जहाँ शुल्क निर्धारण एक महीने के बाद संपन्न किया जाता है, वहीं झारखण्ड में वार्षिक विवरणी जमा करने के 30 महीने बाद तक विद्युत शुल्क निर्धारण संपन्न किया जाता है। बहुत मामलों में, इससे शुल्क निर्धारण कालबाधित होता है, परिणामस्वरूप राजस्व का नुकसान होता है, जैसा कि कण्डिका 3.3.5.5 में वर्णित है।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में विशेष सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में अंतर विभागिय समिति की बैठक भी वाणिज्य कर विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई थी।

3.3.7 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन/पालन नहीं किया जाना

बि.वि.शु. अधिनियम, बि.वि.शु. नियमावली, झा.वि.शु. (संशोधन) अधिनियम, झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली और इसके अधीन जारी की गई अधिसूचनाएँ, निर्धारित दर (दरों) पर विद्युत शुल्क के भुगतान और विवरणियों की जाँच एवं विहित अवधि के भीतर विद्युत शुल्क निर्धारण को प्रावधानित करती है। उपर्युक्त वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के फलस्वरूप कई अनियमितताएँ हुईं जिनकी चर्चा निम्नलिखित कण्डिकाओं में की गई है।

3.3.7.1 ऊर्जा की खपत/बिक्री का गलत निर्धारण

शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय निर्धारण प्राधिकारी ने अभिलेखों पर उपलब्ध दस्तावेजों के साथ विवरणियों की जाँच नहीं की, जिसके कारण ₹ 640.12 करोड़ वि.शु. एवं अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 12 के साथ पठित बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों के तहत, एक निर्धारित उपभोग या बेची गई ऊर्जा की इकाइयों पर विद्युत शुल्क भुगतान करने का उत्तरदायी है। निर्धारण प्राधिकारी को वि.शु. निर्धारण करने के लिए अभिलेखों पर रखे गये विवरणियों और दस्तावेजों के आधार पर खपत या बेची गई ऊर्जा की इकाइयों का सही निर्धारण करने की जरूरत है। आगे, अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा जाँच (अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के बीच) से पता चला कि पाँच अंचलों³⁹ में, पाँच निर्धारितियों (अंचल में निर्बंधित 118 निर्धारितियों में से) के मामले में 2011-12 और 2016-17 के बीच की अवधि के लिए 1,793.84 करोड़ विद्युत इकाइयों का सकल आवर्त निर्धारित (दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2019 के बीच) किया गया था। लेखापरीक्षा ने वार्षिक प्रतिवेदनों और अभिलेखों पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों के साथ शुल्क निर्धारण अभिलेखों का जाँच किया और देखा कि इन निर्धारितियों की विद्युत ऊर्जा का उत्पादन/उपभोग 3,471.75 करोड़ इकाई था। इस प्रकार, उपलब्ध दस्तावेजों के साथ विवरणियों की जाँच करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता से 1,677.91 करोड़ इकाइयों के सकल आवर्त का कम निर्धारण हुआ और इसके परिणामस्वरूप ₹ 388.28 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 640.12 करोड़ विद्युत शुल्क का अवनिर्धारण हुआ।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत की गई है।

3.3.7.2 छूट की गलत अनुमति

निर्धारण प्राधिकारियों ने अभिलेखों पर उपलब्ध सूचनाओं की जाँच नहीं किया और गलत छूट की अनुमति दिया, परिणामस्वरूप विद्युत ऊर्जा की 352.97 करोड़ इकाई की अधिक छूट की अनुमति प्रदान की गयी और फलस्वरूप ₹ 12.13 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 60.88 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों के तहत, जहाँ क्रेता वि.शु. का भुगतान नहीं करते हैं, लाइसेंसधारी द्वारा विद्युत शुल्क का भुगतान किया जाएगा। बि.वि.शु. अधिनियम और झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के तहत जहाँ

³⁹ चिरकुंडा, झरिया, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़ और तेनुघाट।

ऊर्जा का संचरण नुकसान का दावा प्राप्त ऊर्जा का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है निर्धारित शुल्क का स्व-निर्धारण के योग्य है। झारखण्ड राज्य ऊर्जा नियामक आयोग (झा.रा.ऊ.नि.आ.) ने 2010 में जारी अपनी अधिसूचना में जैविक संसाधन विद्युत परियोजनाओं के लिए 10 प्रतिशत और गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित सह-निर्माण परियोजनाओं और कोयला-आधारित उत्पादन स्टेशनों के लिए 8.50 प्रतिशत मानक सहायक खपत विनिर्दिष्ट किया है। सहायक खपत की अनुमति केवल ऊर्जा उत्पादन करने वाली इकाइयों को ही दी जाती है। बि.वि.शु. अधिनियम प्रावधानित करता है कि जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सार्वजनिक उद्देश्य घोषित कर दे, उस उद्देश्य के लिए शुल्क नहीं लगाया जाएगा। आगे, पुनर्वास योजना 2003 के अंतर्गत, स्वीकृत पुनरुद्धार प्रस्ताव के तहत योग्य औद्योगिक इकाइयों को तीन वर्ष की अवधि या पुनरुद्धार की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए वि.शु. की छूट दी जा सकती है।

14 चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (अगस्त 2019 और जनवरी 2020 के बीच) में पाया गया कि आठ वाणिज्य कर अंचलों⁴⁰ में, 17 निर्धारितियों (अंचलों में निबंधित 391 निर्धारितियों में से) के मामले में निर्धारण प्राधिकारियों ने 2011-12 और 2017-18 के बीच की अवधि के लिये शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (दिसम्बर 2014 और दिसम्बर 2019 के बीच) अन्य निर्धारितियों को स्थानांतरण, संचारण हानि, सहायक खपत, सार्वजनिक उद्देश्यों और औद्योगिक नीति के तहत पुनर्वास योजना पर 352.97 करोड़ विद्युत ऊर्जा इकाई की छूट की गलत अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 12.13 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 60.88 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों और शुल्क निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध दस्तावेजों के जाँच करने में निर्धारण प्राधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठा के अभाव के साथ-साथ विभिन्न उद्देश्यों जैसे पुनर्वास योजना, सार्वजनिक उद्देश्य, सहायक खपत आदि के लिए छूट की अनुमति के संदर्भ में विभाग के स्पष्ट दिशानिर्देशों/स्पष्टीकरण के अभाव के परिणामस्वरूप छूट की गलत अनुमति दी गई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (दिसम्बर 2020) कि सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत की गई है।

3.3.7.3 शुल्क की गलत दर का अनुप्रयोग

निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय, दरों की अनुसूची से वि.शु. की दरों की जाँच नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अर्थदण्ड सहित ₹ 316.79 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

झा.वि.शु. (संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के तहत विद्युत शुल्क की दर, बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उपयोग की प्रकृति के अनुसार अनुसूची

⁴⁰ आदित्यपुर, बोकारो, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रामगढ़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

में निर्धारित की गई है। आगे, अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2019 और जनवरी 2020 के बीच) से पता चला कि 11 वाणिज्यकर अंचलों⁴¹ में, 74 निर्धारितियों (अंचलों में निबंधित 498 निर्धारितियों में से) के मामले में, निर्धारितियों ने विद्युत ऊर्जा की 1,966.45 करोड़ इकाइयों को विभिन्न उद्देश्यों/प्रयोजनों हेतु उपभोग किया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (अक्टूबर 2014 और जुलाई 2019 के बीच) विवरणियों में निर्धारितियों द्वारा उल्लिखित निम्न दरों पर विद्युत शुल्क आरोपित किया। निर्धारितियों अपने उपभोग के अनुसार ₹ 411.46 करोड़ का शुल्क भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे लेकिन निर्धारण प्राधिकारियों ने गलत दर से ₹ 272.91 करोड़ का विद्युत शुल्क आरोपित किया। यह देखा गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय दरों की अनुसूची के साथ निर्धारितियों द्वारा विवरणियों में उल्लिखित विद्युत शुल्क की दरों की त्रिक-जाँच नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 178.25 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 316.79 करोड़ विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

विभाग ने सूचित किया (जुलाई और दिसम्बर 2020 के बीच) कि लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत किए गए हैं। आगे, आदित्यपुर वाणिज्यकर अंचल के मामले में ₹ 19,000 की वसूली की गई है।

3.3.7.4 ब्याज का आरोपण नहीं होना

शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने विद्युत शुल्क के कम/विलंबित भुगतान का पता नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़ कम भुगतान और ₹ 3.30 करोड़ ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

झा.वि.शु. नियमावली के नियम 7(4) के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक निर्धारितियों ऊर्जा खपत या बिक्री इकाइयों, जैसा विवरणी में घोषित किया है के लिए उचित दरों पर शुल्क का भुगतान, उस महीना जिससे शुल्क संबंधित है के अगले महीने की 15वीं तारीख तक करेगा, जिसमें असफल रहने पर प्रति माह या उसके भाग पर 1.5 प्रतिशत ब्याज देय होगा।

चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि नौ अंचलों⁴² में, 25 निर्धारितियों (अंचलों में निबंधित 283 निर्धारितियों में से) के मामले में, निर्धारितियों ने 2012-13 और 2017-18 के बीच की अवधि लिए विद्युत ऊर्जा की खपत की विवरणी दाखिल किया (शुल्क निर्धारण मार्च 2015 और मई 2019 के बीच किया गया), जिस पर देय शुल्क ₹ 30.69 करोड़ था। हालांकि, लेखापरीक्षा से पता चला कि

⁴¹ आदित्यपुर, बोकारो, चिरकुंडा, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, रामगढ़, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

⁴² बोकारो, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, झरिया, रामगढ़ और तेनुघाट।

निर्धारितियों ने एक से 56 महीने की विलंब से केवल ₹ 26.14 करोड़ का भुगतान किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने विवरणी की संवीक्षा नहीं किया और वि.शु. के कम/विलंबित भुगतान का पता नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.55 करोड़ का कम भुगतान और ₹ 3.30 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि छह निर्धारितियों के विरुद्ध ₹ 15.96 लाख की अतिरिक्त माँग सृजित की गई है और लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में शेष मामलों में सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत किए गए हैं।

3.3.7.5 अर्थदण्ड का कम/नहीं आरोपण

शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय निर्धारण प्राधिकारियों ने 13 मामलों में अतिरिक्त विद्युत शुल्क आरोपित किया, लेकिन अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया, जबकि दो मामलों में कम अर्थदण्ड आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 7.45 करोड़ अर्थदण्ड कम/नहीं आरोपित किया गया।

झा.वि.शु. (संशोधन) नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों के तहत, उद्योगों, खानों और अन्य वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर, जो किसी भी लाइसेंसधारी या विद्युत व्यसायियों से ऊर्जा की थोक आपूर्ति प्राप्त करते हैं, विद्युत ऊर्जा की उपभोग के लिए शुल्क लगाया जाएगा और उनके द्वारा भुगतान किया जाएगा। आगे, देय शुल्क का भुगतान न करने पर बि.वि.शु. अधिनियम की धारा 5ए(2) के प्रावधानों के तहत अर्थदण्ड आरोप्य है।

- चयनित (14) अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई 2019 और जनवरी 2020 के बीच) से पता चला कि छह अंचलों⁴³ में 13 निर्धारितियों (अंचल में निबंधित 181 निर्धारितियों में से) के मामले में, निर्धारितियों ने 2011-12 से 2017-18 की अवधि के दौरान कोयले की धुलाई/अन्य प्रयोजनों हेतु 31.69 करोड़ इकाई विद्युत ऊर्जा की खपत का विवरणी दाखिल किया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2015 और जून 2019 के बीच) ₹ 5.13 करोड़ अतिरिक्त विद्युत शुल्क आरोपित किया लेकिन अधिनियम के अर्थदण्ड प्रावधानों को लागू करने में विफल रहे। इसके फलस्वरूप अस्वीकृत देय शुल्क के लिए ₹ 6.63 करोड़ अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

- चयनित अंचलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (जुलाई और अगस्त 2019 के बीच) से पता चला कि चिरकुंडा और रामगढ़ अंचलों में, 78 निबंधित निर्धारितियों में से दो ने 2012-13 से 2017-2018 की अवधि के लिए ₹ 59.51 लाख विद्युत शुल्क तीन से 74 महीने की देरी से भुगतान किया। शुल्क निर्धारण संपन्न करते समय (जुलाई 2018 और फरवरी 2019 के बीच) निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 99.55 लाख के बजाय ₹ 17.88 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया। यह देखा गया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने अर्थदण्ड की गलत दर लागू किया था। इसके परिणामस्वरूप

⁴³ चिरकुंडा, धनबाद, हजारीबाग, झरिया, रामगढ़ और तेनुघाट।

वास्तविक देय शुल्क के कम/नहीं भुगतान करने पर ₹ 81.67 लाख अर्थदण्ड कम आरोपित किया गया।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2020) कि एक निर्धारिती के विरुद्ध ₹ 76.32 लाख की अतिरिक्त माँग की गई है और लेखापरीक्षा अवलोकन के अनुसरण में शेष मामले में सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत की गई है।

सरकार वि.शु. का नहीं/विलंबित भुगतान होने पर अर्थदण्ड/ब्याज की स्वगणना के लिए एक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकती है।

3.3.8 निष्कर्ष

वा.क.वि./अंचलों में राजस्व के बकाए और इसमें शामिल मामलों से संबंधित विवरण की समेकित जानकारी नहीं थी।

यद्यपि, वा.क.वि. विद्युत शुल्क आरोपण और संग्रहण को प्रशासित किया, उसके पास मु.वि.नि. से आंकड़े प्राप्त करने हेतु कोई तंत्र नहीं था, जो विद्युत संस्थापनों की दुरुस्ती को प्रशासित करता है। लेखापरीक्षा ने 732 डी.जी. सेट मालिकों और थोक उपभोक्ताओं को पाया, जो स्वनिबंधित नहीं करा कर के दायरे से बाहर रहे। इनमें से, लेखापरीक्षा ने 550 मामलों में ₹ 38.97 करोड़ वसूली योग्य वि.शु. और अर्थदण्ड का गणना किया।

वा.क.वि. छिपाव में सन्निहित ₹ 53.72 करोड़ की 60 मामलों को पहचान करने में विफल रहा क्योंकि लाइसेंसधारियों और विद्युत उत्पादन इकाइयों के अभिलेखों के साथ निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों की जाँच करने के लिए कोई तंत्र नहीं था। वा.क.वि. लाइसेंसधारियों के बीच ऊर्जा हस्तांतरण की जाँच करने में भी विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 120.16 करोड़ अर्थदण्ड सहित ₹ 270.99 करोड़ विद्युत शुल्क की अतिरिक्त छूट दी गई।

विद्युत शुल्क राजस्व 2014-19 के दौरान पड़ोसी राज्यों, छत्तीसगढ़ में ₹ 1,312.92 करोड़ से बढ़कर ₹ 1,790.27 करोड़ (36.36 प्रतिशत) और ओडिशा में ₹ 1,722.60 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,257.66 करोड़ (89.11 प्रतिशत) की तुलना में झारखण्ड में मामूली रूप से ₹ 175.40 करोड़ से ₹ 209.07 करोड़ (19.20 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। इन राज्यों की तुलना में झारखण्ड में विद्युत शुल्क की दरें कम थीं।

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अधिनियमों/नियमों के मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने और वि.शु. के नहीं/विलंबित भुगतान के लिए अर्थदण्ड/ब्याज की स्वतः गणना और अनुश्रवण के लिए तंत्र की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप 136 मामलों में वि.शु. और अर्थदण्ड ₹ 1,028.55 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

ये लेखापरीक्षा अवलोकन वे हैं जो लेखापरीक्षा के चयनित नमूनों में पाये गये और संभावनाएँ हैं कि राज्य में वि.शु. के आरोपण और संग्रहण करने वाले अन्य कार्यालयों

में समान अनियमितताएँ हो। वा.क.वि. राज्य के सभी जिलों में ऐसे सभी मामलों की पूरी तरह से जाँच कर आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

अन्य अवलोकन

3.4 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत क्रय आवर्त का छिपाया जाना

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण संपन्न करने के दौरान विवरणियों का तिर्यक जाँच प्रपत्र सी और एफ के उपयोग एवं अन्य अभिलेखों से नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 25.99 करोड़ के कर और अर्थदण्ड का अवनिर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम के धारा 37(6) के साथ पठित धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि व्यवसायी ने आवर्त के ब्यौरे को जानबूझ कर छुपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहा है अथवा ऐसे आवर्त का गलत ब्यौरा दाखिल किया है, जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम है, तो निर्धारण प्राधिकारी वैसे आवर्त पर व्यवसायी द्वारा देय कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण की कार्रवाई करेगा तथा छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर की राशि के दुगुना (जुलाई 2014 से बढ़ाकर तिगुना) के समतुल्य अर्थदण्ड आरोपित करेगा।

लेखापरीक्षा ने तीन वाणिज्यकर अंचलों⁴⁴ में निबंधित 16,201 व्यवसायियों में से 369 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच किया (जनवरी और फरवरी 2019 के बीच) और पाया कि तीन व्यवसायियों ने 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के लिए क्रय आवर्त ₹ 404.95 करोड़ दिखाया था। जाँच से यह पता चला कि व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 547.60 करोड़ के वस्तुओं का क्रय/प्राप्त किया था। इस तरह ₹ 142.65 करोड़ के आवर्त को छिपाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 18.69 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 25.99 करोड़ कर का अवनिर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा ने 16,201 मामलों में से केवल 369 मामलों की जाँच की है। सरकार शेष कर निर्धारण अभिलेखों की आंतरिक रूप से जाँच करा सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य मामलों में इस प्रकार आवर्त का छिपाया जाना एवं परिणामस्वरूप करों से बच जाना नहीं हुआ हो।

मामलों को बताए जाने (जनवरी और फरवरी 2019 के बीच) पर निर्धारण प्राधिकारी ने कहा (मार्च 2020) कि सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत किए जा चुका था।

मामले को सरकार को सितम्बर 2019 में प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित थे (मई 2021)।

⁴⁴ हज़ारीबाग, राँची पूर्वी एवं राँची पश्चिमी।

3.5 कर के गलत दर का अनुप्रयोग

निर्धारण प्राधिकारी ने अभिनिश्चित करने के अयोग्य श्रम एवं अन्य सदृश प्रभार के दावों को अस्वीकार कर दिया परन्तु इसके बाद करदेय आवर्त पर आरोप्य 14 प्रतिशत के बजाय पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.39 करोड़ कर का अल्पारोपण हुआ।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22(2) के अनुसार जब किसी संविदा में श्रम, सेवा, भाड़ा प्रभार एवं अन्य सभी सदृश प्रभार की राशि अभिनिश्चित करने के अयोग्य है, तब उक्त प्रभारों की राशि कुल प्राप्त/प्राप्य के 30 प्रतिशत (असैनिक कार्यों के मामले में) के रूप में गणना की जाएगी, तथा इसके बाद प्राप्त करदेय आवर्त 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य होंगे।

लेखापरीक्षा ने सिंहभूम अंचल में निबंधित 2,662 व्यवसायियों में से 100 व्यवसायियों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया (अक्टूबर 2017) और पाया कि निर्धारण प्राधिकारी ने एक व्यवसायी के मामले में वर्ष 2013-14 की अवधि का कर निर्धारण सम्पन्न करते समय (मार्च 2017) दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण कुल प्राप्त का 30 प्रतिशत राशि श्रम एवं अन्य सदृश प्रभारों के मद में स्वीकृत किया। हालांकि, इसके उपरांत निर्धारित ₹ 48.81 करोड़ करदेय आवर्त पर नियमों के प्रावधानों के अनुसार 14 प्रतिशत के बजाए पाँच प्रतिशत के दर से कर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.39 करोड़ कर का अल्पारोपण हुआ।

मामलों को बताये जाने (अक्टूबर 2017) पर निर्धारण प्राधिकारी ने कहा (फरवरी 2020) कि ₹ 4.39 करोड़ के अतिरिक्त माँग का सृजन किया गया है। राशि के वसूली से सम्बंधित सूचना प्रतीक्षित है (मई 2021)।

लेखापरीक्षा ने 2,662 मामलों में से केवल 100 मामलों की जाँच की है। सरकार शेष कर निर्धारण अभिलेखों की आंतरिक रूप से जाँच करा सकती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अन्य मामलों में कर के सदृश गलत दर का अनुप्रयोग एवं परिणामस्वरूप करों की हानि नहीं हुई हो।

मामले को सरकार को जुलाई 2018 एवं सितम्बर 2019 में प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2021)।

3.6 अस्वीकृत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) पर ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

तीन अंचलों के निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 5.51 करोड़ के आई.टी.सी. के समायोजन को अस्वीकृत कर दिया। तथापि, अस्वीकृत आई.टी.सी. पर ₹ 3.97 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया गया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 प्रावधानित करता है कि आवश्यक साक्ष्य जो इस अधिनियम, केन्द्रीय बिक्री अधिनियम या उसके अंतर्गत बने नियमावली के अंतर्गत जरूरी है से समर्थित नहीं होने के कारण अस्वीकृत आई.टी.सी. छूटों, कटौतियों तथा कोई अन्य छूटों या रियायतों पर ब्याज आरोप्य है। पुनः, अधिनियम अतिरिक्त निर्धारित कर पर चूक होने की तिथि से जब तक करदाता भुगतान में विलम्ब करता है प्रति माह दो प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने को प्रावधानित करता है।

लेखापरीक्षा ने हज़ारीबाग एवं राँची पश्चिमी वाणिज्य-कर अंचलों में निबंधित 12,322 व्यवसायियों में से 270 व्यवसायियों के अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जनवरी और फरवरी 2019 के बीच) और पाया कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के लिए दो व्यवसायियों के ₹ 5.51 करोड़ आई.टी.सी. समायोजन के दावे को अस्वीकृत (मार्च 2017 और मार्च 2018 के मध्य) कर दिया। हालांकि, निर्धारण प्राधिकारी अस्वीकृत दावों पर ₹ 3.97 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का आरोपण करने में विफल रहे।

मामलों को बताये जाने (जनवरी एवं फरवरी 2019 के मध्य) पर निर्धारण प्राधिकारियों ने कहा (मार्च 2020) कि सुनवाई के लिए नोटिस निर्गत किए जा चुके थे।

मामले को सरकार को सितम्बर 2019 और जनवरी 2020 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

3.7 बढ़ाये गये आवर्त पर अर्थदण्ड/ब्याज नहीं लगाया जाना

यद्यपि निर्धारण प्राधिकारियों ने छिपाए जाने के कारण व्यवसायियों के आवर्त में ₹ 6.91 करोड़ की वृद्धि की एवं ₹ 75.50 लाख अतिरिक्त कर आरोपित किया, परन्तु, उन्होंने ₹ 1.60 करोड़ अर्थदण्ड/ब्याज का आरोपण नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40(2) के प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारण प्राधिकारी किसी कार्यवाही के दौरान या किसी सूचना के आधार पर, कर-निर्धारण से पूर्व या अन्यथा, यह संतुष्ट है कि निबंधित व्यवसायी ने इस अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा देय कर राशि को कम करने के उद्देश्य से किसी क्रय या विक्रय को छुपाया है, तो विहित प्राधिकारी निर्धारित अतिरिक्त कर के अलावा, अर्थदण्ड के रूप

में अतिरिक्त निर्धारित कर पर पाँच प्रतिशत प्रत्येक माह की दर से (जुलाई 2014 से पुनरीक्षित तिगुने के समतुल्य) भुगतान करने को निर्देशित करेगा।

लेखापरीक्षा ने राँची पश्चिमी एवं सिंहभूम वाणिज्य कर अंचलों में निबंधित 10,352 व्यवसायियों में से 220 व्यवसायियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (अक्टूबर 2017 और जनवरी 2019 के बीच) और पाया कि दो व्यवसायियों ने वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 की अवधि के लिए अपना सकल आवर्त ₹ 102.72 करोड़ दर्शाया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने कर निर्धारण के दौरान (फरवरी 2017 और मार्च 2018 के बीच) इन व्यवसायियों द्वारा कर अपवंचना की मंशा से छिपाये गये आवर्त के कारण सकल आवर्त को बढ़ा कर ₹ 109.63 करोड़ निर्धारित किया। यथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने आवर्त में ₹ 6.91 करोड़ की वृद्धि की एवं ₹ 75.50 लाख अतिरिक्त कर का आरोपण किया, परंतु, उन्होंने वृद्धि किये गये आवर्त पर आरोपित अतिरिक्त कर पर ₹ 1.60 करोड़ के अर्थदण्ड/ब्याज का आरोपण नहीं किया।

मामलों को बताये जाने (अक्टूबर 2017 और जनवरी 2019 के मध्य) पर रा.क.उ.आ., सिंहभूम अंचल ने ₹ 52.04 लाख के अतिरिक्त माँग का सृजन (फरवरी 2020) किया एवं झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 46 के अंतर्गत विशेष रीति से वसूली की कारवाई की शुरुआत की। रा.क.उ.आ., राँची पश्चिमी अंचल, ने कहा (फरवरी 2020) कि सुनवाई के लिए व्यवसायी को नोटिस निर्गत किया जा चुका है।

मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया था (जून 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2021)।

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

3.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग के 31 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से आठ (25.81 प्रतिशत) का नमूना जाँच किया। अप्रैल से जुलाई 2017 तक की अवधि में कुल 1,111 खुदरा उत्पाद दुकानों का नवीनीकरण राज्य में किया गया था, उसके बाद मार्च 2018 तक 679 दुकानों को विभागीय स्तर से संचालित कराया गया था। नमूना जाँच किये गए जिलों में, अप्रैल से जुलाई 2017 तक की अवधि में कुल 380 खुदरा उत्पाद दुकानों का नवीनीकरण किया गया था एवं 299 दुकानों को विभागीय स्तर से संचालित कराया गया था और लेखापरीक्षा ने इन सभी खुदरा उत्पाद दुकानों के अभिलेखों का जाँच किया। विभाग ने 2017-18 के दौरान ₹ 840.81 करोड़ राजस्व संग्रहित किया जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों के द्वारा ₹ 542.01 करोड़ (64.46 प्रतिशत) राजस्व संग्रहित किया। लेखापरीक्षा ने 1,065 मामलों में ₹ 104.44 करोड़ की अनियमितताओं को पाया जैसा कि तालिका-3.7 में वर्णित है।

तालिका-3.7: लेखापरीक्षा में पाये गये अनियमितताओं की श्रेणी

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना	66	61.30
2	खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव	521	23.62
3	न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के अनुपयुक्त निर्धारण के कारण खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ	282	6.82
4	अन्य मामले	196	12.70
कुल		1,065	104.44

विभाग ने (जून 2019 तक) 578 मामलों में ₹ 27.97 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और अगस्त 2019 तक 82 मामलों में ₹ 5.34 करोड़ की वसूली किया।

कण्डिका 3.9 में 496 मामलों में सन्निहित ₹ 22.46 करोड़ के अनियमितताओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार की अनियमितता लगातार पिछले पाँच वर्षों से प्रतिवेदित की जा रही है जैसा तालिका- 3.8 में वर्णित है।

तालिका-3.8: पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों अनियमितताओं की प्रकृति

(₹ करोड़ में)

अनियमितताओं की प्रकृति	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		कुल	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव	263	2.00	542	4.67	447	5.57	695	23.20	132	2.86	2,079	38.30

लोक लेखा समिति ने केवल 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उठाये गये मामलों पर चर्चा की है लेकिन कोई अनुशंसा निर्गत नहीं किया।

3.9 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव

विभाग ने न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के उठाव को सुनिश्चित करने के लिये कोई कार्रवाई नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप शराब का कम उठाव हुआ और उत्पाद शुल्क ₹ 22.46 करोड़ के हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

झारखण्ड उत्पाद (खुदरा शराब अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती) नियमावली, 2009 के नियम 17 के साथ पठित बिक्री अधिसूचना के शर्त संख्या 20 के प्रावधान के अंतर्गत प्रत्येक खुदरा उत्पाद दुकान का अनुज्ञप्तिधारी विभाग द्वारा खुदरा दुकान के लिए शराब की प्रत्येक प्रकार के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.मा.) के उठाव के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं होने पर सरकार को उत्पाद राजस्व की हुई क्षति के समतुल्य राजस्व वसूलनीय होगी।

लेखापरीक्षा ने सभी लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच किया। इनमें से, बोकारो एवं हजारीबाग जिलों में शराब के कम उठाव के मामले नहीं पाये गये थे, जबकि शेष चार जिलों⁴⁵ में लेखापरीक्षा में पाया गया (जनवरी एवं मार्च 2019 के बीच) कि 745 बंदोबस्त खुदरा उत्पाद दुकानों में से 496 खुदरा उत्पाद दुकानों के द्वारा अप्रैल 2016 और जुलाई 2017 के बीच झारखण्ड राज्य बिबेरेज निगम लिमिटेड से 2.16 करोड़ एल.पी.एल./बी.एल. शराब का उठाव किया जाना था। हालाँकि, इन उत्पाद दुकानों ने मात्र 1.57 करोड़ एल.पी.एल./बी.एल. शराब का ही उठाव किया था। यह देखा गया कि खुदरा उत्पाद दुकानों हेतु न्यू.प्र.मा. का निर्धारण वार्षिक आधार पर किया गया था, जिसको बारह भागों में विभक्त किया गया था एवं खुदरा दुकानों के विक्रेताओं ने उनकी आवश्यकतानुसार शराब का मासिक उठाव किया। उत्पाद जिलों ने दुकान-वार निर्धारित न्यू.प्र.मा., माह में एवं माह तक शराब के उठाव से सम्बंधित प्रतिवेदन तैयार किया था, और प्रतिवेदन को उत्पाद आयुक्त को अग्रसारित किया था। हालाँकि, विभाग ने, कम उठाई गई शराब को अनुवर्ती महीनों में उठाव सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की, ताकि वर्ष के अंत में कुल निर्धारित शराब की न्यू.प्र.मा. का उठाव हो जाए। इसके परिणामस्वरूप 58.87 लाख एल.पी.एल./बी.एल. शराब का कम उठाव हुआ और फलस्वरूप उत्पाद शुल्क का ₹ 22.46 करोड़ की हानि के समतुल्य अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ।

मामलों को बताये जाने (जनवरी एवं मार्च 2019 के बीच) पर सहायक आयुक्त उत्पाद, जमशेदपुर ने सूचित किया (जून 2019) कि ₹ 4.28 करोड़ की वसूली की जा चुकी है एवं शेष राशि की वसूली के लिए निलामपत्र वाद दायर किये गये हैं। अधीक्षक उत्पाद, गढ़वा ने कहा (फरवरी 2019) कि राशि का सामंजन प्रतिभूति जमा से किया जाएगा और यदि हानि प्रतिभूति जमा से अधिक होगी तो निलामवाद दायर किये जाएँगे। आयुक्त उत्पाद, धनबाद एवं राँची ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

सरकार को मामला जनवरी 2019 और फरवरी 2020 के बीच प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2021)।

⁴⁵ धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर और राँची।

भाग स
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

सामान्य

1.1.1 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य के पीएसयू, वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों के संचालन के लिए स्थापित किए जाते हैं तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2019 तक झारखण्ड में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन (तीन अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ सहित) 31 पीएसयू थे (सभी सरकारी कम्पनियाँ)। वर्ष 2018-19 में, दो⁴⁶ नए पीएसयू सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आए।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में 31 दिसम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर पीएसयू का वित्तीय प्रदर्शन शामिल है।

31 दिसम्बर 2019 को अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत पीएसयू ने ₹ 5,283.72 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 के राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) (₹ 3,07,581 करोड़) का 3.56 प्रतिशत था। अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार कार्यरत पीएसयू को ₹ 453.81 करोड़ की हानि हुई। मार्च 2019 तक, राज्य पीएसयू में लगभग 7000 कर्मी कार्यरत थे। शुरू से यहाँ तीन पीएसयू अकार्यरत⁴⁷ थे, जिनमें पूँजीगत ₹ 1.1 करोड़ तथा दीर्घकालीन ऋण ₹ 50.81 करोड़ सहित कुल निवेश ₹ 51.91 करोड़ था। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि अकार्यरत पीएसयू में निवेश, राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान नहीं करते हैं। पतरातू ऊर्जा लिमिटेड एवं झारबिहार कोलियरी लिमिटेड को समेटने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए, उनके बोर्ड⁴⁸ द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

उत्तरदायित्व रूपरेखा

1.1.3 सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 में निर्धारित है। अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, सरकारी कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है, जिसमें प्रदत्त अंश पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या

⁴⁶ झारखण्ड रेल संरचना विकास निगम लिमिटेड और अटल बिहारी वाजपेयी नवोन्मेष प्रयोगशाला

⁴⁷ कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड, पतरातू ऊर्जा लिमिटेड और झारबिहार कोलियरी लिमिटेड

⁴⁸ केडएल: 5वां एजीएम (15 सितं 2016), जेसीएल :15वीं बैठक (15 मई 2016) और 16वीं (2 फरवरी 2018)

सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी शामिल है। इसके अलावा, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केंद्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी को, इस प्रतिवेदन में सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कंपनी के रूप में संदर्भित किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अंतर्गत किसी सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) यह प्रावधानित करता है कि सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति, सीएजी द्वारा वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 180 दिनों के अंदर की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(7) में यह प्रावधानित है कि सरकारी कंपनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के मामले में सीएजी द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कंपनी के पंजीकरण की तिथि से 60 दिनों के अंदर की जानी चाहिए तथा यदि सीएजी इस अवधि में ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नहीं करते हैं, तो कंपनी के निदेशक मण्डल अथवा कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।

आगे, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कंपनी के मामले में, सीएजी, यदि आवश्यक समझें तो, एक आदेश द्वारा, ऐसी कंपनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करवा सकते हैं तथा नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे।

किसी कंपनी की 31 मार्च 2014 अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, कंपनी अधिनियम 1956, के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

पीएसयू द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

1.1.4 समय पर अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कार्य एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, उसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन माह के भीतर तैयार की जाएगी एवं इसके बाद जितनी जल्दी हो सके, लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर सीएजी द्वारा बनाई गई किसी अनुपूरक या टिप्पणी के साथ, सदनों या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पटल पर एकसाथ रखी जाएगी। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित विधानों में भी लगभग इसी तरह के प्रावधान हैं। यह क्रियाविधि, राज्य के समेकित कोष से कंपनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कंपनी को प्रति कैलेंडर वर्ष एक बार, अंशधारकों का एजीएम करना आवश्यक है। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी दो एजीएम के बीच 15 माह से ज्यादा का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में यह निर्धारित है कि वित्तीय वर्ष का अंकेक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में विचार हेतु रखा जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी के निदेशकों सहित, उन व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसे दंड लगाने का प्रावधान है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के लिए जिम्मेदार हैं।

पीएसयू की प्रकृति एवं लेखाओं की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका 1.1.1: प्रतिवेदन में सम्मिलित पीएसयू की प्रकृति

पीएसयू की प्रकृति	कुल संख्या	पीएसयू की संख्या जिसके लेखे रिपोर्टिंग अवधि के दौरान प्राप्त हुई ⁴⁹				कुल	31 दिसम्बर 2019 तक पीएसयू की संख्या जिसके लेखे बकाया थे (बकाया लेखाओं की कुल संख्या)
		2018-19 तक के लेखे	2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	कुल		
कार्यरत सरकारी कंपनी	28	4	6	4	14	24(74)	
अकार्यरत	3	-	1	1	2	3 (6)	
कुल	31	4	7	5	16	27 (80)	

(स्रोत: पीएसयू के प्राप्त लेखे एवं पीएजी कार्यालय संधारित पीएसयू के डाटाबेस)

झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) में निवेश

1.1.5 पीएसयू में झारखण्ड सरकार (झा.स.) की उच्च वित्तीय भागीदारी है, जो मुख्य रूप से तीन प्रकार की है:

- **अंश पूँजी एवं ऋण-** अंश पूँजी के योगदान के अतिरिक्त, झा.स. समय-समय पर ऋण के रूप में भी पीएसयू को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता-** जब कभी आवश्यकता पड़ने पर, झा.स. अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में पीएसयू को बजटीय सहायता प्रदान करती है।

⁴⁹ 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019

- गारंटी - झा.स. पीएसयू द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों को ब्याज सहित चुकाने हेतु गारंटी भी देती है।

1.1.6 31 मार्च 2019 तक, पीएसयू में निवेशों का क्षेत्रवार सारांश तालिका 1.1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.1.2: राज्य पीएसयू में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनी		कुल	निवेश (₹ करोड़ में)		
	कार्यरत	अकार्यरत		अंश पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
ऊर्जा	5	3	8	4,244.02	14,561.42	18,805.44
वित्त	1	0	1	1.01	0	1.01
सेवा	8	0	8	49.33	43.96	93.29
आधारभूत संरचना	6	0	6	2,41.14	0	241.14
अन्य	8	0	8	72.56	5.43	77.99
कुल	28	3	31	4,608.06	14,610.81	19,218.87

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

विगत पाँच वर्षों के दौरान, पीएसयू में निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था। 2014-15 से 2018-19 के दौरान, ₹ 13,138.89 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र को ₹ 12,872.91 करोड़ (97.98 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त हुआ।

ऊर्जा क्षेत्र में वृहद-स्तर पर हुए निवेश को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा क्षेत्र के आठ पीएसयू के लेखापरीक्षा परिणाम, प्रतिवेदन में अलग से दिखाया गया है।

1.2 ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू के क्रियाकलाप

परिचय

1.2.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में उल्लेखनीय योगदान देता है। मार्च 2019 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू के टर्नओवर तथा झारखण्ड के जीएसडीपी का विवरण तालिका 1.2.1 में दिया गया है:

तालिका 1.2.1: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं झारखण्ड राज्य के जी एस डी पी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	3,620.31	3,717.16	3,816.87	4,122.72	4,122.72 ⁵⁰
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में टर्नओवर परिवर्तन	6.19	2.68	2.68	8.01	0.00
झारखण्ड का जीएसडीपी	2,18,525	2,06,613	2,36,250	2,76,243	3,07,581
पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत में जीएसडीपी परिवर्तन	15.89	-5.45	14.34	16.93	11.34
टर्नओवर का झारखण्ड के जीएसडीपी से प्रतिशत	1.66	1.80	1.62	1.49	1.34

(स्रोत: वित्त विभाग, झा.स. द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

वर्ष 2014-19 के दौरान, झारखण्ड के जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि⁵¹ दर 8.77 प्रतिशत थी, जबकि इसी अवधि में, ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का टर्नओवर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 2.47 प्रतिशत पर कमतर दर्ज हुई। इसके परिणामस्वरूप, जीएसडीपी में ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू के टर्नओवर की भागीदारी वर्ष 2014-15 में 1.66 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 1.34 प्रतिशत हो गई।

1.2.2 ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू का गठन

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जेएसईबी) के विघटन तथा जेएसईबी के अस्तियों, संपत्तियों, देनदारियों, कर्तव्यों, कार्यवाही तथा कर्मियों को चार ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों (यथा- झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड) में हस्तांतरित करने हेतु राज्य सरकार ने झारखण्ड राज्य विद्युत सुधार हस्तांतरण योजना, 2013 (जेएसईआरटीएस 2013) तैयार की (06 जनवरी 2014)। ये चार ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियाँ 06 जनवरी 2014 से अस्तित्व आई तथा राज्य सरकार की देनदारियों को छोड़कर, जेएसईबी की सभी अस्तियों एवं देनदारियों को, जेएसईआरटी योजना, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, इन कंपनियों में वितरित किया गया। राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2015 में जेएसईआरटी योजना को संशोधित किया गया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि उत्पादन परिसंपत्तियों के क्रियाकलाप, व्यवसाय, अधिकार,

⁵⁰ टर्नओवर 2017-18 की वार्षिक लेखाओं पर आधारित है, क्योंकि दिसंबर 2019 तक उर्जा क्षेत्र पीएसयू द्वारा 2018-19 के वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे।

⁵¹ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर $[\{(2018-19 \text{ का मान}/2013-14 \text{ का मान})^{(1/5 \text{ वर्ष})} - 1\} * 100]$, जहाँ 2013-14 का टर्नओवर एवं जीएसडीपी क्रमशः ₹ 3,409.35 करोड़ तथा ₹ 1,88,567 करोड़ था

दायित्व, अस्तियाँ एवं देनदारियाँ पतरातू ताप विद्युत् केंद्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा प्रशासित करने हेतु, राज्य सरकार में ही निहित रहेगी।

जेएसईआरटी योजना, 2013 में विद्युत् उद्योग की पुनर्स्थापना एवं जेएसईबी की शक्तियों, कर्तव्यों एवं क्रियाकलापों को राज्य सरकार की एक या अधिक ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों को हस्तांतरित करने हेतु एक योजना तैयार करने का प्रावधान था। इन चार⁵² कंपनियों के अलावा, जेएसईआरटी योजना, 2013 से पहले चार अन्य विद्युत् क्षेत्र की कंपनियों का गठन हुआ था।

उपरोक्त चार कंपनियों में से, एक कंपनी यथा- तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड, ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी है तथा अन्य तीन कंपनियाँ यथा- कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड एवं पतरातू ऊर्जा लिमिटेड, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक कंपनियाँ हैं (नवम्बर 1987 से अक्टूबर 2012)। इन आठ विद्युत् क्षेत्र की कंपनियों में से, तीन⁵³ कंपनियाँ 2018-19 तक व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की थीं।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

1.2.3 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा, राज्य पीएसयू का विनिवेश पुनर्गठन अथवा निजीकरण नहीं किया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1.2.4 31 मार्च 2019 तक, ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू में निवेश का गतिविधि-वार सारांश तालिका 1.2.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2.2: ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
विद्युत् उत्पादन	2	145.13	715.90	861.03
विद्युत् संचरण	1	975.06	3,645.90	4,620.96
विद्युत् वितरण	1	3,111.03	10,148.81	13,259.84
अन्य ⁵⁴	4	12.80	50.81	63.61
कुल	8	4,244.02	14,561.42	18,805.44

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

⁵² तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (26 नवंबर 1987), कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड (19 सितंबर 2018), झारबिहार कोलियरी लिमिटेड (18 जून 2009) और पतरातू ऊर्जा लिमिटेड (26 अक्टूबर 2012)

⁵³ कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और पतरातू ऊर्जा लिमिटेड

⁵⁴ झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, कर्णपुरा एनर्जी लिमिटेड, झारबिहार कोलियरी लिमिटेड और पतरातू एनर्जी लिमिटेड

31 मार्च 2019 तक, आठ ऊर्जा क्षेत्र पीएसयू में कुल निवेश (अंश पूँजी तथा दीर्घकालीन ऋण) ₹ 18,805.44 करोड़ था। ₹ 14,561.42 करोड़ के कुल दीर्घकालीन ऋण में से, ₹ 13,353.12 करोड़ (91.70 प्रतिशत) राज्य सरकार से लिये गए थे तथा शेष ₹ 1,208.3 (8.30 प्रतिशत) करोड़ केंद्र सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिये गए थे।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

1.2.5 झारखण्ड सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत चार वर्षों का, ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाला गया ऋणों तथा पूँजी में परिवर्तित ऋणों पर बजटीय खर्च का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

तालिका 1.2.3 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण ⁵⁵	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
अंश-पूँजी (i)	0	0	0	0	0	0	0	0
ऋण (ii)	3	7,606.72	2	1,227.34	2	1,776.88	2	1,461.77
अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	1,599.99	1	1,200.00	1	3,000.00	1	1250.00
कुल व्यय (i+ii+iii)	3	9,206.71	2	2,427.34	2	4,776.88	2	2,711.77
गारंटी ⁵⁶	-	-	-	-	-	-	1	450.00
प्रतिबद्ध ⁵⁷ गारंटी	-	-	-	-	-	-	1	450.00

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन पीएसयू के द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 2427.34 करोड़ एवं ₹ 9206.71 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 2711.77 करोड़ की बजटीय सहायता में ₹ 1461.77 करोड़ तथा ₹ 1250 करोड़ क्रमशः अंश-पूँजी एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में शामिल थे। वर्ष 2018-19 के दौरान, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राजस्व कमी के लिए अनुदान/सब्सिडी दी गई (₹ 1250 करोड़) थी।

झारखण्ड सरकार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 293(1) के तहत गारंटी प्रदान करती है। जेबीवीएनएल ने बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु झारखण्ड सरकार से

⁵⁵ केवल राज्य बजट से निर्गमित राशि

⁵⁶ किसी विशेष वर्ष के दौरान पीएसयू को जारी की गई सरकारी गारंटी (जेबीवीएनएल)

⁵⁷ किसी विशेष वर्ष के अंत में पीएसयू के संदर्भ में सरकार की गारंटी का अंतिम शेष (जेबीवीएनएल)

₹ 450 करोड़ के गारंटी प्रतिवद्धता प्राप्त की क्योंकि इस पीएसयू को बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी।

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन

1.2.6 अंश-पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य पीएसयू के अभिलेखों के आँकड़े झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़े से मिलने चाहिए। यदि ये आँकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित पीएसयू एवं वित्त विभाग को भिन्नताओं का समाशोधन करना चाहिए। 31 मार्च 2019 तक, अंश-पूँजी, ऋण तथा गारंटियों के संबंध में आँकड़ों में भिन्नताएं थीं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

तालिका 1.2.4: वित्त लेखाओं एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार अंश-पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	पीएसयू के नाम	राज्य पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार			झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं अनुसार राशी			अंतर		
		अंश-पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	अंश-पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	अंश-पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	टीवीएनएल	105	665.9		5	57		100	608.9	0
2	जेयूयूएनएल	40.13	50		0	50		40.13	0	0
3	जेबीवीएनएल	3111.03	8956.4	450	0	8857.03	450.00	3111.03	99.3673	0
4	जेयूएसएनएल	975.06	3645.9		0	3647.07		975.06	-1.17	0
5	जेयूवीएनएल	11.7			0	0		11.7	0	0
6	पीइएल		19.45		0	20		0	-0.55	0
7	केईएल		15.52		0	16		0	-0.48	0
	कुल	4242.92	13353.17	450	5	12647.1	450	4237.92	706.0673	0

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना तथा मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के वित्त लेखा)

आँकड़ों में अंतर विगत कई वर्षों से विद्यमान है। इन भिन्नताओं के समाशोधन हेतु मामले को समय समय पर पीएसयू/विभागों के समक्ष उठाया गया।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

1.2.7 31 मार्च 2019 तक ऊर्जा क्षेत्र के आठ उपक्रम सीएजी की लेखापरीक्षा के दायरे में थे। संविधिक आवश्यकता के अनुसार, 2018-19 के वार्षिक लेखे 30 सितंबर 2019 तक इन उपक्रमों द्वारा नहीं प्रस्तुत किये गए। इनमें से किसी भी कंपनी ने, 31 दिसंबर 2019 समाप्त होने के बाद भी अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किये।

तालिका 1.2.5: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	पीएसयू की संख्या	8	8	8	8	8
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं के संख्या	0	0	0	1	0
3.	चालू वर्ष के दौरान लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले पीएसयू की संख्या	0	0	0	1	0
4.	चालू वर्ष में अंतिम रूप दिये गए पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या	4	2	5	5	6
5.	बकाया लेखे वाले पीएसयू की संख्या	8	8	8	7	8
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	31	35	26	23	17
7.	बकाया होने की समय-सीमा	2 से 9 वर्ष	3 से 8 वर्ष	1 से 8 वर्ष	1 से 5 वर्ष	1 से 4 वर्ष

(स्रोत: पीएजी कार्यालय में अंतिमीकृत खातों का डाटाबेस)

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू अपने वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करने में उत्साहित नहीं हैं तथा आठ कंपनियों के मामले में बकाया होने की समय-सीमा एक से चार वर्ष तक थे।

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन

1.2.8 ऊर्जा क्षेत्र की आठ कंपनियों की, 31 दिसंबर 2019 तक उनके अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणामों का विवरण परिशिष्ट 1.1.1 में हैं।

कंपनी की लाभप्रदता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, अंश-पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से आकलित की जाती है।


निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

1.2.9 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर कुल निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाभ या हानि का प्रतिशत होता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, ऊर्जा क्षेत्र के सभी कार्यरत पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि⁵⁸ को निम्नलिखित चार्ट

1.2.1 में दर्शाया गया है:

⁵⁸ आँकड़े, संबंधित वर्षों के दौरान अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार हैं

चार्ट 1.2.1: ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत पीएसयू द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



ऊर्जा क्षेत्र के पाँच पीएसयू द्वारा उठायी गयी हानि 2014-15 में ₹ 1518.39 करोड़ के विरुद्ध 2018-19 में ₹ 479.44 करोड़ थी। 2018-19 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, पाँच कार्यरत पीएसयू में से, एक पीएसयू ने ₹ 92.57 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया, चार पीएसयू ने ₹ 572.01 करोड़ की हानि उठाई तथा तीन अकार्यरत पीएसयू ने अभी तक संचालन/ व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया था।

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनी तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 92.57 करोड़) थी, जबकि झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने क्रमशः ₹ 358.27 करोड़ एवं ₹ 212.17 करोड़ की ठोस हानि उठायी।

(अ) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

1.2.10 आरओआरआर की गणना के प्रयोजन के लिए, इन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में झारखण्ड सरकार, भारत सरकार एवं अन्य के कुल निवेश का आँकड़ा, प्रत्येक वर्ष की अंश-पूँजी, जोड़ ब्याज-रहित ऋण और घटाव वे ब्याज-रहित ऋण, जो बाद में अंश-पूँजी/ ब्याज-युक्त ऋण में परिणत हो गए, अनुदान, परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु सब्सिडी घटाव विनिवेश को ध्यान में रखकर निकाला गया है।

तदनुसार, 31 मार्च 2019 तक इन आठ ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में झा.स., भा.स. एवं अन्य का निवेश ₹ 28,493.40 करोड़ था, जिसमें ₹ 4244.02 करोड़ अंश-पूँजी एवं ₹ 14,561.42 करोड़ दीर्घकालीन ऋण तथा ₹ 9689.94 करोड़ परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु सब्सिडी के रूप में शामिल था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर नीचे दी गई है:

तालिका 1.2.6: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	झा.स. द्वारा निवेश	भा.स. एवं अन्य द्वारा निवेश	कुल निवेश	वर्ष के लिए कुल आय/हानि ⁵⁹	निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (प्रतिशत में)
	ऐतिहासिक लागत के आधार पर अंश-पूँजी, ब्याज-रहित ऋण और अनुदान/ सब्सिडी के रूप में				
2014-15	6,882.87	0	6,882.87	-489.09	-7.11
2015-16	8,482.86	0	8,482.86	-1,147.83	-13.53
2016-17	9,682.86	0	9,682.86	-1,737.85	-17.95
2017-18	12,682.86	0	12,682.86	-469.28	-3.70
2018-19	13,932.86	0	13,932.86	-453.82	-3.26

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

2018-19 में, आठ ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर ऋणात्मक थी। ऊर्जा क्षेत्र के समग्र नुकसान में, उपरोक्त अवधि के दौरान झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड एवं झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के भारी नुकसान का योगदान था।

(ब) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर

1.2.11 प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर, हालाँकि धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करते हुए, की जाती है। पीवी के आधार पर आरओआरआर की गणना से आरओआरआर का आकलन अधिक पर्याप्त होता है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि में, ऊर्जा क्षेत्र के सभी पीएसयू में निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल थे। अतः निवेश पर प्रतिफल, पीवी के आधार पर परिकल्पित नहीं हो पायी।

निवल मूल्य का अपक्षरण

1.1.12 निवल मूल्य, कंपनी की प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ एवं टाले गए राजस्व व्यय होता है। वास्तव में, यह स्वामियों के लिए यह इकाई कितना मूल्यवान है की माप है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि संचित हानियों एवं टाले गए राजस्व व्यय के द्वारा स्वामियों द्वारा किया गया समस्त निवेश का सफाया हो चुका है।

निम्न तालिका, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान सभी ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू, जिसमें होल्डिंग एवं सहायक कंपनियाँ शामिल हों, की प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को दर्शाता है:

⁵⁹ संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार

तालिका 1.2.7: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	प्रदत्त पूँजी	मुक्त संचय	संचित हानि	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6=3+4+5
2014-15	5	4,379.31	0	1,293.89	3,085.42
2015-16	5	4,235.32	0	3,143.50	1,091.82
2016-17	5	4,235.32	0	4,996.74	-761.42
2017-18	5	4,235.32	0	6,744.16	-2,508.84
2018-19	5	4,235.32	0	6,744.16	-2,508.84

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

ऊर्जा क्षेत्र के पांच कार्यरत पीएसयू में, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (₹-1918.33 करोड़) और तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड (₹-1013.63 करोड़) ने ऋणात्मक निवल मूल्य दर्ज किया तथा उनकी प्रदत्त पूँजी पूरी तरह से अपक्षरित हो गया।

लाभांश अदायगी

1.2.13 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी।

अंश-पूँजी पर प्रतिफल

1.2.14 प्रबंधन द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों का उपयोग लाभ अर्जित करने हेतु कितने प्रभावपूर्ण तरीके से कर रहा है, इसके मूल्यांकन हेतु, अंश-पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन की एक माप है। इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात्- करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को अंशधारक कोष से विभाजित करके की जाती है तथा इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है।

कंपनी के अंशधारक कोष की गणना प्रदत्त पूँजी जोड़ मुक्त संचय घटाव शुद्ध संचित हानि तथा टाले गए राजस्व व्यय द्वारा की जाती है और इससे यह पता चलता है कि यदि सभी परिसंपत्तियां बिक्री एवं सभी कर्ज भुगतान कर दिए जाएँ तो कंपनी के अंशधारकों के लिए कितना शेष रहता है। एक धनात्मक अंशधारक कोष से यह पता चलता है कि कंपनी के पास, उसकी देनदारियों का निपटारा करने हेतु पर्याप्त परिसंपत्तियां हैं, वहीं ऋणात्मक अंशधारक कोष से यह पता चलता है कि देनदारियां, परिसंपत्तियों से ज्यादा हैं।

ऊर्जा क्षेत्र के सभी उपक्रमों जिसमें होल्डिंग एवं सहायक कंपनियाँ शामिल हैं के निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई और जो निम्नलिखित तालिका में वर्णित है:

तालिका 1.2.8: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का आरओई

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	शुद्ध लाभ /हानि	अंशधारक कोष	आरओई प्रतिशत में
	1	2	3	4	5=3*100/4
लाभ अर्जित करने वाली	2014-15	1	92.57	-1,013.63	-
	2015-16	-	-	-	-
	2016-17	-	-	-	-
	2017-18	-	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-
	2014-15	4	-484.33	3,695.47	-
हानि उठाने वाली	2015-16	4	-1,260.79	2,105.45	-
	2016-17	4	-1,864.8	252.21	-
	2017-18	4	-572.08	-1,495.21	-
	2018-19	-	-	-	-
कुल	2014-15	5	-391.76	2,681.84	-
	2015-16	4	-1,260.79	2,105.45	-
	2016-17	4	-1,864.8	252.21	-
	2017-18	4	-572.08	-1,495.21	-
	2018-19	-	-	-	-

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के आरओआई की गणना नहीं की गई क्योंकि या तो शुद्ध लाभ या अंशधारक कोष ऋणात्मक थे।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.2.15 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है, जो किसी कंपनी की लाभप्रदता एवं दक्षता को मापता है, जिसके साथ इसकी पूँजी नियोजित है।

आरओसीई की गणना, कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी⁶⁰ से भाग देकर की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत सभी पाँच उपक्रमों का आरओसीई का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

⁶⁰ नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त कोष एवं अधिशेष + दीर्घकालीन ऋण - संचित हानियाँ - टाले गए राजस्व व्यय। जिन पीएसयू के लेखे अंतिमिकृत हैं, आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं।

तालिका 1.2.9: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	आरओसीई (प्रतिशत में)
	1	2	3	4	5=3*100/4
लाभ अर्जित करने वाली	2014-15	1	194.8	-65.13	-
	2015-16	-	-	-	-
	2016-17	-	-	-	-
	2017-18	-	-	-	-
	2018-19	-	-	-	-
हानि उठाने वाली	2014-15	4	-362.42	11,055.38	-
	2015-16	4	-1,066.28	19,108.3	-
	2016-17	4	-1,656.84	17,328.32	-
	2017-18	4	-144.35	21,227.81	-
	2018-19	-	-	-	-
कुल	2014-15	5	-167.62	10,990.25	-
	2015-16	4	-1,066.28	19,108.3	-
	2016-17	4	-1,656.84	17,328.32	-
	2017-18	4	-144.35	21,227.81	-
	2018-19	-	-	-	-

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत उपक्रमों के आरओसीई की गणना नहीं की गई क्योंकि सभी कंपनियाँ घाटे में थीं।

कंपनियों के दीर्घकालीन ऋणों का विश्लेषण

1.2.16 कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के भुगतान की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत उपक्रम, जिनमें 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान लिवरेज⁶¹ था, के दीर्घकालीन ऋणों का विश्लेषण किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात एवं ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया।

ब्याज व्याप्ति अनुपात

1.2.17 ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की किसी कंपनी की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कंपनी की ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कमतर होगी। “1” से कम ब्याज व्याप्ति अनुपात यह इंगित करता है कि कंपनी अपने ब्याज पर व्यय के लिए पर्याप्त राजस्व

⁶¹ लिवरेज का अर्थ ऋण की वह राशि है, जिसे कोई संस्था परिसंपत्तियों के वित्त-पोषण हेतु उपयोग करती है

उत्पन्न नहीं कर रही थी। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों, जिनपर 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ब्याज का बोझ था, का ब्याज व्याप्ति अनुपात नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.2.10: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व आय (इबीआईटी) (₹ करोड़ में)	कंपनियों की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं वित्तीय संस्थान के ऋण का दायित्व था	कंपनियों की संख्या, जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से अधिक था	कंपनियों की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात 1 से कम था
2014-15	224.14	-167.62	4	1	3
2015-16	250.28	-1066.28	3	0	3
2016-17	310.94	-1656.84	3	0	3
2017-18	645.85	-144.35	3	0	3
2018-19	-	-	-	-	-

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

यह देखा गया कि 2015-16 से 2017-18 के दौरान, तीन ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था।

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.2.18 विगत पाँच वर्षों के दौरान, आठ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का टर्नओवर का वार्षिक चक्रवृद्धि दर 2.47 प्रतिशत था तथा ऋण का वार्षिक चक्रवृद्धि दर 5.64 प्रतिशत था, जिसके कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2018-19 में, 2014-15 के 0.47 से गिरकर 3.53 हो गया, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.2.11: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,688.51	9,155.12	10,419.84	12,218.4	14,561.42
टर्नओवर	3,629.85	3,782.28	3,708.16	4,122.72	4,122.72
ऋण-टर्नओवर अनुपात	0.47:1	2.42:1	2.81:1	2.96:1	3.53:1

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

1.2.19 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि इसपर कार्यपालिका उचित एवं समयबद्ध जवाब प्रस्तुत करे। झा.स. के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को यह निर्देश दिया (नवंबर 2015) कि सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/ निष्पादन लेखापरीक्षा के उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, निर्धारित प्रारूप में, लोक उपक्रम समिति (कोपू) से

किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बगैर, विधायिका में इसके प्रस्तुतीकरण के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करें। ऊर्जा विभाग से संबंधित 20 कंडिकाओं/ निष्पादन लेखापरीक्षा की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रतिक्षित थे (दिसंबर 2019)। विस्तृत विवरण तालिका 1.2.12 में दिया गया है:

तालिका 1.2.12: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (31 दिसंबर 2019 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयू) का वर्ष	प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में रखने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऊर्जा क्षेत्र की कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.) एवं कंडिकाएँ		ऊर्जा क्षेत्र की कंडिकाओं/ नि.ले. की संख्या जिनके व्याख्यात्मक नोट प्राप्त नहीं हुए थे	
		नि.ले.	कंडिकाएँ	नि.ले.	कंडिकाएँ
2006-07	26 मार्च 08	1	5	1	5
2007-08	10 जुलाई 09	1	6	1	5
2008-09	13 अगस्त 10	1	3	1	1
2009-10	29 अगस्त 11	1	5	1	1
2010-11	06 सितम्बर 12	1	1	0	0
2011-12	27 जुलाई 13	1	2	0	0
2012-13	05 मार्च 14	0	4	0	2
2013-14	26 मार्च 15	0	4	0	1
2014-15	15 मार्च 16	1	4	0	0
2015-16	12 अगस्त 17	2	4	0	1
2016-17	27 दिसम्बर 18	0	1	0	0
कुल		9	39	4	16

(स्रोत: पीएजी कार्यालय में संधारित डाटाबेस)

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.2.20 31 दिसंबर 2020 तक ऊर्जा क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं कंडिकाएं जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयू) में शामिल हुईं तथा जिसपर कोपू द्वारा चर्चा की गयी, निम्नवत हैं:

तालिका 1.2.13: 31 दिसंबर 2020 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल बनाम चर्चित ऊर्जा क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अवधि	नि.ले./ कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		चर्चित कंडिकाएँ	
	नि.ले.	कंडिकाएँ	नि.ले.	कंडिकाएँ
2004-05	2	1	2	1
2005-06	1	2	1	2
2006-07	1	5	0	0
2007-08	1	6	0	1
2008-09	1	3	0	2
2009-10	1	5	0	4
2010-11	1	1	1	1
2011-12	1	3	1	1
2012-13	0	4	0	4
2013-14	0	4	0	3
2014-15	1	4	1	4
2015-16	1	5	1	2
2016-17	0	1	0	0
कुल	11	44	7	25

(स्रोत: पीएजी कार्यालय में संधारित डाटाबेस)

लोक उपक्रम समिति को, पहली बैठक (अगस्त 2018) में ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा में हो रहे विलंब से अवगत कराया गया। 2018-19 के दौरान, कोपू ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित किसी भी कंडिकाओं पर चर्चा नहीं की।

1.2.21 सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) के प्रतिवेदनों का अनुपालन

4 मार्च 2014 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत कोपू के ग्यारहवें प्रतिवेदन में शामिल तीन उप-कंडिकाओं पर कृत-कार्यवाही टिप्पणी (कृ.का.टि.) प्राप्त हुई तथा 12 मार्च 2008 एवं 29 जनवरी 2019 के बीच राज्य विधानसभा में प्रस्तुत कोपू के प्रतिवेदनों में शामिल आठ कंडिकाओं एवं 20 उप-कंडिकाओं पर कृ.का.टि. अभी प्राप्त होने बाकी थे, जैसा कि तालिका 1.2.14 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2.14: कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदन की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन में अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जहाँ कृ.का.टि. प्राप्त हुए
कुल	14	31	3

(स्रोत: झा.स. के विभागों से प्राप्त कृ.का.टि.)

कोपू की प्रतिवेदनों में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित कंडिकाओं पर अनुशांसाएं शामिल थीं जो सीएजी के प्रतिवेदनों में वर्ष 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2009-10 एवं 2010-11 में शामिल किये गए थे।

1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के क्रियाकलाप

परिचय

1.3.1 31 मार्च 2019 तक, यहाँ 23 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) थे, जो ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। ये राज्य पीएसयू 2001-02 से 2018-19 के दौरान निगमित किए गए थे। 23 सरकारी कंपनियों में से एक, किसी अन्य सरकारी कंपनी की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 2018-19 तक, पाँच⁶² सरकारी कंपनियों ने वाणिज्यिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की थीं।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

1.3.2 मार्च 2019 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों की अवधि में राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के टर्नओवर एवं झारखण्ड के जीएसडीपी का विवरण नीचे दी गयी तालिका में है:

तालिका 1.3.1: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के टर्नओवर के विरुद्ध झारखण्ड के जीएसडीपी का विवरण
(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	1,148.33	1,134.81	1,130.4	1,142.26	1,161.00
पिछले वर्ष की तुलना में टर्नओवर परिवर्तन का प्रतिशत	0.17	-1.18	-0.39	1.05	1.64
झारखण्ड का जीएसडीपी	2,18,525	2,06,613	2,36,250	2,76,243	3,07,581
पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी परिवर्तन का प्रतिशत	15.89	-5.45	14.34	16.93	11.34
टर्नओवर का झारखण्ड के जीएसडीपी से प्रतिशत	0.53	0.55	0.48	0.41	0.38

(स्रोत: वित्त विभाग, झा.स.. द्वारा प्रदत्त सूचना)

2018-19 में, जीडीएसपी के सापेक्ष पीएसयू का टर्नओवर 0.38 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के 0.41 प्रतिशत से कम था। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जीएसडीपी की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि⁶³ दर 8.77 प्रतिशत रही, जबकि उसी अवधि के दौरान सार्वजनिक उपक्रमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) ने टर्नओवर का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 0.66 प्रतिशत दर्ज किया।

⁶² i) झारखण्ड रेल संरचना विकास लिमिटेड, ii) झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड, iii) झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड, iv) झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड तथा v) अटल बिहारी बाजपेयी नवोन्मेष प्रयोगशाला।

⁶³ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि की दर $[[\{(2018-19 \text{ का मान } / 2013-14 \text{ का मान})^{(1/5 \text{ वर्ष})} - 1\}] * 100]$, जहाँ 2013-14 का टर्नओवर एवं जीएसडीपी क्रमशः ₹ 1,146.43 करोड़ एवं ₹ 1,88,567 करोड़ था।

इसके परिणामस्वरूप, जीएसडीपी में इन पीएसयू के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 0.53 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 0.38 प्रतिशत हो गई।

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में निवेश

1.3.3 कुछ पीएसयू ऐसे हैं, जो राज्य सरकार को कतिपय सेवाएं प्रदान करने हेतु एक साधन के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से निजी क्षेत्र प्रदान नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा, सरकार ने पीएसयू के माध्यम से कतिपय व्यापार क्षेत्रों में निवेश किया, जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत हैं। इसलिए, इन पीएसयू की स्थिति का विश्लेषण, दो मुख्य श्रेणियों के तहत किया गया है यथा- जो सामाजिक क्षेत्र में हैं तथा जो प्रतिस्पर्धी वातावरण में कार्यरत हैं। इसके अलावा, इनमें से, दो⁶⁴ राज्य पीएसयू को, जो राज्य सरकार के बदले कतिपय विशिष्ट कार्य निष्पादित करने हेतु निगमित हुए थे, “अन्य” कोटि में श्रेणीबद्ध किया गया है।

1.3.4 31 मार्च 2019 तक, इन पीएसयू में निवेशों का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 1.3.2 : राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में क्षेत्रवार निवेश

क्षेत्र	पीएसयू की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		अंश-पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
सामाजिक क्षेत्र	9	30.56	49.21	79.77
प्रतिस्पर्धी वातावरण वाले पीएसयू	12	318.48	0.18	318.66
अन्य	2	15.00	0.00	15.00
कुल	23	364.04	49.39	413.43


(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित)

31 मार्च 2019 तक, 23 पीएसयू में कुल निवेश (अंश-पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) ₹ 413.43 करोड़ था। कुल ₹ 49.39 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण में से, ₹ 0.18 करोड़ वित्तीय संस्थानों से ली गई थी।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में झा.स. के निवेश का वर्ष-वार विवरण परिशिष्ट 1.1.2 में वर्णित है, जैसा नीचे दिखाया गया है:

⁶⁴ झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड एवं राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड

चार्ट 1.3.1: वर्ष के अंत तक राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) में झा.स. का कुल निवेश



राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण

1.3.5 वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा, राज्य पीएसयू का विनिवेश पुनर्गठन अथवा निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) को बजटीय सहायता

1.3.6 झा.स. वार्षिक बजट के माध्यम से राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत चार वर्षों का, राज्य पीएसयू के संबंध में वर्ष के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, बट्टे खाते में डाला गया ऋणों तथा पूँजी में परिवर्तित ऋणों पर बजटीय खर्च का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:

तालिका 1.3.3: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण ⁶⁵	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि	पीएसयू की संख्या	राशि
अंश-पूँजी (i)	3	10.74	5	58	2	70	3	67.08
दिया गया ऋण (ii)	0	0		0		0		0
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	1	8.14		0		0		0
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	4	18.88	5	58	2	70	3	67.08

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

⁶⁵ राशि केवल राज्य बजट से बहिर्गमित

2015-16 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन पीएसयू के द्वारा प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 18.88 करोड़ एवं ₹ 70.00 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त ₹ 67.08 करोड़ की बजटीय सहायता अंश-पूँजी के रूप में है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने इन पीएसयू को कोई ऋण प्रदान नहीं की थी। झा.स. ने किसी भी गैर-ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू को न तो गारंटी जारी की और न ही गारंटी प्रतिबद्धता प्रदान की।

झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन

1.3.7 अंश-पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के अभिलेखों के आँकड़े झा.स. के वित्त लेखाओं में दर्शाये गये आँकड़ों से मिलने चाहिए। यदि ये आँकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित पीएसयू एवं वित्त विभाग को भिन्नताओं का समाशोधन करना चाहिए।

तालिका 1.3.4: 31 मार्च 2019 तक वित्त लेखाओं एवं राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के लेखाओं में शेष अंश-पूँजी तथा ऋण में अंतरों को दिखाता विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	पीएसयू का नाम	पीएसयू के अभिलेखों के अनुसार		झारखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार		अंतर	
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जे.आर.आई.डी.सी.एल	4.08	0.00	5	0	0.92	0.00
2	जुडको	15	0.00	25	0	10	0.00
3	जी.आर.डी.ए	164.14	0.00	25	0	-139.14	0.00
4	जे.एस.ए.डी.सी.एल	2	0.00	0	0	-2	0.00
5	जे.एस.एफ.डी.सी	0.55	0.00	0.05	0	-0.5	0.00
6	झालको	5	5.25	5	0	0	-5.25
7	जे.एस.एफ.सी.एस	5	43.96	0.00	0	-5	-43.96
8	जे.एस.एम.एफ.डी.सी	1.01	0	4.25	0	3.24	0.00
9	जे.एम.एच.आई.पी.डी.सी.एल	5	0	0	0	-5	0.00
10	आर.एस.सी.सी.एल.	13	0	10	0	-3	
	कुल	214.78	49.21	74.3	0	-140.48	-49.21

यह देखा गया कि 23 राज्य पीएसयू में से 10 पीएसयू में इस प्रकार का अंतर घटित हुआ था, जैसा कि उपर तालिका में दर्शाया गया है। आँकड़ों के बीच अंतर कई वर्षों से निरंतर विद्यमान हैं। इन भिन्नताओं के समाशोधन हेतु मामले को समय समय पर पीएसयू/विभागों के समक्ष उठाया गया। शेषों में बड़ा अंतर ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी और झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड में पाया गया। अतः लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं संबंधित पीएसयू को समयबद्ध तरीके से अंतरों का समाशोधन करना चाहिए।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

1.3.8 कुल 23 राज्य पीएसयू में से, 31 मार्च 2019 तक सभी पीएसयू सीएजी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत थे। लेखाओं को तैयार करने में राज्य पीएसयू द्वारा निर्धारित समयावधि के पालन की स्थिति नीचे वर्णित है:

कार्यरत राज्य पीएसयू द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

1.3.8.1 वर्ष 2018-19 के लेखे को, सभी कार्यरत पीएसयू द्वारा 30 सितंबर 2019 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, 23 कार्यरत सरकारी कंपनियों में से किसी भी सरकारी कंपनियों ने वर्ष 2018-19 के अपने लेखे को सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु 30 सितम्बर 2019 या उससे पहले प्रस्तुत नहीं किये, जबकि 23 सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे।

चार सरकारी कंपनियों ने अपने लेखे 31 दिसंबर 2019 से पहले प्रस्तुत किये। 31 दिसंबर 2019 तक पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के लेखाओं के बकाया प्रस्तुतीकरण के विवरण नीचे दिए गए हैं:

तालिका 1.3.5: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) की लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

क्र.सं	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	कार्यरत पीएसयू की संख्या	17	17	20	21	23
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं के संख्या	0	0	3	0	4
3.	चालू वर्ष के दौरान लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले पीएसयू की संख्या	0	0	3	0	4
4.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिनके लेखाओं को चालू वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	5	9	12	11	11
5.	कार्यरत पीएसयू की संख्या जिनके लेखे बकाया थे	17	17	20	21	17
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	36	42	51	58	63
7.	बकाया होने की समय-सीमा	1 से 09 वर्ष	1 से 10 वर्ष	1 से 08 वर्ष	1 से 09 वर्ष	1 से 09 वर्ष

(स्रोत: 1 जनवरी 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए पीएसयू के लेखे)

इन 23 कार्यरत राज्य पीएसयू में से, 10 पीएसयू ने 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 की अवधि के दौरान 15 वार्षिक लेखाओं को अंतिमीकृत किया, जिसमें वर्ष 2018-19 के 4 तथा बीते वर्षों के 11 लेखे शामिल थे। आगे, 63 वार्षिक लेखे बकाया थे, जो 17 पीएसयू (2018-19 में निगमित दो पीएसयू) से संबंधित थे। इन संस्थाओं की गतिविधियों की निगरानी तथा इन पीएसयू द्वारा लेखाओं के निर्धारित समय में अंतिमीकरण करना एवं अपनाना सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासनिक विभागों पर

है। बकाया लेखाओं के संबंध में झारखण्ड सरकार के मुख्य सचिव को तिमाही सूचित किया जाता है।

शेष 17 पीएसयू में लेखाओं के अंतिमीकरण एवं अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, कोई आश्वासन नहीं दिया जा सका कि निवेश एवं किए गए व्यय सही तरीके से लेखांकित किए गए तथा वह उद्देश्य, जिसके लिए राशि का निवेश हुआ था, प्राप्त हो गए थे। इसलिए, इन पीएसयू में झा.स. के निवेश, राज्य विधानसभा की निगरानी से बाहर रह गए।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के लेखाओं के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव

1.3.9 जैसा कि कंडिका 1.3.8 में कहा गया है, लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब में, संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के रिसाव का खतरा सन्निहित है। बकाया लेखाओं की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, वर्ष 2018-19 के राज्य जीडीपी में राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का वास्तविक योगदान

का पता नहीं लग सका तथा राजकोष में उनके योगदान को राज्य विधायिका में भी प्रतिवेदित नहीं किया गया।

अनुशंसा: सरकार को पीएसयू के लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए तथा लेखाओं के बकाए की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का प्रदर्शन


1.3.10 31 दिसम्बर 2019 तक 16 कार्यरत राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का, अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम।

कंपनी की लाभप्रदता पारम्परिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, अंश-पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से आकलित की जाती है।

1.3.11 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर कुल निवेश के वर्तमान मूल्य (पीवी) पर लाभ या हानि का प्रतिशत होता है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान, सभी कार्यरत राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि⁶⁶ को निम्नलिखित चार्ट 1.3.2 में चित्रित है:

⁶⁶ आँकड़े, संबंधित वर्षों के दौरान अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार हैं

चार्ट 1.3.2: वर्ष के दौरान कार्यरत राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि



ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी, झारखण्ड राज्य पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड, झारखण्ड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड तथा झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा लाभ अर्जित करने के कारण इन कार्यरत पीएसयू का लाभ 2014-15 के ₹ 15.9 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 25.63 करोड़ हो गया। 2018-19 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, 16 कार्यरत राज्य पीएसयू में से, 9 पीएसयू ने ₹ 37.25 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 7 पीएसयू ने ₹ 11.62 करोड़ की हानि उठाई। सात गैर-ऊर्जा क्षेत्र की कंपनियों ने अपना प्रथम लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया था।

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनी झारखण्ड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (₹ 11.95 करोड़), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 5.90 करोड़) और ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी (₹ 8.86 करोड़) थी जबकि झारक्राफ्ट (₹ 4.62 करोड़) और झालको (₹ 3.65 करोड़) को घाटा हुआ।

निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

1.3.12 आरओआरआर की गणना के प्रयोजन के लिए, इन ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू में झा.स., भा.स. एवं अन्य के कुल निवेश का आँकड़ा, प्रत्येक वर्ष की अंश-पूँजी, जोड़ ब्याज-रहित ऋण और घटाव वे ब्याज-रहित ऋण, जो बाद में अंश-पूँजी/ ब्याज-युक्त ऋण में परिणत हो गए, अनुदान, परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु सब्सिडी घटाव विनिवेश को ध्यान में रखकर निकाला गया है।

तदनुसार, 31 मार्च 2019 तक इन 23 पीएसयू में झा.स., भा.स. एवं अन्य का निवेश ₹ 332.28 करोड़, ₹ 49.21 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण (सभी ब्याज रहित ऋण) एवं ₹ 21.09 करोड़ का अनुदान था। इस प्रकार, इन 23 पीएसयू में ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश ₹ 402.58 करोड़ (₹ 332.28 करोड़ + ₹ 49.21 करोड़ + ₹ 21.09 करोड़) था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर नीचे दी गई है:

तालिका 1.3.6: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

वर्ष वार	वर्ष के लिए कुल आय	झा.स. द्वारा निवेश	भा.स. एवं अन्य द्वारा निवेश	कुल निवेश	ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (%)
क्षेत्र वार विच्छेद					
ऐतिहासिक लागत के आधार पर अंश-पूँजी, ब्याज-रहित ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में					
2014-15					
सामाजिक क्षेत्र	4.25	69.12	0	69.12	6.15
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	5.05	90.64	0	90.64	5.57
अन्य	5.95	2	0	2	297.50
कुल	15.25	161.76	0	161.76	9.43
2015-16					
सामाजिक क्षेत्र	4.61	73.76	0	73.76	6.25
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	10.98	134.64	0	134.64	8.16
अन्य	4.74	2	0	2	237.00
कुल	20.33	210.4	0	210.4	9.66
2016-17					
सामाजिक क्षेत्र	4.58	80.76	0	80.76	5.67
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	23.72	209.64	0	209.64	11.31
अन्य	6.02	2	0	2	301.00
कुल	34.32	292.4	0	292.4	11.74
2017-18					
सामाजिक क्षेत्र	4.58	85.77	0	85.77	5.34
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	1.26	279.64	0	279.64	0.45
अन्य	4.33	2	0	2	216.50
कुल	10.17	367.41	0	367.41	2.77
2018-19					
सामाजिक क्षेत्र	3.56	96.94	0	96.94	3.67
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	18.6	290.64	0	290.64	6.40
अन्य	3.47	15	0	15	23.13
कुल	25.63	402.58	0	402.58	6.37

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर, पीएसयू की कुल आय⁶⁷ को झा.स., भा.स. एवं अन्य द्वारा निवेश से भाग देकर निकाली गयी है। झारखण्ड राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (₹ 11.95 करोड़), झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 5.90 करोड़) और ग्रेटर राँची डेवलपमेंट एजेंसी (₹ 8.86 करोड़) के लाभ अर्जित करने के कारण

⁶⁷ इसमें संबंधित वर्ष के उन राज्य पीएसयू, जहाँ राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है, का शुद्ध लाभ/ हानि शामिल है।

2018-19 में इन 16 राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का निवेश पर अर्जित वास्तविक प्रतिफल की दर धनात्मक थी।

निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर प्रतिफल

1.3.13 प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर, हालांकि धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करते हुए की जाती है। पीवी के आधार पर आरओआरआर की गणना से आरओआरआर का आकलन अधिक पर्याप्त होता है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि में, इन 16 पीएसयू में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल धनात्मक थे। अतः इन चार वर्षों में निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना एवं चित्रण पीवी के आधार पर की गयी।

इन 16 पीएसयू में निवेश का पीवी निम्नलिखित अवधारणाओं पर संगणित था:

- निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की गणना के लिए संचयित अंश-पूँजी घटाव विनिवेश, ब्याज-रहित ऋण तथा अनुदान, परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु सब्सिडी के रूप में उपलब्ध धन के आधार पर निवेश माना गया है। पीएसयू द्वारा ऋण वापसी के मामलों में, पीवी की गणना उस अवधि में ऋण के घटे हुए शेष पर की गयी थी।
- संबंधित वित्तीय वर्ष⁶⁸ के लिये सरकारी ऋण पर औसत ब्याज की दर, वर्तमान मूल्य पर पहुँचने हेतु चक्रवृद्धि दर रूप में अपनाया गया है, क्योंकि ये, वर्ष के दौरान निवेश किये गए धन पर लागत को दर्शाता है और इसलिए यह निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में विचारित होता है।

1.3.14 31 मार्च 2019 तक, झा.स., भा.स एवं अन्य के अंशपूँजी के रूप में इन 19 पीएसयू में निवेश ₹ 332.28 करोड़, ₹ 49.21 करोड़ के दीर्घकालीन ऋण (सभी ब्याज रहित ऋण) एवं ₹ 21.09 करोड़ का अनुदान था। 31 मार्च 2019 तक झा.स., भा.स. एवं अन्य द्वारा लगाए गए धन का पीवी ₹ 597.41 करोड़ था।

1.3.15 चूँकि वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान, नौ पीएसयू ने लाभ अर्जित किया, इन वर्षों के लिए राज्य सरकार की निधि पर ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य पर प्रतिफल की क्षेत्रवार तुलना नीचे दी गयी है:

⁶⁸ सरकारी ऋण पर औसत ब्याज दर संबंधित वर्ष के राज्य वित्त (झारखण्ड सरकार) पर सीएजी के प्रतिवेदनों से अपनाया गया था, जिसमें औसत भुगतित ब्याज दर = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देनदारियां + चालू वर्ष की राजकोषीय देनदारियां)/2]*100

तालिका 1.3.7: राज्य सरकार की निधि पर प्रतिफल (वर्तमान मूल्य)

(₹ करोड़ में)

वर्ष वार	वर्ष के लिए कुल आय	झा.स. द्वारा निवेश	भा.स. एवं अन्य द्वारा निवेश	कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेश के वर्तमान मूल्य को विचार करते हुए कुल निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (%)	ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल (%)
क्षेत्र वार विच्छेद							
ऐतिहासिक लागत के आधार पर अंशपूजी, ब्याज-रहित ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में							
2014-15							
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	5.05	90.64	0	90.64	126.44	3.99	5.57
सामाजिक क्षेत्र	4.25	69.12	0	69.12	109.15	3.89	6.15
अन्य	5.95	2	0	2	5.62	105.85	297.50
कुल	15.25	161.76	0	161.76	241.21	6.32	9.43
2015-16							
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	10.98	134.64	0	134.64	181.74	6.04	8.16
सामाजिक क्षेत्र	4.61	73.76	0	73.76	121.33	3.80	6.25
अन्य	4.74	2	0	2	5.99	79.08	237.00
कुल	20.33	210.4	0	210.4	309.07	6.58	9.66
2016-17							
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	23.72	209.64	0	209.64	274.10	8.65	11.31
सामाजिक क्षेत्र	4.58	80.76	0	80.76	137.01	3.34	5.67
अन्य	6.02	2	0	2	6.40	94.08	301.00
कुल	34.32	292.4	0	292.4	417.50	8.22	11.74
2017-18							
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	1.26	279.64	0	279.64	368.12	0.34	0.45
सामाजिक क्षेत्र	4.58	85.77	0	85.77	151.93	3.01	5.34
अन्य	4.33	2	0	2	6.85	63.25	216.50
कुल	10.17	367.41	0	367.41	526.89	1.93	2.77
2018-19							
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	18.6	290.64	0	290.64	402.96	4.62	6.40
सामाजिक क्षेत्र	3.56	96.94	0	96.94	173.36	2.05	3.67
अन्य	3.47	15	0	15	21.09	16.45	23.13
कुल	25.63	402.58	0	402.58	597.41	4.29	6.37

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

2014-15 में, ऐतिहासिक लागत के आधार पर कुल निवेश पर अर्जित प्रतिफल 9.43 प्रतिशत था, जो 2018-19 के दौरान लाभ में व्यापक कमी के कारण घटकर 6.37 प्रतिशत

रह गया, यद्यपि, वहां अतिरिक्त अंशपूँजी, अनुदान, सब्सिडी का विलय था; जबकि उसी अवधि के दौरान, निवेश के वर्तमान मूल्य को लेते हुए कुल निवेश पर अर्जित प्रतिफल 6.32 प्रतिशत एवं 4.29 प्रतिशत था। आगे, इस अवधि के दौरान, प्रतिस्पर्धी क्षेत्र का ऐतिहासिक लागत पर निवेश के आधार पर 5.57 प्रतिशत और 6.40 प्रतिशत प्रतिफल के विरुद्ध, वर्तमान मूल्य पर प्रतिफल क्रमशः 3.99 प्रतिशत एवं 4.62 प्रतिशत था।

निवल मूल्य का अपक्षरण

1.3.16 निवल मूल्य, कंपनी की प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ एवं टाले गए राजस्व व्यय होता है। वास्तव में, यह स्वामियों के लिए यह इकाई कितना मूल्यवान है की माप है। ऋणात्मक निवल मूल्य यह दर्शाता है कि संचित हानियों एवं टाले गए राजस्व व्यय के द्वारा स्वामियों द्वारा किया गया समस्त निवेश का सफाया हो चुका है।

निवेश और संचित घाटे के विश्लेषण से पता चला कि 16 कार्यरत पीएसयू में से तीन की प्रदत्त पूँजी पूरी तरह से अपक्षरित हो गई थी। इन तीन पीएसयू में से, प्रदत्त पूँजी झारक्राफ्ट, झालको एवं झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड में पूरी तरह से अपक्षरित हो गई थी।

नीचे की तालिका में, 2014-15 से 2015-19 की अवधि के दौरान 16 कार्यरत पीएसयू की कुल प्रदत्त पूँजी, कुल मुक्त संचय, कुल अधिभार, कुल संचित हानि और निवल मूल्य को दर्शाया गया है:

तालिका 1.3.8: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के निवल मूल्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू की संख्या	प्रदत्त पूँजी	मुक्त संचय	संचित हानि	निवल मूल्य
1	2	3	4	5	6=3+4+5
2014-15	11	80.55	0	260.84	341.39
2015-16	12	87.29	0	224.41	311.70
2016-17	15	152.7	0	242.31	395.01
2017-18	15	172.7	0	235.11	407.81
2018-19	16	180.7	0	249.83	430.53

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

जैसा कि देखा जा सकता है, राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का निवल मूल्य विगत पाँच वर्षों में धनात्मक था। 2018-19 में प्रदत्त पूँजी एवं अधिभार में वृद्धि के कारण, निवल मूल्य 2014-15 के ₹ 341.49 से बढ़कर ₹ 430.53 हो गया था।

लाभांश अदायगी

1.3.17 राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी।

अंश-पूँजी पर प्रतिफल

1.3.18 प्रबंधन द्वारा कंपनी की परिसंपत्तियों का उपयोग लाभ अर्जित करने हेतु कितने प्रभावपूर्ण तरीके से कर रहा है, इसके मूल्यांकन हेतु, अंश-पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय प्रदर्शन की एक माप है। इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात्- करों के पश्चात शुद्ध लाभ) को अंशधारक कोष से विभाजित करके की जाती है तथा इसे प्रतिशत में दर्शाया जाता है।

कंपनी के अंशधारक कोष की गणना प्रदत्त पूँजी जोड़ मुक्त संचय घटाव शुद्ध संचित हानि तथा टाले गए राजस्व व्यय द्वारा की जाती है और इससे यह पता चलता है कि यदि सभी परिसंपत्तियाँ बिक्री एवं सभी कर्ज भुगतान कर दिए जाएँ तो कंपनी के अंशधारकों के लिए कितना शेष रहता है। एक धनात्मक अंशधारक कोष से यह पता चलता है कि कंपनी के पास, उसकी देनदारियों का निपटारा करने हेतु पर्याप्त परिसंपत्तियाँ हैं, वहीं ऋणात्मक अंशधारक कोष से यह पता चलता है कि देनदारियाँ, परिसंपत्तियों से ज्यादा हैं। सभी गैर-ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का, जिनमें होल्डिंग एवं सहायक कंपनियाँ शामिल थी, अंश-पूँजी पर प्रतिफल संगणित किया गया।

नवीनतम वार्षिक वित्तीय लेखाओं के आधार पर लाभ अर्जित या हानि उठाने वाले राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का क्षेत्रवार अंश-पूँजी पर प्रतिफल निम्न तालिका में वर्णित है:

तालिका 1.3.9: सभी पीएसयू का अंश-पूँजी पर क्षेत्रवार प्रतिफल

	इबीआईटी	अंशधारक कोष	आरओई प्रतिशत में
1	2	3	4 =2*100/3
2014-15			
सामाजिक क्षेत्र	4.25	225.84	1.88
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	5.05	85.43	5.91
बन्य	5.95	30.67	19.40
कुल	15.25	341.94	4.46
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	4.61	185.93	2.48
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	10.98	91.37	12.02
बन्य	4.74	35.41	13.39
कुल	20.33	312.71	6.50
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	4.58	187.90	2.44
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	23.72	166.69	14.23
बन्य	6.02	41.43	14.53
कुल	34.32	396.02	8.67

2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	4.58	187.90	2.44
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	1.26	175.16	0.72
बन्य	4.33	45.76	9.46
कुल	10.17	408.82	2.49
2018-19			
सामाजिक क्षेत्र	3.56	194.89	1.83
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	18.60	132.00	14.09
बन्य	3.47	49.14	7.06
कुल	25.63	376.03	6.82

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

नवीनतम वार्षिक वित्तीय लेखाओं के आधार पर लाभ अर्जित या हानि उठाने वाले राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का अंश-पूँजी पर प्रतिफल निम्न तालिका में वर्णित है:

तालिका 1.3.10: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का अंश-पूँजी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

	वर्ष	पीएसयू की संख्या	शुद्ध लाभ /हानि	अंशधारक कोष	आरओई प्रतिशत में
	1	2	3	4	5=3*100/4
लाभ अर्जित करने वाली	2014-15	8	31.70	325.82	9.73
	2015-16	8	30.62	342.33	8.94
	2016-17	10	38.87	392.47	9.90
	2017-18	7	27.10	326.98	8.29
	2018-19	9	37.25	526.26	7.08
हानि उठाने वाली	2014-15	2	-16.45	-25.16	-
	2015-16	4	-10.29	-29.62	-
	2016-17	5	-4.55	3.55	-
	2017-18	8	-16.93	81.84	-
	2018-19	7	-11.62	5.28	-
कुल*	2014-15	10	15.25	300.66	5.07
	2015-16	12	20.33	312.71	6.50
	2016-17	15	34.32	396.02	8.67
	2017-18	15	10.17	408.82	2.49
	2018-19	16	25.63	531.54	4.82

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

* वे पीएसयू, जिन्होंने न लाभ अर्जित की और न हानि उठायी तथा जिन्होंने शुरुआत से प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं किया, को छोड़ दिया गया था

2018-19 के दौरान, 16 में से सात पीएसयू हानि उठाने वाली थी। चूँकि शुद्ध आय ऋणात्मक थी, हानि उठाने वाली पीएसयू के अंश-पूँजी पर प्रतिफल की गणना नहीं की गयी। हानि उठाने वाले पीएसयू के शेयरधारकों का कोष 2014-15 और 2015-16 के दौरान ऋणात्मक था। मार्च 2019 की समाप्त हुए विगत पांच वर्षों के दौरान, शुद्ध

आय 2014-15 से 2018-19 तक धनात्मक थी तथा इन वर्षों के दौरान आरओइ 2.49 प्रतिशत से 8.67 प्रतिशत के बीच थी।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

1.3.19 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है, जो किसी कंपनी की लाभप्रदता एवं दक्षता को मापता है, जिसके साथ इसकी पूँजी नियोजित है। आरओसीई की गणना, कंपनी के ब्याज एवं करों से पूर्व आय (इबीआईटी) को नियोजित पूँजी⁶⁹ से भाग देकर की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के आरओसीई का क्षेत्रवार विवरण नीचे की तालिका में दिया गया है:

तालिका 1.3.11: गैर ऊर्जा क्षेत्र के सभी पीएसयू का नियोजित पूँजी पर क्षेत्रवार प्रतिफल (₹ करोड़ में)

1	इबीआईटी	नियोजित पूँजी	आरओसीई (प्रतिशत में)
	2	3	4=2*100/3
2014-15			
सामाजिक क्षेत्र	8.24	349.47	2.36
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	37.67	201.96	18.65
अन्य	8.87	30.67	28.92
कुल	54.78	582.10	9.41
2015-16			
सामाजिक क्षेत्र	8.60	255.79	3.36
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	43.20	279.72	15.44
अन्य	6.86	35.41	19.37
कुल	50.06	315.13	15.89
2016-17			
सामाजिक क्षेत्र	8.57	257.77	3.32
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	59.67	1199.39	4.97
अन्य	8.72	41.43	21.05
कुल	68.39	1240.82	5.51
2017-18			
सामाजिक क्षेत्र	8.57	257.77	3.32
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	33.35	1880.23	1.77
अन्य	5.98	45.76	13.07
कुल	47.90	2183.76	2.19
2018-19			
सामाजिक क्षेत्र	7.55	264.75	2.85
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र	54.58	1939.137	2.81
अन्य	4.81	49.14	9.79
कुल	66.94	2253.027	2.97

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

⁶⁹ नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंशपूँजी + मुक्त कोष एवं अधिशेष + दीर्घकालीन ऋण - संचित हानियाँ - टाले गए राजस्व व्यय। जिन पीएसयू के लेखे अंतिमीकृत हैं, आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं।

आगे, 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित एवं हानि उठाने वाले सभी कार्यरत राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) का कुल आरओसीई का विवरण नीचे की तालिका में दी गयी है:

तालिका 1.3.12: राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) से संबंधित का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)

	वर्ष	पीएसयू की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूँजी	आरओसीई (प्रतिशत में)
	1	2	3	4	5=3*100/4
लाभ अर्जित करने वाली	2014-15	8	71.87	473.37	15.18
	2015-16	8	70.03	559.28	12.52
	2016-17	10	81.45	1487.10	5.48
	2017-18	7	64.77	2005.79	3.23
	2018-19	9	78.50	2201.61	3.57
हानि उठाने वाली	2014-15	2	-16.97	13.59	-
	2015-16	4	-11.37	11.64	-
	2016-17	5	-4.49	11.499	-
	2017-18	8	-16.87	177.977	-
	2018-19	7	-11.56	51.417	-
कुल*	2014-15	10	54.90	486.96	11.27
	2015-16	12	58.66	570.92	10.27
	2016-17	15	76.96	1498.599	5.14
	2017-18	15	47.90	2183.767	2.19
	2018-19	16	66.94	2253.027	2.97

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

* वे पीएसयू जिन्होंने न लाभ अर्जित की और न हानि उठायी तथा जिन्होंने शुरुआत से प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं किया, को छोड़ दिया गया था

2018-19 के दौरान, 16 में से 7 पीएसयू हानि उठाने वाले थे। चूँकि इन 7 पीएसयू से संबंधित ईबीआईटी ऋणात्मक था, हानि उठाने वाली पीएसयू का आरओसीई नहीं निकाला जा सका। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान पीएसयू का आरओसीई 2.19 प्रतिशत और 11.27 प्रतिशत के बीच रहा।

राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के दीर्घकालीन ऋणों का विश्लेषण

1.3.20 कंपनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों के भुगतान की दक्षता का मूल्यांकन करने हेतु ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत उपक्रम, जिनमें 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान लिवरेज⁷⁰ था, के दीर्घकालीन ऋणों का विश्लेषण किया गया। इसका मूल्यांकन ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

⁷⁰ लिवरेज का अर्थ ऋण की वह राशि है, जिसे कोई संस्था परिसंपत्तियों के वित्त-पोषण हेतु उपयोग करती है

ऋण टर्नओवर अनुपात

1.3.21 विगत पाँच वर्षों के दौरान ऋण-टर्नओवर अनुपात सामान्य था क्योंकि राज्य पीएसयू द्वारा 2014-15 से 2018-19 तक कोई दीर्घकालीन ऋण नहीं लिया गया, जैसा कि निम्न तालिका में दिखाया गया है:

तालिका 1.3.13: गैर-ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू का ऋण-टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण	49.39	49.39	49.39	49.39	49.39
टर्नओवर	1,148.33	1,134.81	1,130.4	1,142.26	1,161.00
ऋण-टर्नओवर अनुपात	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

(स्रोत: पीएसयू से प्राप्त सूचना)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही**बकाया जवाब**

1.3.22 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अतः यह आवश्यक है कि इसपर कार्यपालिका उचित एवं समयबद्ध जवाब प्रस्तुत करे। झा.स. के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को यह निर्देश दिया (नवंबर 2015) कि सीएजी के प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाओं/ निष्पादन लेखापरीक्षा के उत्तर/ व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, निर्धारित प्रारूप में, लोक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किये बगैर, विधायिका में इसके प्रस्तुतीकरण के तीन महीने के भीतर प्रस्तुत करें।

दिसंबर 2020 तक पाँच कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी पाँच विभागों में लंबित थे।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.3.23 31 दिसंबर 2020 तक राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयू) में शामिल हुईं, पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति निम्नवत हैं:

तालिका 1.3.14: 31 दिसंबर 2020 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल बनाम चर्चित निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/ कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अवधि	नि.ले./ कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल		लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	
	नि.ले.	कंडिकाएँ	नि.ले.	कंडिकाएँ
2013-19	5	17	3	13

(स्रोत: पीएजी कार्यालय में संधारित डाटाबेस)

लोक उपक्रम समिति को, पहली बैठक (अगस्त 2018) में ही लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा में हो रहे विलंब से अवगत कराया गया। 2018-19 के दौरान, प्रधान महालेखाकार के समन्वय एवं सहायता से कोपू, अपनी तीन बैठकों में, 2008-09 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित तीन कंडिकाओं पर चर्चा की।

कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन

2013-14 के दौरान राज्य विधायिका में प्रस्तुत 4 कोपू प्रतिवेदनों के 8 अनुशंसाओं में से, राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) से कोई कृ.का.टि. प्राप्त नहीं हुई थी।

कोपू के प्रतिवेदनों में, झा.स. के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन; खान और भूविज्ञान; गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन तथा उद्योग विभागों से संबंधित कंडिकाओं पर अनुशंसाएं शामिल थीं, जो वर्ष 2006-07, 2009-10, 2010-11 तथा 2012-13 के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल किए गए थे।

इस भाग की व्याप्ति

1.3.24 प्रतिवेदन के इस भाग में दो लेखापरीक्षा कंडिकाएं तथा “झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन” पर एक विस्तृत अनुपालन लेखापरीक्षा शामिल है।

अध्याय-II: अनुपालन लेखापरीक्षा

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद व युवा मामले विभाग

2.1 झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन पर लेखापरीक्षा

2.1.1 परिचय

विशाल जैव-विविधता, मध्यम जलवायु, समृद्ध सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों से समृद्ध झारखण्ड पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य महत्व के कई पर्यटन स्थल हैं।

पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद व युवा मामले विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने 22 जिलों में अवस्थित 85 परिसंपत्तियों⁷¹ का निर्माण किया एवं संचालन और प्रबंधन के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी, झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेटीडीसी) को हस्तांतरित (जून 2004 से अक्टूबर 2018 के बीच) किया। परिसंपत्तियों का स्वामित्व विभाग के पास है और जेटीडीसी परिसंपत्तियों को स्व-संचालित और आउटसोर्स प्रणाली के माध्यम से संचालित करता है।

कंपनी (जेटीडीसी) का प्रशासनिक नियंत्रण विभाग के अधीन है जिसके प्रमुख सचिव होते हैं। कंपनी का प्रबंधन झा.स. द्वारा नियुक्त निदेशक मंडल (नि.म.) में निहित है। कंपनी के प्रबंध निदेशक (प्र.नि.) सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दो महाप्रबंधक तथा दो उप-महाप्रबंधकों के द्वारा सहायता प्राप्त हैं। स्व-प्रबंधित होटलों/ टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स (टी.सी.) का संचालन वरिष्ठ प्रबंधकों/ प्रबंधकों के नेतृत्व में किया जाता है।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान “जेटीडीसी द्वारा परिसंपत्तियों के प्रबंधन” की लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने के लिए की गयी थी कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जेटीडीसी ने कितनी दक्षता और प्रभावी ढंग से परिसंपत्तियों का सदुपयोग व प्रबंधन किया है।

झारखण्ड पर्यटन नीति (झापनी) 2015, झारखण्ड सरकार एवं भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र और निर्देश, झारखण्ड वित्तीय नियमावली (झा.वि.नि), झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.), मेमोरेन्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तथा जेटीडीसी के निदेशक मंडल के बैठकों की कार्यसूची और कार्यवृत्त लेखापरीक्षा मापदंड के स्रोत थे।

⁷¹ होटल, टुरिस्ट कॉम्प्लेक्स (टी.सी.), पर्यटक सूचना केंद्र (प.सू.के.), मार्गीय सुविधा केंद्र(मा.सू.के.), बहुदेशीय भवन (एम.पी.बी.)/शादी घर/संस्कार भवन, रज्जुमार्ग, चिल्ड्रेन प्ले जोन, प्रकाश और ध्वनि प्रणाली एवं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स

अभिलेखों की जाँच तथा भौतिक सत्यापन हेतु आठ जिलों⁷² में अवस्थित 51 परिसंपत्तियों का चयन प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक प्रतिचयन के द्वारा किया गया। हालाँकि, अभिलेखों की नमूना-जाँच व भौतिक सत्यापन सिर्फ 44 परिसंपत्तियों⁷³ का किया जा सका। 44 चयनित परिसंपत्तियों के अलावा, 26 अतिरिक्त परिसंपत्तियों के संचिका की जाँच जेटीडीसी मुख्यालय में की गयी।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली पर विचार विमर्श हेतु 04 सितंबर 2019 को विभाग के विशेष सचिव तथा प्रबंध निदेशक (प्र.नि.), जेटीडीसी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। दिनांक 12 जनवरी 2021 को आयोजित निकास सम्मेलन में प्र.नि. (जेटीडीसी) सह पर्यटन निदेशक, झा.स. के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर विमर्श किया गया था। विभाग/ कंपनी के जवाब को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.1.2 योजना

जून 2015 में झारखण्ड सरकार द्वारा लागू झारखण्ड पर्यटन नीति (झापनी) के अनुसार राज्य में पर्यटन के एकीकृत विकास और विपणन के लिए एक मास्टर प्लान (विशेष योजना) तैयार और कार्यान्वित करना, प्रत्येक जिले की पर्यटन संभावना का विस्तृत सर्वेक्षण करके ऐसी संभावना का उपयोग करना, पूर्व सैनिकों को शामिल करके एक राज्य पर्यटक अनुकूल सुरक्षा बल (टीएफएसएफ) बनाने की शुरुआत करना, पर्यटन के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, पर्यटन इकाइयों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना और आगंतुकों को गंतव्यों एवं रास्ते में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना था। यह पाया गया कि विभाग ने निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्य नहीं किया:

- एकीकृत विकास हेतु मास्टर प्लान बनाना एवं पर्यटन विकास हेतु व्यवहार्य क्षेत्रों की पहचान करना,
- स्थलों जहाँ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया, के पर्यटन संभावना का आकलन के लिए कोई भी सर्वेक्षण किया जाना,
- पर्यटन इकाइयों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करना, और

⁷² देवघर, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, रामगढ़ एवं राँची

⁷³ कोविड 2019 के कारण लेखापरीक्षा के स्थगन के वजह से सात परिसंपत्तियों के अभिलेखों की जाँच और भौतिक निरीक्षण नहीं किया जा सका।

- झापनी के लागू होने के साढ़े-चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी टीएफएसएफ का गठन।

मास्टर प्लान तैयार करने, पर्यटन संभावना का सर्वेक्षण करने और पर्यटन इकाईयों के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों का निर्माण दूरस्थ एवं अलाभकारी स्थानों पर हुआ, संपत्तियाँ असंचालित रहीं, अधिभोग कम रहा, परिसंपत्तियों के संचालन में डेवलपर्स की रुचि कम रही आदि। इन एवं अन्य मुद्दों की चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गई है। आगे, झापनी लागू होने के बाद निर्मित एवं हस्तांतरित 22 परिसंपत्तियों में से, 19 परिसंपत्तियाँ मई 2020 तक असंचालित रहीं (परिशिष्ट-2.1.1)।

जवाब में, विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि राज्य के पर्यटन विकास के लिए पर्यटन नीति, रोड-मैप एवं भवदृष्टि पर काम किया जा रहा है तथा पाँच प्रमुख परियोजनाओं के लिए विशिष्ट मास्टर प्लान तैयार किए गए थे। पुनः यह कहा गया कि एक मेगा निवेश परियोजना (पतरातू मेगा विकास डेस्टिनेशन) का सर्वेक्षण किया गया और अन्य परिसंपत्तियों को जिला प्रशासन, लोक प्रतिनिधियों के अनुशंसा और विभाग के निर्णय के आलोक में सृजित किये गये। विभाग ने यह भी कहा कि आवास इकाई का न्यूनतम मानक भारत सरकार के द्वारा पहले से निर्धारित है। हालाँकि, विभाग ने यह स्वीकार किया कि स्थलों, जहाँ परिसंपत्तियों का निर्माण किया गया, के पर्यटन संभावना का आकलन के लिए कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया एवं पूर्व सैनिकों को शामिल करके टीएफएसएफ का गठन नहीं किया गया।

प्रतिवेदन में इंगित पर्यटन के समेकित विकास एवं विपणन हेतु मास्टर प्लान नहीं बनाने के संबंध में विभाग द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गयी। आगे, विभाग द्वारा संदर्भित भारत सरकार का निर्णय, आवासीय सुविधा को स्टार रेटिंग देने के लिए आवश्यक न्यूनतम मानक थे, न कि पर्यटन इकाई के लिए न्यूनतम मानक।

2.1.3 परिसंपत्तियों का संचालन और प्रबंधन

जेटीडीसी के अभिलेख के अनुसार, विभाग ने 85 परिसंपत्तियाँ (मार्च 2019 तक) जेटीडीसी को हस्तांतरित किया, जिनमें से 30 परिसंपत्तियाँ आउटसोर्स, 22 स्व-संचालित एवं एक परिसंपत्ति स्थानीय प्रशासन के द्वारा चलाये जा रहे थे जबकि 32 असंचालित थे। 85 परिसंपत्तियों में से 66 को 2009-10 से 2018-19 के दौरान हस्तांतरित किए गये।

आठ चयनित जिलों में अवस्थित 44 परिसंपत्तियों (19 आउटसोर्स, 12 स्व-संचालित, 12 असंचालित और 01 अन्य) से संबन्धित अभिलेखों का विभाग एवं जेटीडीसी में

नमूना-जाँच एवं इन परिसंपत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के उपरांत निम्न उद्घाटित हुआ:

2.1.3.1 अपनी संपत्तियों पर जेटीडीसी के नियंत्रण की कमी

परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के समय जारी विभाग के परिपत्रों के अनुसार, जेटीडीसी को हस्तांतरण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर परिसंपत्तियों पर नियंत्रण लेना था। इसके अलावा, इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर को अनुमोदित परियोजना कार्यान्वयन योजना (प.का.यो.) के अनुसार परिसंपत्ति का विकास करना था। लेखापरीक्षा ने यह पाया कि यद्यपि 07 परिसंपत्तियों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से जेटीडीसी को संचालन व प्रबंधन के लिए हस्तांतरित (मार्च 2015 से अक्टूबर 2015 के बीच) किया गया, पर जेटीडीसी इन परिसंपत्तियों पर नियंत्रण रखने में विफल रहा जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

(अ) टी.सी. मलूटी (दुमका) तथा टी.सी. बारीडीह (पूर्वी सिंहभूम)

इन परिसंपत्तियों को ₹ 1.11 करोड़ की लागत से निर्माण (2009 और 2010) कर अगस्त 2009 में जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया। हालाँकि, झारखण्ड सरकार ने जुलाई 2012 में इन परिसंपत्तियों को संबंधित जिलों के उपायुक्त को इनके संचालन के लिए हस्तांतरित किया। पुनः, अक्टूबर 2015 में, झारखण्ड सरकार ने इन परिसंपत्तियों को वापस जेटीडीसी को हस्तान्तरण की तिथि से एक सप्ताह के भीतर परिसंपत्तियों पर दखल के निर्देश के साथ हस्तांतरित किया।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि यद्यपि, जेटीडीसी ने टी.सी. मलूटी (मार्च 2016) और टी.सी. बारीडीह (मार्च 2016 और दिसम्बर 2016) को आउटसोर्स करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की, इन परिसंपत्तियों को सफल बोलीकर्ता को आउटसोर्स नहीं किया जा सका, जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि टी.सी. मलूटी, एक समिति⁷⁴ के द्वारा 01 वर्ष के लिए उपायुक्त (डीसी) दुमका तथा समिति के सचिव के बीच इकरारनामा (जून 2015) के तहत चलाया जा रहा था। परिसंपत्ति को डी.सी., दुमका से वापस लेकर अक्टूबर 2015 में जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया। हालाँकि, समिति ने समझौते की अवधि (सितम्बर 2015) के बाद भी अनाधिकृत रूप से अपना संचालन जारी रखा। आगे, मलूटी (दुमका) को राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान होने के बावजूद 2015-16

74 स्वयंसेवी संगठन

से 2018-19 के दौरान आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण इस टी.सी. में केवल 1,659 पर्यटक ही रुके थे।

जेटीडीसी ने सूचित (अगस्त 2019) किया था कि टी.सी. बारीडीह निष्क्रिय पड़ा हुआ था। हालाँकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान यह पाया गया कि टी.सी. का उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा था।

इस प्रकार, जेटीडीसी की जानकारी के बिना परिसंपत्तियों का अनधिकृत संचालन, अपनी परिसंपत्तियों पर जेटीडीसी के नियंत्रण की कमी को दर्शाता था। आगे, इन दो परिसंपत्तियों में झारखण्ड सरकार/जेटीडीसी का साइन बोर्ड/प्रतीक चिन्ह नहीं पाया गया।

विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि जेटीडीसी ने इन संपत्तियों पर कब्जा नहीं लिया था और संबंधित जिला प्रशासन को परिसंपत्तियों की अवस्था, स्थिति तथा वसूलित राजस्व को सूचित करने के लिए आग्रह किया गया था। जवाब सही नहीं है क्योंकि जेटीडीसी को हस्तान्तरण के एक सप्ताह के भीतर परिसंपत्तियों को अपने अधिकार में ले लेना था और यह भी पाया गया कि जेटीडीसी द्वारा इन परिसंपत्तियों को आउटसोर्स करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं (मार्च 2016)।

(ब) एम.पी.बी पथरोल (देवघर) और छत्तरपुर (पलामू)

विभाग ने इन दो एमपीबी को ₹ 91.74 लाख की लागत से निर्माण (2015-16 के बीच) किया तथा इन्हें निर्माण कार्य पूर्ण होने के पूर्व ही जेटीडीसी को हस्तांतरित (अक्टूबर 2015) कर दिया। यद्यपि, जेटीडीसी ने परिसंपत्तियों को आउटसोर्स करने के लिए दो बार निविदाएँ (मार्च 2016 और दिसम्बर 2016) आमंत्रित कीं परन्तु कोई डेवलपर चयनित नहीं हुए। जेटीडीसी के अभिलेखों के अनुसार, ये दोनों परिसंपत्तियाँ असंचालित थीं। हालाँकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2020) के दौरान पाया गया कि ये परिसंपत्तियाँ, जेटीडीसी/विभाग के सहमति के बिना ग्राम स्तरीय समिति के द्वारा संचालित की जा रही थीं। इन स्थानीय समितियों ने 2015-16 से 2018-19 के दौरान विवाह-मंडप/कमरों को किराये पर लगाकर राजस्व अर्जित किये परन्तु सरकार/ जेटीडीसी के खातों में कोई राजस्व जमा नहीं किया गया। आगे इन परिसंपत्तियों में जेटीडीसी/सरकार का साइनबोर्ड/ लोगो (प्रतीक-चिन्ह) नहीं था जो इन संपत्तियों पर जेटीडीसी के नियंत्रण के अभाव को इंगित करता है।

विभाग/ जेटीडीसी ने इस पर कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। हालाँकि, जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि ये परिसंपत्तियाँ दूरस्थ स्थानों पर स्थित हैं, जहाँ कभी-कभार पर्यटकों के आने की अपेक्षा की जाती है तथा इन्हें कार्यशील बनाने के लिए विभाग से संपत्ति

को जिला पर्यटन प्रोत्साहन समिति (डीटीपीसी) को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध किया गया था।

(स) चिल्ड्रेन प्ले जोन, सिदगोड़ा (जमशेदपुर)

चिल्ड्रेन प्ले जोन, सिदगोड़ा (जमशेदपुर) को जेटीडीसी को हस्तांतरित (अक्टूबर 2015) किया गया तथा निविदाएँ (मार्च 2016 और दिसंबर 2016) आमंत्रित की गई परन्तु परिसंपत्ति को आउटसोर्स नहीं किया जा सका। जेटीडीसी के अभिलेखों में परिसंपत्ति को असंचालित दर्शाया गया था। हालाँकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान यह देखा गया कि परिसंपत्ति एक स्थानीय समिति द्वारा चलाया जा रहा था जो जेटीडीसी का अपनी संपत्ति पर नियंत्रण का अभाव इंगित करता है। परिसंपत्ति के आस-पास सरकार/जेटीडीसी के खाते में कोई राजस्व जमा नहीं किये गये जबकि टिकट बेचे जा रहे थे। सरकार/जेटीडीसी का साईन बोर्ड/ प्रतीक-चिन्ह नहीं था और शौचालय, पेय जल सुविधा उपलब्ध नहीं था। आगे, पार्क में कई बेंच भी क्षतिग्रस्त पाये गये।

विभाग ने कहा (जुलाई 2020) कि परिसंपत्ति जिला प्रशासन के प्रभार में है। जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पता चला कि परिसंपत्ति जिसे जेटीडीसी के द्वारा अधिकार में लिया जाना था वो एक स्थानीय समिति द्वारा चलाई जा रही थी। आगे, जेटीडीसी परिसंपत्ति को असंचालित दिखा रहा था और संपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए निविदाएँ आमंत्रित की थी।

(द) मार्गीय सुविधा केंद्र टाटीझरिया (हजारीबाग) तथा हाता चौक (पूर्वी सिंहभूम)

इन परिसंपत्तियों को जेटीडीसी को हस्तांतरित (मार्च 2015) किया गया तथा संचालन व प्रबंधन के लिए डेवलपर्स के साथ इकरारनामा (फरवरी 2016 और मार्च 2016) किया गया था। अभिलेखों की जाँच तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन से पता चला कि मार्गीय सुविधा केंद्र (मा.सु.के.) टाटीझरिया के डेवलपर ने करारित सुविधाओं को विकसित नहीं किया तथा जेटीडीसी के अनुमोदन के बिना मा.सु.के. का वाणिज्यीकरण किया एवं भवन के आगे दुकानों का निर्माण किया। परिसंपत्ति का उपयोग मुख्यतः विवाह, प्रशिक्षण और बैठक के प्रयोजनों में किया जा रहा था। कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि मार्च 2018 के बावजूद, मा.सु.के. हाता चौक (पूर्वी सिंहभूम) में कमरों का सुसज्जिकरण एवं अन्य विकास कार्यों को पूरा नहीं किया गया (जनवरी 2020 तक)। इसके परिणामस्वरूप, इस परिसंपत्ति में पर्यटकों का ठहराव शून्य था और सिर्फ एक रेस्तरां चल रहा था।

आगे, इकरारनामा में शर्त के अभाव में विलंबित विकास के लिए जेटीडीसी, किसी भी क्षति प्रतिपूर्ति की वसूली नहीं कर सका। जेटीडीसी/सरकार का कोई प्रतीक

चिन्ह/साईनबोर्ड भी नहीं पाया गया। इस प्रकार, इन परिसंपत्तियों पर जेटीडीसी द्वारा नियंत्रण और अनुश्रवण के अभाव में पर्यटकों को पारगमन सुविधाएं प्रदान करने का वांछित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि डेवलपर ने मा.सु.कें. टाटीझरिया में निवेश से कुछ प्रतिफल प्राप्त करने हेतु पर्याप्त सुविधाएं विकसित करने से पहले ही वाणिज्यिक क्रियाकलाप शुरू कर दिया। जेटीडीसी ने आगे कहा कि संपत्ति दूरस्थ स्थान पर अवस्थित था जहाँ पर्यटकों का आगमन बहुत कम था। अस्थायी दुकानों को भी हटा दिया गया था। जेटीडीसी ने यह भी कहा कि प्रत्येक डेवलपर के द्वारा जेटीडीसी का प्रतीक चिन्ह लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

विभाग/जेटीडीसी का जवाब संतोषजनक/सही नहीं है क्योंकि मा.सु.कें. टाटीझरिया प्रखंड मुख्यालय में राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवस्थित है। परिसंपत्तियों के विकास के बिना वाणिज्यिक संचालन इकरारनामा का उल्लंघन था जो परिसंपत्तियों पर जेटीडीसी के नियंत्रण की कमी को इंगित करता है। मा.सु.के., हाता चौक के संबंध में विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.3.2 असंचालित परिसंपत्तियाँ

यह पाया गया कि 39 परिसंपत्तियों का निर्माण ₹ 39.62 करोड़ की लागत से किया गया तथा जेटीडीसी को हस्तांतरित (2004 और 2018 के बीच) किया गया जो मई 2020 तक असंचालित या आंशिक रूप से संचालित रहा। 37 असंचालित तथा दो आंशिक रूप से संचालित संपत्तियों को **परिशिष्ट 2.1.2** में दिखाया गया है। इन परिसंपत्तियों में से पाँच पर उदाहरणात्मक विषय-अध्ययन नीचे दिये गए हैं।

(क) मा.सु.कें. तमाड़ राँची

परिसंपत्ति को उन्नयन, संचालन, रखरखाव तथा प्रबंधन हेतु सफल बोलीकर्ता को आउटसोर्स (जुलाई 2015) किया गया, किन्तु डेवलपर ने बिजली तथा पानी की सुविधा के अभाव के कारण इसे विकसित करने से इन्कार (जुलाई 2015) कर दिया। इकरारनामा रद्द (अगस्त 2017) करने के उपरांत जेटीडीसी ने पुनः संपत्ति का निविदा (दिसंबर 2018) निकाला और बिना विद्युत् कनेक्शन के डेवलपर⁷⁵ के साथ इकरारनामा (जुलाई 2019) किया, जिसे डेवलपर के द्वारा भी सूचित किया (जुलाई 2019) गया। ये भी देखा गया कि जेटीडीसी विद्युत् कनेक्शन प्रदान करने के लिए कदम उठाने के बजाय, डेवलपर को पी.आई.पी. प्रस्तुत करने कह रहा था। संयुक्त भौतिक सत्यापन

⁷⁵ माँ देवड़ी रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

(जनवरी 2020) के दौरान यह पाया गया कि भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था, विद्युत्/पानी कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, मुख्य द्वार टूटा हुआ था, पीछे की तरफ कोई चहारदीवारी नहीं था तथा संपत्ति पर कहीं भी सरकार/जेटीडीसी का साईन-बोर्ड/ प्रतीक चिन्ह नहीं थे।



चित्र 2.1: मा.सु.कें. तमाइ

इस प्रकार यह संपत्ति जेटीडीसी को हस्तांतरित होने के आठ वर्ष बाद भी असंचालित रहा और इसके निर्माण में ₹ 36.94 लाख का व्यय निरर्थक हो गया।

विभाग/जेटीडीसी ने स्वीकार (जून 2020) किया कि संपत्ति को संचालित नहीं किया जा सका क्योंकि लाइसेंसधारक ने पी.आई.पी. प्रस्तुत नहीं किया। हालाँकि, विद्युत् तथा जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में कोई कारण नहीं बताया।

(ख) बहुदेशीय भवन पुनासी, देवघर

इस भवन का निर्माण पुनासी डैम में आए हुए आगंतुकों को आवास सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था। शुरुआत में निर्माण स्थान पुनासी डैम के नजदीक चिन्हित था परंतु स्थानीय विरोध के कारण, एम.पी.बी.का निर्माण (अक्टूबर 2018) ₹ 1.90 करोड़ की लागत से अन्य स्थल पर किया गया तथा आउटसोर्स के माध्यम से संचालन व प्रबंधन हेतु जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया।

अभिलेखों के जाँच से पता चला कि जेटीडीसी ने इसके हस्तांतरण के एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रित नहीं की और परिसंपत्ति मई 2020 तक अनुपयोगी रहा। संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2019) के दौरान यह पाया गया कि एम.पी.बी. दूरस्थ स्थान पर अवस्थित था जहाँ से डैम देखा नहीं जा सकता था, डैम तक पहुँचने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी तथा भवन एवं उसके निकट के क्षेत्र में विद्युत् उपलब्ध नहीं था। डैम को राज्य सरकार द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में भी अधिसूचित नहीं किया गया था। आगे पुनासी डैम के नजदीक एम.पी.बी. के संबंध में कोई भी विज्ञापन नहीं लगा था।



चित्र 2.2: पुनासी बहुउद्देशीय भवन

विभाग/जेटीडीसी ने तथ्य को स्वीकार किया (जून 2020) और कहा कि संपत्ति में बहुत संभावनाएं हैं और इसे बहुत जल्द आउटसोर्स किया जाएगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि ₹ 1.90 करोड़ की लागत से निर्मित यह संपत्ति अक्टूबर 2018 में हस्तांतरण के उपरांत असंचालित रहा।

(ग) बहुदेशीय भवन बुधई, देवघर

एम.पी.बी. बुधई, देवघर जेटीडीसी को आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचालन व प्रबंधन हेतु हस्तांतरित (अक्टूबर 2015) किया गया था। यद्यपि, जेटीडीसी ने परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने हेतु निविदा (मार्च 2016 और दिसंबर 2016) आमंत्रित की, परंतु इसे अंतिमीकरण नहीं किया जा सका जिसका कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। पुनः कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई और परिसंपत्ति असंचालित रहा।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि भवन के दीवारों में दरारें थी, खिड़कियों के पैनल टूटे हुए थे तथा एम.पी.बी. के बाहर शौचालय/हैण्डपंप अक्रियाशील था। आगे, जेटीडीसी के द्वारा परिसंपत्ति की सुरक्षा हेतु किसी पहरेदार/केयरटेकर की तैनाती नहीं की गई थी।



चित्र 2.3: बुधई, बहुदेशीय भवन, देवघर

यह भी पाया गया कि एम.पी.बी. दूरस्थ स्थान पर बुधई मंदिर के बगल में था, जो राज्य सरकार द्वारा एक पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं था। इस प्रकार ₹ 51.76 लाख की लागत से निर्मित संपत्ति अक्टूबर 2015 से असंचालित रहा। जेटीडीसी ने इस तथ्य को स्वीकार (जून 2020) किया और कहा कि विभाग को यह

संपत्ति डी.टी.पी.सी. को हस्तांतरण कर क्रियाशील बनाने के लिए अनुरोध किया गया था।

(घ) प्रकाश और ध्वनि प्रदर्शनी, शिल्पग्राम, देवघर

विभाग के द्वारा इस परिसंपत्ति का निर्माण ₹ 3.05 करोड़ की लागत से किया गया (जनवरी 2015) तथा परिचालन व प्रबंधन हेतु जेटीडीसी को हस्तांतरित (जनवरी 2015) किया गया। विभाग ने जेटीडीसी को उस प्रणाली का परिचालन प्रथम तीन माह आई.टी.डी.सी. के द्वारा कराने का निर्देश (जनवरी 2015) दिया। यद्यपि, आई.टी.डी.सी. ने जेटीडीसी को इसका परिचालन प्रशिक्षित कर्मियों को लगाकर तथा वार्षिक रख-रखाव इकरारनामा (एएमसी) के द्वारा करने का सलाह दिया किन्तु यह पाया गया कि जेटीडीसी ने उनके सुझावों का पालन किये बिना प्रणाली का परिचालन (फरवरी 2015) किया। खराबी के कारण प्रणाली दो बार (फरवरी 2016 और जून 2016) बंद हो गई जिसे आई.टी.डी.सी. के द्वारा क्रियाशील बनाया गया। वज्रपात के कारण प्रणाली पुनः बंद (जुलाई 2016) हो गया तथा तब से यह निष्क्रिय रहा।

इस प्रकार, प्रशिक्षित कर्मियों को नियुक्त करने में जेटीडीसी की विफलता एवं एएमसी के अभाव के कारण प्रणाली सुचारु रूप से संचालित नहीं हो सकी जिसके फलस्वरूप ₹ 3.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।



चित्र 2.4: देवघर में प्रकाश और ध्वनि प्रणाली की स्थिति

विभाग/जेटीडीसी ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (जून 2020) कि प्रकाश और ध्वनि प्रदर्शनी को खराबियों के सुधार के बाद चालू किया जाएगा। हालाँकि, तथ्य यह है कि यह सुविधा विगत चार वर्षों से बेकार पड़ा है।

(ङ) पर्यटक स्थल, कांके डैम, राँची

परिसंपत्ति को आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचालन व प्रबंधन हेतु जेटीडीसी को हस्तांतरित (मार्च 2012) किया गया। हालाँकि संयुक्त भौतिक सत्यापन (30 दिसंबर 2019) के दौरान यह पाया गया कि परिसंपत्ति जेटीडीसी के द्वारा चलाया जा रहा था और आंशिक रूप से परिचालित (केवल पार्क) था। रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट एवं म्यूजिकल फाउण्टेन अक्रियाशील थे तथा रेस्टोरेंट और फूड-कोर्ट जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थे।



चित्र 2.5: पर्यटक स्थल, कांके डैम, राँची में अवस्थित रेस्टोरेंट एवं फूड कोर्ट की स्थिति

विभाग ने कोई भी उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। हालाँकि, जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स (मार्च 2020) कर दिया गया है एवं उन्नयन के उपरांत इसका संचालन किया जाएगा।

2.1.3.3 राज्य के पर्यटक आँकड़ा का अविश्वसनीय प्रक्षेपण

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को "भारत पर्यटन सांख्यिकी" में प्रकाशन के लिए राज्य के घरेलू और विदेशी पर्यटकों के वार्षिक आँकड़ों की आवश्यकता होती है। इस प्रयोजन के लिए पर्यटक आँकड़े को संकलन के उपरांत भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए पर्यटन निदेशक, झारखण्ड सरकार द्वारा जिला अधिकारी, जेटीडीसी एवं झारखण्ड में अवस्थित होटलों से पर्यटक आँकड़ा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

जाँच में पाया गया कि पर्यटन निदेशक, झारखण्ड सरकार ने पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को राज्य में ₹ 13.63 करोड़ (2015-2018 के दौरान) पर्यटकों की सूचना प्रतिवेदित की। लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार को प्रेषित आँकड़ा किसी भी उपलब्ध दस्तावेज पर आधारित नहीं था। लेखापरीक्षा ने 2015 से 2018 के दौरान, जेटीडीसी/ जिला अधिकारी/ होटलों/ टूर एवं ट्रेवल्स से पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार को प्राप्त पर्यटक आँकड़ों को संकलित किया और पाया कि 2015 से 2018 के दौरान केवल 3.09 करोड़ पर्यटक राज्य में आए थे।

इस प्रकार, अविश्वसनीय एवं गलत पर्यटक आँकड़ा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया। जवाब में विभाग ने कहा (जनवरी 2021) कि निजी होटलों/टूर ऑपरेटर द्वारा पर्यटक आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण कुछ निजी होटलों/टूर ऑपरेटरों से दूरभाष वार्ता के आधार पर पर्यटक आँकड़ा संकलित किया गया, साथ ही सुधारात्मक उपाय करने का आश्वासन दिया।

2.1.3.4 जेटीडीसी के होटलों/टी.सी में शैया-अधिभोग

विभाग/ जेटीडीसी ने वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान अपने होटलों/टी.सी. में शैया-अधिभोग के संबंध में सूचना प्रदान नहीं किया। लेखापरीक्षा के द्वारा 19 में से

11 भौतिक सत्यापित होटलों/टी.सी. से प्राप्त सूचना नीचे तालिका 2.1 में दर्शायी गई है:

तालिका 2.1: शैया-अधिभोग का विवरण

वर्ष	स्व-संचालित (चार होटल)			आउटसोर्स (सात होटल/टी.सी)		
	कुल उपलब्ध शैया	अधिभुक्त शैया	अधिभोग (प्रतिशत)	कुल उपलब्ध शैया	अधिभुक्त शैया	अधिभोग (प्रतिशत)
2015-16	83,082	17,311	20.84	20,496	7,405	36.13
2016-17	82,855	19,289	23.28	36,865	8,935	24.24
2017-18	82,855	26,367	31.82	52,705	18,976	36.00
2018-19	82,855	26,976	32.56	75,267	25,617	34.03

11 होटलों/टी.सी. के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि :

- 2015-16 से 2018-19 के दौरान चार स्व-संचालित होटलों में शैया-अधिभोग 20.84 प्रतिशत से 32.56 प्रतिशत के बीच था जबकि सात आउटसोर्स होटलों/टी.सी में 24.24 और 36.13 प्रतिशत के बीच था।
- स्व-संचालित होटल बासुकी विहार, बासुकीनाथ, दुमका जो कि एक बेहतर स्थान पर अवस्थित है का शैया-अधिभोग (16.04 से 21.71 प्रतिशत) आउटसोर्स टी.सी. बासुकीनाथ, दुमका के शैया-अधिभोग (71.35 से 90.15 प्रतिशत) की तुलना में कम था।
- 2017-18 से 2018-19 के दौरान स्व-संचालित होटल वन विहार बेतला का शैया-अधिभोग (23 प्रतिशत) उसके समीप अवस्थित आउटसोर्स जंगल हाट-सह-टुरिस्ट प्लाज़ा-सह-यूथ हॉस्टल का शैया-अधिभोग (6 से 9 प्रतिशत) की तुलना में बेहतर था। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि आउटसोर्स परिसंपत्ति में उचित सुविधाओं की कमी थी।
- होटल साकची विहार, जमशेदपुर का शैया-अधिभोग उचित रख-रखाव एवं अच्छी जगह पर अवस्थित होने के बावजूद बहुत कम (2.30 से 17.19 प्रतिशत) था।

इस प्रकार, राज्य में पर्याप्त पर्यटकों के आवक के बावजूद होटलों में शैया-अधिभोग उत्साहजनक नहीं था।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि अधिकांश परिसंपत्ति नक्सल प्रभावित /वन क्षेत्र में अवस्थित हैं या वैसे क्षेत्र में हैं जहाँ अंतर्राज्यीय पर्यटक का आगमन बहुत कम है। जेटीडीसी ने पुनः कहा कि होटल नटराज विहार, बैद्यनाथ विहार, बासुकी विहार और टी. सी. बासुकीनाथ ऐसे जगह में अवस्थित हैं जहाँ समयानुकूल पर्यटक आगमन होते हैं और वहाँ पीक सीजन के दौरान अधिभोग लगभग 80 प्रतिशत था।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित 11 परिसंपत्तियों में से सिर्फ दो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित थे। दूसरा, आउटसोर्स संपत्ति का अधिभोग उसी जगह में स्थित स्व-संचालित संपत्ति से बेहतर था। विभाग के जवाब से यह प्रतीत होता है कि परिसंपत्तियों के निर्माण से पूर्व स्थानों के चयन के लिए कोई भी पूर्वविचार नहीं किया गया था। जेटीडीसी द्वारा पीक सीजन में 80 प्रतिशत अधिभोग का दावा सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि 80 प्रतिशत या उससे अधिक अधिभोग केवल एक महीने में एक होटल में था।

2.1.3.5 आधारभूत तथा आधुनिक सुविधाओं की अनुपस्थिति

लेखापरीक्षा ने 44 परिसंपत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाया कि चार स्व-संचालित होटलों में से दो होटलों के कमरों/कॉरीडोर में जल रिसाव व सीलन था और दीवारों में दरारें भी थी। चार होटलों में से किसी भी होटल में वाई-फाई, सी.सी.टी.वी. तथा इंटरकॉम नहीं थे। एक होटल (बैद्यनाथ विहार) में सुरक्षित पेयजल, गीजर और टेलीविजन की सुविधा नहीं थी। दो होटलों (बैद्यनाथ विहार एवं नटराज विहार) में ई-पेमेंट सुविधा क्रियाशील नहीं थी, दो होटलों (बैद्यनाथ विहार और बासुकी विहार) में रेस्तरां नहीं थे और दो होटलों (बैद्यनाथ विहार और वन विहार) में अग्निशामक यंत्र नहीं थे। शेष 40 परिसंपत्तियों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कमरों में रिसाव तथा आधारभूत सुविधाओं की कमी थी।



चित्र 2.6: होटल बैद्यनाथ विहार, देवघर



चित्र 2.7: मा.सु.कें. त्रिकुट, देवघर के दीवारों में रिसाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि होटल बासुकी विहार, बासुकीनाथ (दुमका) तथा नटराज विहार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देवघर में अतिक्रमण था।



चित्र 2.8: अतिक्रमण (शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देवघर के दुकानों के बरामदे एवं होटल बासुकी विहार, बासुकीनाथ की चहारदीवारी)

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जनवरी 2021) कि स्व-संचालित परिसंपत्तियों के आधारभूत सुविधाओं को उन्नत किया जाएगा। विभाग/ जेटीडीसी अतिक्रमण एवं अन्य परिसंपत्तियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी पर कोई जवाब नहीं दिया।

2.1.3.6 अन्य रोचक मुद्दे

अभिलेखों की संवीक्षा एवं परिसंपत्तियों के संयुक्त भौतिक सत्यापन से निम्नलिखित अनियमितताएं उदघटित हुए:

(क) अनुचित/ अनियमित व्यय

पर्यटक परिसर (प.प.) मसानजोर (दुमका) के जेटीडीसी को हस्तान्तरण से संबंधित परिपत्र (मार्च 2015) के अनुसार परिसंपत्तियों का संचालन आउटसोर्सिंग/ पी.पी.पी प्रणाली द्वारा किया जाना था एवं इसके संचालन एवं अनुरक्षण हेतु कोई अनुदान नहीं दिया जाना था।

यह पाया गया कि विभाग द्वारा ₹ 3.73 करोड़ की लागत से परिसंपत्ति का निर्माण किया गया (2017) और संचालन एवं अनुरक्षण हेतु जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया। जेटीडीसी को परिसंपत्ति हस्तान्तरण के बाद उपायुक्त दुमका के अनुरोध पर (सितम्बर 2017) विभाग द्वारा ₹ 3.32 करोड़ के प्राक्कलन के विरुद्ध सजावटी एवं विकास पर ₹ 3.05 करोड़ व्यय दिया गया जबकि अन्य मामलों में समान अनुरोध को विभाग द्वारा यह कहकर खारिज कर दिया गया कि सजावटी कार्य चुने गये डेवलपर द्वारा किया जायेगा।

आगे, ₹ 10 लाख के आरक्षित मूल्य के विरुद्ध ₹ 12.33 लाख के वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर डेवलपर के साथ इकरारनामा किया गया (जनवरी 2019)।

इस प्रकार, सजावटी एवं विकास कार्य डेवलपर के बदले विभाग द्वारा किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.05 करोड़ का अनुचित/अनियमित व्यय हुआ।

विभाग ने तथ्य को स्वीकार किया (जुलाई 2020) और बताया कि निविदा से पूर्व परिसंपत्ति का तेजी से संचालन हेतु सजावटी कार्य किया गया और सजावटी लागत आरक्षित मूल्य निर्धारण में सम्मिलित था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अन्य मामलों में सजावटी कार्य हेतु राशि का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि परिसंपत्तियों को आउटसोर्स किया जाना है और विकास कार्य डेवलपर के द्वारा किया जायेगा। आगे, यह एकमात्र मामला है, जहाँ सजावटी कार्य कराया गया था। कुल ₹ 6.37 करोड़ की बड़ी निवेश के परिप्रेक्ष्य में ₹ 10 लाख का आरक्षित मूल्य निर्धारण उचित नहीं था और आरक्षित मूल्य के निर्धारण में सजावटी/ विकास कार्य के लागत को शामिल करने संबंधित कोई साक्ष्य नहीं पाया गया।

(ख) निर्दिष्ट स्थान से दूर मा.सु.कें. का निर्माण

झारखण्ड पर्यटन नीति (झापनी) के अनुसार पर्यटकों को पारगमन निवास सुविधा हेतु मा.सु.कें. का निर्माण राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच)/ राजकीय उच्च पथ (एसएच) के बगल में किया जाना था। तथापि, मा.सु.कें. त्रिकुट देवघर का निर्माण (2014) ₹ 1.06 करोड़ की लागत से देवघर-बासुकीनाथ एनएच से दो किलोमीटर की दूरी पर किया गया था। परिसंपत्ति जेटीडीसी को हस्तांतरित किया गया (मार्च 2015) और यह स्व-प्रबंधित प्रणाली से संचालित हो रहा था। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान ₹ 11.55 लाख व्यय के विरुद्ध ₹ 10.46 लाख की प्राप्ति हुई। परिसंपत्ति की स्थिति दयनीय थी और संयुक्त भौतिक सत्यापन में, भवन में दरारें एवं रिसाव पायी गयीं। इसके अलावा, 2015-16 से 2018-19 के दौरान 14,600 बिस्तर क्षमता के विरुद्ध अधिभोग दर केवल 12.18 प्रतिशत था।

इस प्रकार, एनएच से दूर मा.सु.कें. के निर्माण किये जाने के कारण ₹ 1.06 करोड़ व्यय के बावजूद पर्यटकों को पारगमन निवास सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

विभाग/जेटीडीसी ने बताया (जून 2020) कि एनएच के नजदीक भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण परिसंपत्ति का स्थान परिवर्तित हो गया।

(ग) अवास्तविक आरक्षित मूल्य का निर्धारण

बेतला (लातेहार) में दो परिसंपत्तियों, जंगल हट एंव पर्यटक प्लाजा (क्षेत्रफल 2.13 एकड़ निर्मित क्षेत्रफल- 9032 वर्गफीट) और यूथ होस्टल (0.85 एकड़ निर्मित क्षेत्रफल- 3758 वर्गफीट) के लिये जेटीडीसी द्वारा मात्र ₹ एक लाख वार्षिक लाइसेंस शुल्क

निर्धारित (जुलाई 2014) किया गया जबकि पूर्व में ₹ 2.40 लाख वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर निविदादाता सफल हुये थे (अप्रैल 2012)। आगे, परिसंपत्ति का आरक्षित वार्षिक लाइसेंस शुल्क के निर्धारण के लिए कोई मापदंड अथवा तंत्र अभिलेखों में नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह पाया गया कि यह परिसंपत्ति होटल वन विहार के बगल में था (जेटीडीसी का स्व-प्रबंधित होटल) जिसका शुद्ध लाभ वर्ष 2013-14 में ₹ 6.32 लाख था। आगे, उस क्षेत्र से राजस्व प्राप्ति की संभावना अच्छी थी क्योंकि वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान वन विहार होटल का औसत शुद्ध लाभ ₹ 24.57 लाख तक बढ़ गया था। इस प्रकार, जेटीडीसी द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य का, न तो पूर्व के लाइसेंस शुल्क के साथ तालमेल था न ही समान अवस्थित परिसंपत्ति के शुद्ध लाभ के।

विभाग/जेटीडीसी ने बताया (जून 2020) कि होटल वन विहार, बेतला पर निगम या विभाग द्वारा अवसंरचना एवं सजावटी कार्य पर लगातार निवेश किया जा रहा है जिसे इसकी वार्षिक आय से घटाया नहीं गया। इस प्रकार, एक होटल के आय को बिना निवेश को ध्यान में रखे अलग से नहीं देखा जा सकता है।

जेटीडीसी का जवाब विश्वसनीय नहीं है क्योंकि जेटीडीसी विभाग द्वारा किये गये निवेश का विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे, होटल का वार्षिक शुद्ध लाभ ₹ 24.57 लाख था। इसलिए, एकदम बगल के परिसंपत्ति को मात्र रु एक लाख के वार्षिक शुल्क पर आउटसोर्स करना न्यायोचित नहीं था।

(घ) उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होना

झापनी के अनुसार, पर्यटकों को सूचना देने के अलावा पर्यटक सूचना केन्द्र (प.सू.कें.), जेटीडीसी के होटल एवं परिवहन सेवा तथा झारखण्ड में स्थित निजी वर्गीकृत होटलों में आरक्षण की सुविधा प्रदान करेंगे। संवीक्षा में उद्घटित हुआ कि प.सू.कें. के द्वारा ये सुविधा प्रदान नहीं की गई और ये अन्य गतिविधियों में संकलित थे जिसकी चर्चा निम्न है:

- **प.सू.कें. डाल्टनगंज :** इस परिसंपत्ति का निर्माण ₹ 50 लाख की लागत से हुआ (2016) और निर्माण के पूर्व ही जेटीडीसी को हस्तांतरित (मार्च 2015) किया गया। जेटीडीसी ने ₹ 1.11 लाख की वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर परिसंपत्ति को आउटसोर्स किया। अभिलेखों की संवीक्षा और संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2020) में उद्घटित हुआ कि प.सू.कें. में न तो सूचना न ही होटल आरक्षण प्रदान किया। झारखण्ड पर्यटन से संबंधित कोई विवरणिका/ पम्पलेट प.सू.कें. में नहीं पाया गया। परिसंपत्ति का

उपयोग शादी, बैठक इत्यादि के लिए किया जा रहा था। आगे, जेटीडीसी/सरकार का कोई लोगो/ साइनबोर्ड नहीं पाया गया।

विभाग/ जेटीडीसी ने बताया (जून 2020) कि पर्यटकों को सूचना प्रदान करने के साथ-साथ ठहरने एवं पार्टी करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डेवलपर स्वतंत्र है। हालाँकि, जवाब प.सू.कें. की स्थापना के उद्देश्य के अनुरूप नहीं थे क्योंकि इसके द्वारा पर्यटकों को सूचना प्रदान नहीं की जा रही थी। विभाग ने आश्वस्त किया (जनवरी 2021) कि डेवलपर के साथ हुए इकरारनामा को लागू करने के लिए कार्रवाई की जायेगी।

- **प.सू.कें. हजारीबाग:** इकरारनामा के अनुसार डेवलपर को कार्यारम्भ के पूर्व जेटीडीसी से आवश्यक अनुमोदन एवं सक्षम पदाधिकारी से अन्य सुविधाओं हेतु अनुमति प्राप्त करना था। तथापि, डेवलपर ने जेटीडीसी के अनुमोदन और जिला प्रशासन के अनुमति के बिना निर्माण कार्य प्रारंभ किया जिसके आधार पर जिला प्रशासन द्वारा कार्य को रोक दिया गया (मार्च 2015)। आगे, प.सू.कें. को अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा असामाजिक गतिविधियों के संचालन के आधार पर बंद (सितम्बर 2018) कर दिया गया। हालाँकि, यह पाया गया कि जेटीडीसी ने लाइसेंस शुल्क के भुगतान नहीं करने के आधार पर इकरारनामा को निरस्त कर दिया (नवम्बर 2018)। आगे, संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखा गया कि परिसंपत्ति असंचालित है एवं आधारभूत सुविधाओं की कमी के साथ-साथ रख-रखाव दयनीय है।

जेटीडीसी ने बताया (जनवरी 2021) कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए इकरारनामा किया गया है (नवम्बर 2020) और परिसंपत्ति को विकसित करने के लिए हस्तान्तरण कर दिया गया है (दिसम्बर 2020)। तथ्य वही है कि परिसंपत्ति जनवरी 2021 तक असंचालित थे।

(ड) परिसंपत्तियों का बीमा करने में विफलता

इकरारनामा के अनुसार 30 में से 23 परिसंपत्तियों की बीमा की जानी थी। हालाँकि, यह पाया गया कि 23 में से किसी भी डेवलपर ने, परिसंपत्ति का बीमा नहीं करवाया जो किसी अनहोनी घटना की वजह से जेटीडीसी पर अतिरिक्त बोझ डाल सकता था।

विभाग/जेटीडीसी तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जून 2020) कि भविष्य में परिसंपत्तियों को बीमित करने की कार्रवाई की जायेगी।

(च) निष्पादन प्रतिभूति को नहीं बढ़ाना

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर द्वारा पूरे इकरारनामा अवधि में भुगतये लाइसेंस शुल्क के बराबर बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति जमा किया जाना था। अभिलेखों की

संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति जमा करने संबंधी प्रावधान 30 आउटसोर्स परिसंपत्ति में से 21 के इकरारनामा में शामिल नहीं थे। केवल एक डेवलपर (प.सू.के. डाल्टेनगंज) ने इकरारनामा का पालन किया और पाँच परिसंपत्तियों के डेवलपरों ने बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति जमा नहीं की। इस प्रकार, इकरारनामा के विखंडन की स्थिति में बकाया लाइसेंस शुल्क वसूलने हेतु निष्पादन प्रतिभूति काफी नहीं होगा।

विभाग/जेटीडीसी ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जून 2020) कि डेवलपर द्वारा बढ़ी हुई निष्पादन प्रतिभूति जमा करना सुनिश्चित करने हेतु भविष्य में कार्रवाई की जायेगी।

(ख) पर्यावरणीय एवं सुरक्षा संबंधी मुद्दों का अनुपालन नहीं होना

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर को रेनवाटर हार्वेस्टिंग, उर्जा संरक्षण और बेहतरीन कार्य प्रणाली सहित लागू पर्यावरणीय, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नियमों/प्रावधानों का पालन करना था। यह पाया गया कि 19 भौतिक सत्यापित आउटसोर्स परिसंपत्तियों में से, केवल 16 परिसंपत्तियों के इकरारनामाओं में पर्यावरणीय एवं सुरक्षा मुद्दों को सम्मिलित किया गया था। 16 परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन में उद्घाटित हुआ कि रेनवाटर हार्वेस्टिंग और अग्निशमन प्रणाली क्रमशः एक और पाँच परिसंपत्तियों में अधिष्ठापित थे, जबकि सीसीटीवी दो परिसंपत्तियों में अधिष्ठापित नहीं थे। विभाग/जेटीडीसी ने तथ्य को स्वीकार किया और बताया (जून 2020) कि भविष्य में डेवलपर द्वारा इकरारनामा को पालन करने को सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जायेगी।

2.1.4 वित्तीय प्रबंधन

कंपनी के अधीन परिसम्पत्तियों का स्वामित्व झारखण्ड सरकार में निहित है और उनके संचालन से अर्जित आय को कंपनी का आय माना जाता है। कंपनी ने वर्ष 2010-11 से 2018-19 तक के अपने वार्षिक लेखाओं का अंतिमीकरण अब तक नहीं किया है। अनुमोदित लेखाओं के अभाव में लेखापरीक्षा अवलोकन, अनंतिम लेखाओं पर आधारित है।

2.1.4.1 कार्य परिणाम

कंपनी अपनी दैनिक गतिविधियों को अपने आन्तरिक स्रोतों जैसे होटलों, रेस्टुरेंट एवं आउटसोर्स संपत्तियों का पट्टा-किराया इत्यादि से अर्जित आय से पूरा करती है। जेटीडीसी द्वारा 2015-16 से 2018-19 के दौरान प्राप्त राजस्व एवं व्यय का विवरण नीचे **तालिका-2.2** में दिया गया है:

तालिका 2.2: कार्यकारी परिणाम (प्रोविजनल)

(₹ लाख में)

ब्यौरा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
रूम रेंट से राजस्व	125.93	165.00	244.11	325.16
पट्टा से राजस्व	202.42	209.79	297.28	259.64
रेस्टुरेंट से राजस्व	66.07	69.32	114.76	120.69
प्रवेश / पार्किंग शुल्क से राजस्व	23.42	35.56	38.00	41.37
परिवहन प्रभाग से राजस्व	11.71	9.28	6.35	3.89
अन्य विविध आय	44.10	37.87	45.85	26.90
कुल	473.65	526.82	746.35	777.65
कुल व्यय	376.24	343.82	401.57	403.21
सकल लाभ	97.41	183.00	344.78	374.44
कराधान के लिए प्रावधान	30.10	42.50	103.44	93.61
शुद्ध आय	67.31	140.50	241.34	280.83

(स्रोत: जेटीडीसी)

2.1.4.2 ₹ 55.45 लाख का कमरे का बकाया किराया एवं कर

चार स्व-प्रबंधित होटलों में, कमरे का किराया और कर की राशि ₹ 55.45 लाख, 12 महीने से 6 वर्ष के अंतराल के बाद भी मार्च 2020 तक बकाया रहा। इसके अलावा, एक होटल के बकाये को छोड़कर, जेटीडीसी ने बकाया राशि की वसूली का प्रयास नहीं किया।

विभाग/ जेटीडीसी ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (जून 2020) कि प्रबंधन मामले को आगे बढ़ा रहा है और बकाए की वसूली की जाएगी। हालाँकि, तथ्य यह है कि जनवरी 2021 तक बकाया राशि की वसूली नहीं हो सकी।

2.1.4.3 ₹ 182.98 लाख का बकाया लाइसेंस शुल्क/ किराया

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर्स/ पट्टेदारों को आउटसोर्स की गई संपत्तियों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क/ लागू कर सहित दुकान का मासिक किराया, अग्रिम में, जेटीडीसी को भुगतान करना था। भुगतान में देरी होने पर जुर्माना और निर्धारित अवधि से अधिक विलंब होने पर, जेटीडीसी इकरारनामा को निरस्त करने और निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) को जब्त करने का हकदार होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेटीडीसी, होटल बिरसा विहार राँची और टी.आई.सी. हजारीबाग के डेवलपर्स से इकरारनामा के अनुसार लागू कर सहित लाइसेंस शुल्क एवं जुर्माना की वसूली करने में विफल रहा। जेटीडीसी ने इकरारनामा को समाप्त कर कुल बकाया ₹ 230.15 लाख के विरुद्ध केवल ₹ 49.14 लाख पीबीजी को जब्त करके वसूल की। आगे, 21 दुकानों के पट्टेदारों से अप्रैल 2018 से नवंबर 2019 तक का, ₹ 1.97 लाख

का बकाया भी वसूल नहीं किया गया। इस प्रकार, ₹ 182.98 लाख का लाइसेंस शुल्क/दुकान किराया अवसूलित रहा।

जेटीडीसी ने कहा कि दोषी पट्टेदारों से दुकानों के किराए की वसूली की प्रक्रिया जारी है। हालाँकि, तथ्य यह है कि जनवरी 2021 तक लाइसेंस शुल्क/ किराया अवसूलित था।

2.1.4.4 ₹ 82.47 लाख के शुद्ध आय का हिस्सा हस्तांतरित करने में विफलता

परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के परिपत्रों के अनुसार, जेटीडीसी को 30 आउटसोर्स संपत्तियों में से 19 से शुद्ध कमाई का हिस्सा सरकार के खाते में जमा करना था। यह देखा गया कि जेटीडीसी ने कभी भी आउटसोर्स की गई संपत्ति से कमाई का आवश्यक हिस्सा सरकार के खाते में जमा नहीं किया।

लेखापरीक्षा की गणना के अनुसार मार्च 2014 से मार्च 2020 तक की अवधि के लिए 19 आउटसोर्स परिसंपत्तियों का ₹ 82.47 लाख की सरकारी अंश की राशि की जमा नहीं होने के परिणामस्वरूप जेटीडीसी पर ₹ 82.47 लाख की देयता का सृजन हुआ। विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जनवरी 2021) कि शुद्ध कमाई का हिस्सा यथाशीघ्र सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा।

2.1.4.5 ₹ 47 लाख की अवसूलित क्षति प्रतिपूर्ति

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर्स को जेटीडीसी द्वारा पी.आई.पी. के अनुमोदन की तिथि से छः महीने के भीतर परियोजना सुविधाओं को उन्नत और नवीनीकृत करना आवश्यक था। आगे, उन्नयन का काम पूरा होने में विलंब होने पर क्षतिपूर्ति देय होगा।

सितंबर 2014 में जेटीडीसी ने टी.आई.सी हजारीबाग के पी.आई.पी. को मंजूरी दी तथा डेवलपर को मार्च 2015 तक परिसंपत्ति को उन्नत करना था। जेटीडीसी द्वारा इकरारनामा को समाप्त (अक्टूबर 2018) कर दिया गया क्योंकि डेवलपर द्वारा उन्नयन कार्य पूरा नहीं किया गया था। हालाँकि, जेटीडीसी ने समय पर काम को पूरा करवाने के लिए कार्रवाई नहीं की और न ही इकरारनामा को पहले समाप्त किया। आगे, वह डेवलपर से ₹ 47 लाख की क्षतिपूर्ति की वसूली करने में विफल रहा।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि 2018 में इकरारनामा समाप्त हो जाने के कारण, वह डेवलपर से क्षतिपूर्ति के रूप में किसी भी राशि की वसूली करने में असमर्थ था।

2.1.4.6 ₹ पाँच लाख के अनकदीकृत पी.बी.जी के कारण हानि

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर द्वारा चूक की स्थिति में, देय लाइसेंस शुल्क आदि की राशि, निष्पादन प्रतिभूति से वसूल की जानी थी।

मार्गीय सुविधा, बगोदर के डेवलपर से, इकरारनामा समाप्त (दिसंबर 2017) होने के बाद लाइसेंस शुल्क वसूल नहीं किया जा सका, क्योंकि जेटीडीसी के पास केवल ₹ पाँच लाख की पी.बी.जी. की छायाप्रति उपलब्ध थी, जिसे नकदीकृत नहीं किया जा सका। इस प्रकार, डेवलपर से मूल पी.बी.जी. प्राप्त करने में जेटीडीसी की विफलता के कारण ₹ पाँच लाख का नुकसान हुआ।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा कि लाइसेंस शुल्क का भुगतान और पी.बी.जी का नवीनीकरण न करने के कारण इकरारनामा रद्द कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जेटीडीसी के पास मूल पी.बी.जी उपलब्ध नहीं होने के कारण ₹ पाँच लाख के पी.बी.जी. का नकदीकरण नहीं किया जा सका।

2.1.4.7 प्रोत्साहन निधि का अनुपयोग

झापनी 2015 के अनुसार, पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास और संवर्धन हेतु सक्रिय निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा शुरू की जानी थी। आगे, नए होटल की स्थापना, परिवहन सुविधा, स्वास्थ्य रिसॉर्ट की स्थापना आदि के लिए सब्सिडी एवं कर संरचना के समानीकरण के रूप में राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाना था।

हालाँकि, झारखण्ड सरकार ने जेटीडीसी को प्रोत्साहन मद में ₹ एक करोड़ (जनवरी 2019) जारी किया, यह राशि जेटीडीसी के पर्सनल लेजर खाते में डाल दी गई और जनवरी 2021 तक बिना उपयोग के पड़ी रही। विभाग/ जेटीडीसी ने कहा कि किसी भी प्रस्ताव के प्राप्त नहीं होने के कारण निधि का उपयोग नहीं किया जा सका। हालाँकि, यह देखा गया कि जेटीडीसी ने प्रोत्साहन योजना के प्रचार के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

2.1.4.8 होल्टिंग कर की वसूली न होना

इकरारनामा के अनुसार, पट्टेदार को ससमय सभी नगरपालिका शुल्क, जिसमें होल्टिंग कर⁷⁶, जल उपकर आदि शामिल हैं, जैसा कि नगर निगम या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवंटित दुकानों की लीज अवधि के लिए लगाया गया हो, जिसमें सामान्य सेवाओं/ क्षेत्रों का आनुपातिक हिस्सा भी शामिल है, का भुगतान करना होगा।

⁷⁶ होल्टिंग कर, नगर निगम द्वारा संपत्ति के वार्षिक किराये मूल्य के आधार पर लगाया गया कर है। वार्षिक किराये के मूल्य का निर्धारण कारपेट क्षेत्रफल और सरकार द्वारा समय-समय पर तय किराये मूल्य के गुणज के रूप में होता है।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि जेटीडीसी ने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, देवघर का 2016-17 से 2018-19 की अवधि के लिए होल्डिंग कर के रूप में ₹ 1.20 लाख का भुगतान किया, लेकिन पट्टेदारों से इसकी वसूली करने में विफल रहने के फलस्वरूप कंपनी को ₹ 1.20 लाख का नुकसान हुआ। सरकार/ जेटीडीसी द्वारा कोई विशेष जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.4.9 विज्ञापन निधि का अनुचित और अकुशल प्रबंधन

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) के नियम 174 के अनुसार, मांगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए कोषागार से कोई भी राशि की निकासी नहीं की जाएगी। यदि राशि अग्रिम में निकाला जाता है, तो अव्ययित राशि को जल्द से जल्द और किसी भी स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व कोषागार में वापस कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, झा.को.सं. के नियम 334 के अनुसार, लगातार दो वित्तीय वर्षों के बाद अव्ययित राशि को आगे खर्च नहीं किया जाना चाहिए और शेष को संबंधित सेवा शीर्ष में हस्तांतरित किया जाना चाहिए, जहाँ से राशि की निकासी किया गया था।

पर्यटन निदेशालय की माँग पर, विभाग ने झारखण्ड पर्यटन के विज्ञापन के लिए 2015-16 से 2019-20 के दौरान ₹ 48.40 करोड़ की राशि आवंटित किया। आवंटन आदेशों में वित्तीय वर्ष के अंत में अनुपयोग निधि का समर्पण और उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) प्रस्तुत करना निर्देशित था।

पर्यटन निदेशालय ने केवल ₹17.80 करोड़ (36.78 प्रतिशत) खर्च किए और ₹ 30.60 करोड़ (63.22 प्रतिशत) की अव्ययित राशि, जो प्रत्यर्पित की जानी थी, को निधि के व्यपगत होने से बचाने के लिए जेटीडीसी के पर्सनल लेजर (पी.एल) खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके अलावा, यह देखा गया कि ₹ 30.60 करोड़ में से केवल ₹ 16.92 करोड़ अगले वित्त वर्ष में जेटीडीसी के माध्यम से खर्च किए गए और मार्च 2020 तक जेटीडीसी के पी.एल खाते में ₹ 10.49 करोड़ की राशि अव्ययित रही। इसके अलावा, ₹ 3.19 करोड़ रुपये की राशि दो से अधिक वर्षों तक निष्क्रिय रखने के बाद प्रत्यर्पित (मई 2019) किया गया। न तो पर्यटन निदेशक और न ही एम.डी., जेटीडीसी द्वारा अब तक विभाग को कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र (यू.सी) प्रस्तुत किया गया। विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

2.1.5 आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण

(i) अविकसित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तंत्र

झारखण्ड पर्यटन नीति (झापनी), 2015 अनुश्रवण और मूल्यांकन तंत्र के संस्थागतीकरण पर जोर देती है। हालाँकि, मार्च 2020 तक न तो विभाग और न ही कंपनी ने कोई अनुश्रवण और मूल्यांकन तंत्र विकसित किया।

विभाग/ जेटीडीसी ने कहा (जून 2020) कि यद्यपि निगम में अनुश्रवण की व्यवस्था अस्तित्व में है, इसे मजबूत बनाने और स्वचालित करने की आवश्यकता है। उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अपनी संपत्ति पर जेटीडीसी के नियंत्रण की कमी के उदाहरण कंडिका 2.1.3.1 में चर्चित थी। अवसूलित/ अनकदीकृत बकाया किराया, क्षतिपूर्ति शुल्क एवं पी.बी.जी. भी अनुश्रवण एवं आंतरिक नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

(ii) प्रतिवेदन और बुनियादी दस्तावेज की अनुपस्थिति

इकरारनामा के अनुसार, डेवलपर परियोजना सुविधाओं के नवीकरण की प्रगति पर मासिक नवीकरण/विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। आगे, डेवलपर एक वार्षिक संचालन एवं प्रबंधन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। यह देखा गया कि नमूना-जाँचित किसी भी संपत्ति में डेवलपरों ने इन प्रतिवेदन आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया। आगे, इकरारनामा में प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के लिए दंडात्मक धारा की अनुपस्थिति के कारण, जेटीडीसी डेवलपरों द्वारा इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को लागू कराने में विफल रहा। इसके अलावा, डेवलपरों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण जेटीडीसी अपनी संपत्ति के अधिभोग से अनभिज्ञ था। विभाग/ जेटीडीसी ने (जनवरी 2021) आश्वासन दिया कि सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

2.1.6 निष्कर्ष

पर्यटन के एकीकृत विकास और विपणन के लिए मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया। पर्यटन की क्षमता का जिलावार विस्तृत सर्वेक्षण ऐसी क्षमता का उपयोग करने के लिए नहीं किया गया और पर्यटन इकाइयों के लिए न्यूनतम मानकों की स्थापना, जैसा कि झारखण्ड पर्यटन नीति, 2015, में परिकल्पित था, इसके चार साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नहीं की गई।

₹ 39.62 करोड़ की लागत से निर्मित 39 परिसंपत्तियाँ असंचालित या आंशिक रूप से संचालित रही। इनमें से कई संपत्तियाँ रख-रखाव में अभाव के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थीं जो समय के साथ और खराब हो जाएगी। दूरवर्ती स्थान, अकुशल प्रबंधन और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण अधिभोग कम रहा। जेटीडीसी नियमों और

शर्तों को लागू कराने में विफल रहा, जिसके कारण डेवलपर्स को अनुचित लाभ हुआ। संपत्ति का अनियमित व्यावसायीकरण, परिसंपत्तियों का बीमा कराने में विफलता, स्थानीय लोगों द्वारा संपत्ति का अवैध संचालन, अतिक्रमण आदि अनुश्रवण की कमी के कारण हुआ।

अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण जेटीडीसी न तो विज्ञापनों /प्रोत्साहनों के लिए विभाग द्वारा प्रदान किए गए निधि का उपयोग किया और न ही बकाया किराया/ लाइसेंस शुल्क/ क्षति शुल्क की वसूली कर सका।

2.2 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड

2.2.1 श्रमिक कल्याण उपकर की कम कटौती

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का पूर्णरूपेण अनुपालन करने में झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड विफल रहा जिसके कारण ₹ 17.89 करोड़ के श्रमिक कल्याण उपकर की कम कटौती हुई।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 3 (1) के अनुसार एक उपकर होगा जिसका उदग्रहण एवं संग्रहण, किसी नियोक्ता के द्वारा वहन किये गए निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगी परन्तु एक प्रतिशत से कम भी नहीं होगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिकारिक गजट अधिसूचना के माध्यम से निश्चित करेगी। अधिनियम पुनः निर्धारित करती है कि सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन एवं अन्य निर्माण के संबंध में उपकर की कटौती स्रोत पर ही कर ली जाएगी और अधिनियम के अंतर्गत गठित भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को प्रेषित की जाएगी।

अधिनियम की धारा 8 यह निश्चित करती है कि यदि कोई नियोक्ता उपकर निर्धारण आदेश में वर्णित समय के अन्दर देय उपकर की किसी राशि के भुगतान में विफल रहता है तो, वह नियोक्ता देय राशि पर उस राशि की देय तिथि से राशि के वास्तविक भुगतान तक की तिथि की अवधि के लिए प्रति माह या माह के अंश के लिए दो प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतान का भागी होगा। अधिनियम की धारा 9 निर्धारित करती है कि उपकर की कोई देय राशि का भुगतान उपकर निर्धारण आदेश में वर्णित तिथि के अन्दर नहीं की जाती, तो उसे बकाया माना जाएगा और अधिनियम में इस संबंध में निर्देशित अधिकारी जैसा उसे उचित लगे वैसे जाँचोपरांत एवं सुनवाई का समुचित अवसर देने के बाद, वैसे नियोक्ता पर अर्थदंड अधिरोपित कर सकता है जो उपकर राशि से अधिक नहीं होगा।

आगे, झारखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं अन्य सेवा शर्तों का विनियमन), नियमावली, 2006 के नियम 7 के अनुसार राज्य अथवा बोर्ड में सेवारत प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियम तथा इस नियमावली के प्रावधानों को राज्य में लागू करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करेगा। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार के द्वारा राज्य के सम्बंधित संस्थानों/ नियोक्ताओं/ संवेदकों से अधिनियम के

अंतर्गत भारत सरकार अधिसूचनाओं के अनुसार, एक प्रतिशत श्रमिक उपकर की वसूली का एक आदेश जारी (अक्टूबर 2007) किया गया।

अभिजीत हज़ारीबाग टोल रोड लिमिटेड बनाम भारत का संघ एवं अन्य (2012 की डब्ल्यू.पी (सी) संख्या 4202) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, राँची ने भी यह निर्णय दिया है कि निर्माण श्रमिकों एवं कर्मकारों से कार्य लेना निर्माण गतिविधियों का आंतरिक अंश है और चूँकि कार्य एवं श्रम, निर्माण गतिविधि के अभिन्न अंग हैं, उपकर मात्र श्रम-अवयवों के बजाय निर्माण की लागत पर उदग्रहित की जाएगी।

झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल)⁷⁷ के 2013-14 से 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की जाँच (फ़रवरी 2019) से पता चला कि संचरण लाइनों, ग्रिड उप-केन्द्रों, ट्रांसफार्मर-बे इत्यादि हेतु परामर्शों, आपूर्ति अथवा डिजाईन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, अधिष्ठापन, उत्थापन, परीक्षण एवं प्रवर्तन हेतु कुल ₹ 3,732.75 करोड़ मूल्य के 122 अनुबंध (फ़रवरी 2009 एवं मार्च 2019 के बीच) किये गए। इनमें से ₹ 3,644.12 करोड़ मूल्य के 100 अनुबंध टर्नकी अनुबंध थे। इन टर्नकी अनुबंधों के विरुद्ध जेयूएसएनएल ने मई 2020 तक आपूर्ति के ₹ 1,772.79 करोड़ एवं उत्थापन के ₹ 528.88 करोड़ सहित ₹ 2,301.67 करोड़ का भुगतान किया। आपूर्ति मूल्य में ट्रांसफार्मर, तार, टावर, इंसुलेटर, इस्पात, पाइप, सीमेंट, फेब्रिकेशन इत्यादि जैसे सामग्रियों एवं उपकरणों की लागत निहित होते हैं, जबकि उत्थापन मूल्य में सर्वे एवं खुदाई के साथ ही उपकरणों के अधिष्ठापन, फाउंडेशन एवं कंक्रीटिंग जैसे सिविल निर्माण कार्यों की लागत सन्निहित होती है। क्योंकि, भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली, 1998 के नियम 3 के अंतर्गत केवल भूमि की लागत तथा क्षतिपूर्ति की राशि को निर्माण लागत में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसलिए आपूर्ति तथा उत्थापन मूल्य दोनों ही को निर्माण लागत माना जाएगा।

हालाँकि, जेयूएसएनएल ने संवेदकों के विपत्र से केवल उत्थापन मूल्य से ₹ 5.13 करोड़ के श्रमिक उपकर की कटौती की, परन्तु ₹ 17.73 करोड़ (आपूर्ति मूल्य का एक प्रतिशत) के श्रमिक उपकर की कटौती नहीं की थी। पुनः, उत्थापन मूल्य से ₹ 16 लाख की कम कटौती की गई क्योंकि ₹ 5.29 करोड़ के प्रयोज्य उपकर के विरुद्ध ₹ 5.13 करोड़ के श्रमिक उपकर की कटौती की गई। अतः 1998 की नियमावली का उल्लंघन करते हुए संवेदकों के विपत्रों से श्रमिक उपकर की कटौती करने में जेयूएसएनएल विफल रहा जिससे ₹ 17.89 करोड़ के श्रमिक उपकर की कम कटौती हुई और जेयूएसएनएल

⁷⁷ पूर्व में झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (जे.एस.ई.बी) दिसंबर 2013 तक विद्युत् उत्पादन, संचरण एवं वितरण करता था। जेयूएसएनएल संचरण गतिविधियों की शुरुआत जे.एस.ई.बी के विभक्तिकरण (जनवरी 2014) के उपरांत कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत सम्मिलित होने के बाद से कर रहा है।

निर्धारण अधिकारी द्वारा देय श्रमिक उपकर के अंतिम मूल्यांकन के समय ब्याज एवं अर्थदंड का भागी होगा।

लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार करते हुए जेयूसएनएल ने यह सूचित किया (जनवरी 2021) कि उल्लेखित कम कटौती के विरुद्ध अब तक संवेदकों के विपत्रों से ₹ 13.63 करोड़ की वसूली कर ली गई है। हालाँकि, 6 जनवरी 2014 के पूर्व के श्रमिक उपकर के साथ ही निर्धारण अधिकारी के द्वारा अंतिम मूल्यांकन के दौरान अधिरोपित होने वाले अर्थदंड एवं ब्याज, यदि कोई हो, की वसूली के संबंध में जेयूसएनएल मौन है।

विषय सरकार को प्रतिवेदित (अप्रैल 2020) है; उनके उत्तर की प्रतीक्षा (जनवरी 2021) है।

2.2.2 एसएलडीसी के परिचालन शुल्क एवं प्रभार की हानि

झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा उपयोगकर्ताओं से राज्य भार प्रेषण केंद्र के संचालन के लिए शुल्क एवं प्रभार वसूलने में विफलता के कारण ₹ 12.18 करोड़ की हानि हुई।

राज्य भार प्रेषण केंद्र, विद्युत् व्यवस्था के परिचालन, नियोजन, निगरानी एवं नियंत्रण का तंत्रिका केंद्र होता है। विद्युत् का भंडारण नहीं किया जा सकता है और जरूरत के समय ही इसका उत्पादन किया जाना होता है। राज्य भार प्रेषण केंद्र का उद्देश्य अधिकतम सुरक्षा एवं दक्षता प्राप्त करने हेतु विद्युत् के उत्पादन, संचरण एवं वितरण में पल-पल समन्वय स्थापित करना है।

विद्युत् अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 31(1) एवं 31(2) यह निर्धारित करता है कि राज्य सरकार एक राज्य भार प्रेषण केंद्र (एसएलडीसी) स्थापित करेगी जो किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या गठित एक सरकारी कंपनी या प्राधिकरण या निगम द्वारा संचालित होगा।

अधिनियम की धारा 32(3), एसएलडीसी को विद्युत् के अन्तर्राज्यीय संचरण में लगी उत्पादन कंपनियों एवं अनुज्ञप्तिधारकों पर शुल्क एवं प्रभार, जैसा कि राज्य विद्युत् नियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा विनिर्दिष्ट हो, धारित तथा संग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है।

झारखण्ड राज्य विद्युत् नियामक आयोग (एसएलडीसी द्वारा शुल्क एवं प्रभार निर्धारित और संग्रहण) विनियम, 2010 (जेएसईआरसी विनियम, 2010) एसएलडीसी को एसएलडीसी परिचालन की लागत को शुल्क एवं प्रभार के रूप में टैरिफ के माध्यम से अनुमत/ वसूलने का अधिकार प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा ने पाया (जनवरी 2019) कि अधिनियम की धारा 31(1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए ऊर्जा विभाग के सचिव, पूर्व के झारखण्ड राज्य विद्युत् बोर्ड (जेएसईबी) के भार प्रेषण केंद्र को एसएलडीसी के रूप में नामित किया (सितंबर 2005)। जेएसईबी के विघटन के पश्चात, जनवरी 2014 से झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल) का भार प्रेषण केंद्र एसएलडीसी का परिचालन करना जारी रखा।

जेयूएसएनएल के अभिलेखों के आगे जाँच (जनवरी 2019 एवं जनवरी 2020) से पता चला कि जेयूएसएनएल, अधिनियम की धारा 32(3) एवं जेएसईआरसी विनियम, 2010

का उल्लंघन करते हुए, जनवरी 2017 से मार्च 2019⁷⁸ के अवधि के ₹ 12.18 करोड़⁷⁹ का शुल्क एवं प्रभार भारित नहीं किया था। परिणामस्वरूप, जेयूएसएनएल को ₹ 12.18 करोड़ की हानि हुई, जैसा कि नीचे लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित किया गया है:

जेएसईआरसी विनियम, 2010 के तहत, एसएलडीसी लागत को टैरिफ द्वारा अनुमत/वसूली करने के लिए जेयूएसएनएल को अपने एसएलडीसी क्रियाकलाप एवं संचरण व्यवसाय को पृथक करना था। जबतक लेखाओं का पूर्णरूपेण पृथक्करण नहीं हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यवसाय का सकल वार्षिक राजस्व आवश्यकता⁸⁰ (एआरआर), (i) एसएलडीसी क्रियाकलाप, संचरण व्यवसाय एवं अन्य व्यवसाय के बीच सभी लागतों, राजस्वों, परिसंपत्तियों, दायित्वों, संचयों एवं प्रावधानों का एक विनियोजन विवरणी तथा (ii) अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर विगत वर्ष, वर्तमान वर्ष एवं आगामी वर्ष की अवधि का एआरआर को दर्शाती एक विवरणी के साथ टैरिफ आवेदन से समर्थित होना था। हालाँकि, जेयूएसएनएल (पूर्व के जेएसईबी सहित) द्वारा इनमें से किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की गयी जिसका कारण न तो अभिलेखों में था न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया, यद्यपि माँगे गए थे। परिणामस्वरूप, 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए, जेयूएसएनएल ने एसएलडीसी शुल्क एवं प्रभार वसूली हेतु अपने एसएलडीसी क्रियाकलाप को अन्य व्यवसाय से पृथक करके जेएसईआरसी के अनुमोदन हेतु कोई टैरिफ आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका।

उपरोक्त आवश्यकताओं के अनुपालन के बिना, जेयूएसएनएल ने उपभोक्ताओं से एसएलडीसी प्रभार वसूलने हेतु 2016-17 से 2020-21 अवधि के लिए बहुवर्षीय टैरिफ (एमवाईटी) याचिका तथा 2016-17 के लिए एसएलडीसी के साथ-साथ संचरण व्यवसाय का टैरिफ भी दायर (मार्च 2017) की। हालाँकि, जेएसईआरसी ने अपने एमवाईटी आदेश में एसएलडीसी व्यय को नामंजूर कर दिया (फरवरी 2018) क्योंकि एसएलडीसी क्रियाकलाप एवं संचरण व्यवसाय के पृथक्करण एवं एसएलडीसी व्यवसाय के अंकेक्षित लेखाओं के आभाव में जेयूएसएनएल, एआरआर को पेश करने का आधार बताने में विफल रहा।

⁷⁸ जेएसईआरसी अधिनियम 2010, दिसंबर 2010 में अस्तित्व में आया जिसमें 1 अप्रैल 2011 से वार्षिक आधार पर टैरिफ के लिए अवधि निर्धारण किया गया था। परंतु जेएसईबी/जेयूएसएनएल के लेखाओं में एसएलडीसी खर्च को पृथक न दर्शाए जाने से कारण अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2016 तक के अनुग्रहीत शुल्क एवं प्रभार पर टिप्पणी नहीं की जा सकी।

⁷⁹ जैसा कि जनवरी 2017 से मार्च 2019 के एसएलडीसी तलपट के जाँच में पाया गया।

⁸⁰ एग्रीगेट रेविन्यू रिक्वाइरमेंट का अर्थ एसएलडीसी/ पावर सिस्टम ऑपरेशन कंपनी के खर्च से है जिसे जेएसईआरसी विनियम के तहत शुल्क एवं प्रभार के रूप में वसूली के लिए आयोग अनुमान्य करे।

लेखापरीक्षा परिणाम को स्वीकारते हुए प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2020) कि जेएसईआरसी ने जेयूएसएनएल को अपने संचरण व्यवसाय से एसएलडीसी क्रियाकलाप को सख्ती से पृथक करने तथा पृथक्कीकृत लेखा संधारित करने का निर्देश दिया था (फरवरी 2018)। प्रबंधन ने लेखापरीक्षा को यह भी सूचित किया कि जेएसईआरसी के निर्देश का अनुपालन किया गया है एवं जनवरी 2017 से मार्च 2017 तक के एसएलडीसी व्यवसाय का तलपट शेष जेएसईआरसी को प्रस्तुत (अक्टूबर 2018) किया गया था।

जेएसईआरसी के निर्देश के अनुपालन से संबंधित जवाब अस्वीकार्य है क्योंकि जेएसईआरसी अधिनियम, 2010 में निहित आवश्यकताओं के अनुपालन में जेयूएसएनएल की विफलता के कारण जेएसईआरसी ने, अपने 24 फरवरी 2018 के आदेश में, एसएलडीसी प्रभार वसूली के जेयूएसएनएल के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया था। आगे, एसएलडीसी व्यवसाय का लेखा प्रस्तुत करने के जेएसईआरसी के निर्देश (फरवरी 2018) के विरुद्ध जेयूएसएनएल ने केवल जनवरी 2017 से मार्च 2019 तक की अवधि का तलपट शेष प्रस्तुत (अक्टूबर 2018) किया। पृथक्कीकृत लेखाओं के अभाव में जेयूएसएनएल ने एसईआरसी अधिनियम, 2010 के अनुरूप आवश्यक विनिधान विवरणी भी प्रस्तुत नहीं किया। जेएसईआरसी ने, अंकक्षित लेखाओं के अभाव में एसएलडीसी के एआरआर को अस्वीकृत किए जाने की पुष्टि भी की (मई 2020)। हालाँकि, कंपनी द्वारा शुल्क एवं प्रभार धारित एवं वसूल करने में विफलता से हुई हानि के लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गयी थी।

जवाब में, विभाग ने स्वीकार किया (सितम्बर 2020) कि कोई पृथक लेखा इकाई का संधारण नहीं किया जा रहा है, जैसा कि जेएसईआरसी अधिनियम के तहत आवश्यक था तथा दोहराया कि जेयूएसएनएल ने पहले ही, टैरिफ के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क एवं प्रभार वसूल करने हेतु मार्च 2017 में जेएसईआरसी के पास दावा कर दिया है। तथ्य यह है कि जेयूएसएनएल ने फरवरी 2018 के जेएसईआरसी की टिप्पणियों पर कोई अनुक्रिया नहीं की। इसने सितम्बर 2020 तक, बाद के वर्षों में भी एसएलडीसी व्यवसाय के लिए दावा प्रस्तुत नहीं किया था।

राँची

दिनांक: 16 जुलाई 2021

इ-3 2021-22

(इंदु अग्रवाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक: 22 जुलाई 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्टियाँ

परिशिष्टियाँ (भाग अ)

परिशिष्ट- 2.1.1

(कंडिका 2.1.2.2 (ii)(ब) में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-9)

आवश्यक भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण अपूर्ण पुल कार्य

क्र. सं.	कार्य का नाम	जिला का नाम	पूर्ण होने की तिथि/स्थिति	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	आवश्यक भूमि के प्रकार/डिसमिल में क्षेत्रफल	अधिग्रहण की विधि	निर्गत राशि (₹ लाख में)	टिप्पणियाँ
1	धनबाद जिला में चंदनकियारी-सुइयाडीह सड़क के बीच दामोदर नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी गिर्डर पुल का निर्माण	धनबाद	23-11-2018/ अपूर्ण	7.44	3.82	निजी/वन भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	अपूर्ण पुल
2	धनबाद प्रखण्ड के अंतर्गत कर्मपूंद गाँव में बरडुबी से लखरखवारी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	धनबाद	30-06-2018/अपूर्ण	2.04	1.64	निजी भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
3	मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के अंतर्गत सरायकेला-खरसावाँ जिला में खरकाई नदी पर असंगी से इटागढ़ के बीच उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	सरायकेला-खरसावाँ	14-06-2015/अपूर्ण	6.2	5.91	निजी भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
4	सरायकेला-खरसावाँ जिला में सरायकेला प्रखण्ड के अंतर्गत खरकाई नदी पर हुरंगदा और धरमडीहा के बीच पुल का निर्माण	सरायकेला-खरसावाँ	28-02-2019/अपूर्ण	4.36	2.49	रैयती भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने

5	पाकुर जिला में पाकुर प्रखण्ड के अंतर्गत काना नदी पर रामचंद्रपुर और तारानगर के बीच उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पाकुर	28-02-2019/अपूर्ण	4.66	1.50	रैयती भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
6	डोमचाँच प्रखण्ड के अंतर्गत केशो नदी पर कुंडीधनवार और नवलसाही भाया बछेडीह के समीप पुल का निर्माण	कोडरमा	09-11-2019/अपूर्ण	3.97	2.96	रैयती भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
7	चैनपुर प्रखण्ड के विगू घाटी हरिनंमाद के अंतर्गत तहाले नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	पलामू	09-09-2018/अपूर्ण	3.65	3.21	रैयती भूमि/10	Not paid	शून्य	उच्च न्यायालय के निर्देश पर ₹ 1.42 लाख की क्षतिपूर्ति आकलित
8	चैनपुर प्रखण्ड में केचकी-अवसाने सड़क के बीच कोयल नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	पलामू	08-03-2021/अपूर्ण	8.85	2.32	वन भूमि/32	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
9	पांकी प्रखण्ड के अंतर्गत दान्दर-कला (कॉलेज के पीछे) और यादव टोला के बीच सोनेरे नदी पर पुल का निर्माण	पलामू	17-03-2019/अपूर्ण	3.74	1.42	रैयती भूमि/उ.न.	उ.न.	शून्य	पहुँच-पथ नहीं बने
			कुल	44.91	25.27				

परिशिष्ट- 2.1.2

(कंडिका 2.1.2.2 (ii)(स) में संदर्भित; पृष्ठ संख्या-9)

एक कि.मी. के दायरे में मु.मं.ग्रा.से.यो./ प्र.मं.ग्रा.स.यो./ प.नि.वि. पुल होने के बावजूद नए मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल का निर्माण

क्र. सं.	मु.मं.ग्रा.से.यो.								अन्य पुल			
	मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल का नाम	जिला	प्रखंड	नदी	पुल की लागत ₹ करोड़ में	शुरू हुआ	कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पुल की स्थिति (पुल का भाग)	पूर्व-स्थित पुल	दूरी (मीटर में)	लागत	पुल की स्थिति
1	धनबाद जिला में धनबाद प्रखण्ड के अंतर्गत मटकुरिया में श्री रघुनाथ सिंह के आवास और श्री रामपुकार रे के आवास के बीच दुर्गा मंदिर के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	नगरपालिका	नाला	1.13	जुलाई 2018	1.03	पूर्ण	प.नि.वि.	100	उ.न.	पूर्ण
2	धनुआडीह दुर्गापुर कुष्ट कॉलोनी के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	नगरपालिका		1.92	फरवरी 2017	1.9	पूर्ण	प.नि.वि.	180	उ.न.	पूर्ण
3	मरकच्यो प्रखंड के अन्तर्गत तेतरन (जयनगर) और कुशाना के बीच केशो नदी पर पुल का निर्माण	कोडरमा	मरकच्यो	केशो	4.83	अक्टूबर 2014	5.16	पूर्ण	दशरो में मु.मं.ग्रा.से.यो.	500	उ.न.	पूर्ण
									बेल्लारी में मु.मं.ग्रा.से.यो.	1000	उ.न.	पूर्ण
4	चंदवारा प्रखंड के कांको पंचायत के ग्राम छोटकी धमरी से ग्राम बलखलारा के बीच गौरी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	कोडरमा	चंदवारा	गौरी	3.52	फरवरी 2017	3.01	पूर्ण	प.नि.वि.	600	उ.न.	पूर्ण
5	पाकुड़ जिला के पाकुड़ प्रखंड में रामचंद्रपुर एवं तारानगर ग्राम के बीच काना नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पाकुड़	पाकुड़	काना	4.66	मई 2018	1.91	अपूर्ण	प्र.मं.ग्रा.स.यो.	600	उ.न.	पूर्ण
6	विद्यानगर-महावीरनगर गली, रोड न. 2 एवं हरमू कॉलोनी के बीच हरमू नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	रांची	नगरपालिका	हरमू	2.42	सितंबर 2013	1.96	पूर्ण	प.नि.वि.	180	उ.न.	पूर्ण
	कुल				18.48		14.97					

परिशिष्ट - 2.1.3
(कंडिका 2.1.2.2 (ii)(द) में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 11)

नगरपालिका क्षेत्र में मु.मं.ग्रा.से.यो. पुल का निर्माण

क्र.सं.	कार्य का नाम	जिला का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	स्थिति
1	धनबाद जिला में धनबाद प्रखण्ड के अंतर्गत मटकुरिया में श्री रघुनाथ सिंह के आवास और श्री रामपुकार रे के आवास के बीच दुर्गा मंदिर के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	1.13	पूर्ण
2	धनुआडीह दुर्गापुर कुष्ट कॉलोनी के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	1.88	पूर्ण
3	भूली प्रखंड में जोरया नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	1.19	पूर्ण
4	वाई 41 में लाल बँगला, श्मशानघाट के समीप जोरया नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	1.93	पूर्ण
5	मजना घाट में खरकाई नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	सरायकेला-खरसावाँ	4.47	पूर्ण
6	विद्यानगर-महावीरनगर गली, रोड न. 2 एवं हरमू कॉलोनी के बीच हरमू नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	रांची	2.75	पूर्ण
	कुल		13.35	

परिशिष्ट - 2.1.4

(कंडिका 2.1.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 39)

निष्पादनोपरांत रख-रखाव के अभाव में, नमूना-जाँचित प्रमंडलों में पाई गयी पुलों में हुई भौतिक क्षति

क्र. सं.	कार्य का नाम	जिला का नाम	पूर्ण होने की तिथि	भौतिक सत्यापन की तिथि	संयुक्त भौतिक सत्यापन दल की टिप्पणियाँ
1	सिसई में छरदा रोड पर कंस नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	31 मार्च 2016	19 नवंबर 2019	अधिसंरचना: बेयरिंग के गलत काम करने के कारण पुल के डेक स्लैब में प्रत्यक्ष झटका महसूस किया गया, क्षतिग्रस्त वेयरिंग कोट, वेयरिंग कोट के कंक्रीट खुले पाए गए, जंगला में दरारें, क्षतिग्रस्त पहुँच स्लैब
2	गुमला जिला के सिसई प्रखंड के अंतर्गत, मथानी-जलका में कंस एवं अदिया नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	14 अक्टूबर 2018	19 नवंबर 2019	पहुँच-पथ का हिस्सा: पहुँच-पथ के अलकतरित सतह में दरारें पायी गयीं तथा अलकतरित सतह धंसा हुआ पाया गया
3	गुमला जिला के सिसई प्रखंड में सहिजाना से घाघरा के बीच दक्षिण कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	27 जनवरी 2018	19 नवंबर 2019	कोई टिपण्णी नहीं
4	गुमला जिला के बसिया प्रखंड में जोलो और मुरकुंडा सड़क पर कोयल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	भौतिक रूप से पूर्ण (यातायात चलायमान)	19 नवंबर 2019	बालू उत्खनन: पुल स्थल के समीप बालू उत्खनन अंततः पुल की नींव में अतिसार का कारण बना पहुँच-पथ का हिस्सा: पहुँच-पथ का क्षतिग्रस्त फ्लैक बह गया था
5	गुमला जिला के सिसई प्रखंड के अंतर्गत, छरदा रोड एवं कारकरी रोड के बीच दोमुहाना में कारो नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	गुमला	भौतिक रूप से पूर्ण (यातायात चलायमान)	19 नवंबर 2019	पहुँच-पथ का हिस्सा: एक तरफ क्षतिग्रस्त तथा डब्ल्यूबीएम सतह खुला पाया गया
6	पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में चांदलमारा एवं घाट छोरा के बीच बसलोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पाकुड़	4 अक्टूबर 2017	23 जनवरी 2020	नींव: नींव में अतिसार के कारण, चार पायों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे, पुल स्थल के समीप बालू उत्खनन पाया गया
7	पाकुड़ जिला के महेशपुर प्रखंड में चांदलमारा एवं घाट छोरा के बीच बसलोई नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पाकुड़	15 जून 2015	23 जनवरी 2020	नींव: नींव में अतिसार के कारण, छः पायों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे, गार्ड-दीवार मिट्टी से ढंकी नहीं पायी गयी (स्खलन के कारण)
8	सरायकेला-खरसावाँ जिला के इचागढ़ प्रखंड में खोकरो-करकीडीह में स्वर्णरेखा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	सरायकेला-खरसावाँ	17 अगस्त 2016	07 जनवरी 2020	अधिसंरचना: विस्तार-जोड़ गायब था, रेलिंग में दरारें, फुटपाथ के तीन स्लैब क्षतिग्रस्त पाए गए, पहुँच-पथ का हिस्सा: ग्रेड III रोड में, डब्ल्यूबीएम की सतह बह गई और केवल मिट्टी-मुर्रम हिस्सा मौजूद था। पुल के आरंभ/ अंत में पहुँच-पथ के पास पहुँच स्लैब के किनारे बह गए थे
9	धनबाद जिला में धनबाद प्रखण्ड के अंतर्गत मटकुरिया में श्री रघुनाथ सिंह के आवास और श्री रामपुकार रे के आवास के बीच दुर्गा मंदिर के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	भौतिक रूप से पूर्ण (पुल पर कार खड़ी की गयी)	27 नवंबर 2019	नींव :पुल के नीचे कचरा जमा होने से नदी का प्रवाह बाधित हो जाता है जिससे पुल क्षतिग्रस्त हो सकता है

10	धनुआडीह दुर्गापुर कुष्ट कॉलोनी के समीप नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	25 अगस्त 2018	27 नवंबर 2019	कोई टिपण्णी नहीं
11	भूली प्रखंड में जोरया नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	31 मार्च 2018	04 दिसंबर 2019	कोई टिपण्णी नहीं
12	वार्ड 41 में लाल बँगला, श्मशानघाट के समीप जोरया नदी पर पुल का निर्माण	धनबाद	31 मार्च 2018	04 दिसंबर 2019	कोई टिपण्णी नहीं
13	मरकचो प्रखंड के अन्तर्गत तेतरन (जयनगर) और कुशाना के बीच केशो नदी पर पुल का निर्माण	कोडरमा	26 फरवरी 2018	28 फरवरी 2020	नींव : नींव में अतिसार के कारण छः पायों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे, पुल स्थल के आसपास रेत उत्खनन देखा गया था
14	सतगावां प्रखंड के अंतर्गत अंबाबाद पंचायत में पीडब्लूडी रोड से अंगरपथ पर चोटनार नदी पर पुल का निर्माण	कोडरमा	29 मई 2017	25 फरवरी 2020	पहुँच-पथ: दोनों तरफ डब्ल्यूबीएम की सतह क्षतिग्रस्त
15	सतगावां प्रखंड के बासोडीह एवं मरचोई में सकरी नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	कोडरमा	20 जुलाई 2010	25 फरवरी 2020	नींव: नींव में अतिसार के कारण, पाँच पियरों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे; अधिसंरचना: पी7-पी8 और पी8-पी9 के बीच डेक स्लैब झुका हुआ था
16	सतगावां प्रखंड के घोरसिमार एवं मोदीडीह पथ पर सकरी नदी पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण	कोडरमा	28 अक्टूबर 2016	25 फरवरी 2020	नींव: ग्रामीण द्वारा पुल के तीन स्पैन का अतिक्रमण किया गया था जिससे नदी के पानी के प्रवाह में बाधित हो रहा था; अधिसंरचना: विस्तार-जोड़ गायब था; पहुँच-पथ का हिस्सा: पहुँच-पथ के पास पहुँच स्लैब बह गया था
17	छतरपुर प्रखंड (गुरदी एवं खजुरी ग्राम) में छतरधारी नदी पर पुल का निर्माण	पलामू	14 जुलाई 2019	15 मार्च 2020	अधिसंरचना: दोनों तरफ के पहुँच स्लैब क्षतिग्रस्त, पहुँच-पथ का हिस्सा: पहुँच-पथ क्षतिग्रस्त
18	हरिहरगंज प्रखंड के खरकपुर में बतान नदी पर पुल का निर्माण का शेष कार्य	पलामू	10 अगस्त 2019	15 मार्च 2020	नींव: नींव में अतिसार के कारण, चार पियरों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे
19	पांकी प्रखंड में पांकी मुख्य सड़क से सरैया-मझिगाम से झालखनाडीह को जोड़ने वाली सड़क पर अमानत नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	पलामू	भौतिक रूप से पूर्ण (यातायात चलायमान)	15 मार्च 2020	नींव : नींव में अतिसार के कारण दो पायों के पाइल-कैप दिखाई दे रहे थे, पुल स्थल के आसपास रेत उत्खनन देखा गया था अधिसंरचना: विस्तार-जोड़ का आधा हिस्सा टूटा हुआ और गायब था, वीप-होल में गाद था, जिसके परिणामस्वरूप पुल में पानी जमा हो जाएगा, पहुँच-पथ का हिस्सा: दोनों तरफ पहुँच-पथ का किनारा बह गया था
20	सतबरबा प्रखंड के दुलसुमा ग्राम में दुलसुमा (चदेर सं. 2) से सतबरबा (डाल्टेनगंज) को जोड़ने वाली सड़क पर मलय नदी पर पुल का निर्माण	पलामू	28 जनवरी 2019	16 मार्च 2020	नींव: पुल के नीचे अतिक्रमण था, जिसके परिणामस्वरूप नदी के पानी के प्रवाह में बाधित होगा अधिसंरचना: वीप-होल में गाद था, जिसके परिणामस्वरूप पुल में पानी जमा हो जाएगा

परिशिष्ट-2.2.1

(कंडिका 2.2.3.1 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 49)

आरोपित व्यक्तियों के खाते में ₹ 15.84 करोड़ के हस्तांतरण की विस्तृत विवरणी

भुगतित	डीएलआई द्वारा पता लगाई गयी कपटपूर्ण भुगतान (₹लाख में)	लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाई गयी अतिरिक्त कपटपूर्ण भुगतान (₹लाख में)	कुल कपटपूर्ण भुगतान	संलिप्त बैंक खातों की संख्या	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
कैशियर और उसके रिश्तेदार (आठ व्यक्ति और कैशियर की पत्नी द्वारा संचालित एक एनजीओ- सेनवर्ड)	228.95	60.17	289.12	14	डीडब्ल्यूओ द्वारा कैशियर और उसके रिश्तेदारों को ₹ 60.17 लाख ⁸¹ का अतिरिक्त कपटपूर्ण भुगतान (अक्टूबर 2014 और मई 2017 के बीच) किया गया था। ये आरटीजीएस ⁸² /एनईएफटी ⁸³ भुगतान, चेक निकासी विवरण और बैंक वाउचर की जाँच के दौरान पाए गए थे और बैंक विवरण में दर्ज खाता संख्या कैशियर और उसके रिश्तेदारों के नाम पर पाई गई थी।
	225.41	शून्य	225.41	7 ⁸⁴	बैंक प्रबंधक द्वारा खाता संख्या में विसंगतियों के बारे में बताए जाने पर (मई 2017), यद्यपि कपटपूर्ण भुगतानों को डीडब्ल्यूओ, चतरा के बैंक खाते में वापस जमा कर दिया गया था, फिर भी डीडब्ल्यूओ ने उस प्रथा को जारी रखा, जिससे ₹ 6.01 करोड़ का और कपटपूर्ण भुगतान का मार्ग प्रशस्त हुआ, जैसा कि प्रतिवेदन की कंडिका 2.2.3.2 में विस्तृत है।
दो एनजीओ	253.04	172.04	425.08	5	₹ 1.72 करोड़ में से, ₹ 1.37 करोड़ का भुगतान एक एनजीओ (प्रयास) को किया गया, जिसे ₹ 2.53 करोड़ का भुगतान पहले हुआ था जैसा कि डीएलआईसी द्वारा पता लगाया गया था। इसके अलावा, एक अन्य एनजीओ (सपोर्ट) को ₹ 34.70 लाख का भुगतान किया गया।
तीन व्यक्तियों	98.34	57.59	155.93	8	
दो आपूर्तिकर्ता	40.00	शून्य	40.00	2	

⁸¹ ₹ 60.17 लाख में से ₹ 57.52 लाख 2016-18 की अवधि (अर्थात् डीएलआईसी के दायरे में) से संबंधित थे और शेष ₹ 2.65 लाख की राशि 2016-18 से पहले की थी।

⁸² रियल टाइम ग्राँस सेटलमेंट

⁸³ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर

⁸⁴ ₹ 2.25 करोड़ कैशियर और रिश्तेदारों के विरुद्ध 14 बैंक खातों में से, जिनमें से चार एकसमान थे, 11 खातों में स्थानांतरित किए गए, जैसा कि ऊपर बताया गया है

					₹ 57.59 लाख में से, ₹ 16.25 लाख का भुगतान दो व्यक्तियों (डीएलआईसी रिपोर्ट में नहीं) को किया गया और शेष ₹ 41.34 लाख एक व्यक्ति को दिया गया, जिसका पता डीएलआईसी ने भी लगाया था। आरटीजीएस/एनईएफटी भुगतानों, चेक निकासी विवरण, बैंक वाउचर आदि की गहन जाँच में इन भुगतानों का पता चला।
तीन अस्तित्वहीन संस्थान	88.20	163.71	251.91	2 ⁸⁵	डीएलआईसी ने दो फर्जी संस्थानों का पता लगाया, जिन्हें बैंक हस्तांतरण के माध्यम से ₹ 88.20 लाख का भुगतान किया गया था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीडब्ल्यूओ ने एक संस्थान के 346 छात्रों को ₹ 83.64 लाख का भुगतान किया था, जो अस्तित्व में भी नहीं था। इसके अलावा, डीडब्ल्यूओ ने दो अस्तित्वहीन संस्थानों के 234 छात्रों को ₹ 80.07 लाख का भुगतान किया था, जिसे डीएलआईसी द्वारा पहले ही पता लगा लिया गया था।
आवासीय विद्यालय के शिक्षक (छः)	शून्य	183.76	183.76	9	डीडब्ल्यूओ ने छः शिक्षकों के व्यक्तिगत खातों में ₹ 1.84 करोड़ हस्तांतरित (अप्रैल 2013 से फरवरी 2018) किया, परन्तु लेखापरीक्षा को भुगतान का उद्देश्य नहीं बताया गया, यद्यपि जनवरी 2019 में पूछे गये थे। उसी प्रकार, ₹ 12.32 लाख का भुगतान (दिसंबर 2015) एक कार्यपालक दंडाधिकारी को एक बेयरर चेक के माध्यम से किया गया, परन्तु लेखापरीक्षा को भुगतान का उद्देश्य नहीं बताया गया, यद्यपि जनवरी 2019 में पूछे गये थे।
कार्यपालक दंडाधिकारी (एक)	0	12.32	12.32	0	
कुल (26)	933.94	649.59	1583.53	47	

⁸⁵ चतरा तकनीकी संस्थान और अनन्या इंफोटेक के खाते, जिसमें ₹ 88.20 लाख का भुगतान किया गया था

परिशिष्ट-2.2.2

(कंडिका 2.2.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 50)

जून 2017 और मई 2018 के बीच डीडब्ल्यूओ, चतरा के बैंक खातों से आरोपियों के खातों में हस्तांतरित राशि को दिखाता विवरण

क्र.सं.	आरोपियों के नाम	राशि (₹ में)	टिप्पणियाँ
1	सेनवर्ड	16557267	एनजीओ
2	आशीष कुमार	5695000	कैशियर का दामाद
3	चन्दा प्रसाद	750820	कैशियर की पुत्री
4	इन्द्रदेव प्रसाद	1445993	कैशियर
5	पृथ्वी प्रसाद	550253	कैशियर का पुत्र
6	रूपा देवी	1775000	कैशियर की पुत्री
7	अनन्या इंफोटेक	5400000	अस्तित्वहीन संस्थान
8	चतरा तकनीकी संस्थान	3420000	अस्तित्वहीन संस्थान
9	मिथिलेश मिश्रा	9605000	सेवानिवृत्त प्रखंड कल्याण पदाधिकारी
10	प्रयास	7689393	एनजीओ
11	सूरज अग्रवाल	2200000	व्यक्ति
12	विराट टेलीकॉम	1800000	आपूर्तिकर्ता
13	सुभाष कुमार	875000	व्यक्ति
14	सपोर्ट	2281856	एनजीओ
	कुल	60045582	

परिशिष्ट-2.2.3

(कंडिका 2.2.3.3 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 51)

जून 2018 और जनवरी 2019 के बीच आरोपियों द्वारा उनके बैंक खातों से निकाली गई राशि को दिखाता विवरण

क्र.सं.	खाताधारियों के नाम (सु/श्री)	बैंक का नाम	खाता संख्या	निकाली गई राशि (₹ लाख में)
<i>डीडीसी ने जिन खातों के लिए बैंकों से परिचालन निलंबित करने का अनुरोध नहीं किया था</i>				
1	सुनीता देवी	भा.स्टे.बैं., झुमरा	11767371529	6199
2	मिथिलेश मिश्रा	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, चतरा	645602010001968	3000
	उप-योग			9199
<i>डीडीसी के अनुरोध के बावजूद बैंकों द्वारा जिन खातों का संचालन निलंबित नहीं किया गया</i>				
1	अनन्या इंफोटेक	यूको बैंक, बरही	27610210000342	1016500
2	आशीष कुमार	यूको बैंक, बरही	27610210000595	2946032
3	चन्दा प्रसाद	आइसीआइसीआइ बैंक, मटवारी, हजारीबाग	246001000237	384800
4	चन्दा प्रसाद	भा.स्टे.बैं., झुमरा	32623847113	194500
5	इन्द्रदेव प्रसाद	पीएनबी, चतरा	6118001700000022	390000
6	इन्द्रदेव प्रसाद	बैंक ऑफ बडौदा, चतरा	29230100020105	4000
7	पृथ्वी प्रसाद	भा.स्टे.बैं., दारु	34361815400	10772
8	रूपा देवी	यूको बैंक, बरही	27610110002704	950000
	उप-योग			5896604
	कुल योग			5905803

परिशिष्ट-2.2.4

(कंडिका 2.2.3.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 51)

जुलाई 2019 से फरवरी 2020 के बीच आरोपियों द्वारा उनके बैंक खातों से निकाली गई राशि को दिखाता विवरण

क्र.सं.	खाताधारियों के नाम (सु/श्री)	बैंक का नाम	खाता संख्या	निकालने की तिथि	निकाली गई राशि (₹ में)
1.	सुनीता देवी	पीएनबी, चतरा	6118001700001687	30.12.2019	5.00
				27.01.2020	4.00
				10.02.2020	2.00
2.	तारा प्रसाद	पीएनबी, चतरा	6118000100018114	09.07.2019	16.08
				09.07.2019	16.54
				कुल	43.62

परिशिष्ट-2.2.5

(कड़िका 2.2.3.5 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 52)

फर्मों, संस्थानों, एनजीओ आदि द्वारा, जिन्होंने डीडब्ल्यूओ, चतरा से भुगतान प्राप्त किया था, कैशियर और उसके रिश्तेदारों के बैंक खातों में हस्तांतरित राशि को दिखाता विवरण

क्र.सं.	डीडब्ल्यूओ का बैंक खाता संख्या	डीडब्ल्यूओ खातों में डेबिट की तिथि	चेक संख्या	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ताओं का नाम	प्राप्तकर्ताओं का खाता संख्या	हस्तांतरण की तिथि	चेक संख्या	राशि	हस्तांतरण करने वाले का नाम	कैशियर से संबंध
1.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	12-02-2016	916888	537407	प्रयास	भा.स्टे.बैं. 31021405403	19-09-2017	468883	750000	तारा प्रसाद	पुत्री
2.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	03-03-2016	916910	1001852	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	07-08-2017	468879	750000	सुनीता देवी	पत्नी
3.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	31-05-2017	490318	1538500	-वही-	कैनरा बैंक 1421101022721	23-02-2018	135976	200000	चन्दा प्रसाद	पुत्री
4.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	03-06-2017	490314	1336526	-वही-	कैनरा बैंक 1421101019296	11-04-2018	135994	100000	-वही-	पुत्री
5.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	17-01-2018	645479	207100	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	02-01-2018	135951	300000	-वही-	पुत्री
6.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	17-01-2018	645480	389767	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	15-06-2017	468872	475000	-वही-	पुत्री
7.	भा.स्टे.बैं. 11475683653	01-05-2018	490366	350000	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	13-06-2017	468871	600000	-वही-	पुत्री
8.	झारखण्ड ग्रामीण बैंक(झाग्रबैं) 302210100001145	15-09-2017	764144	1800000	-वही-	कैनरा बैंक 1421101019296	07-06-2017	296535	750000	-वही-	पुत्री
9.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	29-07-2017	807203	1806000	-वही-	कैनरा बैंक 1421101019296	19-09-2017	468882	750000	-वही-	पुत्री
10.	यूबीआई 645020100000949	15-09-2017	2017921	1800000	-वही-	कैनरा बैंक 1421101019296	02-11-2017	468886	750000	-वही-	पुत्री
11.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	27-06-2017	807158	550795	मिथिलेश मिश्रा	बैंक ऑफ इंडिया 490010100015193	28-06-2017	58840	750000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
12.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	11-07-2017	807174	560000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6456020100001968	09-08-2017	2017327	500000	चन्दा प्रसाद	पुत्री
13.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	25-07-2017	807205	500000	-वही-	आइसीआईसीआई 3888401000332	05-06-2017	478	300000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
14.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	26-07-2017	807204	500000	-वही-	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया 0294010095281	31-07-2017	874832	440000	-वही-	स्वयं

क्र.सं.	डीडब्ल्यूओ का बैंक खाता संख्या	डीडब्ल्यूओ खातों में डेबिट की तिथि	चेक संख्या	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ताओं का नाम	प्राप्तकर्ताओं का खाता संख्या	हस्तांतरण की तिथि	चेक संख्या	राशि	हस्तांतरण करने वाले का नाम	कैशियर से संबंध
15.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	09-08-2017	807212	550000	-वही-	आइसीआइसीआइ 3888401000332	09-08-2017	298	500000	चन्दा प्रसाद	पुत्री
16.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	29-06-2017	807180	825000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6456020100001968	13-07-2017	2016120	500000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
17.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	30-06-2017	807181	675000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6456020100001968	26-05-2017	91100167	1600470	-वही-	स्वयं
18	भा.स्टे.बैं. 11475685163	04-08-2017	807211	550000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6456020100001968	03-07-2017	2016104	575000	-वही-	स्वयं
19.	यूबीआइ 645020100000949	29-08-2017	2008137	880000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6456020100001968	03-07-2017	2016102	825000	-वही-	स्वयं
20.	झाग्राबें 302210100001145	23-05-2017	764138	325732	-वही-	झारखण्ड ग्रामीण बैंक 300910100003499	31-05-2017	772777	330000	-वही-	स्वयं
21.	यूबीआइ 645020100000949	24-05-2017	2008141	906000	-वही-	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6456020100001968	13-09-2017	2017340	442000	-वही-	स्वयं
22.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	10-07-2017	807179	850000	सूरज अग्रवाल	भा.स्टे.बैं. 31787214235	13-07-2017	238549	800000	-वही-	स्वयं
23.	भा.स्टे.बैं. 11475685163	10-07-2017	807187	670000	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31787214235	13-07-2017	238548	900000	-वही-	स्वयं
24	भा.स्टे.बैं. 11475685163	29-07-2017	807209	1800000	अनन्या इंफोटेक	यूको बैंक 276102100000342	05-09-2017	701304	725000	-वही-	स्वयं
25.	झाग्राबें 302210100001145	31-08-2017	764141	1800000	-वही-	यूको बैंक 276102100000342	31-07-2017	701303	1530000	-वही-	स्वयं
26.	यूबीआइ 645020100000949	04-09-2017	2008134	1800000	-वही-	यूको बैंक 276102100000342	03-01-2018	701313	500000	आशीष कुमार	दामाद
27.	यूबीआइ 645020100000949	15-09-2017	2017924	1365000	चतरा तकनीकी संस्थान	बैंक ऑफ इंडिया 481420110000073	19-01-2018	86131	250000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
28.	झाग्राबें 302210100001145	15-09-2017	764145	1265000	-वही-	बैंक ऑफ इंडिया 481420110000073	27-09-2017	86120	1000000	सूरज अग्रवाल	पुत्र
29.	झाग्राबें 302210100001145	15-09-2017	764145	1265000	-वही-	बैंक ऑफ इंडिया 481420110000073	15-09-2017	आरटीजीएस	750000	पृथ्वी प्रसाद	पुत्र

क्र.सं.	डीडब्ल्यूओ का बैंक खाता संख्या	डीडब्ल्यूओ खातों में डेबिट की तिथि	चेक संख्या	राशि	भुगतान प्राप्तकर्ताओं का नाम	प्राप्तकर्ताओं का खाता संख्या	हस्तांतरण की तिथि	चेक संख्या	राशि	हस्तांतरण करने वाले का नाम	कैशियर से संबंध
30	भा.स्टे.बैं. 11475683653	26-05-2017	233968	750000	बाबूलाल	बीओआइ, शाखा कोड: 5965, हजारीबाग	20-06-2017	9953	725000	-वही-	पुत्र
31	भा.स्टे.बैं. 11475685163	27-06-2017	807161	548900	मिथिलेश मिश्रा	बीओआइ मिथिलेश मिश्रा	28-06-2017	58843	700000	इन्द्रदेव प्रसाद	
32	भा.स्टे.बैं. 11475685163	09-08-2017	807218	575000	-वही-	बीओआइ चतरा द्वारा स्वीकृत	17-08-2017	58849	92000	तारा प्रसाद	पुत्री
33	भा.स्टे.बैं. 11475685163	09-08-2017	807218	575000	-वही-	बीओआइ चतरा द्वारा स्वीकृत	20-05-2017	58828	250000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
34	भा.स्टे.बैं. 11475683653	19-07-2017	233990	500000	-वही-	आइसीआइसीआइ 3888401000332	27-07-2017	296	460000	इन्द्रदेव प्रसाद	स्वयं
35	भा.स्टे.बैं. 11475683653	08-03-2017	234109	250000	-वही-	भा.स्टे.बैं. 11475787368	08-03-2017	607200	250000	खाता सं. 11475767352	संबंधी
36	भा.स्टे.बैं. 11475683653	09-11-2015	916860	230265	प्रयास	कैनरा बैंक, हजारीबाग 1421101022721	13-06-2017	468910	750000	पी. प्रसाद	पुत्र
37	भा.स्टे.बैं. 11475683653	30-09-2015	916843	369735	-वही-	कैनरा बैंक, हजारीबाग	19-06-2017	468911	675000	पी. प्रसाद	पुत्र
38	भा.स्टे.बैं. 11475683653	31-03-2014	149646	257000	-वही-	कैनरा बैंक, हजारीबाग	888773	18-01-17	115000	सुनीता देवी	पत्नी
39	भा.स्टे.बैं. 11475683653	10-05-2013	149943	746084	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	03-01-2017	348642	200000	-वही-	पत्नी
40	भा.स्टे.बैं. 11475683653	26-03-2015	786902	1727736	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	09-06-2017	296534	950000	-वही-	पत्नी
41	भा.स्टे.बैं. 11475683653	26-03-2015	786903	799818	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	07-08-2017	296572	750000	तारा प्रसाद	पुत्री
42	भा.स्टे.बैं. 11475683653	26-03-2015	786904	520400	-वही-	भा.स्टे.बैं. 31021405403	27-02-2018	135978	200000	चन्दा प्रसाद	पुत्री
43	भा.स्टे.बैं. 11475685163	23-08-2017	807229	875000	सुभाष कुमार	भा.स्टे.बैं. 30182298899	24-08-2017	359605	625059	-वही-	पुत्री
44	भा.स्टे.बैं. 11475683653	28-03-2018	645493	2200000	सपोर्ट, हजारीबाग	यूनाईटेड बैंक, डीवीसी, हजारीबाग	03-04-2018	481509	100000	-वही-	पुत्री
								कुल	25484529		

परिशिष्टियाँ (भाग स)

परिशिष्ट- 1.1.1

(कंडिका 1.2.8 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 137)

ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयू के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार, वित्तीय परिणाम का सारांशित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के नाम एवं क्रियाकलाप	लेखाओं की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/ हानि	ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/ हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य [1]	संचयित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ	उत्पादन								
1	तेनुघाट विद्युत् निगम लिमिटेड	2014-15	194.8	92.57	692.24	105	-65.13	-1013.63	-1118.63
2	झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड	2016-17	-1.28	-1.28	12.44	40.03	20.37	20.4	-19.63
	उप-योग		193.52	91.29	704.68	145.03	-44.76	-993.23	-1138.26
ब	संचरण								
3	झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	2017-18	24.67	-358.27	218.65	972.96	4010.36	396.98	-575.98
	उप-योग			24.67	-358.27	218.65	972.96	4010.36	396.98
क	अन्य								
4	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	2017-18	0	-3.58	0	0.05	27.72	-19.47	-1.3
5	झारबिहार कोलियरी लिमिटेड	2016-17	-3.43	-3.43	0	1	1.02	-2.89	-1.3
6	पतरातू ऊर्जा लिमिटेड	2017-18	-0.01	-0.55	0	0.05	23.79	-7.47	-7.52
7	झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2013-14	-0.29	-0.29	0	8.4	4135.61	6.1	-2.3
8	झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	-167.38	-212.17	3199.39	3108.93	13061.832	-1918.33	-4036.15
	उप-योग		-171.11	-220.02	3199.39	3118.43	17249.97	-1942.06	-4048.57
	कुल-योग		47.08	-487	4122.72	4236.42	21215.57	-2538.31	-5762.81
[1] निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी और मुक्त-संचय एवं अधिशेष का कुल योग है घटाव संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय									

परिशिष्ट-1.1.2

(कड़िका 1.3.4 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 147)

31 मार्च 2019 तक राज्य पीएसयू (गैर-ऊर्जा क्षेत्र) के संबंध में अंश-पूँजी तथा बकाया ऋण की स्थिति दिखाता विवरण

क्र.सं.	प्रक्षेत्र एवं पीएसयू का नाम	विभाग का नाम	निगमित होने का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर अंश-पूँजी [1]				वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर बकाया दीर्घकालीन ऋण			
				झा.स.[2]	भा.स.[3]	अन्य	कुल	झा.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
अ	सामाजिक प्रक्षेत्र										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनी										
1	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र उद्वाहक सिंचाई निगम लिमिटेड	जल संसाधन	22.03.2002	5.00			5.00	5.25			5.25
2	झारखण्ड राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम लिमिटेड	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण	22.03.2002	1.01			1.01	0.00			0.00
3	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी)	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	27.03.2002	0.55			0.55				0.00
4	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी)	खान एवं भू-गर्भ शास्त्र	07.05.2002	2.00			2.00				0.00
5	राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल)	उत्पाद	26.11.2010	2.00			2.00				0.00
6	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	18.06.2010	5.00			5.00	43.96			43.96
7	झारखण्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संरचना विकास एवं खरीद निगम लिमिटेड	स्वास्थ्य, चिकित्सीय शिक्षा एवं परिवार कल्याण	24.05.2013	5.00			5.00				0.00

8	झारखण्ड रेल संरचना विकास लिमिटेड	उद्योग	06.07.2018	4.08		3.92	8.00				0.00
9	झारखण्ड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड	कृषि	20.01.2016	2.00			2.00				0.00
	कुल अ-I			26.64	0.00	3.92	30.56	49.21	0.00	0.00	49.21
	II. अकार्यरत सरकारी कंपनी										
	कुल अ-II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल अ (I+II)			26.64	0.00	3.92	30.56	49.21	0.00	0.00	49.21
ब	प्रतियोगी प्रक्षेत्र										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनी										
10	झारखण्ड संचार नेटवर्क लिमिटेड	सूचना तकनीक एवं इ-गवर्नेंस	28.01.2017	0.00			0.00				0.00
11	झारखण्ड चलचित्र विकास निगम लिमिटेड	सूचना तकनीक एवं इ-गवर्नेंस	07.09.2016	0.00			0.00				0.00
12	झारखण्ड शहरी संरचना विकास कंपनी लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	19.11.2013	45.00			45.00				0.00
13	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर लिमिटेड	उद्योग	17.12.2016			27.83	27.83				
14	झारखण्ड राज्य उद्योग संरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	15.12.2004	15.00			15.00				0.00
15	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	05.12.2015	2.00			2.00				0.00
16	वृहत राँची विकास एजेंसी	शहरी विकास एवं आवास	10.01.2003	164.14			164.14				0.00
17	अटल बिहारी बाजपेयी नवोन्मेष प्रयोगशाला	उद्योग	26.12.2018	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	झारखण्ड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड	उद्योग	27.09.2016	0.00		0.01	0.01			0.18	0.18
19	झारखण्ड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	20.09.2016	45.00			45.00				0.00

20	झारखण्ड सिल्क वस्त्र एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	23.08.2006	10.00			10.00				0.00
21	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा मामले	22.03.2002	9.50			9.50				0.00
	कुल ब-I			290.64	0.00	27.84	318.48	0.00	0.00	0.18	0.18
II. अकार्यरत सरकारी कंपनी											
	कुल ब-II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल ब (I+II)			290.64	0.00	27.84	318.48	0.00	0.00	0.18	0.18
स	अन्य प्रक्षेत्र										
I. कार्यरत सरकारी कंपनी											
22	राँची स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	परिवहन	30.09.2016	13.00			13.00				
23	झारखण्ड पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड (जेपीएचसीएल)	गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन	13.03.2002	2.00			2.00				0.00
	कुल स-I			15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल स-II			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल स (I+II)			15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				332.28	0.00	31.76	364.04	49.21	0.00	0.18	49.39

परिशिष्ट-2.1.1

(कंडिका 2.1.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 165)

झापनी की शुरुआत के बाद निर्मित सम्पत्ति की सूची और जेटीडीसी को हस्तांतरित विवरण

क्र.सं.	परिसंपत्तियों के नाम	जिला	निर्माण वर्ष	हस्तांतरण परिपत्र संख्या एवं तिथि	प्रबंधन का तरीका
1.	20 कमरों का पर्यटक परिसर, नेतरहाट	लातेहार	2016	123/07.08.2017	स्व-संचालित
2.	स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स, मैथन	धनबाद	लागू नहीं	115/25.07.2017	निष्क्रिय
3.	पर्यटक परिसर (I एवं II), अजय बराज, सिकटिया	देवघर	2017	96/04.07.2017	निष्क्रिय
4.	मार्गीय सुविधा केंद्र, NH 33 पर चांडिल और काली मन्दिर के बीच, दलमा अभ्यारण के समीप	सरायकेला-खरसावाँ	2017	82/08.06.2017	निष्क्रिय
5.	मार्गीय सुविधा केंद्र, हमसदा	सरायकेला-खरसावाँ	2017	82/08.06.2017	निष्क्रिय
6.	मार्गीय सुविधा केंद्र, धालभूमगढ़, बहरागोड़ा	पूर्वी सिंहभूम	2017	82/08.06.2017	निष्क्रिय
7.	कम्यूनिटी सेंटर बिल्डिंग, पर्यटक सुविधा परिसर, किचेन शेड, ढोरीमाता मरियम, फुसरो	बोकारो	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
8.	बहुद्देशीय भवन, योगिनी स्थान	गोड्डा	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
9.	बहुद्देशीय भवन, शिवपुर रत्नेश्वर धाम	गोड्डा	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
10.	बहुद्देशीय भवन, धमशा मंदिर	गोड्डा	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
11.	बहुद्देशीय भवन, बुढ़ई मंदिर मधुपुर	देवघर	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
12.	बहुद्देशीय भवन, पथरोल मंदिर, मधुपुर	देवघर	2016	68/28.10.2015	निष्क्रिय
13.	बहुद्देशीय भवन, हरिहर धाम	गिरिडीह	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
14.	बहुद्देशीय भवन-सह- अतिथि गृह, पुनासी	देवघर	2018	100/29.10.2018	निष्क्रिय
15.	विवाह मंडप-सह-अतिथि गृह, चौगाना धाम, छतरपुर	पलामू	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
16.	रेस्टोरेंट-सह-हाल, पालकोट	गुमला	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
17.	पर्यटक सुविधा केंद्र, राजमहल	साहेबगंज	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
18.	प्रकाश एवं ध्वनि शो, कांके	राँची	2015	68/28.10.2015	स्व-संचालित
19.	चिल्ड्रेन प्ले जॉन-सह-कियोस्क, सीतारामपुर डैम के पास	सरायकेला-खरसावाँ	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
20.	बाल उद्यान, कुदरसई	सरायकेला-खरसावाँ	2015	68/28.10.2015	निष्क्रिय
21.	बाल उद्यान, सिदगोड़ा	पूर्वी सिंहभूम	लागू नहीं	68/28.10.2015	निष्क्रिय
22.	पर्यटक सुविधा परिसर, त्रिकुट पहाड़ के समीप	देवघर	2016	13/21.01.2017	स्व-संचालित

परिशिष्ट-2.1.2

(कंडिका 2.1.3.2 में संदर्भित; पृष्ठ संख्या 169)

असंचालित/ आंशिक संचालित परिसंपत्तियों का विवरण

क्र. सं.	परिसंपत्तियों के नाम	निर्माण वर्ष/निर्माण लागत	जे.टी.डी .सी. को हस्तांतरण की तिथि	लेखापरीक्षा अवलोकन	टिप्पणी (जेटीडीसी द्वारा जून 2020 में दिया गया जवाब)
1.	पर्यटक परिसर, अजय बराज सिकटिया, सारठ, देवघर (फेज- 1 एवं फेज -2)	2017/ ₹ 296.00 लाख	04.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> दो पर्यटक परिसर का निर्माण बिना किसी पर्यटक प्रवाह अध्ययन के एक ही स्थान पर किया गया था। यह स्थान राज्य सरकार द्वारा स्थानीय महत्व के रूप में अधिसूचित है। भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यटक परिसर का स्थान दूरस्थ था और बहुत कम आबादी थी। निविदा के बावजूद दोनों परिसंपत्तियां असंचालित रहीं और इन पर्यटक परिसरों पर ₹ 2.96 करोड़ का खर्च अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि परिसंपत्तियों को आउटसोर्स (दिसंबर 2019) में कर दिया गया था तथा इकरारनामा प्रक्रियाधीन है। जेटीडीसी एक ही स्थान पर दो परिसंपत्तियों के निर्माण पर कोई जवाब नहीं दिया। वास्तविकता यह है कि इसके हस्तांतरण के बाद से ही परिसंपत्ति असंचालित है।
2.	पर्यटक परिसर, हुन्डरू, रांची	2012/₹10.00 लाख	23.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> डेवलपर द्वारा परिसंपत्तियों का उन्नयन कार्य नहीं किया गया था और इसलिए इकरारनामा (नवंबर 2018) को समाप्त कर दिया गया था। परिसंपत्ति का पुनः निविदा (फरवरी 2019) में की गई थी, लेकिन कोई भी डेवलपर सफल नहीं हो सका। पर्यटक परिसर कम आबादी वाले जंगल में स्थित है जहाँ पर एकमात्र आकर्षण एक झरना है। इस प्रकार, पर्यटकों का रात्रि विश्राम में रुचि नहीं थी। परिणामस्वरूप, पर्यटक परिसर में दिसंबर 2019 तक कोई भी पर्यटक नहीं रहा और यह असंचालित रहा, जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपये का खर्च अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स कर दिया गया है (जिसका एल.ओ.ए. दिसंबर 2019 में जारी किया गया) और इकरारनामा प्रक्रियाधीन है। वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति असंचालित है।
3.	पर्यटक परिसर, मैथन, धनबाद	लागू नहीं/लागू नहीं	25.07.2017	<ul style="list-style-type: none"> जेटीडीसी द्वारा निविदा (अगस्त 2019) आमंत्रित की गई थी। एल.ओ.ए. (दिसंबर 2019) जारी किया गया था किन्तु इकरारनामा (मई 2020) नहीं किया गया और परिसंपत्ति असंचालित है। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स कर दिया गया है और इकरारनामा प्रक्रियाधीन है। वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।
4.	पर्यटक परिसर, हेसाडीह, पश्चिम सिंहभूम	2015/₹148.48 लाख	23.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> निविदा (मार्च 2016) आमंत्रित की गई और एल.ओ.ए. (जून 2016) जारी किया गया किन्तु निविदाकार अनुस्मारक (अगस्त 2016 और अगस्त 2017) जारी करने के बावजूद भी नहीं आया। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि पर्यटक परिसर एक दूरस्थ, कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है और इस परिसंपत्ति को डी.टी.पी.सी. को हस्तांतरित करने के लिए विभाग से अनुरोध किया गया है।

				<ul style="list-style-type: none"> परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹148.48 लाख का व्यय व्यर्थ हुआ। 	
5.	पर्यटक परिसर, रामरेखा धाम, सिमडेगा	2009/₹22.00 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> यद्यपि निविदाएं आमंत्रित (मार्च 2016 और दिसंबर 2016) की गईं पर कोई निविदाकार ने भाग नहीं लिया। टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का फैसला किया, लेकिन बाद में कोई निविदा जारी नहीं की गई और परिसंपत्ति अपरिचालन में रही, जिसके परिणामस्वरूप 22 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।
6.	पर्यटक परिसर, गोदरमाना, गढ़वा	2004/₹59.00 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई, केवल एक निविदाकार ने निविदा डाला और टी.ई.सी. ने फिर से निविदा मंगाने का फैसला किया, पुनः निविदा दिसम्बर 2016 में हुई परंतु कोई निविदाकार नहीं आया। इसके बाद कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई। परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप 59 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा। 	
7.	पर्यटक परिसर, बारीडीह, जमशेदपुर	2010/ ₹ 30.55 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई जिसमें केवल एक निविदाकार तकनीकी रूप से योग्य पाया गया। पुनः निविदा दिसंबर 2016 में हुई परन्तु इकरारनामा सफल डेवलपर के साथ नहीं हो सका जिसका अभिलेखों में कोई कारण नहीं दर्शाया गया। जेटीडीसी ने सूचित किया कि यह परिसंपत्ति असंचालित है। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्यटक परिसर का उपयोग जेटीडीसी के संज्ञान के बिना वैवाहिक कार्यक्रम के लिए किया जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020) ने कहा कि जेटीडीसी ने परिसंपत्ति का दखल नहीं लिया और जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया कि परिसंपत्ति के संचालन की स्थिति तथा राजस्व प्राप्ति की स्थिति बताया जाए। वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति का संचालन जेटीडीसी के द्वारा नहीं किया जा सका।
8.	होटल अरण्य विहार, हजारीबाग	लागू नहीं/लागू नहीं	21.06.2004	<ul style="list-style-type: none"> अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण इकरारनामा समाप्त (जनवरी, 2017) किया गया। परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए निविदा (दिसम्बर 2018) आमंत्रित किया गया किन्तु कोई भी निविदाकार नहीं आया। पुनः निविदा (फरवरी 2019) किया गया जिसमें जून, 2019 में निविदाकार को चयनित किया गया। यद्यपि परिसंपत्ति को आउटसोर्स किया गया किन्तु संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) में यह पाया गया कि परिसंपत्ति असंचालित और जर्जर स्थिति में थी। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई, 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) में बताया कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स कर प्रभार (जनवरी, 2020) में दिया गया है, परिसंपत्ति का उन्नयन डेवलपर के द्वारा किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।
9.	होटल शीतल विहार, बरही, हजारीबाग	लागू नहीं/लागू नहीं	21.06.2004	<ul style="list-style-type: none"> डेवलपर ने इसे आगे चलाने में असमर्थता जाहिर करने के कारण जेटीडीसी ने इसका प्रभार (फरवरी 2015) में लिया। जेटीडीसी ने निविदा (दिसम्बर 2016 और दिसम्बर 2017) आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी निविदाकार नहीं आया। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई, 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) में बताया कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स कर प्रभार (दिसम्बर 2019) में दिया गया है, परिसंपत्ति का उन्नयन डेवलपर के द्वारा किया जा रहा है।

				<ul style="list-style-type: none"> दिसम्बर, 2018 के निविदा में निविदाकार का चयन (फरवरी 2019) किया गया और आउटसोर्स (अगस्त 2019) हुआ। लेकिन, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी, 2020) में पाया गया कि यह परिसंपत्ति असंचालित था। 	<ul style="list-style-type: none"> वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।
10.	मार्गीय सुविधा केंद्र चांडिल, सरायकेला-खरसावाँ	2017/₹124.40 लाख	08.06.2017	<ul style="list-style-type: none"> निविदा दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 में आमंत्रित किया गया परंतु कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। परिसंपत्ति असंचालित रहा और ₹ 124.40 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। 	
11.	मार्गीय सुविधा केंद्र, हमसदा, सरायकेला-खरसावाँ	2017/₹206.67 लाख	08.06.2017	<ul style="list-style-type: none"> दिसम्बर 2018 में निविदा आमंत्रित किया गया किन्तु कोई बोली प्राप्त नहीं हुई। पुनः निविदा फरवरी 2019 में आमंत्रित की गई जिसमें केवल एक निविदा प्राप्त हुई और टी.ई.सी ने पुनः निविदा करने का निर्णय लिया। इसके बाद कोई निविदा नहीं आमंत्रित की गयी। परिसंपत्ति असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 206.67 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ। 	
12.	मार्गीय सुविधा केंद्र, महेशपुर, पाकुड़	2015/₹120.00 लाख	25.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई जिसमें एक निविदा प्राप्त हुई। पुनः निविदा दिसम्बर 2016 में हुई जिसमें दो निविदा प्राप्त हुई किन्तु दोनों तकनीकी रूप से योग्य नहीं थे। टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। परन्तु, इसके बाद परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई। जेटीडीसी ने परिसंपत्ति को डी.टी.पी.सी. को हस्तांतरित करने का निवेदन विभाग से (जून 2019) किया। विभाग की कार्रवाई प्रतीक्षित है। परिसंपत्ति असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 120 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग(जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। वास्तविकता यह है कि जेटीडीसी को इनके स्थानांतरण के समय से यह परिसंपत्ति असंचालित रहा।
13.	मार्गीय सुविधा केंद्र, माझा टोली, गुमला	2015/₹172.93 लाख	25.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई जिसमें केवल एक निविदाकार तकनीकी रूप से योग्य था। पुनः निविदा दिसम्बर 2016 में हुई परन्तु सफल निविदाकार के साथ इकरारनामा नहीं हो सका, जिसका अभिलेखों में कोई कारण नहीं दर्शाया गया। डी.टी.पी.सी. को परिसंपत्ति हस्तांतरण करने हेतु जेटीडीसी के अनुरोध (जून 2019) पर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। परिसंपत्ति (मई 2020 तक) असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 172.93 लाख रुपये का अलाभकारी व्यय हुआ। 	
14.	मार्गीय सुविधा केंद्र, तमाड़, राँची	2011/₹36.95 लाख	23.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> परिसंपत्ति आउटसोर्स(जुलाई 2015) किया गया। लेकिन, डेवलपर इसे बिजली और पानी के सुविधा की कमी के कारण विकसित करने में असमर्थता (जुलाई 2015) जाहिर किया। इकरारनामा जेटीडीसी के द्वारा समाप्त (अगस्त 2017) किया गया। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग(जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि अनुज्ञप्तिधारक के द्वारा पी.आई.पी. जमा नहीं करने के कारण परिसंपत्ति का संचालन नहीं किया जा सका। वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही।

				<ul style="list-style-type: none"> जेटीडीसी ने निविदा (दिसम्बर 2018) आमंत्रित किया और डेवलपर के साथ इकरारनामा (जुलाई 2019) किया तथा परिसंपत्ति के उन्नयन हेतु उसे पी.आई.पी. जमा करने के लिए प्रयासरत है। परिसंपत्ति के हस्तांतरण के आठ वर्ष बीत जाने के बाद भी असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 36.95 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा। 	
15.	मार्गीय सुविधा केंद्र, धालभूमगढ़, पूर्वी सिंहभूम	2017/₹235.26 लाख	08.06.2017	<ul style="list-style-type: none"> निविदाएँ दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 में आमंत्रित की गयी किन्तु कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई। संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि वहाँ कोई बिजली आपूर्ति, चहरदीवारी और पहुँच पथ नहीं होने के कारण डेवलपर ने रुचि नहीं दिखाई, यद्यपि भवन अच्छी स्थिति में था। सरकार/ जेटीडीसी साईन बोर्ड/ प्रतीक चिह्न नहीं था। परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप 235.26 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग(जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि इस परिसंपत्ति को दिसम्बर 2019 में यथास्थिति के आधार पर आउटसोर्स किया गया, जिसे पट्टाधारी द्वारा उन्नयन किया जायेगा। वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति जेटीडीसी के इसके हस्तांतरण के समय से असंचालित रही।
16.	मार्गीय सुविधा केंद्र, कान्द्रा, सरायकेला-खरसावाँ	2011/₹100.00 लाख	23.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> परिसंपत्ति आउटसोर्स (अगस्त 2013) किया गया, किन्तु डेवलपर द्वारा बिजली, पानी तथा पहुँच पथ के अभाव के कारण इसे विकसित करने से मना (जुलाई 2015) किया। इकरारनामा को जून 2017 में निरस्त किया गया। परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप 100 लाख रुपये का व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग(जुलाई 2020) /जेटीडीसी(जून 2020) ने स्वीकार किया कि डेवलपर ने पहुँच पथ और अतिक्रमण के कारण परिसंपत्ति के संचालन करने में असमर्थता जाहिर की और परिसंपत्ति जेटीडीसी के द्वारा चलायी जा रही है। जेटीडीसी द्वारा जुलाई 2019 से परिसंपत्ति को स्व-संचालित होने की बात सही नहीं है, क्योंकि इस परिसंपत्ति में जुलाई 2020 तक कोई पर्यटक का आवागमन और इससे कोई आय सृजित नहीं हुई थी।
17.	बहुद्देशीय भवन, पथरोल मन्दिर, देवघर	2016/ ₹ 52.70 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> इन दोनों परिसंपत्तियों के लिए निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई - एकल निविदा प्राप्त हुई। पुनः निविदा (दिसम्बर 2016) आमंत्रित की गई- प्राप्त निविदा तकनीकी रूप से अयोग्य थे। टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया - इसके बाद परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने हेतु कोई निविदा आमंत्रित नहीं किया गया। 	
18.	विवाह मंडप-सह-अतिथि गृह, चौगाना धाम, छत्रपुर, पलामू	2015/ ₹ 39.04 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> जेटीडीसी के अभिलेखों के अनुसार, ये परिसंपत्तियाँ असंचालित हैं। हालाँकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसंपत्ति का संचालन जेटीडीसी/विभाग के संज्ञान के बिना ग्राम समिति के द्वारा संचालित किया जा रहा था। जेटीडीसी/सरकार का साईन बोर्ड/प्रतीक चिह्न नहीं लगे हुए थे। जेटीडीसी परिसंपत्ति का संचालन करने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप इन परिसंपत्तियों पर अलाभकारी व्यय हुआ। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग/ जेटीडीसी ने विशिष्ट उत्तर नहीं दिया और कहा कि संपत्ति दूरस्थ स्थान पर अवस्थित है, जहाँ सिर्फ कभी-कभार पर्यटकों के आने की अपेक्षा की जाती है तथा विभाग को परिसंपत्ति जिला पर्यटन प्रोत्साहन समिति को हस्तांतरित करने हेतु निवेदन किया गया था।

19.	बहुद्देशीय भवन- सह-अतिथि गृह, पुनासी, देवघर	2018/₹189.92 लाख	29.10.2018	<ul style="list-style-type: none"> • शुरुआत में निर्माण स्थान पुनासी डैम के नजदीक चिन्हित था परंतु स्थानीय विरोध के कारण, एम.पी.बी का निर्माण अन्य स्थल पर किया गया • संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.पी.बी. दूरस्थ स्थान पर अवस्थित था, जहाँ से डैम को देखा नहीं जा सकता था और डैम तक पहुँचने के लिए कोई सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं थी। • भवन या उसके नजदीक के क्षेत्र में कोई बिजली की सुविधा नहीं थी। पुनासी डैम के नजदीक एम.पी.बी. से संबंधित कोई भी विज्ञापन नहीं लगाई गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में अधिसूचित भी नहीं किया था। 	<ul style="list-style-type: none"> • विभाग(जुलाई 2020)/जेटीडीसी(जून 2020) ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि सम्पत्ति में बहुत संभावनाएं हैं और इसे बहुत जल्द आउटसोर्स किया जाएगा। • वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति जेटीडीसी को इसके हस्तांतरण के समय से असंचालित रही।
20.	बहुद्देशीय भवन, योगिनी स्थान, गोड्डा	2016/₹46.08 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> • जेटीडीसी ने दोनों परिसंपत्तियों के लिए मार्च 2016 में निविदा आमंत्रित किया- एकल निविदा प्राप्त हुआ। पुनः निविदा दिसम्बर 2016 में आमंत्रित किया गया -सफल निविदाकार के साथ इकरारनामा नहीं किया गया जिसका कोई कारण अभिलेखों में उपलब्ध नहीं था। • इसके बाद में परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई। • डी.टी.पी.सी. को परिसंपत्ति हस्तांतरण करने हेतु जेटीडीसी के अनुरोध पर विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। • इस तरह ये परिसंपत्तियाँ असंचालित रही जिसके परिणामस्वरूप इन परिसंपत्तियों पर व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> • विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने स्वीकार किया कि इन परिसंपत्तियों का निर्माण दूरस्थ क्षेत्र में किया गया था, जहाँ पर्यटक ठहरना पसन्द नहीं करते और जेटीडीसी द्वारा इन परिसंपत्तियाँ का संचालन तथा प्रबंधन संभव नहीं है। • आगे, जेटीडीसी ने कहा कि विभाग ने इसके संचालन के लिए संपत्ति का हस्तांतरण डी.टी.पी.सी. को किये जाने का अनुरोध किया। • वास्तविकता यह है कि ये दोनों परिसंपत्तियाँ असंचालित रही।
21.	बहुद्देशीय भवन, शिवपुर, रत्नेश्वर धाम, गोड्डा	2016/₹51.78 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> • निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई- एकल निविदा प्राप्त हुई। पुनः निविदा दिसम्बर 2016 में आमंत्रित की गई - दो निविदाएँ प्राप्त हुई और निविदाकारों को नोटरीकृत और प्रमाणित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया। इन दस्तावेजों के जमा करने व निविदा के परिणाम का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। • इसके बाद कोई निविदा नहीं हुआ और परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 51.78 लाख व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> • विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने स्वीकार किया कि परिसंपत्ति असंचालित थी और कहा कि जेटीडीसी द्वारा परिसंपत्ति का संचालन और प्रबंधन संभव नहीं है। जेटीडीसी ने आगे कहा कि परिसंपत्ति दूरस्थ क्षेत्र में है जहाँ पर्यटक ठहरना पसन्द नहीं करते। • जेटीडीसी ने आगे कहा कि विभाग ने इसके संचालन के लिए परिसंपत्ति का हस्तांतरण डी.टी.पी.सी. को किये जाने का अनुरोध किया है।
22.	बहुद्देशीय भवन, धमसा मन्दिर, गोड्डा	2016/₹51.78 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> • निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई- कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। पुनः निविदा (दिसम्बर 2016) में आमंत्रित की गई - प्राप्त दो निविदा तकनीकी रूप से अयोग्य थे। टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया किन्तु इसके बाद कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई। 	-वही-
23.	बहुद्देशीय भवन, हरिहर धाम, गिरिडीह	2015/₹64.26 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> • निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई- कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। पुनः निविदा (दिसम्बर 2016) में आमंत्रित की गई - प्राप्त दो निविदा तकनीकी रूप से अयोग्य थे। टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया किन्तु इसके बाद कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई। 	-वही-

				<ul style="list-style-type: none"> परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप रु 64.26 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। 	
24.	कम्यूनिटी सेंटर बिल्डिंग, पर्यटक सुविधा परिसर, किचेन शेड, धोरीमता मरियम, फुसरो, बोकारो	2015/₹133.45 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा मार्च 2016 एवं दिसम्बर 2016 में आमंत्रित की गई और दोनों अवसर पर एकल निविदा प्राप्त हुआ। टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद परिसंपत्ति को आउटसोर्स करने के लिए कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई। परिसंपत्ति असंचालित रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 133.45 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। 	-वही-
25.	संस्कार भवन, अमरेश्वर धाम खूँटी	2013/₹51.00 लाख	25.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा (मार्च 2016) आमंत्रित की गई और एल.ओ.ए (जून 2016) जारी किया गया, किन्तु निविदाकार अनुस्मारक (अगस्त 2016 और अगस्त 2017) जारी करने के बावजूद भी नहीं आया। परिसंपत्ति मई 2020 तक असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹51.00 लाख का व्यय व्यर्थ रहा। 	-वही-
26.	संस्कार भवन, विन्धवासिनी मन्दिर, साहेबगंज	2015/₹44.75 लाख	25.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई -एकल निविदा प्राप्त हुई। पुनः दिसम्बर 2016 में निविदा आमंत्रित की गई- दो निविदाएँ प्राप्त हुईं और निविदाकारों को नोटरीकृत और प्रमाणित दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया। इन दस्तावेजों के जमा करने व निविदा के परिणाम का अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इसके बाद कोई निविदा नहीं हुआ और परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 44.75 लाख व्यय अलाभकारी रहा। 	-वही-
27.	गंगा भवन, राजमहल, साहेबगंज	2013/₹1.11क रोड़	25.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> जेटीडीसी ने इस परिसंपत्ति के आउटसोर्स करने के लिए निविदा दिसम्बर 2016, दिसम्बर 2017, दिसम्बर 2018 और फरवरी 2019 में आमंत्रित किया, लेकिन कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। परिसंपत्ति असंचालित रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 110.76 लाख व्यय अलाभकारी रहा। 	-वही-
28.	रेस्टोरेंट-सह-हॉल, गुमला पालकोट,	2015/₹59.14 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा मार्च 2016 में आमंत्रित की गई- प्राप्त चार निविदाओं में से सिर्फ एक तकनीकी रूप से योग्य था। पुनः निविदा दिसम्बर 2016 में आमंत्रित की गई- एकल निविदा प्राप्त हुई। टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद परिसंपत्ति के आउटसोर्स के लिए कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गई और परिसंपत्ति असंचालित रही, जिसके परिणामस्वरूप रु 59.14 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। 	-वही-

29.	बहुदेशीय भवन, बुढ़ई मन्दिर, देवघर	2016/₹51.76 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा मार्च 2016 और दिसम्बर 2016 में आमंत्रित की गई- किस कारण से निविदा को अंतिम रूप नहीं किया गया, अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसंबर 2019) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि भवन के दीवारों में दरारें थी, खिड़कियों के पैनल टूटे हुए थे तथा एम.पी.बी. के बाहर शौचलय/हैण्डपंप अक्रियाशील था। एम.पी.बी. दूरस्थ स्थान पर अवस्थित था तथा परिसंपत्ति की सुरक्षा हेतु जेटीडीसी द्वारा कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया था। यह स्थान राज्य सरकार द्वारा एक पर्यटक स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं था। परिसंपत्ति असंचालित रही और ₹ 51. 76 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने स्वीकार किया कि परिसंपत्ति दूरस्थ स्थान पर स्थित है, जहाँ कभी-कभार पर्यटक के आने की संभावना है और आगे कहा कि डीटीपीसी द्वारा इसके संचालन के लिए विभाग से इसका हस्तांतरण करने का अनुरोध किया गया। वास्तविकता यह है कि यह परिसंपत्ति असंचालित रही।
30.	पर्यटक सूचना केंद्र, हजारीबाग	2011/₹83.05 लाख	23.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा प.सू.के. को परिसर में असमाजिक गतिविधियों के संचालन के आधार पर सील (सितम्बर 2018) कर दिया गया। डेवलपर के साथ इकरारनामा निरस्त (नवम्बर 2018) कर दिया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसंपत्ति असंचालित थी, आधारभूत सुविधाओं की कमी एवं रख-रखाव दयनीय था। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने बताया कि डेवलपर को परिसंपत्ति का विकास एवं उन्नयन करने केलिये, सफल निविदाकार को एल.ए.ओ. (दिसंबर 2019) जारी किया गया वास्तविकता यह है कि इकरारनामा सफल निविदादाता के साथ नहीं किया गया और परिसंपत्ति असंचालित रही।
31.	पर्यटक सूचना केंद्र, देवघर	2014/₹49.05 लाख	25.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> डेवलपर के साथ निष्पादित इकरारनामा (फरवरी 2016) वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क का भुगतान नहीं करने के कारण निरस्त (मई 2018) कर दी गई। अनुमोदित पी.आई.पी. के अनुसार परियोजना सुविधाओं का उन्नयन डेवलपर द्वारा करना था और यदि इकरारनामा समाप्त हो जाता है तो परियोजना स्थल एवं परियोजना सुविधाओं को जेटीडीसी को सौंप दिया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इकरारनामा के निरस्त होने के बाद परियोजना सुविधाएँ जैसे वाटर कूलर, इनवर्टर, स्वीट डिस्प्ले काउंटर, अग्नि शामक यंत्र, बैटरी, माइक्रो वेभ, लेजर प्रिंटर इत्यादि का प्रभार जेटीडीसी लेने में असफल रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने कहा कि डेवलपर ने इकरारनामा की रेस्टोरेशन के लिए उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। वास्तविकता यह है कि परिसंपत्ति मई 2018 से असंचालित रहा। डेवलपर द्वारा परियोजना सुविधाओं को नहीं सौंपने के बारे में जेटीडीसी ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया।
32.	पर्यटक सूचना केंद्र, राजमहल, साहेबगंज	2015/₹49.36 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> निविदा मार्च 2016 में किया गया- डेवलपर को चयनित (मई 2017) किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से इकरारनामा नहीं हो पाया जिसका कारण अभिलिखों में नहीं दर्शाया गया है। परिसंपत्ति असंचालित रही जिसके परिणामस्वरूप ₹ 49.36 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020) / जेटीडीसी (जून 2020) ने विशिष्ट जवाब नहीं दिया।
33.	पर्यटक सूचना केंद्र, जमशेदपुर	2011/₹81.84 लाख	23.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि परिसंपत्ति कचहरी परिसर में बगैर साईन बोर्ड/प्रतीक चिन्ह के अवस्थित है और बंद था। परिसंपत्ति हस्तांतरण के बाद से असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.84 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने कहा कि आउटसोर्सिंग हेतु इकरारनामा (जनवरी 2020) किया गया और परिसंपत्ति का संचालन उन्नयन का कार्य पूर्ण करने के बाद होगा।

34.	ध्वनि एवं प्रकाश शो, शिल्प ग्राम, देवघर	2015/₹305.00 लाख	27.01.2015	<ul style="list-style-type: none"> जेटीडीसी ने प्रणाली का संचालन (फरवरी 2015) में शुरू किया किन्तु कुछ खराबी (फरवरी 2016 और जून 2016) के कारण बंद रहा। खराबी को ठीक किया गया लेकिन वज्रपात के कारण प्रणाली पुनः बंद (जुलाई 2016) हो गई तथा तब से यह निष्क्रिय पड़ा है। परिसंपत्ति असंचालित रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 305 लाख का व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने तथ्य को स्वीकार किया और कहा कि ध्वनि एवं प्रकाश शो, के खराबियों की सुधार के बाद चालू किया जाएगा। जवाब क्रम में नहीं है। हालांकि, सच्चाई यह है कि यह परिसंपत्ति बंद होने के चार वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अक्रियाशील है।
35.	चिल्ड्रेन प्ले जॉन सह-कियोस्क, सीतारामपुर डेम, सरायकेला खरसावाँ	2015/₹24.00 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> जेटीडीसी ने निविदा (मार्च 2016) आमंत्रित किया एवं सफल निविदाकार को एल.ओ.ए. (जून 2016) जारी किया, किन्तु अनुस्मारक (अगस्त 2016 एवं अगस्त 2017) जारी करने के बावजूद भी निविदाकार इकरारनामा सम्पादित करने हेतु नहीं आया। परिसंपत्तियां असंचालित रहीं जिसके फलस्वरूप व्यय व्यर्थ रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने तथ्य को स्वीकार किया एवं कहा कि ये परिसंपत्तियां वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं तथा इन परिसंपत्तियों को डी.टी.पी.सी को हस्तांतरित करने के लिए विभाग से अनुरोध किया गया है।
36.	चिल्ड्रेन उद्यान, कुदरसाई, सरायकेला खरसावाँ	2015/₹36.58 लाख	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> जेटीडीसी ने निविदा दिसंबर 2016 में आमंत्रित किया। तकनीकी रूप से कोई भी निविदाकार योग्य नहीं था एवं टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। इसके उपरांत कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गयी एवं जेटीडीसी इस परिसंपत्ति के संचालन में विफल रहा। जेटीडीसी के अभिलेख में इस परिसंपत्ति को असंचालित दर्शाया गया है किन्तु संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि यह परिसंपत्ति स्थानीय समिति द्वारा संचालित है। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020) ने कहा कि यह परिसंपत्ति जिला प्रशासन के अधीन है। जवाब विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि इस परिसंपत्ति को जेटीडीसी ने अपने अभिलेख में असंचालित दर्शाया है, जबकि संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह परिसंपत्ति स्थानीय समिति द्वारा संचालित पाया गया।
37.	चिल्ड्रेन प्ले जोन सिदगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम	लागू नहीं/लागू नहीं	28.10.2015	<ul style="list-style-type: none"> जेटीडीसी ने निविदा दिसंबर 2016 में आमंत्रित किया। तकनीकी रूप से कोई भी निविदाकार योग्य नहीं था एवं टी.ई.सी. ने पुनः निविदा आमंत्रित करने का निर्णय लिया। इसके उपरांत कोई भी निविदा आमंत्रित नहीं की गयी एवं जेटीडीसी इस परिसंपत्ति के संचालन में विफल रहा। जेटीडीसी के अभिलेख में इस परिसंपत्ति को असंचालित दर्शाया गया है किन्तु संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि यह परिसंपत्ति स्थानीय समिति द्वारा संचालित है। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020) ने कहा कि यह परिसंपत्ति जिला प्रशासन के अधीन है। जवाब विश्वासप्रद नहीं है क्योंकि इस परिसंपत्ति को जेटीडीसी ने अपने अभिलेख में असंचालित दर्शाया है, जबकि संयुक्त भौतिक सत्यापन में यह परिसंपत्ति स्थानीय समिति द्वारा संचालित पाया गया।
38.	पर्यटक स्थल, हटिया, राँची	लागू नहीं/₹400.00 लाख	25.03.2015	<ul style="list-style-type: none"> हस्तांतरण परिपत्र के अनुसार, इस परिसंपत्ति का संचालन आउटसोर्सिंग अथवा पी.पी.पी माध्यम से किया जाना था। हालांकि यह परिसंपत्ति विभाग की अनुमति के बिना आंशिक रूप से स्व-संचालित थी। वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान केवल 15 से 50 बुकिंग हुई तथा ₹ 53,500 की कमाई हुई थी। कॉटेज खराब हालत में थीं, फूड कोर्ट असंचालित थीं एवं कोई पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं थी। परिसंपत्ति पर पर्याप्त व्यय के बावजूद जेटीडीसी द्वारा इसे आउटसोर्स करने के लिये कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप चार करोड़ रुपये का व्यय अलाभकारी रहा। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने कहा कि वे इसके संचालन के माध्यम पर निर्णय लेंगे। जवाब सही नहीं है, क्योंकि विभाग के निर्देश (2015) के अनुसार इस परिसंपत्ति को आउटसोर्स के माध्यम से संचालित किया जाना था जबकि पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका संचालन किस माध्यम से किया जाना है विचाराधीन है।
39.	पर्यटक स्थल, रेस्टोरेंट एवं फूड कोर्ट, कांके डैम, रांची	2012/₹430.00 लाख	23.03.2012	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 2019) में लेखापरीक्षा ने पाया कि यह परिसंपत्ति आंशिक रूप से (केवल उद्यान) संचालित थी। रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट एवं म्यूजिकल फाउंटन अक्रियाशील थीं, रेस्टोरेंट एवं फूड कोर्ट जीर्ण-शीर्ण स्थिति में थीं। 	<ul style="list-style-type: none"> विभाग (जुलाई 2020)/ जेटीडीसी (जून 2020) ने कहा कि परिसंपत्ति को आउटसोर्स (मार्च 2020) कर दिया गया है एवं उन्नयन के उपरांत इसका संचालन आरम्भ कर दिया जायेगा। तथ्य यह है कि परिसंपत्ति अब तक केवल आंशिक रूप से संचालित है।
	कुल	3,967.54			

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjh.cag.gov.in